माला, खंड 4, अंक 25

सोमवार, 20 जुलाई, 1998
29 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे॰एस॰ वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 25, सोमवार, 20 जुलाई, 1998/29 आषाढ़, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 462 से 464 .	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 465 से 481	24-86
अतारांकित प्रश्न संख्या 4598 से 4827 .	87-371
"सेंट्रल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर हॉकी" के बारे में दिनांक 4 अगस्त, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1795 के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण.	371-372
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	372-384
नियम 377 के अधीन मामले	420-426
(एक) बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता श्री रघुवंश प्रसाद सिंह .	420-421
(दो) बिहार के गया जिले के बुनकरों के ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता श्री कृष्ण कुमार चौधरी.	421
(तीन) देश में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में वनों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन	422
(चार) असम की कोच राजवंशी जनजाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शीघ्र सम्मिलित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता श्री माधव राजवंशी .	422-423
(पांच) महाराष्ट्र राज्य के लिए खाद्यान्न का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता श्री विठ्ठल तुपे .	423-424
(छह) राजनांदगांव में नक्सलवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की प्रस्तावित कार्य योजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता श्री मोतीलाल वोरा .	424
(सात) बिजली के बल्ब पर से उत्पाद शुल्क हटाए जाने की आवश्यकता श्री सुधीर गिरि	424
(आठ) उत्तर प्रदेश में "गोंड" जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता श्री दरोगा प्रसाद सरोज .	425
(नौ) तमिलनाडु में कुड्डालोर शहर में रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता श्री एम॰सी॰ दामोदरन	425

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(दस) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में घोरावल बरास्ता गुरूवल शिल्पी मार्ग पर सोन नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामशकल	426
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति किए जाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के बारे में	426–433
श्री राम जेठमलानी	426
विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक	433–478
विचार करने के लिए प्रस्ताव	433
श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम	433
श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण	437
श्री वी॰ धनंजय कुमार	444
श्री वारकला राधाकृष्णन	448
श्री प्रभुदयाल कठेरिया	455
श्री मोहन सिंह	456
श्री प्रभुनाथ सिंह	460
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	462
श्री प्रभात कुमार सामंतराय	466
श्री रामनारायण मीणा	468
श्री जुआल उराम	471
श्री आर॰एल॰ जालप्पा	474
डा॰ सरोजा वी॰	478

लोक सभा

सोमवार, 20 जुलाई, 1998/29 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री वैको : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा समय है जबकि भारत सरकार को कावेरी योजना अधिसूचित कर देनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, आप इसे प्रश्नकाल के बाद उठा सकते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों में महिलाएं

*462. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार इन महिलाओं की सेवाओं को नियमित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों में लगभग 8.28 लाख महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रूप में कार्यरत हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह 438 रुपए से 563 रुपए के बीच और सहायिकाओं को 260 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, वे दो बार प्रसूति अवकाश और हर वर्ष 20 आकस्मिक अवकाश लेने तथा बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा/दैनिक भत्ते की हकदार भी हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानंद स्वामी : माननीय अध्यक्ष जी, जो जवाब आया है और जो मानदेय इसमें स्वीकृत बताया गया है, वह बहुत कम है। आज की इस मंहगाई के समय में इतने मानदेय पर उनसे कोई काम ले पाना संभव नहीं दिखाई पड़ता। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय, दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते में सरकार कोई सुधार करना चाहेंगी? साथ ही यह भी जानना चाहूंगा कि प्रति वर्ष आंगनवाड़ी कार्यक्रम पर सरकार का कुल कितना पैसा खर्च होता है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न महिलाओं से सम्बन्धित हैं। आज मैं केवल महिला सदस्यों को ही बोलने की अनुमति देने जा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री मोती लाल वोरा : आपको पुरूष सदस्यों को भी अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : महिला सदस्यों के बाद मैं पुरूष सदस्यों को भी अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : आंगनवाड़ी में काम करने वाली कार्यकत्रियों की दशा वास्तव में चिंतनीय है और जो मानदेय उनको दिया जा रहा है, वह कम है। हम विभिन्न राज्य सरकारों से इस विषय में सम्पर्क में हैं और तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन राज्यों ने उनका मानदेय बढ़ाने में मदद की है। अब तमिलनाडु में 842 रुपये और 400 रुपये, यानी सहायिकाओं का 400 रुपये और आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का 842 रुपये तक मानदेय हो गया है। इसी तरह महाराष्ट्र में 175 रुपये से 125 रुपये तक प्रति आंगनवाड़ी कार्यकत्री और सहायिका के मानदेय में वृद्धि हो गई है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी 100 रुपये से लेकर अधिक राशि तक उनके मानदेय में वृद्धि की गई है। 22 और 23 जुलाई को सभी राज्यों के संबंधित मंत्रियों का सम्मेलन हमने बुलाया है जो महिला और बाल कल्याण विभाग के काम देखते हैं। इस संबंध में हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। उसके बाद जो राय बनेगी, उसके अनुसार हम आगे कदम उठाएंगे।

श्री चिन्मयानंद स्वामी : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया है। मैंने जानना चाहा था कि इस योजना पर प्रति वर्ष कुल कितना खर्च होता है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : कुल 544.8 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।

श्री चिन्मयानंद स्वामी : अध्यक्ष जी, यह योजना कुछ प्रांतों में प्रभावी ढंग से काम कर रही है लेकिन कुछ प्रांतों में एक सफेद हाथी है, जिसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस योजना की कार्य प्रणाली की समीक्षा करेगी और उसमें सुधार लाने के लिए कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन करना चाहेगी। साथ ही सरकार आंगनवाड़ी की वर्तमान

प्रणाली को उद्देश्यपरक बनाने के लिए क्या कोई और कार्ययोजना लागू करेगी?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : जहां तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चलने वाले कार्यक्रमों और उनकी कार्य करने की शैली में सुधार का प्रश्न है, यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है। इन कार्यकत्रियों से अनेक प्रकार के काम लिये जाते हैं, जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य के कार्य बहुत प्रमुख है। पूरक पोषण आहार, गर्भवती एवं प्रसूता की चिन्ता करना, अनेक स्थानों पर टीकाकरण, बच्चों की देखभाल, जैसे काफी बड़े काम ये महिलाएं करती हैं। इसमें एक स्वयंसेवी का भाव था, एक स्वयंसेवा के रूप में इस संस्था को विकसित किया गया था, लेकिन धीरे-धीरे इन कार्यकत्रियों पर काफी बोझ बढ़ता जा रहा है और इनकी कार्य सेवाओं में तथा कार्यों में व्यापक तौर से विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर एक समेकित योजना बनाने की जरूरत है, क्योंकि उसमें चिकित्सा भी शामिल है, शिक्षा भी शामिल है, इसमें विकास का भी कुछ काम आ जाता है, वह भी शामिल है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस योजना पर सभी सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ बैठकर इसको कैसे अधिक सक्षम और कारगर बनाया जाये, इसकी जरूरत है।

इस सम्बन्ध में अनेक सुझाव हमें मिले हैं। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष ने भी कुछ सुझाव हमें दिये हैं और जैसा मैंने बताया कि 22 और 23 तारीख को सभी राज्य सरकारों के सम्बन्धित मंत्रियों की बैठक आहूत की गई है, जो इन कार्यक्रमों को देखते है। वहां से जो राय बनेगी, उसके आधार पर कदम उठाएंगे।

[अनुवाद]

डा॰ सरोजा वी॰ : माननीय अध्यक्ष महोदय आई॰सी॰डी॰ योजना को कार्यान्वित करने के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारी मुख्य कार्यकर्ता हैं। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं और यह मानता हूं कि नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, कानूनी तथा राजनीतिक क्षेत्र पर काफी जोर दिया गया है। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिए मानदेय बढ़ाने पर प्रतिबंध था। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि देश भर में तीन सौ केन्द्रों में 8.2 लाख महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए चलाया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश भर में एक समान नीति अपनाई जाएगी क्योंकि मानदेय की अदायगी और कार्य की प्रकृति प्रत्येक राज्य में भिन्न होती है। क्या 22 और 23 तारीख की बैठक के दौरान माननीय मंत्री जी मानदेय बढ़ाने और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिए देश भर में एक समान नीति अपनाने पर भी विचार करेंगे।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : जैसा कि मैंने पहले संकेत दिया है कि उस बैठक में चर्चा के आधार पर हम इस कार्यक्रम के सभी पहलुओं और किस तरह से हम इसमें और सुधार कर सकते हैं तथा कार्यकर्त्ताओं का मानदेय बढ़ा सकते हैं, पर विचार करेंगे। इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। उस बैठक में कायम राय के आधार पर हम अगली नीति बनायेंगें।

जहां तक कि नवीं योजना का संबंध है जब अन्तिम दस्तावेज सामने आएगा केवल तभी मैं कह सकता हूं कि नवीं योजना में इस कार्यक्रम की क्या स्थिति होगी।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय, आई॰सी॰डी॰एस॰ के क्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा गया था। निश्चय ही कुछ राज्यों ने किशोर बालिकाओं अर्थात् 11 से 18 वर्ष तक की उम्र की बालिकाओं को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है और वह भी दो चरणों में । ऐसा इस आयु की बालिकाओं में पोषण संबंधी तथा स्वास्थ्य संबंधी सुधार करने और उन्हें आय कमाने के लिए आवश्यक साक्षरता और संख्या ज्ञान तथा अन्य कौशल प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि अब तक कितने ब्लाकों को शामिल किया जा चुका है और कितनी किशोर बालिकाओं को इसमें शामिल किया जा चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं पर 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ-साथ इन किशोर बालिकाओं का अतिरिक्त बोझ पड़ा है और चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा है कि इन्हें मानदेय दिया जाता है क्योंकि यह नियुक्त कर्मचारी नहीं हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या वह इन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के मानदेय को न्यूनतम वेतन के बराबर बढ़ाने पर विचार करेंगे।

यदि वह इसे न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार नहीं बढ़ा रहे हैं तो क्या सरकार न्यूनतम वेतन अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय क्या आपने उनका अनुपूरक प्रश्न समझा है?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : वह क्या कह रही हैं, मैं समझ सकता हूं। आप देखिए आई॰सी॰डी॰एस॰ परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई है। देश में केवल 4200 ब्लॉक हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : केवल किशोर बालिकाओं के लिए?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : मैं उस बात पर आ रहा हूं। हम नवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। जहां तक कि किशोर बालिकाओं की योजना का संबंध है, वर्तमान में देश में 507 ब्लॉको को इसमें शामिल कर लिया गया है। जहां तक आपके प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है मैंने पहले ही उसका उत्तर दे दिया है।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : महोदय, आप केवल महिला सदस्यों को ही अवसर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं केवल महिला सदस्यों को ही अवसर दे रहा हूं। इसके बाद मैं पुरूष सदस्यों को अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको उन्हें हमेशा समर्थन देना चाहिए।

श्री चमन लाल गुप्त : उनका लक्ष्य केवल 33 प्रतिशत आरक्षण है।. लेकिन आपने उन्हें शत प्रतिशत आरक्षण दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में भी महिला सदस्यों को कुछ प्रतिनिधित्व देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने महिलाओं के प्रश्न पर महिलाओं को मौका दिया है। पहले जो योजनाएं बनी हैं, वे ऐसी बनी हैं जिसके कारण लोलुपता बढ़ती है और आमदनी कम होती है। इस योजना में भी यही हुआ है। जैसा कि सभी ने कहा है कि इसमें जो वेतन मिलता है, वह बहुत कम है, हमारा भी ऐसा ही मानना है। इसी कारण आज से तीन-चार साल पहले सभी महिला संगठनों की सदस्याएं दिल्ली आई थी और मंत्री जी से मिली थी। इसी आधार पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि सभी महिलाओं को यहां न आना पड़े, क्या इसके लिए आप उनके वेतन में बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि आपने अभी कहा है कि हम एक मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, तो क्या यह वेतन बढ़ाने की बात उस मीटिंग में मुख्य मुद्दा होगा? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इन महिलाओं जो मैटरनिटी लीव मिलती है, वह बहुत कम है। उन्हें ज्यादा मैटरनिटी लीव मिले, क्या उसके लिए भी सरकार विचार करेगी?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : दो सवाल अलग-अलग हैं। आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों समस्याओं को दृष्टि में रखकर आने वाली 22-23 तारीख की मीटिंग में हम विचार करेंगे। मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनके वेतन शब्द लागू नहीं होता। यह योजना स्वयंसेवा की भावना से चलाई गई है, उनको नौकर या वेतनभोगी के समान स्वीकार नहीं किया है। हां, उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी करनी होगी, तो उस बारे में हम उस मीटिंग में मिलकर विचार करेंगे। इसके साथ ही अगली पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार से सुधार ला सकते है, उस पर भी विचार करेंगे और जो विचार सामने आएंगे उसके आधार पर हम नीति बनाएंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। हमारे मानव संसाधन मंत्री ने श्रीमती जयन्ती पटनायक के प्रश्न का उत्तर देते हुए न्यूनतम वेतन के संबंध में कहा। मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह वेतन है अथवा भत्ता है। क्या आप वह न्युनतम धनराशि दे रहे हैं अथवा नहीं? सभी सदस्य दोनों महिला तथा पुरूष इस बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री चिन्मयानन्द स्वामी ने प्रश्न किया है। इसलिए सभी पुरूष सदस्य भी इस बारे में जानना चाहते हैं। यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है। मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि क्या सरकार का आंगनवाड़ी का निजीकरण करने का कोई इरादा है। यदि हां, तो आप किस आधार पर यह मानते हैं कि इससे उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : आंगनवाड़ी संस्थाओं का निजीकरण का कोई विचार नहीं है। जहां तक कि मानदेय का संबंध है हम 22 तथा 23 तारीख की अपनी अगली बैठक में सभी राज्य सरकारों से इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उनके विचार जानने के बाद ही, जो राय वहां कायम होगी, हम इस संबंध में एक नीति बनायेंगे।

[हिन्दी]

कुमारी विमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मानदेय बहुत कम है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी : हमने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे प्रश्न उठा सकती हैं; इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

कुमारी विमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मानदेय बहुत कम है और इनको दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग का भी काम करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या वे केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क करके यह प्रयत्न करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग भी उनको मानदेय दे और साथ ही दूसरे विभागों के जितने भी वे काम करती है, वे भी इनका मानदेय दे, ताकि इनको कम से कम मिनिमम वेजेज के अनुसार मानदेय मिल जाए?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : महोदय, जहां तक आपके सुझाव के पहले अंश का सवाल हैं, मैं उन सभी मंत्रालयों से विचार करूंगा कि वे इसमें सहयोग करें। लेकिन यह कहां तक पहुंच पाएगा, इसके बारे में निश्चय सभी राज्यों से बात करने के बाद ही हो सकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री जगतु वीर सिंह द्रोण : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उनका मानदेय प्रतिमाह है और बीस आकस्मिक अवकाश प्रतिवर्ष मिलते है, लेकिन प्रसूति अवकाश के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। मैं यह मानकर चलता हूं कि उन्हें सेवा काल में दो बार प्रसूति अवकाश दिया जाता होगा। यदि परिस्थितिवश प्रसूति अवकाश

की दो बार से अधिक बार आवश्यकता पड़े, क्योंकि कोई कानूनी रोक नही है, तो उस स्थिति में सरकार ऐसे केसेज में क्या करती है? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि कुछ आंगनवाड़ियों को सरकार ने बन्द करने का निर्णय लिया है। इसमें काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों प्रशिक्षित होती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कार्यकत्रियों के लिए कोई योजना है, जिससे उनका अन्यत्र समायोजन किया जा सके?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : महोदय, जहां तक प्रसूति अवकाश का सवाल है, वह एक बार में तीन महीने के हिसाब से दो बार दिया जाता है। तीसरी बार देने का कोई इरादा नहीं है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : ऐसी स्थिति में वे क्या करेगी?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : अवकाश नहीं देगें, और क्या करेगी।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : यह तो गलत बात है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : दूसरी बात, जो मानदेय दिया जाता है, वह सरकारी सेवा के हिसाब से तो हैं नहीं, लेकिन जो बात आपने कहीं है कि इनके भविष्य के बारे में क्या स्थिति है, तो अप्रैल, 1995 में सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सुपरवाइजर के पद पर काम करने वाली बहनें हैं, सरकारी सेवाओं में जो रिक्तियां होती है, उनमें 25 प्रतिशत के हिसाब से उन्हें नौकरीं दी जाए। यह लिखा हुआ है। कुछ राज्य सरकारों ने देना शुरू किया है। जहां तक अन्य और पढ़ी-लिखी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां हैं, उनका भविष्य सुनिश्चित हो, वे कहीं जाना चाहे, तो जा सके, इस बारे में हम 22-23 तारीख को राज्य सरकारों से बातचीत करने वाले हैं।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : लेकिन तीसरी बार प्रसूति अवकाश के बारे में क्या निर्णय लेंगे?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : आप तीसरी बार में क्यों इतनी रुचि ले रहे है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : ऐसी स्थिति बनेगी, तो क्या करेंगे।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : परिस्थिति बनाने में तो आपका कोई हाथ नहीं है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : लेकिन कोई कानूनी रोक भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नही, ऐसे नही। प्रोफैसर कुरियन।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को इतना अधिक महत्व देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। वास्तव में, आपने इसके लिए 20 मिनट का समय दिया है। मुझे खेद है कि सरकार इस मुद्दे को अधिक महत्व नहीं दे रही है।

आप माननीय मंत्री महोदय एक वरिष्ठ मंत्री, डा॰ मुरली मनोहर जोशी द्वारा दिए गए इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर पर गौर करिए। प्रश्न का भाग (ख) है "क्या सरकार इन महिलाओं की सेवाओं को नियमित करने पर विचार कर रही है" और उत्तर घड़ल्ले से 'नहीं' कहा गया है। इससे एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के प्रति सरकार के कठोर रवैये का पता चलता है। आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की संख्या आठ लाख से अधिक है। उनकी क्या दशा है? उनकी दशा बहुत शोचनीय है। वह सब गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण तबके से संबंध रखती हैं। वह पुनर्निमाण का अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं जिसमें वह प्राथमिक पूर्व बच्चों को प्रशिक्षण दे रही हैं। तो भी यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने अब तक अनेक अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दिया है लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में सरकार की ओर से किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : मैं अपने प्रश्न की भूमिका बांध रहा हूं।

साधारणतः वह कह रहे हैं कि कोई बैठक होने जा रही है और उसमें वह निर्णय लेंगे। मैं एक संगत प्रश्न पूछ रहा हूं : क्या सरकार की इन आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के संबंध में कोई कार्य योजना है; यदि नहीं, तो क्या मंत्री महोदय देश की इन निर्धनतम कार्यकत्रियों, हमारी बहनों की दशा पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए तैयार हैं?

यदि आप एक समिति नियुक्त करने के लिए तैयार हैं तो इस सभा में कहिए और स्पष्ट उत्तर दीजिए।

[हिन्दी]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : आपने जो सवाल किया है, इन महिलाओं की और कार्यकत्रियों की स्थिति के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है। यह स्थिति पिछले 15-16 वर्षों में पैदा हुई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भुवनेश्वर कालिता : कृपया एक मंत्री की हैसियत से बात करिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : मैं इससे सहमत नही हूं। ...*(व्यवधान)*। श्री वोरा मैं सहमत नही हूं।...*(व्यवधान)*

आपने जो नीति बनाई है उसके परिणामस्वरूप आज यह स्थिति बनी है।...*(व्यवधान)*। जैसे ही मेरे पास प्रतिवेदन आने शुरू हुए और

नेता प्रतिपक्ष ने मुझ से बात की, मैंने तत्काल उसकी बैठक सुनिश्चित की और मैं राज्य सरकारों से उनकी परिस्थिति के बारे में बात करने जा रहा हूं। आपने क्या किया? आपने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो शुरू भी कर दिया।...*(व्यवधान)* आप इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है।...*(व्यवधान)* आप अपने अंदर झांक कर देखिए। ...*(व्यवधान)* आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए।...*(व्यवधान)* हम विचार कर रहे हैं और विचार करने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। ..*(व्यवधान)* हम मीटिंग कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* उस पर विचार कर रहे हैं। हमने उनके प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत की है, नेता प्रतिपक्ष से बात की, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे थे?

टेलीविजन और रेडियो कलाकारों के चयन हेतु मानदंड

***463. डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन और रेडियो कलाकारों के चयन हेतु पात्रता के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या कलाकारों के चयन के अवसरों का लाभ सामान्यतः शहरी लोग ही उठाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा निखारने के अवसर प्राप्त हो सकें?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन में कलाकारों के पदों जिसमें वादकों, संगीतज्ञों, उदघोषकों, समाचारवादकों - सह-अनुवादकों, अनुवाद को-सह-उदघोषकों आदि जैसी श्रेणियां शामिल हैं, को अनुमोदित/अधिसूचित भर्ती नियमों और समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार भरा जाता है।

(ख) और (ग) उम्मीदवारों की उपयुक्तता का मूल्यांकन विधिवत गठित चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों की ग्रामीण या शहरी पृष्ठभूमि पर विचार किए बिना उनके परीक्षा/साक्षात्कार/स्वर-परीक्षा में कार्य-निष्पादन के आधार पर किया जाता है। प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) बनने के बाद इन मामलों पर प्रसार भारती द्वारा इस विषय में संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष जी, मंत्री जी एक प्रखर सांसद और कुशल प्रशासक हैं। मेरे प्रश्न का जो मुख्य मुद्दा था उसका उत्तर नही आया। मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के कलाकारों को अपनी प्रतिभाएं निखारने का अवसर मिल सके? इस संबंध में उत्तर आया कि मुझे यह उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि प्रसार भारती बनने के बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को जो उचित व्यवस्था मिलनी चाहिए वह नही मिल नही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारे बिहार के एक बिहारी ठाकुर ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे जो अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन वह देश के इतने बड़े कलाकार थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़े क्षेत्रों में, पूरे देश में कलाकार भरे पड़ें हैं। मैं सरकार से इस विषय में यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के लोक एवं जनजातीय संगीत के चयन हेतु कितने केन्द्रों की स्थापना की है और जो ग्रामीण एवं देहाती क्षेत्रों के लोक गायक हैं उनके चयन के लिए क्या उनसे कोई शुल्क राशि ली जा रही है, यह मेरा सीधा प्रश्न है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा था कि क्या केवल शहरी प्रतिभाएं ही दूरदर्शन में आती हैं और क्या ग्रामीण वर्ग के लोगों की उपेक्षा होती है। मैंने उत्तर में बाकायदा यह बताया कि जब चयन प्रक्रिया की जाती है तो उसमें रूरल या अरबन बैकग्राउंड का ध्यान नहीं रखा जाता, रिटन टेस्ट, आडीशन टेस्ट होता है। अब अलग-अलग केन्द्रों पर भर्ती होती है और लोकल कार्यक्रम बनाने की बात होती है तो निश्चित तौर पर यह ध्यान रखा जाता है। चूंकि लोकल फ्लेवर लोकल कलाकारों में ज्यादा होता है इसलिए उनका चयन तो होता ही है। आपका प्रश्न एलिजीबिल्टी नार्म्स को लेकर था।...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : गाइडलाईन साइलेंट है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कोई गाइडलाईन रूरल अरबन बैकग्राउंड के बॉयस को लेकर नहीं है। अभी तक की एलिजीबिल्टी नार्म्स पर आपका प्रश्न था कि क्या अरबन प्रतिभाएं आ जाती है और रूरल प्रतिभाएं रह जाती है, इसलिए मैंने उसका जवाब फेक्चुअल दिया कि रूरल अरबन बॉयस के आधार पर कोई गाइडलाईन नहीं बनी हुई है।

चयन प्रक्रिया रिटन-टैस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होती है। इस आधार पर नहीं होती है कि किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि ग्रामीण है या अर्बन है।

डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल : माननीया मंत्री जी को मैं पुनः इस संबंध में धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह एक महिला माननीय मंत्री हैं और हमारी प्रखर मंत्री हैं। महिलाओं के साथ प्रसार भारती में जो अन्याय किया जा रहा है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सलमा सुलतान, मीनू, गीतांजलि अय्यर, उषा अलबूकर्क, मंजूरी जोशी और कावेरी मुखर्जी को जो न्यूज-रीडर थी, इसलिए हटाया गया कि जो हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह न्यूज-रीडर का प्रश्न नहीं है, यह आर्टिस्ट्स का प्रश्न है।

डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न कलाकारों से संबंधित है। इसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों के चेहरों से लोग ऊब गये हैं। जब महिलाओं के लिए हम लोग 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं तब उन महिला न्यूज रीडर्स के लिए कहा जाता है कि आपके चेहरों से लोग ऊब गये हैं, इसलिए आपको हटाया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इन महिलाओं के साथ न्याय किया जाएगा, वे बड़ी अच्छी न्यूज रीडर्स थी, उनकी प्रतिभा का कोई दूसरा विकल्प नहीं मिलेगा। लोग ऊब गये हैं यह कहना उचित प्रतीत नही लगता है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एस.एस. गिल ने उन्हें हटाया है।

अध्यक्ष महोदय : नो,नो, आप सप्लीमेंटरी पूछिये।

डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल : मैं नाम वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं तो मैं डिस-एलाऊ करूंगा। आप सप्लीमेंटरी पूछिये।

डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप उन्हें पुनः न्यूज-रीडर के पद पर रखने की कृपा करेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह जानकारी होगी कि प्रसार भारती बिल पारित होने के बाद प्रसार भारती एक स्वायत्तशासी संस्था बन गया। वहां किसको न्यूज रीडर के पद पर लिया जाए, किसको न लिया जाए, किसको प्राइम-टाइम में न्यूज-रीडिंग दी जाए, किसको न दी जाए, इसमें मंत्रालय को कोई दखल नहीं है। इसलिए आपका मुझसे यह पूछना कि मैं उन्हें पुनः न्यूज-रीडर के पद पर नियुक्त करूंगी, इसका जवाब न में है क्योंकि इसमें मेरी अपनी कोई भूमिका या दखल नहीं है, इसमें मंत्रालय की भूमिका नही है। यह प्रसार भारती बोर्ड के अधीन आता है। जो प्रश्न आपने उठाया है और जिन न्यूज-रीडर्स महिलाओं के नाम आपने लिये वे अपनी इस वेदना को लेकर नेशनल कमीशन फॉर वीमैन में गयी थी। नेशनल कमीशन फॉर वीमैन की एक टिप्पणी भी फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट के तौर पर आई है। वह टिप्पणी हमारे पास भी आई और अभी मामला विचाराधीन ही था कि इनमें से दो महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में चली गयी। मामला सब-जुडिश है, इसलिए इस बारे में कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है।

डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल : आप अपने अधिकार का प्रयोग तो करिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरा अधिकार रहा ही नहीं है।

श्री लालू प्रसाद : मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भारत के ग्रामीण इलाकों में जो प्रतिभाएं हैं, आर्टिस्ट हैं, विभिन्न क्षेत्रों के हर राज्यों में जो रीजनल कलाकार हैं, खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, या भोजपुरी के कलाकार हैं, वहां का विरहा हो, लुरकायन हो, आल्हा-ऊदल हो या महौबा की लड़ाई हो, भारत सरकार ने पूरे राष्ट्र को यह विश्वास दिलाया है कि हम स्वदेशी को बढ़ावा देंगे लेकिन हमारी जो कला और संस्कृति की आभा है, चाहे चेता गीत है वह सब धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। बिहार में जब हमने चेता को, लुरकायन को, भोजपुरी के जो ग्रामीण नाच हुआ करते थे, हमारे बाप-दादा ब्याह-शादियों में इन कलाकारों को बुलाते थे, सम्मानित करते थे। वह हम कराएं तो पाप है। जब हमने उन्हें मुख्यमंत्री के निवास पर प्रतिष्ठित किया तो देश भर में मीडिया के लोगों ने छापा कि लालू यादव नाच करवा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। कि आप भारत सरकार के जिस महकमें में हैं, वहां आपने इस विषय में सोचा है या नहीं? क्या हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को मिटने दे? मैं जानता हूं कि माननीय जायसवाल जी डाक्टर है। वह प्रश्न कर रहे थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। आज दूरदर्शन और फिल्मों में वलगैरिटी दिखाई जाती है। जायसवाल जी ने अपने बेटे की शादी में ऑकैस्ट्रा पार्टी को बुला कर नाच करवाया था।...*(व्यवधान)* मैं एक क्वैश्चन पूछ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष महोदय, लालू जी बहुत अच्छा ढोलक भी बजाते हैं। उनका इस प्रश्न के समय ख्याल रखना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : मुझे आपकी सहायता की जरूरत नही है। ...*(व्यवधान)*

आपको सुषमा जी की सहायता करने की भी जरूरत नहीं है। वह इस प्रश्न का स्वयं जवाब देंगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लालू जी, समय नही है। आप सप्लीमैंट्री पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द रत्न मौर्य : आपकी प्रशंसा हो रही है।

श्री लालू प्रसाद : आज पाश्चात्य देशों का इलैक्ट्रानिक मीडिया पर पूरा राज चल रहा है। आपने उसको देश की ओर मोड़ने के लिए कौन सा प्रबन्ध किया है? आपने स्वदेशी लोक कथा, गीत, गायन, बजायन और ऑर्टिस्ट्स को प्रतिष्ठित करने का और उन्हें राष्ट्रीय मानचित्र में लाने का कौन सा कार्यक्रम बनाया है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, माननीय लालू यादव जी ने जिन ग्रामीण कार्यक्रमों चेता या आल्हा-ऊदल की चर्चा की, वे लोक संस्कृति की विभिन्न विधाएं है। लोक संस्कृति को अगर राज्यों का संरक्षण मिले तो वे बहुत फलती-फूलती हैं। मेरे विचार

लालू यादव जी से और किसी चीज पर मिलते हों या न मिलते हों लेकिन लोक संस्कृति के संवर्द्धन और उत्थान के लिए जो बाते उन्होंने कही हैं, उनसे मैं 100 फीसदी सहमत हूं।

श्री लालू प्रसाद : जब ठीक है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : जहां तक कार्यक्रम बताने का सवाल है, मैं अपनी सोच को प्रसार भारती तक पहुंचा सकती हूं लेकिन इन कार्यक्रमों में अंतिम निर्णय प्रसार भारती बोर्ड को ही लेना होता है क्योंकि प्रसार भारती एक स्वायत्तशासी संस्था है। जिस सोच का आप जिक्र कर रहे हैं कि ग्रामीण आधारित कार्यक्रम और लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम दूरदर्शन और आकाशवाणी में ज्यादा से ज्यादा आएं और फिल्म आधारित कार्यक्रम घटे, मैं इनके बारे में उन्हें बराबर बताती रहती हूं। उन्हें आज संसद भी भावना पता लग जाएगी कि ग्रामीण संस्कृति आधारित कार्यक्रम निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा आने चाहिएं। जैसा मैने पहले कहा कि इसमें अंतिम निर्णय प्रसार भारती बोर्ड लेता है।

[अनुवाद]

डा॰ रवि मल्लू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री महोदया ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए सहमत हो गई हैं पर उन्होंने सारी जिम्मेदारी प्रसार भारती पर छोड़ दी है। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि जब पूरी सभा कुछ बातों पर सहमत हो और जब कुछ बातें प्रसार भारती ने स्वीकार न की हों तो क्या वे बातें उसी तरह प्रसार भारती के लिए छोड़ दी जाएंगी या यह मंत्रालय इस संबंध में कुछ कहना चाहता है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने कोई इवैसिव रिप्लाई देने के लिए या अपनी जिम्मेदारी से बरी होने के लिए प्रसार भारती का नाम नही लिया। यह एक फैक्चुअल पोजिशन है। इसी संसद में बिल पारित हुआ और प्रसार भारती को ऑटोनमस कार्पोरेशन बनाया गया। इस बारे में निर्णय उनको करना है। मिनिस्ट्री का रोल कार्यक्रम का आधार तैयार करने में बहुत कम है।

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सदन के लोक-संस्कृति के बारे में खास कदम उठाने की बात कही है इसकी आवश्यकता है। और भी कोई संस्कृति लाने की आवश्यकता है और उस पर ध्यान देने और कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे लालू संस्कृति है, वह एक अलग बात है, वह मिलनी भी बड़ी मुश्किल है। क्या आप इसके लिये कोई खास कदम उठाने की आवश्यकता महसूस कर रही हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैं श्री शरद पवार जी को आश्वासन देना चाहूंगी कि लालू संस्कृति के उत्थान के लिये वे जो सुझाव मुझे लिखकर देंगे, वे जैसे के तैसे लागू करवा देंगे।

श्री लालू प्रसाद : माननीय नेता विरोधी दल को उसका संयोजक बना दिया जाये ताकि डिटेल्ज में वर्क आउट हो जाये।

[अनुवाद]

श्री के॰ येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, हर बात पर सरकार का उत्तर यही होता है कि प्रसार भारती एक स्वायत्त संस्था है और इस बारे में सरकार कुछ नहीं कहना चाहती। यह सदन सर्वोच्च है। अगर सरकार इस बारे में कुछ नहीं करना चाहती तो हम यहां इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका समाधान क्या है? हम ग्रामीण पृष्ठभूमि इत्यादि की बात कर रहे हैं। परन्तु यदि इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को प्रसार भारती लागू नहीं करती तो इस सदन की भूमिका क्या है? जहां तक न्यायपालिका का संबंध है संविधान में महाभियोग का प्रावधान है। अगर कोई न्यायधीश कोई गलत काम करता है तो हम उस पर महाभियोग लगा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई संगठन स्वायत्त होता है तो इस सदन को कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जहां तक वस्तुस्थिति का सवाल है वह यही है। जैसा अभी हमारे साथी कह रहे हैं - यू पास्ड दिस बिल। यह बिल हाउस ने पास किया लेकिन किसी भी कारपोरेशन या संस्था का मुखिया देश के सर्वोच्च सदन में व्यक्त की गई भावनाओं की अनदेखी नहीं कर सकता है। इसलिये जो बातें आप यहां कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, वे आपके माध्यम से उन तक पहुंच रही हैं। हाउस की प्रोसीडिंग्ज और सदन के अंदर पूरे देश के संसद सदस्यों द्वारा क्या भावना व्यक्त की गई है, इसका निश्चित तौर पर प्रसार भारती ख्याल रखेगा और उसके अनुसार काम करेगा, मैं इस सदन में ऐसी आशा करती हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान गांवों का देश है और गांव की संस्कृति हिन्दुस्तान से नष्ट हो, मैं समझता हूं कि इसकी चिन्ता सदन कई बार व्यक्त कर चुका है। गांव की संस्कृति, सभ्यता और परम्परा नष्ट हो रही है, इसके बारे में यहां चर्चा की गई है। मल्टी नेशनल कम्पनीज हमारे देश में आती है...*(व्यवधान)* अपने देश की संस्कृति, सभ्यता और परम्परा को मल्टी नेशनल कम्पनीज से खतरा है। अध्यक्ष महोदय, न केवल मल्टी नेशनल कम्पनीज से खतरा है बल्कि मल्टी नेशनल मैंटेलिटी से भी खतरा है। अभी मंत्री जी प्रसार भारती के बारे में चर्चा कर रही थी कि वह एक स्वयंसेवी संस्था है और वह जो निर्णय करती है, उस निर्णय की वही जिम्मेदार है। यहां एक माननीय सदस्य ने उसके बारे में रोष प्रकट किया, मैं भी रोष प्रकट करने में उनके साथ हूं। ऐसी कौन-सी संस्था है जो अपने देश की व्यवस्था के प्रतिकूल निर्णय करेगी और यह सरकार तथा सदन उसके बारे में बार-बार कुछ कहने में असमर्थ है?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि केवल गायन और कलाकार की चिन्ता नही है, चिन्ता तो गांव

में रहने वाले खिलाड़ियों की भी है जो गांव के खेलों से संबंध रखते है। चाहे वह कुश्ती हो या वह कबड्डी हो...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात रख रहा हूं और ठीक रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, चिन्ता इसलिये है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे मैं इस सदन में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एकदम सप्लीमेंटरी पूछिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज बहुत सारी सामाजिक बुराईयां आ रही है। वे इसलिये आ रही है कि हमारा नौजवान खेल के मैदान में जाने से हिचक रहा है, वह जा नहीं रहा है। उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। खेल के मैदान में जातिवाद के लिये कोई जगह नहीं होती, वहां जातिवाद का कोई असर नही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर खेल का मैदान विकसित कर दिया जाये तो जहां भी अव्यवस्था हो रही है, जातिवाद या सामाजिक दुराग्रह है या सामाजिक बुराईयां है, उनका कुछ हद तक हल हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि प्रसार भारती में जो लोग परीक्षा लेते हैं या साक्षात्कार करते हैं, क्या आपने देखा है कि उसमें गांव की संस्कृति से संबंध रखने वाले, खेलों से संबंध रखने वाले या ग्रामीण कलाकारों का चयन करने वाले लोग है?

क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि गांव से संबंधित विषयों को जानने वाले लोग प्रसार भारती बोर्ड में हों? अभी तो वही शहर के लोग हैं जो गांव की चीजों को नहीं जानते हैं और बैठकर गांवों की बातों का निर्णय करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के सूचना मंत्री से जानना चाहता हूं कि प्रसार भारती बोर्ड में जहां चयन होता है, लिखित परीक्षा होती है, बहुत से ऐसे कलाकार है जिनको अक्षर-ज्ञान की जानकारी भी नहीं है मगर और बहुत कुछ वे जानते हैं - कैसे उनका चयन होगा? क्या इसके लिए आपने कोई व्यवस्था बनाई है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, पहले तो मैं माननीय सांसद को जानकारी दे दूं कि मैने प्रसार भारती को स्वयंसेवी संस्था नही कहा, स्वायत्तशासी संस्था कहा है। यह वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशन नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अगर मैंने ऐसा कहा है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और 'स्वायत्तशासी संस्था' कहता हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह स्वायत्तशासी संस्था है यानी ऑटोनामस कार्पोरेशन है। जहां तक आपने कहा प्रतिकूल निर्णय लिए, जन-भावनाओं के खिलाफ या मल्टीनेशनल मेण्टेलिटी को बढ़ाने की बात हुई, कोई निर्णय ऐसा नहीं बता सकते जो प्रसार भारती ने सदन की भावनाओं के प्रतिकूल लिया है, या मल्टीनेशनल मेण्टेलिटी के पक्ष में लिया है। जहां तक ग्राम आधारित कार्यक्रमों का सवाल है, अभी लालू जी को जवाब देते हुए और जायसवाल जी के सप्लीमेंटरी का जवाब देते हुए मैंने बताया कि बराबर सरकार की यह सोच है कि ग्राम आधारित कार्यक्रम, कृषि आधारित कार्यक्रम और ग्रामीण लोक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम कम से कम दूरदर्शन पर, जो कि नेशनल ब्राडॅकास्टर है, जो कि पब्लिक ब्राडॅकास्टर है, निश्चित तौर पर उसमे उनका संवर्द्धन होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वे कार्यक्रम आने चाहिए। जहां तक आपने बताया कि जो कार्यक्रम लोकल कला से संबंधित होते हैं, उनको तो अर्बन आदमी कर ही नहीं सकता है। उसमें चयन उन्हीं लोगों का होता है। ...*(व्यवधान)* आपने स्वयं दूरदर्शन पर देखा होगा, शुद्ध निरक्षर लोग, लेकिन अच्छे और उच्च कोटि के कलाकार आकर दूरदर्शन पर और आकाशवाणी पर अपना कार्यक्रम देते हैं। वहां केवल पढ़ाई के कार्यक्रम नहीं होते है।।...*(व्यवधान)* उनको चुना तो पढ़े-लिखे लोगों ने ही हैं।...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : पढ़े-लिखे लोग जाकर वहां निरक्षर का सा भाव करते हैं। वे निरक्षर लोग नहीं होते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : लेकिन जो लोग कलाकार हैं, उनकी कला को मान्यता देते हुए यदि उन्हें दूरदर्शन पर कार्यक्रम देने की बात की जाती है तो चयन बोर्ड निरक्षर लोगों का हो, यह उसका समाधान नही है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं इसलिए कह रही हूं कि चयन बोर्ड के लोगों के प्रति यह बायस रखना कि वह कलाकारों को नहीं ले रहे है, निरक्षर लेकिन अच्छे कलाकारों को नहीं ले रहे हैं, ग्राम से जुड़े हुए कलाकारों को नही ले रहे हैं, यह सत्य नहीं है। हमने यहां तक पता कराया कि ग्राम आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कितने होते हैं। आकाशवाणी में इतने ग्राम आधारित कार्यक्रम हो रहे हैं और उनको शुद्ध रूप से ग्राम से जुड़ा हुआ वे कह रहे हैं, तो भी मेरा संतोष नही है। मैं आपके साथ हूं। इसलिए मैंने बार-बार कहा कि अगर मैं मान लूं कि इतने भर से मेरा संतोष है और सारे गांव के लोगो को रेप्रेजेंटेशन मिल गया है और अधिक की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नही है। यहां आपकी सोच और मेरी सोच मिलती है जिसको बार-बार हम प्रसार भारती को कहते हैं, और जितना थ्रस्ट हम देंगे, उतना बढ़ावा ग्राम संस्कृति को मिलेगा। इस बारे में मेरी और आपकी सोच अलग नहीं है। आपकी चिन्ता मैं बाकायदा प्रसार भारती के सामने प्रकट करती हूं।

प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि शहरी और ग्रामीण कलाकारों में कोई भेदभाव नही किया जाता है। इसके बारे में मेरा कहना है कि ग्रामीण और शहरी कलाकारों में निश्चित रूप से भेदभाव किया जाता है और जहां तक प्रसार भारती का सवाल है, यह प्रसार भारती स्वायत्त संस्था होने के बावजूद जिन कार्यक्रमों का चयन करती है वह किस आधार पर करती है? जब हम दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाई-फाई या कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए दूरदर्शन के कार्यक्रम दिये जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रसार भारती से संबंधित नहीं है।

प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण और शहरी भेदभाव कलाकारों में नहीं किया जाता तो ग्रामीण कलाकारों को उनकी कला को प्रस्तुत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका कैसे प्रदान किया जाए, क्या ऐसी व्यवस्था मंत्री महोदय प्रसार भारती के जरिये करा सकती हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैंने ऐसा नही कहा कि भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि मैंने यह कहा कि कोई अर्बन या रूरल पृष्ठभूमि चयन का आधार नहीं होती, इसलिए यह कहना कि भेदभाव किया जाता है, सत्य नही है। लेकिन जो बात आपने कही कि क्या यह बात मैं प्रसार भारती को कहूंगी, मैं निश्चित रूप से उन्हें कहूंगी और सदन की पूरी भावनाओं से सरकार उनको अवगत करायेगी।

विद्युत उत्पादन

\+

***464. श्री सुरेश चंदेल :**

श्री नरेन्द्र बुडानिया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्यवार कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आबंटन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विदेशी सहायता मांगी है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत की बेहतर आपूर्ति के लिए देश में रक्षित विद्युत संयंत्रों को बढ़ावा देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) नौवीं योजना के लिए वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया हैं।

(घ) और (ङ) विद्युत क्षेत्र में स्कीमों के लिए विदेशी सहायता हेतु बातचीत करना एक सतत् प्रक्रिया है। नौवीं योजना में जिन प्रमुख नई स्कीमो को आरंभ किया जाना है और जिनके लिए बातचीत की जा रही है, उनका ब्यौरा निम्नवत् है :-

विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा विचाराधीन परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी
विश्व बैंक		
1.	पारेषण नेटवर्क (उ.पू. सासाराम एचवीडीसी लिंक, सीईपीए इत्यादि के लिए समय भाजित ऋण	पावरग्रिड
2.	समय भाजित ऋण की दूसरी किस्त (तलचेर-2)	एनटीपीसी
3.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के सुधार एवं पुनर्संरचना हेतु ऋण	आरएसईबी
4.	आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के सुधार एवं पुनर्संरचना हेतु ऋण	एपीएसईबी
5.	कर्नाटक विद्युत बोर्ड के सुधार एवं पुनर्संरचना हेतु ऋण	केईबी
6.	पीएससी हेतु लाईन ऑफ क्रेडिज	पीएफसी
एशियाई विकास बैंक		
1.	मध्य प्रदेश हेतु सुधार एवं पुनर्संरचना सहायता	मध्य प्रदेश
2.	गुजरात हेतु सुधार एवं पुनर्संरचना सहायता	गुजरात
3.	पावरग्रिड हेतु ऋण	पावरग्रिड

1998-99 ऋण पैकेज के अंतर्गत ओईसीएफ, जापान के लिए चुनी हुई परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी
1.	बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना यूनिट-1 व 2 (3 ट्रांच)	डब्ल्यूबीपीडीसीएल
2.	बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना यूनिट.3 (2 ट्रांच)	डब्ल्यूबीपीडीसीएल
3.	फरीदाबाद गैस आधारित परियोजना 2 ट्रांच	एनटीपीसी
4.	सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना ट्रांच 2	एनटीपीसी
5.	पश्चिमी यमुना जल विद्युत परियोजना	एचएसईबी
6.	हरियाणा पारेषण लाईन परियोजना	एचएसईबी
7.	तलचेर-2 एचवीडीसी परियोजना	पावरग्रिड

(च) और (छ) राज्य सरकारों को उपयुक्त संस्थागत तंत्र बनाने की सलाह दी गई है जो कैप्टिव विद्युत आवेदनों को शीघ्रता से स्वीकृत कर तथा इस तरह की यूनिटों को ग्रिड द्वारा विद्युत की खरीद के लिए एक युक्तिसंगत टैरिफ तथा अन्य औद्योगिक यूनिटों को विद्युत की सीधी बिक्री के लिए तीसरी पार्टी तक पहुंच प्रदान करके कैप्टिव विद्युत यूनिटों को एक आसान और स्वचालित प्रवेश की अनुमति प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में कब तक वार्षिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जायेगा।

महोदय, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के अनेक राज्यों में ऊर्जा का संकट व्याप्त है। आज भी देश के कुल ऊर्जा उत्पादन का 25 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन जल विद्युत के माध्यम से उत्पादित होता है। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। वहां लगभग 22 हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो सकता है। लेकिन धनाभाव के कारण यह उत्पादन संभव नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश को जल विद्युत उत्पादन के लिए उदार सहायता विचाराधीन है?

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : योजना संबंधी बैठक होने के बाद ही नौवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस समय हम कार्यकारी अवधारणा की ओर जा रहे हैं। कार्यकारी अवधारणा के अंतर्गत नौवीं योजना में हमारी योजना है कि 40,222 मे.वा. अतिरिक्त क्षमता उत्पादन होना चाहिए।

ताप विद्युत और जल विद्युत के बीच के असंतुलन की स्थिति के संबंध में यह सच है कि जल विद्युत क्षमता उत्पादित की जा रही कुल क्षमता का केवल 25 प्रतिशत है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि उचित संतुलन होने के लिए हमारे पास 40 प्रतिशत जल विद्युत क्षमता होनी चाहिए क्योंकि जल विद्युत क्षमता से अधिक विद्युत प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की प्रचुरता है। हम जल्दी ही एक जल विद्युत नीति बनाएंगे, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दूंगा कि इसका लक्ष्य जल विद्युत उत्पादन परियोजना का विकास करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। अब श्री नरेन्द्र बुडानिया जी।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में नई विद्युत स्कीमों को आरम्भ करने की बात कही है विश्व बैंक एवं एशियन बैंक द्वारा विचाराधीन परियोजनाओं में राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के सुधार एवं पुनर्संरचना की बात कही गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सुधार एवं पुनर्संरचना के लिए कितना ऋण देने की योजना है। राजस्थान विद्युत मंडल के सुधार में क्या-क्या शामिल किया गया है और सुधार तथा पुनर्संरचना होने के बाद क्या परिणाम सामने आने वाले हैं। ऋण प्राप्त होने तथा आर.एस.ई.बी. में सुधार होने के बाद कंज्यूमर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा सुनने में आया है कि विद्युत दरें बहुत महंगी होने की संभावना है जिससे विशेष तौर पर किसान बिजली नही ले सकेगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान के किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए कोई रास्ता निकाला गया है?

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : उनका प्रश्न कई क्षेत्रों के बारे में है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकारी अवधारणा में हमने कुल 1930 मे.वा. अतिरिक्त क्षमता की योजना बनाई है जिसका कोयला 500 मे.वा. तथा तरल ईंधन 1430 मे.वा. है। कुल 18 परियोजनाएं हैं।

जहां तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल है जो विद्युत के बढ़ते मूल्य से संबंधित है, तो अगर कई बातों को एक साथ देखा जाए तो यह बात स्वाभाविक ही है।

उनमें से एक बात यह है कि विनिमय दर बदल रही है।

दूसरा, ईंधन की दर बढ़ रही है। हम ताप विद्युत जैसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। ताप विद्युत के साथ ही हमारी एक बड़ी समस्या यह है कि ईंधन की लागत बढ़ती है इसलिए विद्युत की लागत बढ़ती है। परन्तु मेरा यह मानना है कि यह उतना नही बढ़ेगी जितना अक्सर कहा जाता है। यह ज्यादातर विनिमय दर और सामान्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के अनुपात में होगी।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अध्यक्ष महोदय, मैने अपना प्रश्न तीन भागों में पूछा था और माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के एक भाग का आंशिक रूप से उत्तर दिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के बारे में पूछा था उसके बारे में मंत्री महोदय ने एक शब्द भी नहीं कहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का पूरा उत्तर दें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय क्या आप उत्तर देना चाहेंगे?

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : उनके प्रश्न के तीन भाग है। पहला भाग आर.एस.ई.बी. है जो मैंने छोड़ दिया है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि उसके लिए मुझे माफ करें। एक सुधार कार्यक्रम है जिसके लिए आर.एस.ई.बी. पुनर्संरचनात्मकता, द्विनिगमन और वाणिज्यिकरण के माध्यम से कर रही है। वे उत्पादन में अंशतः प्रतिस्पर्द्धात्मक तरीके से निजीकरण की ओर भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने

पारेषण और वितरण के लिए स्वतंत्र नियमन अपनाने का निर्णय लिया है। मुझे पक्का विश्वास है कि एक स्वतंत्र नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि विद्युत लागत के संबंध में उपभोक्ता के विचार कायम रहे और मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं ये उपाय किए जाएंगे। वास्तव में, राजस्थान राज्य विद्युत निगम नामक एक नई कम्पनी का निगमन 24 जनवरी, 1997 को किया गया था और राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के पास उत्पादन, वितरण और आपूर्ति का कार्य रहेगा। उन्होंने कई उपाय किए हैं और विश्व बैंक ने पांच वर्षों के लिए 600 मिलियन अमेरीकी डालर की ऋण सहायता देने का प्रस्ताव किया है और यह ऋण चार भागों में दिया जाएगा बशर्ते राजस्थान सरकार विभिन्न शर्तें पूरी करे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय मंत्री ने कहा कि अभी तक नौवीं पंचवर्षीय योजना के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

क्या माननीय मंत्री जी नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता तथा जिस प्रकार की कमी का हम सामना कर रहे हैं, उसके बारे में विद्युत सर्वेक्षण समिति के अनुमानों को बताना चाहेंगे। कमी को देखते हुए। मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्पादित की जा रही तथा देश में उपलब्ध पूरी गैस को विद्युत उत्पादन के लिए आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव है या नहीं।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : जैसा कि मैंने पहले कहा है नौवीं पंचवर्षीय योजना के अर्थात् 1997-98 से 2001-02 के दौरान कार्यकारी अवधारणा में 40,225 मे.वा. अतिरिक्त क्षमता संवर्द्धन की परिकल्पना की गई है। इसके अंतर्गत 11,000 मे.वा. केन्द्रीय क्षेत्र 17,569 मे.वा. निजी क्षेत्र और लगभग 10,747 मे.वा. राज्य क्षेत्र में आती है। यह आशा की जाती है कि यदि हम केवल क्षमता संवर्द्धन द्वारा ये लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हम बेस लोड के रूप में 1.4 प्रतिशत तथा बढ़ती हुई कमी के आधार पर लगभग 11.6 प्रतिशत की कमी का अंतर कम कर सकेंगें जिसके बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि हम पारेषण क्षमता संयंत्र प्रभार कारक के रूप में क्षमता में वृद्धि कर सकेंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या उपलब्ध गैस के संबंध में कोई प्रस्ताव है?

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : जहां तक गैस का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूँगा कि जहां तक गैस आबंटन का संबंध है विद्युत परियोजनाओं को प्रथम वरीयता मिल रही है।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, खेद का विषय है कि देश के पहाड़ी प्रान्तों में जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से बिजली पैदा करने की क्षमता होते हुए भी देश में पावर शार्टेज चल रही है। उदाहरणतः हिमाचल प्रदेश से माननीय संसद सदस्य श्री सुरेश चन्देल जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अकेला 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। लेकिन सीमित साधनों के कारण, धनाभाव के कारण पूरी क्षमता का दोहन नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के पहाड़ी प्रांतों में जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक बिजली पैदा हो सके, इस हेतु क्या भारत सरकार ऐसे प्रांतो को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी? इसके लिए क्या भारत सरकार ने कोई योजना बनाई है और इस वर्ष हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किस-किस जलविद्युत परियोजना के लिए आर्थिक सहायता का आग्रह किया है और भारत सरकार ने किन-किन परियोजनाओं की स्वीकृति दी है?

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : मैं सोचता हूं कि मुझे अपने माननीय मित्र को यह सूचित करना चाहिए कि इस वर्ष हमने सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों को दी जाने वाली कुल बजटीय सहायता को बढ़कर 4211 करोड़ रुपये कर दिया है। राज्य क्षेत्र परियोजनाओं को दी जाने वाली केन्द्रीय योजना सहायता 4000 करोड़ रुपये है। यह केवल इतनी नहीं है। हमने रियायती ब्याज दर पर अतिरिक्त पी.एफ.सी. ऋण दिया है। इस वर्ष के लिए दी जाने वाली राजसहायता ही 200 करोड़ रुपये है। हम दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी अग्रिम कार्य योजना शुरू कर रहे हैं। वास्तव में हमने सी.ई.ए. स्तर पर 13 परियोजनाओं का काम किया है जिसमें लगभग 5051 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। हम डी.पी.आर. का विकास कर रहे हैं तथा और 10,000 मेगावाट विद्युत की स्वीकृति ले रहे हैं। यह सच है कि हम राष्ट्रीय जल विद्युत विकास पर भी विचार कर रहे हैं। हम अंतर राज्यीय परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं।

हाल ही में, मैं हिमाचाल प्रदेश गया था और अधिकारियों तथा मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की थी। मेरे साथ अंतर-मंत्रीय समूह गया था। हमने काफी संतोषजनक चर्चा की थी। वास्तव में काफी समय से लंबित पड़ा हुई परियोजनाएं जिन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू नहीं कर सकी उस बारे में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के माध्यम से कैमरा-II से पार्वती तक का शुरू किया है।

वास्तव में कोल बांध के संबंध में चर्चाएं चल रही हैं। अगर निजी क्षेत्र का बोलीदाता इस पर सहमत नहीं होता तो एन.एच.पी.सी. वह कार्य कर लेगा। मैं माननीय मंत्री जी को यह आश्वासन दे सकता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना तक हिमाचल प्रदेश में जल-विद्युत के संसाधनों का पर्याप्त रूप से उपयोग कर सकते हैं।

श्री ए॰सी॰ जोस : अगर आप उन परियोजनाओं की सूची देखे जिनके लिए सरकार ने बाहर से सहायता मांगी है, तो यह बहुत कठिन है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहूँगा।

केरल एक ऐसा राज्य है जहां विद्युत की काफी कमी है और केरल राज्य इससे काफी परेशान है। हम विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भरसक प्रयास कर रहे हैं और अपने पारेषण को और अधिक उपयुक्त

बना रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या केरल राज्य सरकार ने कोई ऐसी स्कीम प्रस्तुत की है जो विदेशी सहायता पाने में समर्थ हो। यदि नहीं, तो क्या सरकार कयामकुलम जल विद्युत परियोजना, जिसके लिए केरल सरकार ने एक आवेदन भेजा है, के शुरू करने पर विचार करेगी?

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : जहां तक केरल का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहूँगा कि केरल राज्य विद्युत पूरी तरह व्यावसायिक रूप से चलने वाले विद्युत बोर्डो में से है। वास्तव में राजसहायताओं के मामलें में भी, यह अध्ययन के रोचक मामलों में से एक है। वे सीधे उपभोक्ता को राजसहायता देते है और उपभोक्ता विद्युत के लिए उचित दर देता है - चाहे वह कृषि हो या कुछ और।

हमने कयामकुलम परियोजना की क्षमता 2000 मेगावाट तक बढ़ाने का फैसला किया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बारे में सुनना चाहेंगे...*(व्यवधान)*

श्री ए॰सी॰ जोस : बाहर से मिलने वाली सहायता के संबंध में मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या राज्य सरकार ने इसके लिए कोई आवेदन पत्र दिया है या नहीं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए समय नही है।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : इस समय मेरे पास वह सूचना नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं यह उपलब्ध नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, क्या आपको केवल संगत अनुपूरक प्रश्न ही पूछना है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : इस समय देश में विद्यत उत्पादन क्षमता केवल 86,000 मेगावाट ही है। स्वतंत्रता के पचास वर्ष के बाद भी इसमें जनसंख्या का केवल 30 प्रतिशत ही शामिल किया जा सका है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा। ग्रामीण विद्युतीकरण का काम शुरू करने में राष्ट्रीय ग्रामीण ऊर्जा निगम स्थापित करने का एक प्रस्ताव था।

मध्याह्न 12.00 बजे

मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण ऊर्जा निगम स्थापित करने के बारे में सक्रियता से विचार कर रही है। दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत तेलपुर परियोजना नामक एक जल विद्युत परियोजना भी थी जिस पर 12 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद उसे 1996 में बंद कर दिया गया था। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए और 50 करोड़ रुपये खर्च करके इस परियोजना को पुनः आरम्भ करने पर विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, केवल संगत उत्तर देने की ही अनुमति दी गई है।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : महोदय, वे वास्तव में तेलपुर बांध के बारे में सुनना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इससे पहले इस संबंध में और काम न करने के बारे विशेषज्ञ समिति के पहले के फैसले को संशोधित किया गया है। दामोदर घाटी निगम वास्तव में भागीदार राज्य सरकारों से संबंधित है। यदि भागीदार राज्य सरकारें इसे वित्त पोषित करने की इच्छा नहीं रखती हैं तो हम इसे वित्त पोषित करेंगे। परन्तु कम से कम भागीदार राज्य सरकारें पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर करने की इच्छुक होनी चाहिए। मैं उन पर यही शर्त थोपना चाहता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

प्रणाली सुधार योजना के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण

***465. श्री नरेश पुगलीया** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ने प्रणाली सुधार योजनाएं शुरू करने के लिए एशियाई विकास बैंक से क्षेत्रक ऋण देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रणाली के उन्नयन हेतु कुल कितने ऋण की आवश्यकता है;

(ग) क्या इस संबंध में कार्य पद्धति तैयार कर ली गई है, और एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। पावरग्रिड कार्पोरेशन ने विभिन्न प्रणाली सुधार स्कीमों और संबद्ध पारेषण प्रणालियों को आरंभ करने के लिए एशियाई विकास बैंक से 350 मिलियन अमरीकी डॉलर का सेक्टोरल ऋण का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) एशियाई विकास बैंक से एक तथ्य खोजी मिशन ने मई, 1998 में पावरग्रिड कार्पोरेशन के साथ विचार-विमर्श किया था। एडीबी द्वारा एक मूल्यांकन मिशन भेजे जाने की संभावना है। परियोजना के मूल्यांकन तथा बातचीत समाप्त होने के पश्चात् एडीबी बोर्ड परियोजना के वित्त पोषण के संबंध में निर्णय लेगा।

भारतीय टेलीविजन चैनलों को भारत से अपलिंक करना

***466. श्री के॰पी॰ नायडू** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय टी.वी. चैनलों को भारत से अपलिंकिंग की सुविधाएं देने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में कुछ आपत्तियां उठाई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

***467. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई विशेष पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तकनीकी शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन करने/सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों से इस बारे में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है तथा उनमें से कितने प्रस्ताव बोर्ड के पास लम्बित हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश में तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के तहत सांविधिक स्तर प्रदान किया गया था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विभिन्न अध्ययन बोर्डों तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के माध्यम से तकनीकी शिक्षा के योजनाबद्ध एवं समेकित विकास के सतत् सुधार को सुनिश्चित करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को उनका अपना सचिवालय तथा स्वायत्त स्तर प्रदान करने उसे पूरी तरह कार्यक्षम बनाया गया है। केन्द्रीय सरकार में अलग से कोई तकनीकी शिक्षा बोर्ड नहीं है।

(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को महाराष्ट्र से 168 प्रस्ताव और गुजरात से 45 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर तभी विचार किया जाएगा और मंजूरी दी जाएगी जब वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियमों में निर्धारित की गई कार्यविधियों, मानदंडों तथा औपचारिकताओं को पूरा करते हों।

(ङ) और (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अपने विनियमों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार तकनीकी शिक्षा संबंधी सुविधाओं के विस्तार पर विचार करती है और विनियमित करती है।

[अनुवाद]

पूर्वी राज्यों में अतिरिक्त बिजली

***468. श्री के॰ येरननायडू :**

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के साथ परामर्श करके पूर्वी क्षेत्र की 800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की उन राज्यों को बिक्री करने का प्रावधान करते हुए कोई करार किया है, जिनमें बिजली की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वी राज्यों में कितनी अतिरिक्त बिजली उपलब्ध है;

(घ) क्या कुछ पूर्वी राज्यों ने बिजली की कमी वाले राज्यों को बिजली की बिक्री करने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) पूर्वी क्षेत्र में व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान लगभग 1000 मे.वा. और गैर-व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान लगभग 2500 मे.वा. का विद्युत अधिरोष विद्यमान है। पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी से अधिशेष विद्युत का उपलब्ध पारेष क्षमता की मात्रा तक निम्नलिखित आबंटन किया गया है।

राज्य/क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र से विद्युत आबंटन (मे.वा.)
तमिलनाडु	279
मध्य प्रदेश	92.5
गुजरात	74
दमन एवं दीव और दादरा और नगर हवेली	18.5
मणिपुर	30 (व्यस्ततम-कालीन घंटों के दौरान)
आन्ध्र प्रदेश	185
असम	124
जोड़	803

एनटीपीसी और राज्य बिजली बोर्डों के बीच समझौता इस आवेदन पर आधारित है।

(घ) दामोदर वैली कार्पोरेशन ने आन्ध्र प्रदेश और असम को विद्युत बिक्री करने का प्रस्ताव किया था। उड़ीसा की ग्रिडकों ने भी मध्य प्रदेश को विद्युत बेचने का प्रस्ताव किया था। तथापि, इन प्रस्तावों को मुख्यतः अतिरिक्त अंतःक्षेत्रीय क्षमता की अनुपलब्धता के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

(ङ) पूर्वी क्षेत्र से अधिशेष विद्युत के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पूर्वी क्षेत्र से विद्युत के निर्यात हेतु पारेषण एवं वितरण हानियों, पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों और विद्युत उत्पादन टैरिफ के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को तैयार करने समेत विद्युत अंतःक्षेत्रीय अंतरण हेतु तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है।

(2) अंतःक्षेत्रीय अंतरण लिंकों में अभिवृद्धि के द्वारा पूर्वी क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों को विद्युत निर्यात में बढ़ोत्तरी करने के लिए प्रयास किए गए हैं। निम्नलिखित अंतःक्षेत्रीय लिंक निर्माणाधीन हैं :-

(i) पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच कोरबा-बुधिपदार 220 के.वी.एस/बी लाईन

(ii) पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के बीच देहरी-साहूपुरी 132 के.वी.एस/सी लाईन।

(iii) पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के बीच गजुवाका एचबीडीसी बैक-टू-बैक लिंक। गजुवाका (आ.प्र.) और जैपोर (उड़ीसा) के बीच 400 के.वी. ए.सी. लिंक को पावर ग्रिड द्वारा पहले ही चालू कर दिया गया है। गजुवाका में 500 मे.वा. क्षमता के एचवीडीसी बैक-टू-बैक स्टेशन को मार्च, 1999 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(iv) पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के बीच बिहार में सासाराम स्थित 500 मे.वा. क्षमता के एक नये एचवीडीसी बैक-टू-बैक लिंक की आयोजना की गई है।

इन लिंकों के द्वारा पूर्वी क्षेत्र से निर्यात हेतु अंतरण क्षमता में लगभग 1200 मे.वा. की अभिवृद्धि होगी।

पुलों/राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

*469. श्री चमन लाल गुप्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषकर जम्मू और कश्मीर में कितने पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया और नौवीं योजना के दौरान कितने पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा;

(ख) क्या इन पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों में से अधिकांश का कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाय किए गये हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) आठवीं योजना में राज्य-वार पूरी की गई पुल और सुधार स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण दिए गए हैं। नौवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) और (ग) भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थान परिवर्तन, पर्यावरणीय अनुमति, प्राप्त करने में विलम्ब, संसाधनों के अभाव, ठेकेदार द्वारा खराब कार्य निष्पादन इत्यादि के कारण कुछेक सुधार कार्यों में अधिक समय लगा है तथा लागत वृद्धि भी हुई है।

(घ) निम्नलिखित निवारात्मक उपाय किए गए हैं :-

(i) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तीव्र और सुकर बनाने के प्रयोजन से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

(ii) मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाए जाने संबंधी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनुमति प्रदान कर दी मानी जाती है बशर्ते इन प्रयोजनार्थ जितने पेड़ काटने पड़े उससे दुगने पेड़ पुनः लगाए जाएं।

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मामले में एफ आई डी आई सी आदर्श निर्माण ठेका करारों का अनुपालन किया जाता है जो औचित्यपूर्ण होते हैं।

(iv) निविदाएं आमंत्रित करने से पहले ठेकेदारों की अर्हता।

(v) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए अधिक आवंटन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

(vi) चुनिंदा आधार पर विकास कार्य करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का गठन किया गया है।

विवरण

आठवीं योजना में पुलों और सुधार स्कीमों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	चौड़ा करके दो लेन बनाना	सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	चौड़ा करके चार लेन बनाना (कि.मी.)	बाईपास (सं.)	बड़े पुल (सं.)	छोटे पुल (सं.)
1.	आन्ध्र प्रदेश	80.3	230.12	17.76		1	15
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.25	4				
3.	असम	41.59	148.98				17
4.	बिहार	12	181.39				11
5.	चंडीगढ़		3				
6.	दिल्ली		5.4	7		1	
7.	गोवा	7.25	15.95		1	1	2
8.	गुजरात	36.2	221.3	100.65	2	5	9
9.	हरियाणा		200.65	0.5	3	2	
10.	हिमाचल प्रदेश	109.65	46.81			1	11
11.	जम्मू तथा कश्मीर*	110					1
12.	कर्नाटक	83.2	168.7			2	10
13.	केरल	7.95	79.9		1	1	5
14.	मध्य प्रदेश	142.69	169.72			2	34
15.	महाराष्ट्र	13	264.96	6.54		6	43
16.	मणिपुर	34.1	33.42				
17.	मेघालय	21.94	34				5
18.	नागालैंड						
19.	उड़ीसा	164	171		1	2	23
20.	पांडिचेरी		9				2
21.	पंजाब	6.4	307.23	52.61		4	4
22.	राजस्थान	131	279.5	69		3	14
23.	तमिलनाडु	2.1	534.65	2.2	1	1	15
24.	उत्तर प्रदेश	16.08	593.68	21		3	11
25	पश्चिम बंगाल		128.7			2	18
	जोड़	1027.7	3832.06	277.26	9	37	250

* जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य, जम्मू और श्रीनगर बाइपास को छोड़कर, जो राज्य लोक निर्माण विभाग के पास है, सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

झूम खेती के कारण वनों की कटाई

***470. श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस-किस राज्य में झूम खेती हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने झूम खेती के कारण विभिन्न राज्यों में प्रति वर्ष होने वाली वनों की कटाई का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो नवीनतम अध्ययन के अनुसार तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने झूम खेती को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ग) 1983 में एक कार्य बल ने देश में झूम खेती के अन्तर्गत वार्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन किया है और भारतीय वन सर्वेक्षण ने 1993 से 1995 की अवधि में सात पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती का अनुमान लगाया हैं। ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	राज्य का नाम	1983 में कार्यबल के अनुमान के अनुसार झूम खेती के अन्तर्गत वार्षिक क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1993-1995 के अनुमान के अनुसार झूम खेती (वर्ग कि.मी. में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	503	
2.	बिहार	162	
3.	मध्य प्रदेश	125	
4.	उड़ीसा	5293	
5.	अरूणाचल प्रदेश	700	75
6.	असम	696	275
7.	मणिपुर	900	603
8.	मेघालय	530	75
9.	मिजोरम	630	292
10.	नागालैंड	192	573
11.	त्रिपुरा	223	-
	कुल	9956	1875

(घ) आदिवासी परिवारों के सामाजिक-आर्थिक स्तर को सुधारने तथा मृदा तथा जल संरक्षण उपायों के माध्यम से झूम क्षेत्रों के पहाड़ी ढालुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

डाक और दूरसंचार सुविधाएं

***471. श्री तथागत सत्पथी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विशेषरूप से उड़ीसा में डाक और दूरसंचार की अपर्याप्त सुविधाएं होने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में डाक और दूरसंचार नेटवर्क का प्रसार और उन्नयन के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश के बारे में अब तक राज्यवार कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में डाक और दूरसंचार नेटवर्क का उन्नयन और विस्तार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) देश के डाक नेटवर्क में 153021 से अधिक डाकघर हैं जो समूचे देश को सेवा प्रदान करते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। एक डाकघर द्वारा औसतन 5518 लोगों को सेवा प्रदान की जाती है जबकि प्रति डाकघर सेवित क्षेत्र 21.48 वर्ग कि.मी. है। उड़ीसा को 8108 डाकघरों का नेटवर्क सेवा प्रदान करता है। यहां एक डाकघर औसतन 3887 व्यक्तियों को और 19.20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। अतः उड़ीसा राज्य की स्थिति, इस संबंध में, राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर है।

दिनांक 31.03.98 की स्थिति के अनुसार देश में तथा उड़ीसा राज्य में दूरसंचार सेवाओं की स्थिति संलग्न विवरण I के अनुसार है।

(ख) डाक विभाग के योजना प्रस्तावों में राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। तथापि, जब वार्षिक योजनायें कार्यान्वित की जाती हैं, तब डाक सर्किलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न योजना कार्यक्रमों के अधीन सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान डाक नेटवर्क के विस्तार और उन्नयन से संबंधित डाक सर्किलवार निर्धारित किए गए लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण II में दी गई हैं।

आठवीं परियोजना योजनावधि के दौरान कुछ स्विचन क्षमता, टेलीफोन कनैक्शनों और ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के संबंध में राज्य लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण III के अनुसार हैं।

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान इस दिशा में कुल 36790 लाख रु० व्यय किए गए। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान व्यय का उपलब्ध डाक सर्किलवार ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है।

दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

(घ) जी हाँ।

(ङ) डाक विभाग के नवीं योजना मसौदे के अंतर्गत डाक नेटवर्क के विस्तार और उन्नयन के प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-VI में दिया गया है। नवीं योजनावधि के प्रथम वर्ष, अर्थात् 1997-98 के दौरान ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत सर्किलवार लक्ष्य और उपलब्धियां विवरण-II में दी गई हैं। वार्षिक योजना 1998-99 का ब्यौरा संलग्न विवरण-VII में दिया गया है। वर्ष 1998-99 में डाकघर खोलने के लिए पहले ही आवंटित किए जा चुके सर्किलवार लक्ष्य संलग्न विवरण-VIII में दिए गए हैं।

दूरसंचार विभाग के नवीं योजना के प्रस्तावों में दूरसंचार नेटवर्क के उन्नयन और विस्तार पर विचार किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। योजना प्रस्तावों के अनुमोदन के पश्चात् राज्यवार योजनायें बनाई जाती हैं।

विवरण-I

दूरसंचार सेवाओं की स्थिति
(31.03.98 की स्थिति के अनुसार)

	अखिल भारतीय	उड़ीसा
	1	2
टेलीफोम एक्सचेंजों की संख्या	23,406	759
नेट स्विचिंग क्षमता (लाख लाइनें)	212.61	3.04
सीधी एक्सचेंज लाइनें (लाख)	178.02	2.66
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (संख्या)	310637	18575
(गांवों की कुल संख्या)	(604374)	(46989)
टीएएक्स क्षमता (लाख लाइनें)	12.62	0.26
पब्लिक कॉल कार्यालय	427940	12041
कोक्सिअल केबिल आरकेएमएस		30968
माइक्रावेव आरकेएमएस		
यूएचएफ आरकेएमएस		135262
ऑप्टिकल फाइबर आरकेएमएस		76261
कुल		242491

	1	2
प्रदान की गई एसटीडी सुविधाएं :		
जिला मुख्यालय	547 में से 547	सभी (30)
उप-डिवीजनल मुख्यालय	1230 में से 1182	सभी (58)
तहसील मुख्यालय	2686 में से 2564	सभी (170)
शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग सेंटर	2650 में से 2478	सभी (120)

विवरण-II

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
1	2	3
अखिल भारतीय		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	1440/1546	500/402
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	650/466	50/52
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	750/670	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/2628	900/479*
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/100	180/146*
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	199/259	124/124
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	866/900	264/308
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	75/74	1/1
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/283	350/300
10. मेल कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण	एनटी/15	एनटी/21
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/48	20/20
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/414	84/54

1	2	3
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/19	4/4
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/1264	265/275
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्पयूटरीकरण	एनटी	6/17

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

* - आदेश को पूरी तरह कार्यान्वित करने में ठेकेदार की असमर्थता के कारण कमी आई।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
1	2	3
आंध्र प्रदेश सर्किल		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	42/26	10/10
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	25/28	2/3
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	0/0	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/236	65/0*
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/10	10/10*
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	55/79	12/12
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	60/64	10/10
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	5/5	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/20	एनटी/10
10. मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण	एन/3	एनटी/6

1	2	3
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/3	एनटी/1
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/34	एनटी/1
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/2	एनटी/0
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/146	एनटी/41
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	एनटी	2/3

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

* - आदेश को पूरी तरह कार्यान्वित करने में ठेकेदार की असमर्थता के कारण कमी आई।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
1	2	3
असम सर्किल		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	63/145	25/18
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	18/15	2/3
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	0/0	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/60	50/50
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/2	13/13
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	16/16	0/0
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	21/22	30/31
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	4/4	0/0

1	2	3
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/15	एनटी/10
10. मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण	एन/1	एनटी/3
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/4	एनटी/4
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/10	एनटी/4
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/0	एनटी/0
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/29	एनटी/21
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्पयूटरीकरण	एनटी	0/0

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
1	2	3
बिहार सर्किल		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	183/184	40/31
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	49/25	5/4
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	75/9	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/92	30/0*
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/6	6/6
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	0/0	2/2
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	23/21	13/10

1	2	3
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	6/6	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/15	एनटी/30
10. मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण	एनटी	एनटी
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/3	एनटी/2
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/20	एनटी/2
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/2	एनटी/0
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/67	एनटी/24
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्पयूटरीकरण	एनटी	0/2

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

* - आदेश को पूरी तरह कार्यान्वित करने में ठेकेदार की असमर्थता के कारण कमी आई।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
1	2	3
दिल्ली		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	0/0	5/5
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	41/25	2/2
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	0/0	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/203	55/55
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/5	9/9

1	2	3
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	4/4	3/3
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	76/78	10/13
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	2/2	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/9	एनटी/20
10. मेल कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण	एनटी/2	एनटी/0
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/2	एनटी/0
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/5	एनटी/1
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/0	एनटी/0
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/3	एनटी/0
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	8वीं योजना से पहले लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्पयूटरीकरण	एनटी	2/3

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
1	2	3
गुजरात		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	59/59	25/18
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	49/32	2/3
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	0/0	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/189	55/55

1	2	3
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/7	10/10
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	8/8	8/8
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	53/63	22/34
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	4/4	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/20	एनटी/30
10. मेल कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण	एनटी/1	एनटी/0
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/4	एनटी/0
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/68	एनटी/5
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/1	एनटी/0
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/91	एनटी/13
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	8वीं योजना से पहले लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्पयूटरीकरण	एनटी	0/0

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
1	2	3
हरियाणा		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	28/35	15/13
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	40/24	2/2
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	0/6	शून्य@

1	2	3
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/96	20/20
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/2	6/5
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	2/0	6/6
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	19/20	5/7
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	2/2	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/10	0/0
10. मेल कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण	एनटी/0	एनटी/0
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/1	एनटी/1
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/17	एनटी/1
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/0	एनटी/0
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/41	एनटी/28
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	एनटी	0/0

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
1	2	3
हिमाचल प्रदेश		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	53/128	10/4
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	89/9	2/0

1	2	3
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	99/98	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/92	30/30
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/2	5/5
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	5/5	6/6
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	31/31	4/3
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	3/3	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/15	
10. मेल कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण	एनटी/0	एनटी/0
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/3	
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/14	एनटी/11
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/4	एनटी/1
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/173	एनटी/47
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्पयूटरीकरण	एनटी	0/0

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
1	2	3
जम्मू एवं कश्मीर		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	12/28	15/11
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	8/3	1/1

1	2	3
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	0/0	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/38	10/10
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/1	4/4
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	5/0	5/5
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	4/6	4/1
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	1/1	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/4	
10. मेल कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण	एनटी/0	एनटी/0
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/0	एनटी/0
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/4	एनटी/0
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/0	एनटी/0
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/1	एनटी/0
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्पयूटरीकरण	एनटी	0/0

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
1	2	3
कर्नाटक		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	34/39	30/24
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	42/40	5/5

1	2	3
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	50/35	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/185	60/0*
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/8	14/0*
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	24/34	12/12
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	56/50	8/9
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	एनटी/5	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/21	एनटी/10
10. मेल कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण	एनटी/1	एनटी/4
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/1	एनटी/1
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/27	एनटी/2
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/2	एनटी/0
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/71	एनटी/16
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	8वीं योजना से पहले लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्पयूटरीकरण	एनटी	0/0

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

* - आदेश को पूरी तरह कार्यान्वित करने में ठेकेदार की असमर्थता के कारण कमी आई।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
1	2	3
केरल		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	35/48	10/7

1	2	3
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	36/44	0/0
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	एनटी/160	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/44	50/0*
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/7	10/10
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	6/6	11/11
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	43/43	11/11
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	4/4	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/10	एनटी/10
10. मेल कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण	एनटी/0	एनटी/1
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/2	एनटी/1
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/26	एनटी/2
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/3	एनटी/0
14. स्टाफ क्वाटरों का निर्माण	एनटी/38	एनटी/1
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	8वीं योजना से पहले लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्पयूटरीकरण	एनटी	0/0

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

* - आदेश को पूरी तरह कार्यान्वित करने में ठेकेदार की असमर्थता के कारण कमी आई।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
मध्य प्रदेश		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	113/102	37/41
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	37/28	2/2
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	15/15	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/118	80/80
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/6	14/14
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	18/52	0/0
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	46/44	15/9
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	5/5	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/18	एनटी/10
10. मेल कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण	एनटी/0	एनटी/1
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/2	एनटी/2
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/13	एनटी/4
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/0	एनटी/0
14. स्टाफ क्वाटरों का निर्माण	एनटी/27	एनटी/3
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्पयूटरीकरण	एनटी	0/2

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
महाराष्ट्र		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	163/172	35/34
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	51/62	3/4
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	20/17	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/318	75/49
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/10	15/15
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	6/4	10/10
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	133/139	20/27
8. बेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	6/6	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/27	एनटी/30
10. मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण	एनटी/4	एनटी/0
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/1	एनटी/1
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/35	एनटी/6
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/0	एनटी/0
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/93	एनटी/43
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	8वीं योजना से पहले लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	एनटी	2/4

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
उत्तर-पूर्व		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	82/79	25/18
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	16/7	3/3
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	0/0	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/30	40/0*
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/1	7/7
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	2/2	7/1
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	23/35	0/1
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	4/4	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	0/0	एनटी/10
10. मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण	एनटी/0	एनटी/1
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/0	एनटी/2
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/12	एनटी/4
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/2	एनटी/0
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/49	एनटी/4
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	एनटी	0/0

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

* - आदेश को पूरी तरह कार्यान्वित करने में ठेकेदार की असमर्थता के कारण कमी आई।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
उड़ीसा		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	87/94	27/21
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	एनटी/12	2/3
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	69/35	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/98	60/0*
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/2	10/10
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कम्प्यूटरीकरण	16/18	6/6
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	21/22	11/14
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	3/3	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/13	एनटी/10
10. मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण	एनटी/1	एनटी/1
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/2	एनटी/1
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/19	एनटी/6
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/0	एनटी/1
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/94	एनटी/28
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	एनटी	0/0

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

* - आदेश को पूरी तरह कार्यान्वित करने में ठेकेदार की असमर्थता के कारण कमी आई।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
पंजाब		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	27/25	17/12
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	19/18	2/2
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	10/0	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/130	40/40
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/4	6/6
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कम्प्यूटरीकरण	18/8	7/7
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	23/27	14/14
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	2/2	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/10	एनटी/20
10. मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण	एनटी/0	एनटी/1
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/2	एनटी/1
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/9	एनटी/0
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/0	एनटी/0
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/6	एनटी/0
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	एनटी	0/0

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
राजस्थान		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	105/104	33/33
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	43/26	2/1
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	15/15	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/109	45/45
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/6	10/10
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	0/0	7/7
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	28/38	3/9
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	4/4	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/20	एनटी/10
10. मेल कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण	एन/0	एनटी/1
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/3	एनटी/1
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/45	एनटी/2
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/0	एनटी/1
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/107	एनटी/4
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्पयटरीकरण	एनटी	0/0

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना. लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
तमिलनाडु		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	30/24	21/21
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	24/19	2/3
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	0/0	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/198	50/0*
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/7	11/11
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	9/9	10/10
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	68/73	20/30
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	4/4	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/20	एनटी/30
10. मेल कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण	एनटी/1	एनटी/1
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/6	एनटी/0
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/18	एनटी/2
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/0	एनटी/0
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/25	एनटी/0
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	8वीं योजना से पहले लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्पयूटरीकरण	एनटी	2/3

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

* - आदेश को पूरी तरह कार्यान्वित करने में ठेकेदार की असमर्थता के कारण कमी आई।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
उत्तर प्रदेश		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	206/244	70/57
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	73/40	6/6
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	340/323	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/184	50/0*
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/10	10/1
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	9/8	8/8
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	79/77	42/58
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	7/7	0/0
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/28	एनटी/30
10. मेल कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण	एनटी/1	एनटी/0
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/6	एनटी/2
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/20	एनटी/1
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/0	एनटी/0
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/93	एनटी/0
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्पयूटरीकरण	एनटी	0/3

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

* - आदेश को पूरी तरह कार्यान्वित करने में ठेकेदार की असमर्थता के कारण कमी आई।

प्रमुख योजना कार्यक्रमों से संबधित जानकारी

योजना कार्यक्रम	आठवीं योजना लक्ष्य/उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य/उपलब्धि
पश्चिम बंगाल		
1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	117/93	50/24
2. विभागीय उप डाकघर खोलना	27/9	3/4
3. पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	0/0	शून्य@
4. बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	एनटी/92	45/45
5. बचत बैंक कार्य के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना	एनटी/4	10/0*
6. बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कंप्यूटरीकरण	6/6	4/4
7. डाकघरों का आधुनिकीकरण	50/47	16/17
8. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों की स्थापना	4/3	0/1
9. ईएसएमओ की स्थापना	एनटी/8	एनटी/20
10. मेल कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण	एनटी/1	एनटी/1
11. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण	एनटी/1	एनटी/0
12. प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/18	एनटी/2
13. प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण	एनटी/2	एनटी/1
14. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	एनटी/111	एनटी/0
15. डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण	लक्ष्य प्राप्त किया गया	एनटी
16. ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्पयूटरीकरण	एनटी	0/0

एन टी - सर्किल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

@ - स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है, 9वीं योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई ।

* - आदेश को पूरी तरह कार्यान्वित करने में ठेकेदार की असमर्थता के कारण कमी आई।

विवरण-III

आठवीं पंचवर्षीय योजना के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	नेट स्विचिंग क्षमता		टेलीफोन कनेक्शन		विलेज पब्लिक टेलीफोन	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य*	उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	648284	732807	514300	571040	16650	10635
2.	असम	74547	95952	59100	76312	7170	6866
3.	बिहार	127368	265904	101000	201129	25984	9558
4.	गुजरात	794586	711837	630400	581854	16500	10307
5.	हरियाणा	290612	307206	230600	225430	6162	5285
6.	हिमाचल प्रदेश	71110	136800	56400	101052	3950	3265
7.	जम्मू व कश्मीर	53214	65855	42300	36734	2205	1668
8.	कर्नाटक	599556	724362	475700	598262	13700	15029
9.	केरल	492341	717662	390600	548404	18	18
10.	मध्य प्रदेश	402767	587053	319600	419336	34456	27075
11.	महाराष्ट्र	2036556	1998069	1670700	1660723	27000	21006
12.	उत्तर-पूर्व	31635	85052	25100	61067	4317	2603
13.	उड़ीसा	61574	149331	48900	118261	18300	12998
14.	पंजाब	499997	578792	396700	490699	12550	10077
15.	राजस्थान	417947	528412	331600	424029	19900	14877
16.	तमिलनाडु	777358	1007214	634200	804844	12700	9196
17.	उत्तर प्रदेश	530707	827829	421000	636458	74158	29155
18.	प. बंगाल	220015	512518	181800	411592	17600	9241
19.	दिल्ली	1141800	927460	970000	764898	9	9

टिप्पणियां

1. गुजरात में दादर, दीव दमण एवं नगर हवेली शामिल हैं।
2. केरल में संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप शामिल है।
3. महाराष्ट्र में गोवा और मुंबई एमटीएनएल शामिल हैं।
4. उत्तर-पूर्व में अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं।
5. पंजाब में संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ शामिल है।
6. तमिलनाडु में संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी शामिल है।
7. पश्चिम बंगाल में सिक्किम तथा अंडमान एवं निकोबार शामिल हैं।
8. वीपीटी के लक्ष्य आठवीं योजना के लिए वार्षिक लक्ष्यों का योग हैं।

विवरण-IV

8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर खोलने के लिए सर्किलवार व्यय

क्र.सं.	सर्किल का नाम	व्यय की गई धनराशि (राशि लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	42.12
2.	असम	128.19
3.	बिहार	480.95
4.	दिल्ली	29.19
5.	गुजरात	33.54
6.	हरियाणा	35.42
7.	हिमाचल प्रदेश	70.38
8.	जम्मू व कश्मीर	6.60
9.	कर्नाटक	107.12
10.	केरल	81.11
11.	मध्य प्रदेश	94.64
12.	महाराष्ट्र	75.92
13.	उत्तर-पूर्व	38.73
14.	उड़ीसा	67.95
15.	पंजाब	44.25
16.	राजस्थान	106.25
17.	तमिलनाडु	31.97
18.	उत्तर प्रदेश	211.25
19.	प. बंगाल	95.80
	कुल	1781.38

8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1994-97 की अवधि में डाकघरों के आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय का ब्यौरा

	सर्किल	व्यय (लाख रु. में)			
		1994-95	1995-96	1996-97	कुल
	1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	64.51	195.26	147.92	407.69
2.	असम	6.51	43.01	55.35	104.87
3.	बिहार	4.81	37.71	47.78	90.30
4.	दिल्ली	67.48	141.55	119.74	328.77
5.	गुजरात	27.50	96.74	117.97	242.21
6.	हरियाणा	16.65	23.52	28.15	68.32
7.	हिमाचल प्रदेश	24.50	51.72	25.70	101.92
8.	जम्मू व कश्मीर	3.78	13.27	14.03	31.08
9.	कर्नाटक	22.09	113.55	135.06	270.70
10.	केरल	6.50	96.99	116.63	220.12
11.	मध्य प्रदेश	30.30	108.22	76.17	214.04
12.	महाराष्ट्र	85.96	257.99	235.03	578.98
13.	उत्तर-पूर्व	9.36	6.90	14.95	31.21
14.	उड़ीसा	32.77	95.56	49 25	177.58

1		2	3	4	5
15.	पंजाब	13.03	43.96	73.52	130.51
16.	राजस्थान	20.08	93.85	83.00	196.93
17.	तमिलनाडु	82.52	144.95	156.52	383.99
18.	उत्तर प्रदेश	65.74	190.70	208.79	465.23
19.	प. बंगाल	25.65	107.25	128.82	261.72
	कुलः	609.74	1862.70	1834.33	4306.77

विवरण-V

8वीं पंचवर्षीय योजना 1996-97 के लिए वास्तविक व्यय को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	सर्किल का नाम	वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार	10.24
2.	आंध्र प्रदेश	2040.95
3.	असम	332.01
4.	बिहार	895.93
5.	गुजरात	1981.36
6.	हरियाणा	790.84
7.	हिमाचल प्रदेश	577.08
8.	जम्मू व कश्मीर	187.85
9.	कर्नाटक	1882.64
10.	केरल	2242.77
11.	मध्य प्रदेश	1752.32
12.	महाराष्ट्र	2822.08
13.	उत्तर-पूर्व	296.72
14.	उड़ीसा	538.13
15.	पंजाब	1456.27
16.	राजस्थान	1335.79
17.	तमिलनाडु	2617.54
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1687.55
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	596.00
20.	प. बंगाल	1171.81
21.	अन्य आनुषंगिक यूनिटें	4007.20
	कुल	29222.88

उपर्युक्त आंकड़ों में सी-डॉट एवं छुट-पुट कार्य शामिल नहीं हैं।

विवरण-VI

डाक विभाग की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के मसौदा प्रस्ताव में शामिल लक्ष्यों पर एक संक्षिप्त नोट

विभाग की नौवीं पंचवर्षीय योजना में आठवीं योजना अवधि के दौरान नई प्रौद्योगिकी के समावेश के माध्यम से शुरू किए गए आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र और उसकी व्याप्ति का विस्तार करने के साथ-साथ उन क्षेत्रों में बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है, जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अधिकाधिक राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से चुने हुए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यापारिक/व्यावसायिक क्षेत्र के लिए विशिष्ट तौर पर प्रदान की जाने वाली नई सेवाओं का विकास और विपणन तथा विशिष्ट एजेंसी कार्यों का आधुनिकीकरण करना शामिल है। इस योजना की चुनिंदा प्राथमिकताओं में कार्यकुशलता का स्तर बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास करना, प्रबंध कार्यों को सरल और कारगर बनाना, आधुनिकीकृत प्रणालियों के लिए उपयुक्त भवनों का विकास और रख-रखाव करना तथा कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर प्रदान करना शामिल है।

नौवीं योजना के नियम उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से नौवीं योजना के अंतर्गत प्रस्तावित लक्ष्यों का स्कीमवार ब्यौरा नीचे दिया

गया है :-

स्कीम 1-डाक नेटवर्क का विस्तार

1. 2500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना
2. 250 विभागीय उप डाकघर खोलना
3. 24000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के लिए आधारभूत उपस्कर

स्कीम 2-प्रौद्योगिकी का उन्नयन

1. 4000 कम्पयूटर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की संस्थापना जिनमें बचत कार्य के कम्प्यूटरीकरण के लिए लोकल एरिया नेटवर्क हेतु 2100 मशीनें शामिल हैं।
2. मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन तथा उपग्रह मनीआर्डर सेवा का विस्तार
   - (क) एक एचयूबी (हब) की स्थापना
   - (ख) 2000 एक्स्टेंडेड सेटेलाइट मनीआर्डर सेन्टर्स की स्थापना
   - (ग) मौजूदा सभी 75 व्रेरी स्माल टर्मिनलों (वी-सेटों) का उन्नयन
   - (घ) 200 वी-सेटों का संस्थापना
   - (ङ) 50 डाकघरों में धन अंतरण प्रणाली का आधुनिकीकरण
3. डाकघरों को यांत्रिक उपस्कर की आपूर्ति
   - (क) 10000 हैंड कैसलर्स
   - (ख) 100 डाक-टिकट विरूपण मशीनें
   - (ग) 500 इलेक्ट्रानिक फैकिंग मशीनें
   - (घ) 30 बांधनें और बंडल बनाने की मशीनें
4. 500 डाकघरों तथा 5 प्रमुख प्रधान डाकघरों का आधुनिकीकरण
5. सामग्री प्रबंध
   - (क) 4 डीजल फोर्क लिफ्ट ट्रालियों की आपूर्ति
   - (ख) शेष 15 डाक भंडार डिपुओं का कम्पयूटरीकरण तथा सभी 46 डाक भंडार डिपुओं को निदेशालय के साथ जोड़ना।
   - (ग) 150 कर्मचारियों को इन प्रणालियों के प्रचालन का प्रशिक्षण

स्कीम 3-मानव संसाधन विकास

1. 250 समूह "क" अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण
2. 15,750 पर्यवेक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण
3. 12000 कर्मचारियों को कम्पयूटर प्रशिक्षण
4. 20,000 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण
5. 1,00,000 अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण

स्कीम 4- मेल प्रोसेसिंग का आधुनिकीकरण

1. 100 मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण
2. छंटाई के लिए प्रचालन उपस्कर का उन्नयन
   - (क) 3 आटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग केन्द्रों (एएमपीसी) की स्थापना
   - (ख) मौजूदा एएमपीसी में आप्टिक कैरेक्टर रीडर सुविधा प्रदान करना
   - (ग) मौजूदा एएमपीसी में कलिंग, फेसिंग एंड कैंसलिंग मशीनों की आपूर्ति
3. डाक वितरण हेतु 500 मोपेडों की आपूर्ति
4. 25 ट्रांजिट मेल कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण
5. 69 प्रधान रिकार्ड कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण
6. 22 डाकघरों में पंजीकरण छंटाई कार्य का आधुनिकीकरण
7. 50 डाकघरों में पंजीकृत डाक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण
8. 40 केन्द्रों में मेलनेट प्रणाली का उन्नयन तथा विस्तार
9. रेल डाक सेवा वैन
   - (क) 28 रेल डाक सेवा वैनों का निर्माण
   - (ख) मौजूदा रेल डाक सेवा वैनों की मरम्मत
10. 30 मेल मोटर सेवा वाहनों की खरीद
11. विदेश डाक प्रोसेसिंग का आधुनिकीकरण
    - (क) अंतर्राष्ट्रीय डाक के लिए निदेशालय और प्रधान रिकार्ड कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग
    - (ख) अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली की संस्थापना हेतु यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की परियोजना का कार्यान्वयन

स्कीम 5–व्यवसाय विकास तथा विपणन

1. नोडल आफिसों में 40 प्रीमियम प्रोडक्ट सेलों का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग
2. 50 स्पीड पोस्ट सकेन्द्रण केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण
3. स्पीड पोस्ट हेतु 5 बिजनेस आफिसों का आधुनिकरण
4. व्यवसाय विकास निदेशालय और सर्किलों में यूनिटों के बीच मेल नेटवर्क
5. 40 केन्द्रों में पिक–अप तथा वितरण कार्य का मशीनीकरण
6. 5 महानगरों में बैगिंग/कंटेनराइजेशन
7. प्रीमियम सेवाओं में लगे 500 कर्मचारियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण
8. 3 केन्द्रों के लिए मास मेलिंग, इनसर्टिंग तथा सीलिंग उपस्कर
9. सभी डाक डिवीजनों में ग्राहक सुविधा केन्द्र

स्कीम 6–डाकघरों में बचत कार्यों का कम्पयूटरीकरण

1. 500 प्रधान डाकघरों में बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कम्प्यूटरीकरण
2. 700 महत्वपूर्ण डाकघरों में बचत कार्यों का कम्प्यूटरीकरण
3. प्रणाली प्रचालन में 950 कर्मचारियों को प्रशिक्षण

स्कीम 7– डाक जीवन बीमा

1. 30 परिक्षेत्रों में ग्रामीण डाक जीवन बीमा कार्य का कम्प्यूटरीकरण
2. सभी सर्किलों में कम्प्यूटर प्रणालियों का उन्नयन
3. 200 कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण
4. 100 कर्मचारियों को विपणन का प्रशिक्षण
5. अतिरिक्त विभागीय एजेंटों तथा विभागीय कर्मचारियों को बीमा का प्रशिक्षण
6. एक बाजार सर्वेक्षण

स्कीम 8– फिलैटली

1. 52 मौजूदा तथा 200 नए ब्यूरों का कम्प्यूटरीकरण
2. फिलैटली को प्रोत्साहन देने के लिए 500 कर्मचारियों को प्रशिक्षण

स्कीम 9 – डाक भवन तथा कर्मचारी आवास

1. प्रचालन कार्यालय भवनों को पूरा करना
   (क) 400 डाकघर
   (ख) 20 मेल कार्यालय
2. 7 प्रशासनिक कार्यालय भवनों को पूरा करना
3. 950 कर्मचारी आवासों को पूरा करना

स्कीम 10 – प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रबंध कार्य को सरल और कारगर बनाना

1. सभी परिक्षेत्रीय तथा सर्किल मुख्यालयों को निदेशालय के साथ जोड़ते हुए प्रबंध सूचना प्रणाली विकसित करना
2. सभी सर्किलों में लेखाकंन/बजट कार्यों का कम्प्यूटरीकरण
3. निदेशालय में प्रशासनिक शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण

विवरण–VII

वार्षिक योजना 1998–99 के अंतर्गत लक्ष्य

स्कीम I–डाक नेटवर्क का विस्तार – परिव्यय 5.03 करोड़ रु॰

(i) डाकघर खोलना : 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 50 विभागीय उप डाकघर।

(ii) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चरल उपस्कर : 2700 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के लिए।

स्कीम–II प्रौद्योगिकी उन्नयन – परिव्यय 20.33 करोड़ रु॰

(i) पीसी आधारित काउंटर मशीनें–500 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें तथा बचत कार्य के लिए 100 लोकल एरिया नेटवर्क।

(ii) उपग्रह मनीआर्डर सेवा
   1. 250 एक्स्टेंडेड सेटेलाइट मनीआर्डर सेन्टर्स की संस्थापना।
   2. 20 वेरी स्माल एपरचर टर्मिनल (वीएसएटी) की संस्थापना।

(iii) 50 डाकघरों का आधुनिकीकरण

(iv) यांत्रिक उपस्कर
   1. 10000 इन्ग्रेव्ड हैन्ड कैंसलर्स मशीनें

2. 20 डाक-टिकट विभाग विरूपण मशीनें

3. 150 इलैक्ट्रानिक फ्रैंकिंग मशीनें

4. 30 बांधनें और बंडल बनाने की मशीनें

(v) डाक भंडार डिपुओं को नेटवर्क से जोड़ना

स्कीम-III मानव संसाधन विकास-परिव्यय 2.94 करोड़ रु॰

(i) 3000 कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण

(ii) 1500 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण

(iii) 25 अधिकारियों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम

(iv) 4000 कर्मचारियों के लिए बचत बैंक/बचत पत्र कार्य के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

स्कीम IV-मेल प्रोसेसिंग का आधुनिकीकरण - परिव्यय 12.72 करोड़ रु॰

(i) 5 ट्रांजिट मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

(ii) 5 कार्यालयों में पंजीकरण छंटाई का कम्प्युटरीकरण

(iii) 10 प्रधान रिकार्ड कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

(iv) 20 मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण

(v) 10 कार्यालयों में पंजीकरण वितरण व्यवस्था का आधुनिकीकरण

(vi) 15 केन्द्रों पर मेलनेट का उन्नयन

(vii) 12 रेल डाक सेवा वैनों का निर्माण

(viii) 20 मौजूदा आरएमएस वैनों की मरम्मत

(ix) 6 मेल मोटर सेवा वाहनों की आपूर्ति

(x) वितरण कार्य के लिए 75 मोपेडों की आपूर्ति

स्कीम V - व्यवसाय विकास एवं विपणन - परिव्यय 4.25 करोड़ रु॰

(i) 8 नोडल केन्द्रों में प्रीमियम प्रोडक्ट सेलों का कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्क से जोड़ना

(ii) 10 स्पीड पोस्ट कन्सनट्रेशन केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण

(iii) 40 कम्प्यूटरीकरण ग्राहक सेवा केन्द्रों की स्थापना

(iv) 5 केन्द्रों में पिक-अप तथा वितरण का मशीनीकरण

(v) प्रीमियम प्रोडक्ट्स में कार्यरत 100 कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण

(vi) 1 मास मेलिंग, इंसर्टिंग तथा सीलिंग केन्द्र स्थापित करना

स्कीम VI - डाकघरों में बचत बैंक का कम्प्यूटरीकरण - परिव्यय 1.25 करोड़ रु॰

(i) 100 डाकघरों में बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कम्प्यूटरीकरण

(ii) प्रणालियों के प्रचालन में 250 कर्मचारियों का प्रशिक्षण

स्कीम VII - डाक जीवन बीमा - परिव्यय 4.33 करोड़ रु॰

(i) 24 परिक्षेत्रों में ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कम्प्यूटरीकरण

(ii) 4 सर्किलों में डाक जीवन बीमा की कम्प्यूटर प्रणालियों का उन्नयन

(iii) 25 विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण

(iv) 25 कर्मचारियों को विपणन/विक्रय संवर्धन/प्रचार प्रशिक्षण

(v) 10000 कर्मचारियों को बीमा में प्रशिक्षण

स्कीम VIII - फिलैटली का आधुनिकीकरण एवं विकास - परिव्यय 0.85 करोड़ रु॰

(i) 20 फिलैटलिक ब्यूरों का कम्प्यूटरीकरण

(ii) 25 ब्यूरों के लिए यंत्र एवं उपस्कर

(iii) 125 कर्मचारियों को प्रशिक्षण

स्कीम IX - डाक भवन और कर्मचारी आवास-परिव्यय 39.80 करोड़ रु॰

(i) 26 प्रचालन कार्यालयों के भवनों का पूर्णतः निर्माण

(ii) 185 कर्मचारी आवासों का पूर्णतः निर्माण

(iii) 3 प्रशासनिक कार्यालय भवनों का पूर्णतः निर्माण

स्कीम X - प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन को सरल और कारगर बनाना-परिव्यय 3.78 करोड़ रु॰

(i) सर्किल में लेखा/बजट कार्य का कम्प्यूटरीकरण

(ii) निदेशालय में 4 प्रशासनिक शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण

कुल परिव्यय- 95.00 करोड़ रु॰

विवरण-VIII

वार्षिक योजना 1998-99 के अंतर्गत लक्ष्यों का सर्किलवार आबंटन

क्र.सं.	सर्किल का नाम	*अविशाडा खोलने के लिए आबंटित लक्ष्य			** विउडा खोलने के लिए आबंटित लक्ष्य		
		अन्य क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र	कुल	अन्य क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	7	3	10	1	1	2
2.	असम	40	10	50	1	1	2
3.	बिहार	42	18	60	2	1	3
4.	दिल्ली	20		20	3		3
5.	गुजरात	32	8	40	2		2
6.	हरियाणा	15		15	3		3
7.	हिमाचल प्रदेश	7	3	10	1	1	2
8.	जम्मू व कश्मीर	20	10	30	1		1
9.	कर्नाटक	8	2	10	5		5
10.	केरल	10		10	2		2
11.	मध्य प्रदेश	30	20	50	1	1	2
12.	महाराष्ट्र	46	14	60	3		3
13.	उत्तर-पूर्व	31	19	50	1	2	3
14.	उड़ीसा	6	4	10	1	1	2
15.	पंजाब	15		15	2		2
16.	राजस्थान	16	14	30	1	1	2
17.	तमिलनाडु	7	3	10	2		2
18.	उत्तर प्रदेश	66	12	78	6		6
19.	पश्चिम बंगाल	32	8	40	3		3
	कुल	450	148	598	41	9	50

*अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

**विभागीय उप डाकघर

विवरण IX

दूरसंचार नेटवर्क के उन्नयन और विस्तार के लिए नवीं योजना (1997-2002) में प्रस्ताव

(प्रस्तावों के उद्देश्यों की प्रमुख विशेषताएं)

(क) उन्नयन

- उन सदृश प्रणालियों को बदलना जो बेकार हो चुकी हैं और जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है तथा उन स्विचों के स्थान पर डिजीटल स्विच लगाना, जो टेकनालाजी की दृष्टि से अप्रचलित व पुराने हो गए हैं।
- एस एस ए मुख्यालय में मैनुअल ट्रंक सेवाएं कम्प्यूटरीकृत की जाएं।
- कम्प्यूटरीकरण बिलिंग और अकाउंटिंग, व्यावसायिक कार्यकलाप, केबल नेटवर्क का रिकार्ड तथा डायरेक्टरी इनक्वायरी सेवाएं।
- आधुनिकीकृत फॉस्ट रिपेयर सर्विस।

- लोकल लूप, एच.डी.एस.एल., ए.डी.एस.एल. तथा आप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकियों में लोकल नेटवर्क में धीरे-धीरे वायरलेस की शुरूआत।
- ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए बेहतर विश्वसनीय प्रौद्योगिकियों की शुरूआत।
- सभी एक्सचेंजों में विश्वसनीय मीडिया का प्रावधान।

  ट्रंक तथा आटोमेटिक एक्सचेंजों के बीच पारेषण नेटवर्क में विविधता प्रदान करना।
- नेटवर्क के नियंत्रण तथा प्रबंधन के लिए नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करना।
- एकल पटल ग्राहक सेवा केन्द्रों की शुरूआत।

(ख) विस्तार योजनाएं

- निवल स्विचिंग क्षमता (लाख लाइनें)		230
डारेक्ट एक्सचेंज लाइनें		185
- टैक्स (लाख लाइनें)		18
- ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (हजार)		239
- पारेषण प्रणाली		
माइक्रोवेव	आर के एम	90,000
यू एच एफ	आर के एम	
आप्टिकल फाइबर आर के एम		1,40,000
कुल		2,30,000

मूंगा प्रवालिका का संरक्षण

*472. **श्री के॰सी॰ कोंडय्या : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम (यू.एन.डी.पी.) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूंगा प्रवालिका के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) देश के अन्य भागों में पाए जाने वाली ऐसी मूंगा प्रवालिका का ब्यौरा क्या है और उनके संरक्षण के लिए कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, नहीं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विश्व पर्यावरण सुविधा (जी ई एफ) की एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में मूंगा प्रवालिका के चुनिन्दा स्थलों के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु एक परियोजना के लिए विश्व पर्यावरण सुविधा से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मददगार के रूप में कार्य किया है।

(ख) इस परियोजना के लिए 345,000 अमरीकी डालर की सहायता मुहैया किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत में प्रमुख मूंगा प्रवालिका संरचनाएं, मन्नार की खाड़ी, पाल्क खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप समूह में स्थित हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय "कच्छ वनस्पतियों और मूंगा प्रवालिकाओं के संरक्षण एवं प्रबंधन" नामक स्कीम के अंतर्गत मूंगा प्रवालिकाओं के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए संबंधित राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र की प्रबंधन कार्य योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आठवीं योजना तथा 1997-98 में इस स्कीम के तहत मूंगा प्रवालिका को प्रबंधन कार्य योजना के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित है :-

	मूंगा प्रवालिका	आठवीं योजना तथा 1997-98 के दौरान प्रदान की गई सहायता (लाख रुपयों में)
1.	कच्छ की खाड़ी	11.83
2.	अंडमान और निकोबार	24.89
3.	लक्षद्वीप	31.50
4.	मन्नार की खाड़ी	10.51

दिल्ली विश्वविद्यालय की फीस में वृद्धि

*473. **श्री मोहन रावले :**

श्री अजीत जोगी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक महाविद्यालयों में विभिन्न शीर्षों जिनमें से कुछ शीर्ष इसी वर्ष आरंभ किए गए हैं, के अंतर्गत फीस में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रस्ताव का जनता द्वारा विरोध किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं;

(च) क्या कमजोर वर्गों और आरक्षित श्रेणियों के छात्रों को इस बढ़ी हुई फीस में कोई रियायत दी जाएगी;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ज) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के कुछ कालेजों ने बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए विकास शुल्क, विज्ञान शुल्क, खेलकूद शुल्क, अनुरक्षण शुल्क, छात्र संघ निधि आदि में वृद्धि की है। कुछ कालेजों ने स्टाफ के वेतनमानों में संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि को पूरा करने के लिए स्थापना शुल्क के नाम से एक नया शुल्क प्रारंभ किया है। जनता द्वारा शुल्क वृद्धि का विरोध किये जाने की कोई सूचना नहीं है। हां, छात्रों द्वारा स्थापना शुल्क का विरोध किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारी स्टाफ के बढ़े हुए वेतन का भुगतान करने के लिए छात्रों से कोई राशि लेने के पक्ष में नहीं हैं तथा इस मामले पर संबंधित कालेजों से बातचीत की गई है। कालेजों ने अपने निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है तथा उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि छात्र निधि की राशि को स्टाफ के वेतन पर खर्च नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने कालेजों से यह भी अनुरोध किया है कि वे निर्धन तथा पात्र छात्रों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए शुल्क में वृद्धि को अधिक से अधिक निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्तियों के साथ सम्बद्ध कर दें।

ताप विद्युत परियोजनाओं को काउंटर गारंटी

*474. **श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स हिन्दुजा को उनकी ताप विद्युत परियोजना के लिए काउंटर गारंटी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इसी प्रकार की काउंटर गारंटी दे रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) सरकार ने हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में मैसर्स हिन्दुजा नेशनल पावर कंपनी लिमिटेड (एचएनपीसीएल) की विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना (1040 मे.वा.) के मामले में एक संशोधित प्रक्रिया के जरिए प्रति गारंटी को बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रति गारंटी केवल समापन के मामले में ही दी जाएगी तथा केवल बकाया विदेशी ऋण तक ही सीमित रहेगी।

विद्युत क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए वैकल्पिक सुरक्षा तंत्र विद्यमान है।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पेंशन

*475. **श्री पी॰ उपेन्द्र :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औलंपिक स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है;

(ख) इस प्रणाली के अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि बढ़ाये जाने और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। "प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन देने के लिए खेल कोष" नामक एक योजनागत स्कीम सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, ओलंपिक खेलों, विश्व कप, ओलंपिक और एशियाई खेल विधाओं और एशियाई खेलों में विश्व चैंपियनशिपों के पदक विजेताओं को निम्नलिखित दर पर पेंशन दी जाती है :-

(1) ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को - 2000/- रुपये प्रति मास।

(2) ओलंपिक और एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप/विश्व चैंपियनशिपों के स्वर्ण पदक विजेताओं को 2000/- रुपये प्रति मास।

(3) ओलंपिक और एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप/विश्व चैंपियनशिपों में रजत और कांस्य पदक विजेताओं को 1500/- रुपये प्रतिमास।

(4) एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 1500/- रुपये प्रति मास।

(ख) वर्तमान योजना के अंतर्गत 201 खिलाडियों को पेंशन दी जा रही है।

(ग) जी, नहीं। पेंशन की राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जब कभी ऊपर उल्लिखित श्रेणियों में खिलाड़ी पदक प्राप्त करेंगे, लाभार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी।

चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू किया जाना

***476. श्री अर्जुन सेठी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित आदर्श आचार संहिता सरकार को चुनाव कार्यक्रम प्रस्तुत कराए जाने के बाद लागू होती है; और

(ख) यदि हां, तो आदर्श आचार संहिता को राज्य सरकारों पर बाध्यकारी बनाने और उसे सच्चे अर्थों में लागू करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा तंत्र बनाया गया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ख) आदर्श आचार संहिता की विधिक प्रवर्तनीयता का विवाधक, भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

प्रौढ़ शिक्षा योजना

***477. श्री माधवराव पाटील :**

श्री डी॰एस॰ अहिरे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौढ़ शिक्षा योजना फिलहाल किन-किन राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्यवार कितना-कितना व्यय किया गया;

(ग) इससे राज्यवार और वर्षवार कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ;

(घ) क्या अनेक राज्यों में इस योजना के लिए निर्धारित धनराशि का दुरूपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिन राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, उन राज्यों के ब्यौरे तथा उन्हें प्रदान की गई धनराशि विवरण-I में संलग्न है।

(ग) विवरण-II में संलग्न है।

(घ) और (ङ) ये योजनाएं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इस संबंध में जब और जैसे ही शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन पर उचित कार्रवाई के लिए उन्हें संबद्ध तथा सक्षम अधिकारी के पास भेज दिया जाता है।

विवरण-I

प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्यों को प्रदान की गई निधियां

(रु॰ लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	1846.70	1370.68	884.21	1081.06	922.55
अरूणाचल प्रदेश	28.73	71.56	25.63	20.72	3.67
असम	125.21	1159.04	361.09	194.29	86.97
बिहार	1109.93	1628.87	1977.84	1062.52	446.98
गोवा	15.37	11.59	5.95	3.32	0.56
गुजरात	1079.70	884.50	262.98	458.78	112.34
हरियाणा	181.05	243.01	175.31	57.12	77.50
हिमाचल प्रदेश	80.07	109.15	26.43	49.18	112.82
जम्मू और कश्मीर	84.47	190.40	132.70	50.47	38.02
कर्नाटक	1683.64	1041.84	319.58	350.16	303.29

1	2	3	4	5	6
केरल	122.71	57.32	7.00	537.97	15.35
मध्य प्रदेश	1455.12	2821.52	977.67	548.58	459.47
महाराष्ट्र	1453.16	1024.55	1153.63	432.83	746.29
मणिपुर	28.18	72.67	17.62	20.63	17.94
मेघालय	19.47	29.08	127.74	112.45	16.85
मिजोरम	2.66	16.42	2.29	0.57	34.23
नागालैंड	26.31	39.73	47.81	56.90	32.34
उडीसा	614.12	606.36	801.36	310.13	196.62
पंजाब	25.00	277.61	370.34	135.00	211.14
राजस्थान	784.58	1745.00	1681.76	1304.62	820.35
सिक्किम	5.25	11.22	–	11.22	
तमिलनाडु	1200.00	1594.58	1212.48	261.21	554.00
त्रिपुरा	224.18	6.77	0.10	4.73	27.00
उत्तर प्रदेश	2255.48	2805.58	1888.01	943.27	537.23
पश्चिम बंगाल	719.86	1583.69	308.40	728.11	502.82
चंडीगढ़	28.66	25.62	20.12	41.37	20.00
दिल्ली	117.17	120.77	322.58	158.57	173.87
पांडिचेरी	–	–	–	–	18.24
दमन और दीव	1.96	0.56	0.50	–	–
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.81	12.15	8.12	12.56	–
दादरा और नगर हवेली	0.84	0.83	–	–	–
लक्षद्वीप	1.57	7.41	1.62	4.32	–
कुल	15630.96	19570.08	13120.87	8952.66	6488.44

विवरण-II

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरूआत से साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षर बनाए गए व्यक्ति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	81,14,950
2.	अरूणाचल प्रदेश	59,612
3.	असम	10,76,090
4.	बिहार	50,96,209
5.	गोवा	71,237
6.	गुजरात	60,92,278
7.	हरियाणा	3,27,272
8.	हिमाचल प्रदेश	5,39,426
9.	जम्मू व कश्मीर	1,63,892
10.	कर्नाटक	40,08,810

1	2	3
11.	केरल	15,60,152
12.	मध्य प्रदेश	53,82,572
13.	महाराष्ट्र	54,26,098
14.	मणिपुर	67,371
15.	मेघालय	84,420
16.	मिजोरम	61,919
17.	नागालैंड	63,123
18.	उड़ीसा	22,68,114
19.	पंजाब	5,53,922
20.	राजस्थान	36,85,458
21.	सिक्किम	13,604
22.	तमिलनाडु	64,62,081
23.	त्रिपुरा	3,81,351
24.	उत्तर प्रदेश	75,58,629
25.	पश्चिम बंगाल	89,02,352
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14,492
27.	चंडीगढ़	41,404
28.	दादरा और नगर हवेली	7,662
29.	दमन और दीव	3,451
30.	दिल्ली	3,81,286
31.	लक्षद्वीप	986
32.	पांडिचेरी	99,965
	कुल	6,85,70,188

वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान

***478. श्री अनंत गंगाराम गीते :**

श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान बुनियादी वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके बारे में तथा देश में अनुसंधान की गुणवत्ता पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का कोई आकलन करवाया है;

(ग) भारत में बुनियादी अनुसंधान को आगे बढ़ाने में निजी क्षेत्र किस सीमा तक भागीदार रहता है; और

(घ) विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य अनुसंधान संगठनों में अनुसंधान संघटकों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) विभिन्न मंचों पर ऐसे विचार व्यक्त किए गए हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि बुनियादी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय अनुसंधान में पिछले कुछ वर्षों के दौरान ह्रास हुआ है। देश में कुछेक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन हैं जो बुनियादी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के प्रति समर्पित हैं। ये संगठन चिकित्सकीय अनुसंधान, फर्मास्यूटिकल्स, कृषि अनुसंधान, एग्रो-रसायन, जेनेटिक अनुसंधान आदि क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

इन विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य अनुसंधान संगठनों में अनुसंधान घटकों को सुदृढ़ करने के लिए कुछ नए उपाय किए गए हैं। ऐसे कुछ उपाय इस प्रकार हैं: युवा वैज्ञानिकों को विशेष अवसर सहित वैज्ञानिकों को अनुसंधान और विकास परियोजना पर सहयोग; बुनियादी अनुसंधान में स्वर्णजयंती अध्येतावृत्ति की शुरूआत; विश्वविद्यालयों तथा संबंधित संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचना के विकास हेतु निधि; पोस्ट एवं प्री डाक्टोरल शोध अध्येतावृत्तियों को दुगुना करना; विजिटिंग फेलोशिप योजना के माध्यम से सक्रिय वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना; क्षेत्र में नवीनतम विकास की जानकारी पाने के लिए देश के अंदर प्रतिष्ठित संस्थानों/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ सम्पर्क के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरों पर अवसर; औषधि एवं फर्मास्यूटिकल्स, यंत्र विकास में बुनियादी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग को अवसर; तथा घरेलू उद्योग में अनुसंधान और विकास इकाइयों को मान्यता, निजी निकायों को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (एस आई आर ओ एस) के रूप में मान्यता देना आदि।

काण्डला पत्तन त्रासदी के बारे में जांच समिति की रिपोर्ट

***479. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काण्डला पत्तन त्रासदी की जांच करने वाली जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस समिति द्वारा दिए गए सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ख) कांडला पत्तन त्रासदी की जांच के लिए किसी जांच समिति का गठन नहीं

किया गया था। एक उच्च स्तरीय जांच दल से घटनाक्रम की जांच करने और पता लगाने के लिए कहा गया था कि हाल में आए चक्रवात से गुजरात के कांडला क्षेत्र में जनजीवन की इतनी अधिक हानि कैसे हुई। इस दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संचार क्षेत्र में परियोजनाएं

***480. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :**

श्री ए॰सी॰ जोस :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरीकी प्रतिबंधों और मूडी द्वारा आंकी गई भारत की क्रेडिट रेटिंग से संचार क्षेत्र में परियोजनाओं पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में संचार के क्षेत्र में 19.36 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र के प्रमुख कर्ता-धर्ताओं अर्थात् अमेरीकी कम्पनियों, एग्जिम बैंक और ओ.पी.आई.सी. ने क्रेडिट गारन्टी देनी बंद कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इन संचार परियोजनाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) आशा है कि संचार क्षेत्र में अमरीकी प्रतिबंधों (सेंक्शन्ज) का असर सामान्यतः नगण्य रहेगा।

जहां तक मूडी द्वारा भारत की क्रेडिट रेटिंग को कम किए जाने का संबंध है, उधार लेने की लागत में वृद्धि का संभावित प्रतिकूल असर केवल उन्हीं परियोजनाओं में महसूस किया जाएगा जिनके लिए बाह्य स्रोतों से निधीयन की आवश्यकता है।

(ग) मार्च, 1998 के अंत तक दूरसंचार क्षेत्र के लिए अनुमोदित कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) 30,725.34 करोड़ रु॰ है जो अनुमोदित कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 19.36 प्रतिशत है।

तथापि, दूरसंचार क्षेत्र के लिए संबंधित अवधि में वास्तविक निवेश (इनफ्लो) 2,508.60 करोड़ रु॰ है जो कुल निवेश (इनफ्लो) का 7.05 प्रतिशत है।

(घ) अभी तक अमरीका आधारित वित्तीय संस्थाओं की ओर से क्रेडिट/गारंटी न देने के कुछेक मामले जानकारी में आए हैं।

(ङ) उक्त प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए सरकार ने सामान्य दृष्टिकोण अपनाया है कि दूसरे देशों को हमारी स्थिति की बेहतर जानकारी कराए जाने तथा साथ ही प्रतिबंधों के फलस्वरूप निवेश में जो भी कमी आए उसे निजी पूंजीगत निवेश द्वारा बढ़ाकर पूरा करने के प्रयास किए जाएं।

सामाजिक वानिकी परियोजनाएं

***481. श्री ए॰एफ॰ गुलाम उस्मानी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में आरम्भ की गई सामाजिक वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) इन परियोजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण और गतिविधियों के लिए वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण दो भागों में किया गया है: पहला भाग निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए पौध वितरण से संबंधित है और दूसरा भाग वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि पर वनीकरण के संबंध में है। सामाजिक वानिकी के भाग के रूप में किये गये वृक्षारोपण कार्य उसमें शामिल हैं।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वनीकरण स्कीमों के अंतर्गत पिछले तीन सालों के दौरान प्रत्येक राज्य में दी गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन सालों के दौरान राज्यवार लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	दी गई वित्तीय सहायता (रुपये लाख में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1022.59
2.	अरूणाचल प्रदेश	333.51
3.	असम	531.47
4.	बिहार	311.25

1	2	3
5.	गोआ	49.09
6.	गुजरात	810.74
7.	हरियाणा	1321.92
8.	हिमाचल प्रदेश	961.47
9.	जम्मू और कश्मीर	1555.51
10.	कर्नाटक	1508.72
11.	केरल	504.72
12.	मध्य प्रदेश	2029.16
13.	महाराष्ट्र	500.75
14.	मणिपुर	1208.98
15.	मेघालय	181.85
16.	मिजोरम	1135.63
17.	नागालैंड	57.46
18.	उड़ीसा	575.84
19.	पंजाब	989.01
20.	राजस्थान	1942.86
21.	सिक्किम	1017.45
22.	तमिलनाडु	489.49
23.	त्रिपुरा	397.24
24.	उत्तर प्रदेश	2645.98
25.	पश्चिम बंगाल	842.61
	योग	22925.30

विवरण-II

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए राज्यवार/वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्षेत्र हैक्टेयर में
पौध लाख में

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1995-96				1996-97				1997-98			
		लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य		उपलब्धियां	
		पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षा-रोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व-जनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षा-रोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व-जनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षा-रोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व-जनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षा-रोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व-जनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षा-रोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व-जनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षा-रोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व-जनिक भूमि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	1100.00	45000.00	1436.40	75782.00	1100.00	50000.00	1425.30	114667.00	1100.00	50000.00	2027.29	135185.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.00	9078.00	7.00	9078.00	6.00	9500.00	6.00	6613.00	7.00	10000.00	16.00	6317.00
3.	असम	27.50	27500.00	27.09	16497.00	25.00	27500.00	48.68	18517.00	25.00	27000.00	25.00	3642.00
4.	बिहार	825.00	55000.00	161.00	5423.00	500.00	40000.00	78.50	9296.00	500.00	40000.00	110.33	14222.00
5.	गोवा	38.50	2090.00	25.72	1327.00	30.00	1800.00	23.00	1351.00	30.00	1800.00	13.74	1123.00
6.	गुजरात	1650.00	59400.00	1707.65	67101.73	1908.00	65597.00	2110.20	89393.00	1900.00	65000.00	1919.04	62866.00
7.	हरियाणा	250.00	29700.00	51.94	33438.00	200.00	32000.00	73.73	23235.00	200.00	32000.00	33.57	17931.00
8.	हिमाचल प्रदेश	22.00	26200.00	35.74	29976.00	20.00	28000.00	26.98	27503.00	20.00	30000.00	30.38	28000.00
9.	जम्मू और कश्मीर	60.00	22000.00	60.51	23000.00	60.00	24000.00	59.85	24927.00	60.00	24000.00	60.00	22125.00
10.	कर्नाटक	495.00	52800.00	310.88	65712.00	400.00	65000.00	235.75	60637.00	400.00	65000.00	256.35	52423.05
11.	केरल	330.00	17600.00	45.40	15302.49	180.00	19000.00	45.46	15168.00	180.00	19000.00	10.98	3350.00
12.	मध्य प्रदेश	495.00	148500.00	599.22	156533.45	450.00	150000.00	169.88	117623.00	450.00	150000.00	457.73	139211.00
13.	महाराष्ट्र	1100.00	133100.00	1017.96	120139.00	1150.00	126000.00	864.16	10781.00	1150.00	126000.00	938.02	91910.00
14.	मणिपुर	33.00	11000.00	11.85	9105.00	25.00	12000.00	15.50	12230.00	25.00	12000.00	7.06	4403.00
15.	मेघालय	82.50	22000.00	87.98	3274.00	40.00	18000.00	47.80	1622.00	40.00	18000.00	71.33	3978.00
16.	मिजोरम	22.00	19800.00	22.49	12205.00	22.00	19800.00	67.59	9327.00	22.00	19800.00	10.97	8589.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	नागालैंड*	82.50	8250.00	74.70	44.00	60.00	8000.00			60.00	8000.00		
18.	उड़ीसा	330.00	79200.00	576.02	112110.00	300.00	79000.00	811.88	93371.00	300.00	79000.00	436.70	83825.00
19.	पंजाब	49.50	18700.00	80.16	10526.00	52.00	20000.00	88.56	8825.00	52.00	20000.00	65.86	5046.00
20.	राजस्थान	330.00	86900.00	388.32	95280.00	380.00	76550.00	399.41	83440.00	400.00	83000.00	370.64	58166.00
21.	सिक्किम	22.00	10120.00	25.00	10120.00	22.00	11000.00	22.00	9586.00	22.00	11000.00	22.58	9966.86
22.	तमिलनाडु	1100.00	82500.00	1112.00	92208.00	1100.00	85000.00	1104.64	73501.00	1100.00	85000.00	1146.10	94325.00
23.	त्रिपुरा	23.65	8500.00	21.72	12078.00	23.00	10000.00	41.19	9034.00	40.00	10000.00	78.58	8650.00
24.	उत्तर प्रदेश	2000.00	101200.00	2285.43	84326.00	2200.00	110000.00	2121.24	92790.00	2200.00	110000.00	1977.70	88052.00
25.	पश्चिम बंगाल	833.80	41800.00	681.19	38509.00	825.00	44000.00	556.00	21500.00	825.00	44000.00	228.00	18285.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5.00	3300.00	5.40	383100	5.00	3300.00	5.05	4019.86	5.00	4500.00	1.38	3462.00
27.	चंडीगढ़	0.00	495.00		140.00	0.10	500.00	0.19	666.00	0.10	500.00	0.56	66.00
28.	दादर व नगर हवेली	15.95	1100.00	13.85	980.00	16.00	1000.00	10.00	300.00	16.00	1000.00	7.00	300.00
29.	दमन और दीव	1.10	165.00	1.93	41.00	2.00	100.00	3.18	3.00	2.00	50.00	0.40	138.00
30.	दिल्ली*	15.00	500.00	26.81	1072.00	25.00	1000.00	23.42	936 00	25.00	1000.00	3.64	
31.	लक्षद्वीप	4.51	66.00	4.62	69.00	5.00	72.00	4.22	62.00	5.00	75.00	1.97	22.00
32.	पांडिचरी	4.40	220.00	5.71	182.00	5.00	78.00	5.15	78.33	5.00	75.00	6.73	58.71
	योग	11354.91	1123784.00	10911.99	1105431.00	11136.00	1137797.00	10494.51	941002.89	11166.10	1146800.00	10335.63	965638.15

* 1997-98 के लिए नागालैंड और दिल्ली से पूरी प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त नही हुई हैं।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करना

4598. डा॰ जयंत रंगपी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के अंतर्गत कारबी अंगलांग और उत्तरी काचर पर्वतीय क्षेत्रों में विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए संगत अधिनियम में कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और ऐसे परिसर स्थापित करने के लिए किन औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को पूरा किए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) उच्च शिक्षा के तीव्र और गुणात्मक प्रसार के लिए असम के पर्वतीय क्षेत्रो में ऐसे विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) असम विश्वविद्यालय अधिनियम के खंड (3) के उप-खंड (2) में यह प्रावधान है कि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे अन्य स्थानों पर परिसर स्थापित करता है जहां वह उपयुक्त समझता है। अधिनियम के खंड (6) में यथा उल्लिखित क्षेत्राधिकार में असम राज्य के कछार, करीगंज, उत्तरी पर्वतीय कछार कार्बो अंगलोंग और हैलाकंडी के जिले शामिल हैं।

(ग) असम विश्वविद्यालय को एक स्वायत्त निकाय होने के नाते उन पर्वतीय क्षेत्रों में परिसर स्थापित करने का अधिकार है जहां वह उपयुक्त समझता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

4599. श्री गिरिधर गमांग :
श्री रंजीब बिस्वाल :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1998 के अंत तक उड़ीसा में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) इसी अवधि तक अन्य राज्यों में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ग) प्रत्येक राज्य में शेष गांवों के विद्युतीकरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने नौंवी योजना के दौरान गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या योजना बनाई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) उड़ीसा में मार्च 1998 तक 33625 गांवों को विद्युतीकरण किया गया है। (आंकड़े अनंतिम हैं।

(ख) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार मार्च, 1998 तक अन्य राज्यों (उड़ीसा को छोड़कर) और संघ शासित क्षेत्रों में 468235 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है। राज्यवार उपलब्धिया संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) वर्ष 1998-99 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिये गए हैं।

(घ) और (ङ) योजना आयोग को अभी 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी कार्यक्रम को अन्तिम रूप प्रदान करना है। ग्रामीण विद्युतीकरण एक सतत प्रक्रिया है, और देश में शेष गांवों का विद्युतीकरण राज्यों के पारेषण एवं वितरण सुविधाओं, विद्युत उत्पादन क्षमता और अन्य संबंधित निवेशों के आधार पर नौंवी और उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में किया जाएगा।

विवरण-I

मार्च, 1998 तक गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति

क्र.सं.	राज्य	गांवों की संख्या (1991 की जनगणना अनुसार)	31.3.98 तक उपलब्धियां (अनंतिम)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	26586	26586
2.	अरूणाचल प्रदेश	3649	2112
3.	असम	24685	18999
4.	बिहार	67513	47839
5.	गोवा	360	360
6.	गुजरात	18028	17936
7.	हरियाणा	6759	6759
8.	हिमाचल प्रदेश	16997	16635
9.	जम्मू व कश्मीर	6477	6301
10.	कर्नाटक	27066	26446
11.	केरल	1384	1384
12.	मध्य प्रदेश	71526	67959
13.	महाराष्ट्र	40412	40412

1	2	3	4
14.	मणिपुर	2182	1940
15.	मेघालय	5484	2494
16.	मिजोरम	698	682
17.	नागालैंड	1216	1193
18.	उड़ीसा	46989	33625
19.	पंजाव	12428	12428
20.	राजस्थान	37889	35252
21.	सिक्किम	447	405
22.	तमिलनाडु	15822	15822
23.	त्रिपुरा	855	803
24.	उत्तर प्रदेश	112803	87079
25.	पश्चिम बंगाल	37910	29319
	जोड़	586165	500770
	केन्द्र शासित क्षेत्र	1093	1090
	कुल जोड़	587258	501860

विवरण-II

वर्ष 1998-99 में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित गांवों का विद्युतीकरण

क्र.सं.	राज्य	गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश*	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	100
3.	असम	50
4.	बिहार	500
5.	दिल्ली*	0
6.	गोवा	0
7.	गुजरात*	0
8.	हरियाणा*	0
9.	हिमाचल प्रदेश*	0
10.	जम्मू व कश्मीर	10
11.	कर्नाटक	0
12.	केरल	0
13.	मध्य प्रदेश	350
14.	महाराष्ट्र*	0
15.	मणिपुर	40
16.	मेघालय	40
17.	मिजोरम	15
18.	नागालैंड*	0
19.	उड़ीसा	500
20.	पंजाब	0
21.	राजस्थान	500
22.	सिक्किम*	0
23.	तमिलनाडु*	0
24.	त्रिपुरा	20
25.	उत्तर प्रदेश	500
26.	पश्चिम बंगाल	175
	जोड़	2800

* शत-प्रतिशत विद्युतीकृत स्तर प्राप्त घोषित राज्य।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली में सुधार

4600. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकार द्वारा शुरू किये गये विद्युत सुधारों में आन्ध्र प्रदेश को मदद देने पर सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार किन-किन परियोजनाओं पर वित्तीय सहायता देने पर सहमत हुई है;

(घ) क्या राज्य ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 16,000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने की योजना बनायी थी, परन्तु वह इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार की प्रस्तावित योजना क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने विद्युत क्षेत्र के सुधारों और पुर्नगठन के

लिए विश्व बैंक सहायता के लिए अनुरोध किया है और आंध्र प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1998 को पारित किया है, जिसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी प्रतीक्षित है। इस विधेयक में राज्य में विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना और उत्पादन, पारेषण व वितरण हेतु राज्य विद्युत बोर्ड के पृथक घटकों में विकेन्द्रीकरण करने का प्रावधान है। भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में आरम्भ किए गए सुधारों का समर्थन किया है।

(ग) आंध्र प्रदेश में 31.5.98 को निर्माणाधीन विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) आठवीं योजना के लिए 1303.6 मे.वा. के क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 1482.4 मे.वा. थी। नौंवी योजना के लिए क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

दिनांक 31.5.98 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सूची

(सभी आंकड़े मिलियन दाता मुद्रा में)

परियोजना का नाम	ऋण राशि	दाता	अंतिम तिथि	वर्ष के लिए बजटीय आकलन	संवितरण (अप्रैल, 98 से मई, 98 तक)	संचयी संवितरण (मई, 98 तक)	अनारहित शेष राशि (यथा दिनांक मई, 98 को)
400 केवी श्रीसेलम बायां तट विद्युत पारेषण स्कीम	3886	ओईसीएफ	19.04.00	2695	51.677	599	3247
400 केवी श्रीसेलम बायां तट विद्युत गृह पारेषण स्कीम	9546	-वही-	12.04.01	2000	133.487	470.892	9075.108
श्री सेलम बायां तट विद्युत केन्द्र परियोजना	26101	-वही-	31.12.98		18.170	25675.579	425.421
श्री सेलम बायां तट विद्युत केन्द्र परियोजना	22567	-वही-	12.04.01	9752.326	799.269	16984.435	5582.565
श्री सेलम बायां तट विद्युत केन्द्र परियोजना	144999	-वही-	16.02.03		3.215	692.109	13806.89
कथागुडम "क" ताप विद्युत केन्द्र परियोजना	5092	-वही-	12.04.02	891.00		3191.253	1900.747
सिम्हादी एवं विजाग पारेषण प्रणाली	10629	-वही-	19.02.03	594			10629.000
आ.प्र. ऊर्जा कार्यकुशलता परियोजना	42.7	यू.के.	31.12.98	2.684		4.50	38.200

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र

4601. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिले-वार वन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान वन क्षेत्र अन्तरराष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन क्षेत्र बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इस संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1997 के अनुसार उत्तर प्रदेश का रिकार्ड किया गया वन क्षेत्र 51,663 वर्ग कि.मी. है जो इस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.54 प्रतिशत है तथा वन आवरण

33,994 वर्ग कि.मी. है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 11.5 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में वन आवरण का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वन क्षेत्र के बारे में कोई अन्तरराष्ट्रीय मानक निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय वन नीति, 1998 में यह राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम एक तिहाई हिस्सा वन/वृक्ष आवरण के अंतर्गत होना चाहिए।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन आवरण में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :-

(i) राज्य सरकार द्वारा उसके अपने संसाधनों के साथ-साथ भारत सरकार और विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से वनीकरण कार्यक्रम चलाए गए।

(ii) संयुक्त वन प्रबंधन दिशानिर्देशों के अनुसार अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरूद्भव में ग्रामीण समुदायों को शामिल किया गया।

(iii) वन भूमि के अपवर्तन को नियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(iv) सुरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क की स्थापना की गई है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य सरकार ने 72,025 हैक्टेयर सरकारी भूमि के साथ-साथ वन-भूमि पर रोपण कार्य प्रारम्भ किया है और निजी भूमि पर रोपण हेतु 3105 लाख पौधे (सीडलिंग) वितरित किए हैं। राज्य सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन दिशानिर्देशों के अनुसार अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरूद्भव के लिए 4021 ग्रामीण वन समितियों का गठन किया है। 13,487.57 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अधीन लाया गया है।

विवरण

वर्ष 1997 के मूल्यांकन के अनुसार उत्तर प्रदेश में राज्य वार वन -आवरण

(वर्ग कि.मी.)

जिला	भोगोलिक क्षेत्र	वन-आवरण
1	2	3
आगरा	4,027	179
अलीगढ़	5,019	2
इलाहाबाद	7,261	51
अल्मोड़ा	5,385	2,537
आजमगढ़	4,234	3
बहराइच	6,877	803
बलिया	2,982	–
बांदा	7,624	603
बाराबंकी	4,401	22
बरेली	4,120	-
बस्ती	3,733	12
बिजनौर	4,561	338
बदायूं	5,168	10
बुलन्दशहर	4,352	22
चमोली	9,125	3,152
देहरादून	3,088	1,570
देवरिया	5,445	8
एटा	4,446	8
इटावा	4,326	142
फैज़ाबाद	4,511	4
फरूखाबाद	4,274	7
फतेहपुर	4,152	3
फिरोजाबाद	2,361	29
गढ़वाल	5,440	3,176
गाजियाबाद	2,590	11
गाजीपुर	3,377	1
गोंडा	7,352	602
गोरखपुर	6,272	469
हमीरपुर	7,165	181
हरदोई	5,986	18
हरद्वार	2,360	585
जालोन	4,565	132
जौनपुर	4,038	6
झांसी	5,024	143
कानपुर-नगर	1,065	5
कानपुर-देहात	5,111	5
खेड़ी	7,680	1,310
ललितपुर	5,039	536
लखनऊ	2,528	29

1	2	3
मेनपुरी	2,760	-
मथुरा	3,811	16
मऊ	1,713	4
मेरठ	3,911	28
मिर्जापुर	4,522	738
मुरादाबाद	5,967	21
मुजफ्फरनगर	4,009	33
नैनीताल	6,794	3,568
पीलीभीत	3,499	706
पिथौरागढ़	8,856	2,996
प्रतापगढ़	3,717	2
राय बरेली	4,609	13
रामपुर	2,367	36
सहारनपुर	3,689	325
शाहजहानपुर	4,575	97
सिद्धार्थनगर	3,495	24
सीतापुर	5,743	13
सोनभद्रा	6,788	2,450
सुल्तानपुर	4,436	13
टेहरी गढ़वाल	4,421	2,560
उत्तरकाशी	8,016	3,099
उन्नाव	4,558	14
वाराणसी	5,091	524
कुल	2,94,411	33,994

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में वी. एल.पी.टी./एल.पी.टी

4602. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में वी.एल.पी.टी. और एल.पी.टी. केन्द्र सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और दूरदर्शन प्रसारण के अक्सर खराबी आती रहती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्रों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में उपग्रह भू-केन्द्र ठीक काम नहीं करते और प्राधिकारी उक्त केन्द्रों की तत्काल मरम्मत नहीं करवाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सभी अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के वर्तमान में सामान्य रूप से काम करने की सूचना मिली है।

(ग) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कोई भू-केन्द्र नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर

4603. **श्री महेश कनोडिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गुजरात में इस समय कितने कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) उनकी वर्तमान ट्रांसमिशन रेंज और क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनके ट्रांसमीटरों की ट्रांसमिशन रेंज बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) गुजरात में सभी अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के सामान्य रूप से काम करने की सूचना मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूरत और बड़ोदरा में मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं।

केरल में डाकघर खोलना

4604. **श्री जी॰एम॰ बनातवाला : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान केरल, विशेषकर पोन्ननी क्षेत्र में जिलावार कितने नए डाकघर, शाखा/उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य में डाक और मेल कार्यालयों के आधुनिकीकरण सहित डाक सेवाओं के सुधार हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) वर्ष 1998-99 में केरल सर्किल में डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य निम्नानुसार हैं :-

2 उपडाकघर, 10 शाखा डाकघर

पोन्नन परिक्षेत्र (तिरूर डाक डिवीजन) में डाकघर खोलने का कोई भी औचित्य सम्मत प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) केरल में, नीचे दर्शाए गए वितरण के अनुसार, 54 डाकघरों, 3 मेल कार्यालयों तथा 1 विदेश डाकघर को आधुनिक बनाया गया है :-

परिक्षेत्र	मेल कार्यालय	डाकघर	विदेश डाकघर
दक्षिण	1	17	-
मध्य	1	20	1
उत्तर	1	17	-

प्रस्तावित कदम

इस सर्किल का प्रस्ताव आधुनिकीकरण की योजना का इस तरह विस्तार करने का है जिससे समूचे डाक नेटवर्क को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सके। तथापि, इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा जो प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराई गई धनराशि व संसाधनों पर निर्भर करेगा।

गुजरात में चक्रवात से क्षतिग्रस्त हुए आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

4605. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में हाल ही में आए चक्रवात के कारण राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र क्षतिग्रस्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) तूफान से भुज स्थित आकाशवाणी ट्रांसमीटर और जामनगर, वरेवल, पोरबन्दर, मंगरोल, मोरबी, रापड़ एवं द्वारका स्थित टेलीविजन ट्रांसमीटरों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। आकाशवाणी, भुज में विद्युत सप्लाई बाधित हुई थी, एफ.एम. लिंक एन्टेना एवं रेडियो नेटवर्किंग डिश क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा डीजल कक्ष एवं प्रसारण उपस्कर में पानी भर गया था। स्टॉफ क्वार्टर भी प्रभावित हुए थे। कुछ टेलीविजन ट्रांसमीटरों में मस्तूल (मास्ट्स) उखड़/टूट गये थे। सीधे अभिग्रहण सेट क्षतिग्रस्त हो गए थे एवं डीजल जनरेटर कक्षों की छत क्षतिग्रस्त हो गई थी।

आन्ध्र प्रदेश में "बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर" के अंतर्गत उपमार्गों का निर्माण

4606. **श्री एस॰एस॰ ओवेसी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान "बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर" योजना के अंतर्गत बनाई गई उपमार्गों की कुल लम्बाई क्या है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश के वर्तमान समय में सरकार के पास कुल कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ग) कब तक इन प्रस्तावों को मंजूर कर दिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) शून्य

(ख) शून्य

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चंडीगढ़ में विद्युत आपूर्ति के स्रोत

4607. **श्री सत्यपाल जैन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में विद्युत प्राप्ति का अपना कोई स्रोत नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इसे भिन्न-भिन्न स्रोतों से विद्युत खरीदनी पढ़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चंडीगढ़ में विद्युत परियोजना स्थापित करने और पड़ोसी राज्यों में स्थापित विभिन्न संयंत्रों में संघ राज्य क्षेत्र को अपना हिस्सा दिलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) चंडीगढ़ अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति भाख- व्यास प्रबंधन बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र में स्थित केन्द्रय उत्पाद- 63.8 मे.या. आबंटित हिस्से और पड़ोसी राज्यों/क्षे- कर रहा है। अप्रैल-जून 98 की अवधि के - कमी 1.1 प्रतिशत थी और व्यस्-

(ग) और (घ) इस समय चंडीगढ़ में किसी विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, चंडीगढ़ केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं से अपना देय हिस्सा प्राप्त करेगा।

कांडला पत्तन पर खाद्यान्नों की क्षति

4608. श्री ए॰ गणेशमूर्ति : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के तूफान के कारण कांडला पत्तन पर खाद्यान्नों की कुल कितनी क्षति हुई;

(ख) खाद्यान्नों के मालिकों/निर्यातकों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया/किया जाना है;

(ग) क्या पत्तन पर भंडारण माल की आवाजाही के दौरान निजी पार्टियों के चावल के क्षतिग्रस्त होने/प्राकृतिक आपदा ग्रस्त होने/नुकसान होने पर बीमा कराया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) हाल के तूफान में कांडला पत्तन पर कुल 32958 टन खाद्यान्नों की क्षति हुई।

(ख) से (घ) पत्तन पर भंडारण/माल की आवाजाही के दौरान हुई क्षति/हानि के लिए दावों/मुआवजे का निपटारा सामान्यतया खाद्यान्नों के मालिकों/निर्यातकों और संबंधित बीमा कम्पनियों के बीच किया जाता है। बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि खाद्यान्नों की क्षति से संबंधित दावों पर कांडला में निर्यातकों/मालिकों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

4609. श्री मोतीलाल बोरा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके हेल्परों को इस समय किस दर पर मानदेय का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) क्या वे स्वयं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग कर रहे हैं और इस संबंध में सरकार को ज्ञापन दिया गया था।

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन्हें सरकारी कर्मचारी कब तक घोषित कर दिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार उनके लिए कार्य समय भी निर्धारित करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को प्रतिमाह 438-563 रुपये के बीच मानदेय दिया जाता है और आंगनवाड़ी सहायिकाओं 260 रुपये प्रतिमाह निर्धारित राशि मानदेय के रूप में दी जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) स्कीम में यह कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता तथा सहायिकाएं अवैतनिक कार्यकर्त्ता होंगी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्रदूषण के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना

4610. श्री संदीपान थोरात : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी प्रदूषण निवारण उपायों के कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है;

(ग) योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान पता लगाई गई खामियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बेहतर कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभावी निष्पादन के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) सरकार ने प्रदूषण की समस्या को उत्पन्न करने वाली कुछ मुख्य गतिविधियों के संबंध में प्रदूषण निवारण के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्य योजना की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

- अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करना;
- नदियों और झीलों में गन्दा पानी छोड़ने वाले उद्योगों के संबंध में पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित करना;
- बहुत अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता बनाए रखना;
- बड़े शहरों में चरणवार वाहन प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करना;
- ताप विद्युत संयंत्रों के लिए विशेष प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम;
- लघु उद्योगों में अधिक साफ प्रौद्योगिकियों/अपशिष्ट न्यूनीकरण को अपनाना;
- शोर प्रदूषण का मूल्यांकन और नियंत्रण;

सरकार ने हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक व्यापक समयबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें कई गतिविधियां शामिल हैं जैसे औद्योगिक, वाहनीय, वायु, जल और शोर प्रदूषण, नागरिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध, मानक तैयार करना, पर्यावरणीय जानपदिक रोगीय अध्ययन, खतरनाक और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग तथा ताप विद्युत संयंत्रों से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों की 14.7.98 को हुई बैठक में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम परिचालित किया गया था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की टिप्पणियां/विचार प्राप्त होने के तत्काल बाद ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों/कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा कर रही हैं। स्कीमों की समीक्षा से कुछ कमियों का पता चला है जिनमें आधारभूत सुविधाओं की कमी, संसाधनों की कठिनाई, व्यावसायिक जल-शक्ति की कमी और एक व्यापक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का अभाव शामिल हैं। सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को अपनी प्रयोगशालाओं को सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ विश्लेषणात्मक और मानीटरन क्षमताओं को बढ़ाया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन

4611. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कितने पंचायत मुख्यालयों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) कितने पंचायत मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा टावर प्रणाली तथा कितने पंचायत मुख्यालयों में टलीफोन सुविधा केबल लाइन के द्वारा प्रदान की गई है; और

(ग) टॉवर प्रणाली से जुड़े पंचायत मुख्यालयों में केबल बिछाने का काम कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) मध्य प्रदेश में कुल 9,128 पंचायत मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) टावर केबलों तथा ओवरहैड लाइनों पर प्रदान की गई टेलीफोन सुविधा निम्न प्रकार हैं :-

टावर प्रणाली	11,052
केबल	शून्य
ओवहर हैड लाइनें	10,946

(ग) ऐसी कोई योजना नहीं है।

स्कूल इमारतों और शिक्षकों का अभाव

4612. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के भवन नहीं हैं और विद्यार्थियों को खुले में पढ़ाया जाता है तथा वहां शिक्षकों की भी भारी कमी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण 1993 के अनुसार 30.9.1993 तक उत्तर प्रदेश में 2404 प्राथमिक स्कूल थे जहां खुले स्थानों में कक्षाएं चल रही हैं।

आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों में 33283 कक्षा कक्षों का निमाण किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए निधियां राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा आंशिक आधार पर प्रदान की जाती है।

आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत, एकल शिक्षक प्राथमिक स्कूलों को द्वि शिक्षक स्कूल बनाने के लिए, शिक्षकों के 8891 पद संस्वीकृत किए गए हैं। 100 से अधिक के नामांकन सहित प्राथमिक स्कूलों में तीसरे शिक्षक के 11800 पद भी संस्वीकृत किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति और प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण कार्य भी शुरू कर लिया गया है।

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग कॉलेज

4613. **डा॰ रामविलास वेदान्ती :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं;

(ख) इन सभी कॉलेजों में प्रति वर्ष कुल कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाता है; और

(ग) ए.आई.सी.टी.ई. के पास स्वीकृति के लिए राज्य-वार कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) देश में राजकीय और प्राइवेट इंजीनियरी कॉलेजों की कुल संख्या और उनमें संस्वीकृत

दाखिला क्षमता निम्न प्रकार है :-

	इंजीनियरी कॉलेज	संस्वीकृत दाखिला क्षमता
राजकीय	207	47207
प्राइवेट	361	88522

(ग) प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद लम्बित अन्तिम मंजूरी वाले मामलों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित हैं :-

1.	मध्य प्रदेश	1
2.	उड़ीसा	1
3.	उत्तर प्रदेश	4
4.	दिल्ली	1
5.	हरियाणा	1
6.	पंजाब	1
7.	तमिलनाडु	1
8.	आन्ध्र प्रदेश	9
9.	केरल	3
10.	महाराष्ट्र	8
11.	गुजरात	1

नियमों का उल्लंघन

4614. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 01.06.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 849 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कसोरागोड केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 ने चालू शैक्षणिक वर्ष से विद्यालय में प्रवेश बन्द करके सरकार के निर्णय का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय सं. 1, कसारगोड सेन्ट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना क्षेत्र का विद्यालय है। परियोजना क्षेत्र के प्राधिकारियों से प्राप्त एक अनुरोध पर विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा- 1 के लिए दाखिलों पर रोक लगा दी गई है। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को निदेश दिया है कि वे इस मामले पर विचार करें और अधिकतम 11.9.98 तक तीन महीनों के अन्दर कोई निर्णय लें। इस बीच, इस मामले पर मंत्रालय में विचार किया गया और कक्षा एक में दाखिलें फिलहाल बहाल किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

4615. श्री बी॰एस॰ मेनसिंकाई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 24.11.97 के अतारांकित प्रश्न संख्या 789 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना/ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम और पदनाम	विशेष शिकायत	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	श्री पूरन चन्द, संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)	रॉकवुड स्कूल, नोयडा के सम्बन्ध में + 2 के तहत XII स्तर तक उन्नयन सम्बन्ध में रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने में विलम्ब। (+ 2 योजना)	श्री पूरन चन्द के विस्तारित उत्तर के आधार पर मामले को बन्द कर दिया गया था।
2.	डा॰ पी॰सी॰ शर्मा शिक्षा अधिकारी	श्री ए.टी.सी.गिरी, तकनीकी अधिकारी के परिवार को सताया जाना	शिकायत की पैरावार समीक्षा के आधार पर मामले को बन्द कर दिया गया था।

1	2	3	4
3.	श्री वी॰के॰ गुप्ता, सहायक आयुक्त (प्रशासन)	अधीक्षक (प्रशासन) की विभागीय परीक्षा में बैठने में अभ्यर्थियों को अनुचित पक्षपात किया जाना।	सबूत की कमी के कारण इस मामले को छानबीन के लिए नहीं समझा अतः मामले को बन्द कर दिया गया।
4.	श्री के॰के॰ भट्ट, पूर्व सहायक आयुक्त (दिल्ली क्षेत्र)	स्थानांतरण में अनियनतता	अज्ञात नाम से शिकायत होने के कारण मामले को बन्द कर दिया गया है।
5.	श्री सी॰ भीमन्ना, पूर्व संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)	अनुचित पक्षपात और अपनी स्थिति का नाजायज फाजदा	मामले को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सतर्कता विभाग को भेज दिया गया है।
6.	डा॰ टी॰एन॰ गोस्वामी, उप आयुक्त (प्रशासन)	अपनी चार पुत्रियों को अनियमित नियुक्तियां तथा दाखिले	जांच रिपोर्ट के आधार पर अनियमित प्रवेशों को रद्द कर दिया गया है। अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में मामले की जांच सम्बन्धित सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है जो कि सक्षम प्राधिकारी है।
7.	श्री ए॰के॰ सैक्सैना, कार्यपालक इंजीनियरी, के.वि.सं.	वरिष्ठ अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार	श्री सैक्सैना के स्पष्टीकरण के आधार पर मामले को बन्द कर दिया गया है।
8.	श्री पूरन चन्द, संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)	ऊंची दरों पर कम्प्यूटरों की खरीद	प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट सी.बी.आई. से प्राप्त हो गई है और उसकी छानबीन चल रही है।
9.	श्री एस॰डी॰ शर्मा, पूर्व–शिक्षा अधिकारी	वित्तीय अनियमितताएं इत्यादि	सहायक आयुक्त (दिल्ली क्षेत्र) से कहा गया है कि वह मुद्दों को तय करें जहां भी सम्भव है और केस की छानबीन करने के लिए सर्तकता की दृष्टि से पैराग्राफों को भेजें।
10.	डा॰ (श्रीमती) एस॰ ग्रोवर, प्रधानाचार्य	अनियमित खरीद तथा घटिया प्रशासन	रिपोर्ट प्राप्त हो गई तथा मामले को बन्द करने के लिए प्रस्तुत की गई क्योंकि आरोप साबित नहीं हुए।
11.	श्रीमती एस॰ सैम्प्सन, प्रधानचार्य (सेवानिवृत्त)	अनियमित खरीद	विस्तृत जांच के आदेश दिये गये हैं।
12.	डा॰ वी॰पी॰ गर्ग, प्रधानाचार्य	बैंक संबंधी कार्य में अनियमितता और जाली स्थानांतरण प्रमाण पत्रों के आधार पर दाखिला	विस्तृत जांच के लिए छानबीन की जा रही है
13.	श्री एन॰एस॰ मिश्रा, प्रधानाचार्य	श्रीमती एस॰एल॰ त्रिवेदी, टी॰जी॰टी॰ गणित की अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करना	मनगंढ़त शिकायत । बन्द समझी जाए।
14.	श्रीमती एस॰ मल्होत्रा, प्रधानाचार्य (सेवानिवृत्त)	समूह "घ" के कर्मचारियों को सताना	सहायक आयुक्त द्वारा कार्रवाई की गई। अतः मामले को बन्द समझा जाये।
15.	श्रीमती (ऊषा स्वामी, प्रधानाचार्य)	गैर कानूनी कार्यकलाप जैसे सी.बी.एस.सी. के पेपरों की जांच के लिए विषय वाले अध्यापकों की अनुमति न देना	मामला अदालत में है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
16.	डा॰ निहारिका, प्रधानाचार्य	समूह "घ" के कर्मचारियों को सताना	जांच सहायक आयुक्त द्वारा की गयी और दो समूह "घ" कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया।
17.	डा॰ निहारिका, प्रधानाचार्य	एक छात्र पवन भाटिया (अनु.जा.) को सताना	अनु.सूचित जाति/अनु.जन जाति आयोग को 28.1.97 को भेज दिया गया।
18.	श्रीमती एस॰ गंगल, प्रधानाचार्य (सेवानिवृत्त)	ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान विद्यालय में न आना और अनुत्तीर्ण छात्रों को पास करना।	जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई। सहायक आयुक्त ने मामले को बन्द करने की सिफारिश की है। फाईल उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई है।
19.	श्री एस॰एस॰ सहरावत, प्रधानाचार्य	-	प्रधानाचार्य से टिप्पणियां प्राप्त हो गई और उनकी जांच सहायक आयुक्त दिल्ली द्वारा की जा रही है।
20.	श्रीमती ए॰एन॰ सिद्दकी, प्रधानाचार्य	खरीद में भूल चूक होना तथा अनियमित्ताओं का होना।	दिल्ली क्षेत्र के सहायक आयुक्त से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
21.	श्री आर॰एस॰ राम, प्रधानाचार्य	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय निधियों में अनियमितताएं	रिपोर्ट प्राप्त हो गई और मामला बन्द कर दिया गया। सम्बन्धित शिक्षक के खिलाफ सहायक आयुक्त दिल्ली क्षेत्र द्वारा कार्रवाई की गई है।
22.	श्री आर॰पी॰ सैनी, प्रधानाचार्य	बस रूट का विस्तार	सहायक आयुक्त, दिल्ली से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
23.	श्री एस॰एस॰ तोमर, प्रधानाचार्य	स्कूल में असंतोषजनक अध्ययन	रिपोर्ट प्राप्त हो गयी। सहायक आयुक्त के मामले को बंद करने की सिफारिश की है। क्योंकि कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, फाइल प्रस्तुत की गई।
24.	श्री अनिल कुमार, उपाध्याय, प्रधानाचार्य	शिक्षकों तथा छात्रों को परेशान करना और अवैध प्रवेश।	सहायक आयुक्त दिल्ली से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
25	श्री रेखा कुमार, प्रधानाध्यापिका,	श्री आर॰के॰ गोयल, पी.जी.टी. (हिन्दी) को परेशान करना एवं प्रताड़ित करना।	-वही-
26.	श्री आर॰ कुमार, प्रधानाध्यापक	शिक्षकों को यौन संबंधी प्रताड़ना और शौचालयों का गंदा होना	-वही-
27.	श्रीमती निर्मल गोयल, प्रधानाध्यापिका	विद्यालय के टेलीफोन और प्रधानाध्यापक के कमरे को ताला लगाना	रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।
28.	श्री आर॰के॰ चौधरी, प्रधानाचार्य	प्रवेशों में अनियमितताएं	सहायक आयुक्त, दिल्ली द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
29.	श्रीमती रेखा कुमार, प्रधानाचार्य	कक्षा IX के एक छात्र का परिणाम।	मामले की जांच की जा रही है।

1	2	3	4
30.	श्रीमती एस॰ कपूर, प्रधानाचार्या	अ.भा.के.वि.शि.सं. के पदाधिकारी द्वारा विद्यालय के टेलीफोन का दुरूपयोग	मामले की जांच की जा रही है।
31.	कुमारी एस॰ मल्होत्रा, प्रधानाचार्या (सेवानिवृत्त)	प्रधानाचार्या के रूप में विस्तार अवधि पर ग्रुप "डी" को आरोप पत्र जारी करना	इस मामले पर कि क्यों वे ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हैं। के.वि.सं. (मुख्यालय) से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
32.	श्रीमती उषा स्वामी, प्रधानाचार्या	लाइब्रेरी रिकार्ड में उलटफेर करना	सहायक आयुक्त, दिल्ली क्षेत्र द्वारा राय मांगी गई है। मामला न्यायालय में लंबित है जैसा कि दिल्ली क्षेत्र द्वारा सूचित किया गया।
33.	श्री सी॰डी॰ धींगरा	भ्रष्ट कार्य-व्यवहार	सहायक आयुक्त, दिल्ली क्षेत्र से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
34.	श्री एस॰एन॰ घोष, प्रधानाचार्य (सेवानिवृत्त)	वित्तीय अनियमितताएं	हाल ही में सहायक आयुक्त दिल्ली की रिपोर्ट एवं टिप्पणियां प्राप्त हुई। जिनकी जांच की जा रही है।
35.	श्री वी॰पी॰ गर्ग, प्रधानाचार्य	वित्तीय अनियमितताएं और गबन आदि	सहायक आयुक्त, दिल्ली क्षेत्र से रिपोर्ट पर अपनी राय देने को कहा गया है।
36.	श्री पी॰एन॰ धींगरा, प्रधानाचार्य	परेशान करना, आदि	सहायक आयुक्त, दिल्ली क्षेत्र से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
37.	श्री जी॰एच॰ यादव, प्रधानाचार्य	प्रवेश में अनियमितताएं	-वही-
38.	श्री आर॰के॰ गौतम, प्रधानाचार्य	प्रधानाचार्य के रूप में अनियमित नियुक्ति आदि	प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्ति रद्द कर दी गई और पी.जी.टी. के पद पर पदावनत किया गया।
39.	श्री के॰के॰ झिगरन, प्रधानाचार्य (सेवानिवृत्त)	अनियमित खरीददारियां, क्वार्टर का बिना बारी का आबंटन और स्थानांतरण प्रमाण पत्र में जाली प्रवेश।	स्थापना-II अनुभाग द्वारा सहायक आयुक्त, दिल्ली से मांगी गई रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
40.	श्री जी॰एच॰ यादव, प्रधानाचार्य	प्रवेश में अनियमितता	शैक्षिक शाखा द्वारा सहायक आयुक्त, दिल्ली से संबंधित रिकार्ड की प्रतीक्षा की जा रही है।
41.	श्री डी॰एल॰ कपूर, प्रधानाचार्य	छात्र पर अत्याचार	शैक्षिक शाखा द्वारा संबंधित अधिकारी की टिप्पणियों की प्रतीक्षा।
42.	डा॰ पी॰एल॰ धींगरा, प्रधानाचार्य	खराब प्रशासन, आदि	-वही-
43.	डा॰ (श्रीमती) निहारिका, प्रधानाचार्या	अनुशासनहीनता	-वही-
44.	श्री आर॰के॰ चौधरी, प्रधानाचार्य	वार्षिक परीक्षा परिणाम में पक्षपात	-वही-
45.	श्री जेड॰एस॰ चिकारा, प्रधानाचार्या	-वही-	-वही-
46.	श्रीमती आशा मोहन, प्रधानाचार्या	खराब प्रशासन	-वही-

1	2	3	4
47.	श्री एम॰एल॰ शर्मा, प्रधानाचार्य	पहली कक्षा की प्रवेश सूची में कमियां	शैक्षिक शाखा द्वारा संबंधित अधिकारी की टिप्पणियों की प्रतीक्षा।
48.	श्री आर॰ कुमार, प्रधानाचार्य	विद्यालय में अनुशासनहीनता	इस शिकायत में कोई सार नहीं आया। मामले को बंद कर दिया गया।
49.	श्रीमती लिज्जी जैकब, पूर्व-आयुक्त	* अपने पति जो कि कृषि मंत्रालय के पशुपालन विभाग में संयुक्त सचिव हैं के साथ दिल्ली के बाहर धोखेबाजी से दौरे किए। * झूठे यात्रा भत्ता दावे। * हवाई यात्रा के बारे में झूठा प्रमाण-पत्र। * नियमों के विरुद्ध परामर्शदाता की अवधि का विस्तार। * झूठे चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना। * दिल्ली से बाहर अनधिकृत दौरे। * कार्यालय कमरे के लिए एयर कंडीशनर की अनियमित खरीद। * सी॰एल॰ए॰एस॰एस॰ परियोजना में घपला और निधियों की धोखाधड़ी। * परामर्शदाताओं की अनौचित्यपूर्ण और अनियमित नियुक्ति। * कम्पयूटरों की कपटपूर्ण खरीद। * प्रतिस्पर्धात्मक दरों को प्राप्त करने की व्यापक प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना बीमा एजेन्सी की नियुक्ति करना।	केन्द्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त मूल मिसिलों/प्रलेखों की मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग में जांच की जा रही है।

टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

4616. डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में तमिलनाडु में टेलीफोन-कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में जिला-वार कितने व्यक्ति दर्ज हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन आंवटित किए गए; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में प्रतीक्षा-सूची का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 30.6.98 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची के जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) तमिलनाडु में प्रतीक्षा-सूची का निपटान करने के लिए 1998-99 के दौरान 3.95 लाख नए टेलीफोन-कनेक्शन प्रदान करने की योजना है।

विवरण-I

30.6.98 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची।

गौण स्विचन क्षेत्र/जिले का नाम	30.6.98 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	गौण स्विचन क्षेत्र/जिले का नाम	30.6.98 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	1	2
चिंगलपुत	9199	पांडिचेरी	5537
कोयंबटूर	40577	सलम	26127
कुड्डालोर	13432	भंजा	17656
धर्मापुरी	11118	कुबकोणम (सीआरओएन)	13707
इरोड	10158	तिरूनेल्वेली	7112
करैकुडी	10554	त्रिची	30934
मदुरै	26316	ट्यूटीकोरिन	7264

1	2	1	2
नागरकॉइल	10298	वेल्लोर	20867
नीलगिरी	4412	विरूद्धनगर	8671
		चैन्नई	75254

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन कनेक्शन आबंटिती

एस एस ए/ जिले का नाम	निवल डी ई एल उपलब्धि 95-96	निवल डी ई एल उपलब्धि 96-97	निवल डी ई एल उपलब्धि 97-98
चिंगलपुट	5770	10306	14014
कोयंबटूर	31286	37770	39101
कुड्डालोर	6266	10120	17705
धर्मापुरी	2050	6061	10548
इरोड	11216	19815	16740
करैकुडी	3660	9707	9335
मदुरै	13341	71800	31234
नागरकॉइल	4603	6000	12010
नीलगिरी	2415	4115	4047
पांडिचेरी	4250	6500	6349
सलेम	19296	17017	31234
थंजावुर	9837	6738	10005
कुबकोणम (सीआरओएन)	-	5304	7943
तिरूनेलवल्ली	9405	11031	11045
त्रिची	10400	15559	32786
ट्यूटीकोरिन	3884	5916	8873
वेल्लोर	6175	10940	15853
विरूद्धनगर	3300	5729	5555
चैन्नई	60348	80066	80160

विद्युत उत्पादन

4617. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 मई, 1998 को 'स्टेटसमेन' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का विद्युत उत्पादन हेतु कुछ राज्य सरकारों को सहायता देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विद्युत की कमी को पूरा करने के लिये, विकसित देशों से कोई तकनीकी सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) केरल सरकार/केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) ने केरल में लघु जल विद्युत के एकीकृत विकास संबंधी चीनी पद्धति के प्रदर्शन हेतु इंटरनेशनल नेटवर्क ऑन स्माल हाइड्रोपावर (आईएन-एसएचवी) जो विश्वस्तर पर लघु जल विद्युत के प्रोत्साहन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और जिसका मुख्यालय चीन में स्थित है, के साथ दो समझौता ज्ञापनों कर हस्ताक्षर किए गए हैं, आईएन-एसएचवी ने उपस्कर हेतु निर्यात ऋण जुटाने का प्रस्ताव किया है। दि चाइनीज नेशनल मशीनरीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन (विदेश व्यापार मंत्रालय के अंतर्गत चीन सरकार का एक उपक्रम) ने चीन सरकार के जरिए दीर्घकालीन ऋण के माध्यम से टर्न-की आधार पर बिहार में तेनुघाट चरण-2 (2 × 210 मे.वा.) का कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव किया है। इस घाटी चरण-2 (2×210 मे.वा.) के कार्यान्वयन हेतु इसी प्रकार का एक प्रस्ताव उड़ीसा सरकार को भेजा गया है।

(ग) और (घ) चालू आर्थिक सहयोग के एक अंग के रूप में विभिन्न विकसित देशों जैसे अमरीका, कनाडा, जापान, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, यू.के. आदि से प्रशिक्षण, परामर्श आर संस्थागत क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्राप्त की जाती है।

केरल में जिला सलाहकार समितियां

4618. श्री एस॰ अजय कुमार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अधिकतर जिला टेलीफोन सलाहकार समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद उन्हें पुनर्गठित नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं, जहां इन समितियों का गठन नहीं किया गया है; और

(ग) कब तक इन समितियों का पुनर्गठन किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) केरल में ग्यारह टेलीफोन सलाहकार समितियों (टीएसी) में से अब तक केवल एक कन्नानूर नामक टी ए सी का गठन नहीं किया गया है।

(ग) मुख्य महाप्रबंधक तथा माननीय संसद सदस्यों/केन्द्रीय मंत्रियों की सिफारिशों के प्राप्त होने पर तथा इनकी जांच होते ही इस टी ए सी के गठन की संभावना है।

इमारती लकड़ी का लाना ले जाना

4619. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 1995 की याचिका संख्या 202 के संबंध में 15 जनवरी, 1998 को जारी आदेशों के पैरा 34 ए की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आदेश/निर्देश उक्त आदेशों के जारी करने से पूर्व जारी की गई इमारती लकड़ी पर भी लागू होते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार जारी की गई इमारती लकड़ी के लाने ले जाने को रोकने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं। रिट याचिका संख्या 202/95 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, दिनांक 15.1.98 में पैरा 34 (ए) नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

समाचार-पत्रों के मूल्यों में वृद्धि

4620. श्री डी॰एस॰ अहिरे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण छोटे और मझोले समाचार-पत्रों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का अखबारी कागज के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी मिलों द्वारा उत्पादित अखबारी कागज के मूल्यों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में कामकाजी महिला होस्टलों के मामले में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

4621. प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

श्री पीताम्बर पासवान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी संगठनों तथा बिहार सरकार की सक्रिय भागीदारी से अब तक स्थापित कामकाजी महिला होस्टलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या राज्य में ऐसे और होंस्टलों की स्थापना करने संबंधी मंजूरी के लिए सरकार के पास अभी भी कोई अनुरोध लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री मुरली मनोहर जोशी) : (क) बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार के लिए सहायता प्रदान करने की महिला एवं बाल विकास विभाग की स्कीम के अन्तर्गत बिहार में गैर-सरकारी संगठनों को 8 कामकाजी महिला होस्टल स्वीकृत किए गए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। स्कीम के तहत, बिहार राज्य सरकार को कोई होस्टल स्वीकृत नहीं किया गया।

(ख) भवन के निर्माण तथा भूमि की लागत के लिए स्कीम के अन्तर्गत केवल अनावर्ती अनुदान ही देय है। स्कीम के अन्तर्गत वार्षिक अथवा आवर्ती अनुदान नहीं दिया जाता है। वर्ष 1995-96 के दौरान, एक गैर-सरकारी संगठन को 79,387 रुपए की राशि, स्कीम के तहत निर्माण सहायता के लिए अनुमोदित अनावर्ती अनुदान की अन्तिम किस्त के रूप में निर्मुक्त की गई थी।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1997-98 के दौरान, बिहार के तीन गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा चलाई जा रही कामकाजी महिला होस्टल चलाने/उनका रख-रखाव करने के लिए सहायता अनुदान स्कीम के अन्तर्गत 37,333 रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

(ग) से (ङ) बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार के लिए सहायता देने की स्कीम के अन्तर्गत बिहार से कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली को कामकाजी महिला होस्टल चलाने/उनका रख-रखाव करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराने की स्कीम के अन्तर्गत तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बोर्ड इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अपेक्षित सूचना एकत्र कर रहा है।

विवरण

क्रम संख्या	संगठन का नाम	स्वीकृति का वर्ष	होस्टल का स्थान	स्वीकृत क्षमता	
				कामकाजी महिलाएं	दिवस देखभाल केन्द्र
1.	कामकाजी महिला होस्टल, पटना	1974-75	पटना	21	-
2.	सुलभ शौचालय संस्थान, पटना	1979-80	रॉची	96	-
3.	तिलोथ महिला मंडल, रोहतास, बिहार	1988-89	तिलोथ गांव, रोहतास	40	-
4.	स्व-रोजगाररत महिला समिति (सेवा) (मिथिला)	1988-89	मधुबनी	30	30
5.	वनवासी सेवा केन्द्र, रोहतास	1988-89	नौहट्टा रोहतास	48	-
6.	सेंट जोसफ कॉलेज तोरपा,	1989-90	तोरपा रांची	120	30
7.	एस॰पी॰एस॰ वोमैंस कॉलेज मुंगेर, बिहार	1990-91	जमुई मुंगेर	40	15
8.	राजेन्द्र शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान, सीतामढ़ी, बिहार	1990-91	सीतामढ़ी	87	30
			योग	482	105

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग

4622. **डा॰ सरोज वी॰ :**

श्री मोहन रावले :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन आयोग के द्वारा कुल कितनी इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनें खरीदी गई हैं तथा इनकी खरीद की तिथि और लागत कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया गया है तथा कितनी बार किया गया है;

(ग) इन्हें रखने तथा इनके रख-रखाव पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है: और

(घ) सरकार का विचार इन मशीनों का किस तरह से प्रयोग करने का है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 1989-90 में, लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत पर 1.5 लाख इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनें अर्जित की गई थी। निर्वाचन आयोग द्वारा इसके पहले 444 मशीनें, 1982-84 की अवधि के दौरान लगभग 25 लाख रुपए की लागत पर अर्जित की गई थी।

(ख) इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का, पहली बार मई, 1982 में, केरल के परूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केन्द्रों में और तत्पश्चात् संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, विभिन्न राज्यों में 10 और निर्वाचन क्षेत्रों में परीक्षण किया गया था। फिर भी, 1989-90 में अर्जित मशीनों का अब तक, उपयोग नहीं किया गया है।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि वह उन विधान-सभा निर्वाचनों के लिए, जो इस वर्ष के अंत तक होंगे, कुछ चयनित निर्वाचन क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

विवरण

ऐसे निर्वाचन क्षेत्र, जहां इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग किया गया था

राज्य का नाम	निर्वाचन का प्रकार	ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, जहां मतदान मशीनों का उपयोग किया गया था	निर्वाचन का मास और वर्ष	उपयोग की गई मशीनों की सं.
1. केरल	साधारण	70-परूर ए.सी.	मई, 1982	50
2. नागालैण्ड	-यथोक्त-	10-उत्तर अंगामी ए.सी.	नवंबर, 1982	12
3. आंध्र प्रदेश	-यथोक्त-	191-शादनगर (एससी) ए.सी.	जनवरी, 1983	126
4. कर्नाटक	-यथोक्त-	84 शान्थिनगर (एससी) ए.सी.	जनवरी, 1983	75*
5. त्रिपुरा	-यथोक्त-	9-बनमालीपुर ए.सी.	जनवरी, 1983	12*
6. दिल्ली	-यथोक्त-	1-सरोजनी नगर एम.सी	फरवरी, 1983	26*
7. दिल्ली	-यथोक्त-	3-गोल मार्किट (एस.सी) एम.सी.	फरवरी, 1983	27*
8. दिल्ली	-यथोक्त-	5-दिल्ली कैंट, एम.सी.	फरवरी, 1983	25*
9. अरूणाचल प्रदेश	उप निर्वाचन	22 रोइंग ए.सी.	अप्रैल, 1983	25
10. बिहार	-यथोक्त-	199-चांदी ए.सी.	जून, 1983	159
11. त्रिपुरा	-यथोक्त-	18-चारिलाम ए.सी.	नवम्बर, 1983	19

ए.सी. - सभा निर्वाचन क्षेत्र, एम.सी-महानगर परिषद्

* एक सामान्य मशीन उसी परिसर में अवस्थित दो मतदान केन्द्रों में उपयोग की गई थी।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा प्रबंध

4623. **श्री था॰ चौबा सिंह :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध के अभाव में मणिपुर राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई वाहनों पर घात लगाकर हमला किया गया, सामान लूट लिए गए तथा कई जानें गई;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मणिपुर क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल की तरह राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बल का गठन करने का है क्योंकि मणिपुर किसी रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है जिससे माल/यात्रियों का राज्य में सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्य में यात्रियों की जान तथा माल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय करने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य का विषय है।

(ख) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह राज्य का विषय है।

भारत और नेपाल के बीच नौवहन सहयोग

4624. **श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और नेपाल का दोनों देश की नदी प्रणाली के नौवहन संबंधी पहलू पर सहयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव इस मामले पर विचार के लिए कोई संयुक्त समिति स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) गंडक और करनाली नदियों में नौचालन की संभावनाओं का अध्ययन करने संबंधी विचारार्थ विषय और गठन को दोनों देश संयुक्त रूप से अंतिम रूप दे रहे हैं।

[हिन्दी]

चक्रवात संबंधी पूर्वानुमान

4625. **श्री बिक्रम देव केशरी :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में हाल ही में आए चक्रवात के कारण हुई भारी क्षति को देखते हुए पश्चिमी तट पर विद्यमान राडारों की रेंज बढ़ाने की कोई योजना है ताकि मौसम से संबंधित सूचना और पूर्वानुमान को प्रभावी बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) पश्चिमी किनारे पर विद्यमान चक्रवात का पता लगाने वाले राडारों का क्षेत्र 500 कि.मी. है। तथापि, मौसम विज्ञान के लक्ष्यों का पता लगाने के लिए ऐसे राडारों का क्षेत्र पृथ्वी की वक्रता प्रभाविता के कारण 400 कि.मी. तक ही सीमित है। यह एक वास्तविक परिसीमा है जिसे तकनीकी उन्नयन से भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग चेतावनी और पूर्वानुमानों को मुहैया कराने के लिए, राडार क्षेत्र के बाहर हिन्द महासागर में चक्रवाती झंझावतों का पता लगाने एवं अनुवर्तन के लिए, मौसम उपग्रह के लाक्षणिक चित्रण का पूरा उपयोग करता है।

[अनुवाद]

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की आगरा खंडपीठ

4626. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की आगरा खंडपीठ का गठन एक अक्तूबर, 1997 से सुनवाई करने और अपीलों पर निर्णय देने के लिए कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने कार्य आरंभ कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इनका सारा कार्य ठप्प पड़ा है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का आगरा खंड-पीठ को कार्यरत बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (घ) अधिकरण की आगरा न्यायपीठ, जो हाल ही में गठित की गई है, उपयुक्त कार्यालय स्थान के अभाव में अभी तक कार्य करना आरंभ नहीं कर सकी है। अधिकरण के स्थायी अनुदेशों के अधीन, आगरा न्यायपीठ से संबंधित ऐसी अपीलें और आवेदन, जो सुनवाई के लिए अपेक्षित हैं और स्थगन याचिका जैसे अन्य आवश्यक मामले भी, अधिकरण की दिल्ली न्यायपीठों द्वारा सुने और निपटाए जा सकते हैं। इसलिए, न्यायपीठ के कार्य में कोई गतिरोध नहीं है। आगरा न्यायपीठ, जैसे ही आवश्यक कार्यालय स्थान प्राप्त हो जाता है, पुरी तरह कार्य करना आरंभ कर देगी।

[हिन्दी]

सीधी स्थानीय दूरभाष सुविधा

4627. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नाव-कानपुर शुक्लागंज के बीच सीधी दूरभाष सेवा को उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करते हुए एस.टी.डी. सेवा में परिवर्तित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी नहीं, एस टी डी और नॉन-एस टी डी उपभोक्ताओं के लिए कानपुर का एक्सेस कोड 8 से बदल 910 और उन्नाव तथा शुक्लागंज का एक्सेस कोड 918 कर दिया गया है। तथापि, कानपुर-उन्नाव और उन्नाव-कानपुर-शुक्लागंज की कालों के लिए 90 सेकेण्ड की पल्स दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपयुक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, स्थानीय क्षेत्र को पारिभाषित करने के लिए 15.8.98 से प्रभावी होने वाली संशोधित नीति के अनुसार उन्नाव और शुक्लागंज से कानपुर तथा कानपुर से उन्नाव और शुक्लागंज के बीच की जाने वाली कॉलों पर प्रभार मौजूदा 90 सेकेण्ड की पल्स दर के बजाय 180 सेकेण्ड की मूल पल्स दर पर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

राजस्थान में विद्युत परियोजनाएं

4628. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास कुछ नई विद्युत परियोजनाओं को अनुमोदन के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्य की कितनी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है? और शेष विद्युत परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) राजस्थान में उन नई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया है जो के.वि.प्रा. में जांचाधीन है।

परियोजना	क्षमता	अनुमानित लागत (करोड़ रु॰ में)	के.वि.प्रा. में प्राप्ति की तारीख
रामगढ़ सीसीजीटी (आरएसईबी)	71	341.9	5/98
मैथान समेकित सोलन सीसीपीपी (राज.) एनर्जी डेवलपमेन्ट एजेंसी	140	958.6	6/98

(ग) चालू वर्ष के दौरान दो परियोजनाओं नामशः बरसिंगसर लिग्नाइट आधारित स्कीम 500 मे.वा. और धौलपुर सीसीजीटी 702.7 मे.वा. को के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रश्न के भाग(क) और (ख) में उल्लिखित दोनों स्कीमों को के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृति विधिवत मूल्यांकन किए जाने और परियोजना प्रवर्तकों द्वारा विद्युत आपूर्ति अधिनियम की धारा 29 की अनुपालन करने तथा निवेश जैसे ईंधन लिकंज, सुनिश्चित किए जाने की शर्त पर प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करना

4629. श्री रामशकल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मिर्जापुर उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर, वाराणसी के कवरेज क्षेत्र में पड़ता है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं में भारतीय सार्वजनिक वित्त संस्थानों के लिए सीमा

4630. श्री दिन्शा पटेल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी उपस्करों पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने भारतीय सार्वजनिक वित्त संस्थानों की कुल निवेश राशि की गणना करते समय निर्धारित सीमा को शिथिल करने और भारतीय वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त निवेश राशि को शामिल करने के बारे में भी कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) निजी विद्युत नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त निर्धारित की गई है कि भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से कुल परिव्यय के 40 प्रतिशत तक धनराशि प्राप्त की जा सकती है, लेकिन शेष धनराशि अन्य स्रोतों से प्राप्त की जानी चाहिए।

(ग) से (ङ) गुजरात सरकार ने अनुरोध किया है कि स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं से उपस्कर प्राप्त करने वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 40 प्रतिशत की सीमा से छूट प्रदान की जानी चाहिए और कि भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को भी इस सीमा से बाहर रखा जाना चाहिए। यह अनुरोध विचाराधीन है।

दिल्ली से हरिद्वार के बीच चार लेनों वाला राजमार्ग

4631. श्री सोहनवीर सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दिल्ली से हरिद्वार के बीच चार लेनों वाले राजमार्ग के निर्माण संबंधी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰-24 का दिल्ली से गाजियाबाद भाग पहले ही चार-लेन का है। गाजियाबाद-हरिद्वार भाग को हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। इस समय इस खंड में चार-लेन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुलबर्गा दूरदर्शन केन्द्र

4632. श्री बासवराज पाटील सेडाम : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलबर्गा दूरदर्शन केन्द्र किस तारीख को स्थापित किया गया था;

(ख) क्या उक्त दूरदर्शन केन्द्र हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए स्वतंत्र कार्यक्रम उपलब्ध करा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गुलबर्गा दूरदर्शन केन्द्र भिन्न-भिन्न कार्यक्रम आयोजित करके वर्तमान केन्द्र की आवश्यकता के अनुसार कार्य कर रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार केन्द्र के पुनर्निर्माण करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है; और

(च) वहां इस समय कितने स्वीकृत पद हैं और अब तक कितनी रिक्तियां नहीं भरी गई हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, गुलबर्गा की स्टूडियों सुविधा दिनांक 14.10.1994 को चालू की गयी थी। गुलबर्गा में 3.9.97 से कार्यरत उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1 कि.वा.) के स्थान पर हाल ही में दिनांक 1.6.1998 को उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि.वा.) चालू किया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। दूरदर्शन केन्द्र कलकत्ता जो हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है, प्रत्येक सोमवार को इस क्षेत्र के लिए 30 मि. के स्वतंत्र कार्यक्रम प्रसारित करता है।

(घ) इस केन्द्र की स्थापना जिस प्रयोजन से की गई है, प्रयोजनार्थ स्थापित यह उसी के अनुरूप काम कर रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) 95 स्वीकृत पद हैं जिसमें से 81 पद भर लिए गए हैं और 14 पद रिक्त हैं।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम शुरू किया जाना

4633. डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का विचार अगले वर्ष से बी.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय, वर्ष 1999 से बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) कार्यक्रम प्रारंभ करने का विचार कर रहा है बशर्ते कि दूरस्थ शिक्षा परिषद् तथा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् से स्वीकृति प्राप्त हो जाये।

[अनुवाद]

इन्टरनेट नीति

4634. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की इन्टरनेट नीति की वर्तमान स्थिति का है; और

(ख) क्या सरकार ने भारत के दूरसंचार विनियमनकारी प्राधिकरण द्वारा पूर्ववर्ती नीति के बारे में किए गए निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रयोजनार्थ कोई नई नीति बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के कार्य का निजीकरण करने के लिए सरकार द्वारा एक नीति-निर्णय लिया गया है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंस की शर्तें और विस्तृत दिशानिर्देश 15.1.98 को घोषित किए गए थे। तथापि, भारतीय दूरसंचार नियामक प्रधिकरण (टी आर ए आई) ने दिनांक 17.2.1998 के अपने आदेश के तहत इंटरनेट लाइसेंस प्रदान करने की नीति को इस आधार पर अमान्य घोषित कर दिया था कि लाइसेंस प्रदान की शर्तों के संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्रधिकरण की पूर्व सिफारिशें प्राप्त नहीं की गई थी। दूरसंचार विभाग ने टी आर ए आई के निर्णय के विरुद्ध दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में अपील दर्ज की थी और न्यायालय ने 16.7.1998 को इस मामले पर अपना निर्णय सुनाया है जिसमें टी आर ए आई

के आदेश को रद्द कर दिया गया है। निर्णय का पूरा पाठ प्रतीक्षित है। न्यायालय के निर्णय को देखते हुए सरकार आगे कार्यवाही करेगी।

(ख) जी नहीं। उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डाकघर खोलना

4635. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में विशेषरूप से वाराणसी जिले में डाक वितरण के लिए डाकघर खोलने और पर्याप्त व्यवस्था करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस राज्य में और विशेषकर वाराणसी में डाकघर खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ए॰एस॰आई॰ के अन्तर्गत प्राचीन स्मारक

4636. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन इस समय कौन-कौन से प्राचीन स्मारक और पूजा स्थल हैं और राज्य-वार वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या अनेक मामलों में ऐसे स्थानों की सीमा को उनकी निर्धारित सीमाओं से आगे बढ़ाए गए क्षेत्रों को अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे अवैध कब्जों से मुक्त कराने और इनके दुरूपयोग पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) ऐसे स्मारकों की सूची संलग्न विवरण दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

धार्मिक उपयोग में आने वाले केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची

क्रम सं.	स्मारक एवं पूजास्थल का नाम	स्थान
1	2	3
आसाम		
1.	शिवदोल	शिवसागर, जिला शिवसागर
2.	विष्णुदोल	-वही-
3.	देवीदोल	-वही-
4.	शिवदोल	गौरी सागर, जिला शिवसागर
5.	शिवदोल	नेघरीत्तिंग, जिला दरगॉव
6.	श्री सूर्य्यापहाड़	देवस्थान, जिला गोआलपारा
7.	बोरदोल मंदिर	विश्वनाथघाट, जिला सोनोत्पुर
8.	गणेश मन्दिर	कामाख्य हिल, जिला काजरप
9.	पन्सारी मस्जिद	पन्सारी, जिला धुब्री
10.	पन्सारी स्थित ईदगाह	पन्सारी -वही-
11.	चतुर्दसि देवता मंदिर	उदयपुर, जिला दक्षिण त्रिपुरा
अरूणाचल प्रदेश		
	कोई नहीं	
आन्ध्र प्रदेश		
1.	दोदेश्वर मंदिर	हेमवती, अनन्तपुर जिला
2.	सिद्धेश्वर मंदिर	-वही-
3.	मल्लेश्वर मंदिर	-वही-
4.	मल्लिकार्जुन मंदिर	कम्बादुर, अनन्तपुर जिला
5.	वीरभद्रस्वामी मंदिर	लेप्काशी, अनन्तपुर जिला
6.	चिन्तलरामस्वामी मंदिर	तदपत्री, अनन्तपुर जिला
7.	रामेश्वरस्वामी मंदिर	-वही-
8.	वेंकटेश्वर विष्णु मंदिर	मंगपुरम चित्तू जिला
9.	शिवकेशवस्वामी मंदिर	पुष्पगिरी, कुद्दापह जिला

1	2	3
10.	त्रिकुटेश्वरस्वामी मंदिर	पुष्पगिरी, कुद्दापह जिला
11.	वैधनाधेश्वरस्वामी मंदिर	-वही-
12.	कोन्द्रास्वामी मंदिर	पेद्दमुदियम, कुद्दापह जिला
13.	प्राचीन विष्णु मंदिर	पेद्दमुदियम, कुद्छापह जिला
14.	नरसिंह मंदिर	-वही-
15.	कोन्द्रास्वामी मंदिर	वीन्ती मत्ता, कुद्दापह जिला
16.	विश्वनाथस्वामी मंदिर	सिवालपल्ले, कुद्दापह जिला
17.	स्वामीनाथस्वामी मंदिर	नन्दलपुर कुद्दापह जिला
18.	गोलकुन्डा किले में जगदम्बा मंदिर	हैदराबाद हैदराबाद जिला
19.	मुखलिंगेश्वर मन्दिर समूह	
20.	भीमश्वर मन्दिर	समल्कोट, गोदावरी जिला
21.	भीमेश्वरस्वामी मंदिर	द्रकशर्म्प गोदावरी जिला
22.	गोलिंगेश्वर मंदिर समूह	बिक्कावोलू पूर्वी गोदावरी जिला
23.	उमामहेश्वर स्वामी मंदिर	यागन्त्री, कुर्नल जिला
24.	बालब्रहम मंदिर (नवब्रह्म मंदिर समूह)	आलमपुर, महबूब नगर जिला
25.	कमोटेश्वरस्वामी मंदिर	चेजेली, जिला गुन्तूर
26.	गमालिंगेश्वरस्वामी मंदिर (प्राचीन टीले पर)	वेल्पुर, जिला गुन्तूर
27.	भवनारायणस्वामी मंदिर	बापात्ला, जिला गुन्तूर
28.	रामालिंगेश्वर मंदिर-समूह	सत्वबोलू, जिला गुन्तूर
29.	हजारों स्तम्भों वाले मन्दिर	हनामकांडा, जिला वारंगल
30.	रामप्पा मंदिर	पालम्पेट, जिला वारंगल

बिहार

कोई नहीं

दिल्ली

1. पालम में बाबर मस्जिद
2. लाल किला के समीप सुनहरी मस्जिद
3. अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल (कश्मीरीगेट) के समीप कुदसिया मस्जिद
4. सफदरजंग हवाई अड्डे के समीप सफदरजंग मकबरा
5. अम्बेडकर स्टेडियम के समीप कोटला फिरोजशाह
6. पुराना किला स्थित खैरूल मनजिल मस्जिद
7. निजामुद्दीन स्थित हुमायूं के मकबरा में अपसरवा ला-की-मस्जिद
8. नीली मस्जिद, हौजखास

गुजरात

1	2	3
1.	अधित बीबी की मस्जिद	अहमदाबाद
2.	अहमद शाह की मस्जिद	अहमदाबाद
3.	बाबा लौली की मस्जिद	वही
4.	बाबी जी की मस्जिद	वही
5.	आदी हरीर की मस्जिद	वही
6.	दस्तूर खान की मस्जिद	वही
7.	हैवत खान की मस्जिद	वही
8.	जामी मस्जिद	वही
9.	मलिक आलम मस्जिद	वही
10.	महाफिज खान की मस्जिद	वही
11.	कुतब खाह की मस्जिद	वही
12.	रानी रूपावती की मस्जिद	वही
13.	रानी सिप्री मस्जिद	वही
14.	शाह आलम की मस्जिद	वही
15.	शाह खुपाई की मस्जिद	वही
16.	काजी धिस्ती की मस्जिद	वही
17.	सिदी सैयद मस्जिद	वही
18.	लधु प्रस्तर मस्जिद	पलादी, अहमदाबाद
19.	लधु प्रस्तर मस्जिद	इसानपुर
20.	बड़ी मस्जिद	सरखेज
21.	सैयद उसमान की मस्जिद	अहमदाबाद
22.	जामी मस्जिद	मंडल
23.	काजी मस्जिद	मंडल
24.	सैयद मस्जिद	मंडल
25.	जामी मस्जिद	ढोल्का
26.	अहलोलखान गाजी मस्जिद	ढोल्का
27.	जामी मस्जिद	कैम्बे
28.	जामी मस्जिद	भरूच
29.	रहमत बीबी मस्जिद	मंग्रोल

1	2	3
30.	रावेती मस्जिद	मंग्रोल
31.	जामी मस्जिद	मंग्रोल
32.	रत्नेश्वर महादेव मन्दिर	रतांनूर
33.	रूद्रमाता मन्दिर	देसार
34.	महादेव मन्दिर	बावला
35.	काशी विश्वनाथ मन्दिर	पादरसिंह
36.	जैन मस्जिद	तालाजा
37.	मस्तेश्वर महादेव मस्जिद	सरनाल
38.	द्वारकाधीश मन्दिर	द्वारका
39.	रूक्मिणि मन्दिर	द्वारका
40.	कालिका माता मन्दिर	नवी द्रेवाडा
41.	नीलकण्ठेश्वर महादेव मन्दिर	सुनक
42.	जस्मालनाथजी मन्दिर	असोदा
43.	लिम्बोजी माता मन्दिर	देल्भाल
44.	अनन्तेश्वर मन्दिर	आनन्दपुर
45.	सूर्य मन्दिर	थान
46.	सन्देरीमाता मन्दिर	सन्देर
47.	नीलकण्ठेश्वर महादेव मन्दिर	रूहावी
48.	शिवमाता मन्दिर	सुनक
49.	कुछ हिन्दू मन्दिर के खंडहर	पावगढ़ पर्वत
50.	मलाई माता मन्दिर	पालोदर
51.	होली जैसस चर्च	मोती दमन
52.	रोसा रियास का चेपल आफ आवर लेडी	मोती दमन
53.	रेमेडियोस की अवर लेडी का चर्च	मोती दमन
54.	जामी मस्जिद	दीव
55.	सैंट पाल चर्च	दीव

हरियाणा

कोई नहीं

हिमाचल प्रदेश

1	2	3
1.	गणेश मन्दिर	भरभूर, जिला चम्बा
2.	लक्ष्मी (लखना देवी मंदिर)	-वहीं-
3.	मणि महेश मन्दिर	भरभूर, जिला चम्बा
4.	नरसिंह मंदिर	-वही-
5.	श्री बृजेश्वरी मंदिर	भदियाथ, जिला चम्बा
6.	श्री बंसी गोपाल मंदिर	चम्बा, जिला चम्बा
7.	श्री चमुण्डा देवी मंदिर	चम्बा
8.	श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर समूह	मोहल्ला हतनाला, चम्बा
9.	श्री सीता राम मंदिर	मोहल्ला बगोता, जिला चम्बा
10.	श्री हरि राम मंदिर	चम्बा
11.	श्री शक्ति देवी मंदिर	चतरारो, जिला चम्बा
12.	आशा पूरी मंदिर	आशापुरी, जिला कांगड़ा
13.	बैजनाथा और सिधुनाथ के मंदिर	बैजनाथ, जिला कांगड़ा
14.	अन्दर और बाहर पड़ी हुई मूर्तियों सहित शेलकृत मंदिर	मसरूर, जिला कांगड़ा
15.	नरभनेश्वर मंदिर जिसमें चित्रकारी तथा उसके परिसर को चहारदिवारी के अन्दर गौण मंदिर शामिल है।	सुजानपुर
16.	अन्दर और बाहर पड़ी हुई मूर्तियों सहित गौरी शंकर मंदिर	दरसाल, जिला कुलू
17.	बशेश्वर महादेव का मंदिर	हत्त, बजौरा, जिला कुल्लू
18.	छोटे पत्थर का शैव मंदिर	जगतसुख, जिला कुलू
19.	गौरी शंकर की मूर्तियों सहित इसका मंदिर	नागर, जिला कांगड़ा
20.	हिडिम्बा देवी मंदिर	मनाली जिला कुलू
21.	पंचवक्त मंदिर	मंडी, जिला कुलू
22.	त्रिलोकीनाथ मंदिर	-वही-
23.	अर्धनारीश्वर मंदिर	वही (मंडी, जिला मंडी)
24.	बौद्ध मठ	ताबो, जिला लाहौल एवं स्पीति
25.	पू गुम्पा	-वही-
26.	मोरकुला देवी मंदिर	उदय जिला लाहौल एवं स्पीति

1	2	3
जम्मू एवं कश्मीर		
1.	देथा मंदिर	
2.	प्राचीन मंदिर	
3.	प्राचीन मंदिर	
4.	त्रिलोचननाथ मंदिर	
5.	शैलकृत मूर्ति	
6.	बौद्ध मठ	
7.	बौद्ध मठ	
8.	बौद्ध मठ	
9.	बौद्ध गोन्पा	
10.	प्राचीन महल	
11.	प्राचीन महल	
12.	प्राचीन महल एवं मंदिर	
13.	हेमिस गोन्पा	
14.	प्राचीन गुम्फा	
15.	चार देवताओं के मंदिर	
16.	पत्थर मस्जिद	
17.	शाह हम्दान का खान कुआं	श्रीनगर, जिला श्रीनगर
18.	शंकराचार्य मंदिर	-वही-
19.	कन्द्रेनाथ मंदिर	-वही-
20.	देवी भवती मंदिर	थालोरा, उधमपुर
केरल		
1.	कैलाश मंदिर	त्रिचूर
2.	शिव मंदिर	तेस्वनम
3.	-वही-	चेममनफिट्टा
4.	-वही-	पलिल्मनाह
5.	राम मंदिर	त्रिस्वंचीकुलम
6.	विष्णु मंदिर	त्रिरूप्रयार
7.	शिव मंदिर	कादावल्लूर
8.	पट्टावी का शिव मंदिर	नेत्रीमगलम
9.	जैन मंदिर	किंटागगन
10.	परशुराम मंदिर	त्रिरूबलम
11.	संत फ्रांसीस चर्च	कोचिन

1	2	3
कर्नाटक		
1.	पुराना जैन मंदिर (स्थानीय रूपसे कमलाबस्ती कहा जाता है)	बेलगाम किला, बेलगाम
2.	ओदी बस्ती नाम के पुकारे जाने वाला मंदिर	देवआन
3.	ईश्वर का पुराना मंदिर (15वीं शताब्दी)	देवलावल्ली
4.	पंचलिगदेव का मंदिर	हुल्ली
5.	जंगल में पुराना मंदिर	नन्डागढ़
6.	मुक्तेश्वर का जैन मंदिर	वकुन्द
7.	कालेश्वर स्वामी मंदिर	अम्बाली, बैलरी
8.	-वही-	अंगुरू
9.	-वही-	बागुली
10.	-वही-	हालावागेलु
11.	-वही-	हरिहाड़ागली
12.	-वही-	हुविनहाड़ागल
13.	पार्वती तथा कात्रिके मंदिर	संदूर
14.	मल्लिकार्जुन मंदिर	कुरूबट्टी
15.	सूर्यनारायण मंदिर	मेगालम्
16.	कालेश्वर स्वामी मंदिर	मूल्लर
17.	भीमटेवरा	निलगोन्डा
18.	नरसिंम्हा स्वामी मंदिर	रंगसपुरम
19.	स्वरसती मंदिर	सिंहनायनहल्ली
20.	गोपालकृष्ण स्वामी मंदिर	थिमक्लापुर
21.	शिवलिंग मंदिर	थिमल्लापुर जिला-बलेरी
22.	गुलबर्गा कोर्ट की महान मस्जिद	गुलबर्गा
23.	महमूदगावान के मदरसा में मस्जिद	बीदर जिला-बीदर
24.	राणेश्वर मंदिर	बेवूर
25.	प्राचीन हिन्दू मंदिर	-वही-
26.	बनासहानहारी स्थित रतम्भा वलो सहित तालाब	-वही-

1	2	3
27.	पहाड़ी पर पुराना जैन मंदिर (मलोदी)	हल्लूर
28.	कोटयार्ड में दो बड़े स्वरपाल तथा मुख्य प्रवेश सहित विश्वश्वरा मंदिर	-वही-
29.	नागनाथ मंदिर	-वही-
30.	शंकरलिंग मंदिर	निम्बई
31.	सगेंश्वर मन्दिर के निकट चन्द्रशेखर मंदिर	पट्डकल
32.	गलगनाथ मंदिर	पट्डकल
33.	विरूपाक्ष का महान मंदिर	-वही-
34.	मिसन सहित जैन मंदिर	-वही-
35.	जम्बूलिंग मंदिर	-वही-
36.	कदासिद्धेश्वर मंदिर	-वही-
37.	काशीविश्वस्वरा मंदिर	-वही-
38.	मल्लिकार्जन का मंदिर	-वही-
39.	पापनाथ का मंदिर	-वही-
40.	संगमेश्वर का मंदिर	-वही-
41.	रामदेव मंदिर, परिसर और कुआं सहित	ईदहीकोट
42.	अमृतेश्वर मंदिर	अमृतपुर जिला चिकमगलूर
43.	वोरनारायण मंदिर	बेलावदी
44.	विद्याशंकर मंदिर	श्रृगारी
45.	हरि हरेश्वर मंदिर	जिला चित्रदुर्ग, हरिहार
46.	अक्कटंगी मंदिर तथा इमिटहनानागुन्डू पर अशोक का लेख	सिद्धेपुर, जिला चित्रदुर्ग
47.	बाणेशकरी देवी मंदिर	अमरगोल जिला धारवाड़
48.	शंकरलिंग	-वही-
49.	अमृतेश्वर मंदिर	अन्नी गैरो
50.	कामलेश्वर मंदिर	बलमबिड
51.	नागरेश्वर मंदिर/अरावत्लू कम्दागुडी	बंकापुर
52.	मुक्तेश्वर मंदिर	चोचंदपुर
53.	डांडबासप्पा मंदिर	दंबल

1	2	3
54.	सोमेश्वर मंदिर	दंबल
55.	सरस्वती मंदिर	गडग
56.	गोलागेश्वर मंदिर	गलगनाथ
57.	सोमेश्वर मंदिर	गडग
58.	ताराकेश्वर मंदिर	हंगल
59.	पुराना खांडेत मंदिर	-वही-
60.	सोमेश्वर मंदिर	हलाहल्लो
61.	सिद्धेश्वर मंदिर	हावेरी, जिलाा धारवाड
62.	जैन बस्ती	लकूंदी
63.	काशीविश्वश्वरा मंदिर	-वही-
64.	कुम्बारागरी ईश्वर मंदिर	-वही-
65.	मुशिंभावो स्थित मकेश्वर मंदिर	-वही-
66.	मुशिंभावी मंदिर	-वही-
67.	जैन मंदिर के निकट मेगानाथ	-
68.	नास्वरा मन्दिर	-
69.	गर्वेश्वर का मंदिर	-
70.	कदम्बेश्वर मंदिर	रट्टीहल्ली
71.	बालवन्ना देव मंदिर	तंबूर
72.	चन्दमुलेश्वर मंदिर	डंकल
73.	ईश्वर मंदिर	-
74.	केश्वा मंदिर	बेल्लूर
75.	लक्ष्मीदेवी का मंदिर	डोडागड्डावली
76.	आदिनाथ मंदिर	हालेविद
77.	होयसलेश्वर मंदिर	-वही-
78.	केदारेश्वर मंदिर	-वही-
79.	पार्श्वनाथ वस्ती	-वही-
80.	शांतिनाथ बस्ती	-वही-
81.	बुचेश्वर मंदिर	कोरावंगल्ला
82.	नागेश्वर तथा चन्नाकेशव मंदिर	मोसाले
83.	लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर	नुगेहल्ली
84.	सदाशिव मंदिर	-वही-
85.	अकानाबस्ती	श्रवणबेलगोला
86.	चन्द्रगुप्त बस्ती	-वही-

1	2	3
87.	चौन्दया बस्ती	श्रृवणबेलगोला
88.	गोमतेश्वर की मूर्ति	-वही-
89.	पार्श्वनाथ बस्ती	-वही-
90.	श्री कन्नाकेशव मंदिर	अरसोकरो
91.	रामलिंगेश्वर मंदिर	अवानी जिला कोल्लार
92.	कालराम मंदिर	कोल्लूर
93.	सोमेश्वर मंदिर	-वही-
94.	भोगनंदीस्वर मंदिर	नंनदी
95.	मल्लिकार्जुन मंदिर	बासारल जिला मदया
96.	पंचलिंगेस्वर मंदिर	गोविंदनासहली
97.	लक्ष्मीनारायण मंदिर	होसाहोललु
98.	नारायणस्वामी मंदिर	मालकोट
99.	केशवा मंदिर	नेगामंगला
100.	पंचकुट बस्ती	कम्दाहन्नी
101.	लक्ष्मीनरसिम्हा स्वामी मन्दिर	मारहल्ली
102.	लक्ष्मी नारायण मन्दिर	सिंधगट्टा
103.	नरसिम्हा मंदिर में श्री कॉत्रिव की मूर्ति	-
104.	रंगनाथस्वामी मंदिर	-
105.	नम्बीनारायण मंदिर	तोन्नूर
106.	सिदलू मल्लिकार्जुन मंदिर	बट्टाडापुर, जिला मैसूर
107.	श्री विजयनारायण मंदिर	गुन्डलूपट
108.	अर्केश्वर मंदिर	हेलेलूर
109.	श्री कंठेश्वर मंदिर	नानजंगगुड
110.	किर्ति नारायण मंदिर	तालकेड
111.	वेदश्वर मंदिर	-वही-
112.	गोरीश्वर मंदिर	-वही-
113.	मधुकेश्वर मंदिर	उत्तरो कनारा बेनेबसाई
114.	जोशी शंकर नारायण देवस्थान	भटकल
115.	कतपल नारायण देव स्थान	-वही-
116.	के॰ पाश्वनाथेश्वर बस्ती	-वही-
117.	नरसिम्हा देवस्थान	-वही-
118.	रघुनाथ देवस्थान	-वही-
119.	संतप्पा नाइक तिरूमल देवस्थान	भटकल
120.	विरूपाक्ष मंदिर	बिलगी
121.	बस्ती, चन्द्रनाथ देव	हदवली
122.	अहमद शाह वल्ली ऊर-रहमान तथा सैयद की कब्र	अस्तुर, जिला बिदर
123.	वरधामन स्वामी मंदिर	अस्तुर, जिला बिदर
124.	वीरभद्र मंदिर	-वही-
125.	केदारेश्वर मंदिर	बेलोगवि, जिला सिनोगा
126.	पोर्टरोज तथा रेनूका मंदिर	चन्द्रगुट्टी
127.	बस्तीयां तथा लेख	हमचा
128.	अंधोरेश्वर मंदिर	इक्करी
129.	रामेश्वर मंदिर	केलादी
130.	केतेश्वर मंदिर	कुबातूर
131.	पार्श्वनाथ बस्ती	-वही-
132.	रामेश्वर मंदिर	-वही-
133.	रामेश्वर मंदिर	कुडली
134.	मंदिर और लेख	कप्पागड्डा
135.	मलिकार्जुन तथा रामेश्वर मंदिर	नदाकल्ली
136.	चन्द्रशाला भवन चारों ओर के खन्डहरों को छोड़कर प्राचीन दालान सहित अन्नतपद्मनाभा मन्दिर	करकले जिला दक्षिणी कनारा
137.	चतुर्मखी मन्दिर	-वही-
138.	गोमतेश्वर का जैन मूर्ति	-वही-
139.	मंगला देवी मंदिर	मंगलौर
140.	चन्नोगारे मंदिर	अरालागुप्पा, जिला तुमकुर
141.	चन्नाकेश मंदिर	नागरपुर
142.	केदारेश्वर मंदिर	-वही-
143.	ग्राम के दक्षिणी के कोर्टयार्ड में स्थित तीन शैलकृत जैन मंदिर जिनके सामने केन्द्रीय मंदिर है जिसपर लेखबद्ध बृहत् स्लैब लगी है और जिसकी माप 3.6 × 2.7 है।	मूल्लूर, जिला कुर्ज

1	2	3
144.	जुम्मा मस्जिद	संपगांव, जिला बेलगांव
145.	अपजलखा की विवास कब्रे	बीजापुर, जिला बीजापुर
146.	अली-शहीद-पीर-मस्जिद	-वही-
147.	आसर महल	-वही-
148.	आंडु मस्जिद	-वही-
149.	महादेवरूपा मंदिर	इट्टगी, जिला रायचुर
150.	छोटी आसर महल	बीजापुर, जिला बीजापुर
151.	दक्किनी ईदगाह	-वही-
152.	जोव बंबाज	-वही-
153.	जुम्मा मस्जिद	-वही-
154.	अफजल खान का कंटोफ	-वही-
155.	मोती दुर्ग	-वही-
156.	मुबारकखान का महल	-वही-
157.	मूल्ला मस्जिद	-वही-
158.	कब्र संख्या 22	-वही-
159.	युसुफ की जामी मस्जिद	-वही-
160.	कजोंरी अथवा मलिख जहान बेगम की कब्र	-वही-
161.	फादर हैदरअली के मकबरा	कोलार, जिला कोलार
162.	टीपूसुल्तान की गुंबद युक्त कब्र	-
163.	जामा मस्जिद	-
164.	जामा मस्जिद	-
165.	मल्लिक रहक दरगाह	-

मध्य प्रदेश

1	2	3
1.	जैन मंदिर	कुडालपुर, जिला दमोर
2.	सिध्येस्वर मंदिर	नेमावाड, जिला देवाल
3.	नीलकंठेश्वर मंदिर	माडु, जिला धार
4.	गौरिशंकर का मंदिर	भेड़ाघाट जिला जबलपुर
5.	ब्राहमण का सैलकृत मंदिर	धमनार, जिला मनसौर
6.	अमलेस अलियास, नामलेश्वर मंदिर	ओमकारेश्वर, जिला खंडवा
7.	शिव मंदिर	भंजपुर, जिला रायसैन
8.	उदेयश्वर मंदिर	उदयपुर, जिला विदिशा
9.	मलगेश्वर मंदिर	खजराहो, जिला छतरपुर
10.	भेजस्यला कमाल मोला की मस्जिद	धार, जिला धार
11.	लाठ की मस्जिद	-वही-
12.	जामा मस्जिद	चन्देरी, जिला गुना
13.	मोहम्मद गौस की कब्र	ग्वालियर, जिला ग्वालियर
14.	बालजति साह की कब्र तथा मस्जिद	धमोनो, जिला सागर
15.	चौमूखनाथ मंदिर	नचना, जिला पन्ना

महाराष्ट्र

1	2		
1.	गुफा एवं मंदिर	चन्द्रगाह	अहमदनगर
2.	अमृतेश्वर का मंदिर	रत्नवाडी	-वही-
3.	मल्लिकार्जुन का मंदिर	थाहाकारी	-वही-
4.	तीर्थ मंदिर	कर्जठ	-वही-
5.	शिव का मंदिर	-वही-	-वही-
6.	महादेव का पुराना मंदिर	कोकनथाम	-वही-
7.	दामरी मस्जिद	अहमदनगर	-वही-
8.	देवी का मन्दिर	टोका	-वही-
9.	सिद्धेश्वर महादेव का मन्दिर	टोका	-वही-
10.	डेकेश्वर की गुफा	डोका	-वही-
11.	शिव का मंदिर	पारनेर	-वही-
12.	हेमादपंथी का मंदिर	बामनी	-वही-
13.	जैन मंदिर	गोठाम	-वही-
14.	दालेश्वर का मंदिर	पदगांव	-वही-
15.	योगेश्वरी मंदिर की गुफाएं	योगेश्वरी	उपनगर बम्बई
16.	चंगदेव का मंदिर	चंगदेव	जलगांव
17.	इंदेयश्वर का मंदिर	बवाली	जलगांव
18.	देवी और तम्बा का मंदिर	धेगो	जलगांव
19.	महादेव का मंदिर	संगेमश्वर	जलगांव
20.	सात मुस्लिम कब्रे	थालनेर	धुले
21.	तीन मुस्लिम [illegible]	-वही-	-वही-

1	2	3	
22.	मल्लिकार्जुन का मंदिर	रोथन	अहमदाबाद
23.	देवी का मन्दिर	कटरा बाग	-वही-
24.	मंडापेश्वर की गुफा	मंडपेश्वर	मुम्बई
25.	महादेव का मंदिर	जलगांव	
26.	मदहल देवी का मंदिर	वागहल्ली	जलगांव
27.	सिद्धेश्वर का मंदिर	-वही-	
28.	चंगदेव का मंदिर	चंगदेव	जलगांव
29.	भवानी का पुजा स्थल	अलीबाग	रायगढ़
30.	गणपति पंचायत का मंदिर	अलीबाग	रायगढ़
31.	कोलाबा का किला	-वही-	
	(i) कनाब्बा का मंदिर		
	(ii) महादेव का मंदिर		
	(iii) मरूत का पूजा स्थल		
	(iv) संत मोहम्मूद का मकबरा		
	(v) पदमावति का पूजा स्थल		
	(vi) यसवंसदर का पूजा स्थल		
32.	कोताली का किला	अभिंवाली	
33.	अलिफेंट्रा की गुफाएं	-वही-	
34.	किला	बिसवाड़ी	
35.	घेरासुरगटया का किला	घेरासुरगटया	
36.	घोसालगढ़ का किला	घोसाला	
37.	अहवाहिटगढ़	मदाह	
38.	कपेश्वर का मंदिर	खिदरापुर	कोलाहपुर
39.	हेमादपंती नंदकेश्वर महादेव या महादेव का त्रिकोना पूजा स्थल	लोज, नासोक	
40.	हिन्दु मंदिर	अम्बे गांव	
41.	पंडुलेना का गुफाएं	अमद	
42.	गोदेश्वर का मंदिर	सिन्नार	
43.	ऐश्वर का मंदिर	सिन्नार	
44.	गुफाएं	अंकारी	
45.	हिन्दु मंदिर	अंकारी देवस्थान	
46.	शिवनेरोगणेशलेना गुफाएं भिमानसेकर और मनमोदो तुजजालेना की गुफाएं,	जुन्नार पुणे	

1	2	3	
47.	हफ्सागुम्बद	जुन्नार पुणे	
48.	हप्सी के निकट लघु दरगाह	-वही-	
49.	पातालेश्वर गुफाएं	पुना	
50.	सालारवादी गुफाएं	पुना	
51.	दिलावरखान की कब्र	राजगुरू नगर	
52.	कार्ले की गुफाएं	कार्ले	
53.	किला	लोहगढ़	
54.	किला	विशापुर	
55.	भुलेश्वर महादेव मंदिर	यावत (मालशीरास)	
56.	डबोल की मस्जिद	जिला रत्नागिरी	
57.	जे. महादेव मंदिर	-वही-	
58.	कृष्णबाल मंदिर	पुनाना महाबलेश्वर	
59.	किला	अर्नला जिला थाना	
60.	बसाई किला तथा पुर्तगीज	बसाई, जिला थाना	
61.	सोनार भाट का टिला	गेस जिला थाना	
62.	बुरूदकोट का टिला	मारादेश	
63.	अम्बरनाथ का मंदिर	अम्बरनाथ, जिला थाना	
64.	भवानी मंदिर	बारसीटकली, जिला अंकोला	
65.	पुराना मंदिर	धोलरा, जिला बुल्दहाना	
66.	महादेव मंदिर	-	
67.	बेलगांव मंदिर	बेलगांव	
68.	सैकागांव	सैकागांव	
69.	दैल्तयासुदन मंदिर	-	
70.	मूर्ति समाधि	धोलगांव राजा	
71.	मस्जिद	रोहिनखेद	
72.	पुरानी कब्र	महाकर	
73.	जगन्नाथ का आधुनिक मंदिर	-	
74.	प्राचीन बुद्ध के अवशेष	मसारखेरो, जिला नागपुर	
75.	मंदिर के पोर्च का एक भाग	रामटेक	-वही-
76.	महादेव मंदिर	घोधरा	-वही-
77.	हेमनान्तपन्ति मंदिर	नार पाशुपंत, जिला येटमल	
78.	महादेव मंदिर	रूई बई	-वही-

1	2	3	
79.	हेमादपंती मंदिर	तपोना	जिला येटमल
80.	महादेव मंदिर	यालबरा	-वही-
81.	महादेव मंदिर	रोत सुहागों	
82.	महादेव मंदिर	चन्द्रपुर	जिला चन्द्रपुर
83.	अंचेलेश्वर मंदिर	-वही-	-वही-
84.	महाकाली मंदिर	-वही-	-वही-
85.	रामदिगी मंदिर	निंमदला किला	-वही-
86.	महादेव मंदिर	निरी	-वही-
87.	केश्वनाथ मंदिर	चुरूल	-वही-
88.	पुराना महादेव मंदिर	राजगढ़	
89.	महादेव मंदिर	महाद्वारी	-वही-
90.	पुराना मंदिर	पालेबराश	-वही-
91.	चंडिकादेवी मंदिर	घटकला	-वही-
92.	भंडारेश्वर मंदिर	वारेगढ़ जिला गढ्चिरोली	
93.	मारकड़ी का मंदिर समूह	मारकन्डा	-वही-
94.	दो मंदिर	थाना गांव	-वही-
95.	पुराना मंदिर	अरमोरी	-वही-
96.	पुराना महादेव मंदिर	वर्धा जिला चन्द्रपुर	
97.	बेगाम्मी की कब्र	गोदेश्वर जिला शोलापुर	
98.	सिद्धेश्वर मंदिर	मचनर जिला शोलापुर	
99.	महादेव मंदिर	महालंग जिला सोलापुर	
	(i) बिठोबा का मंदिर		
	(ii) महादेव पत्थर		
	(iii) देवी (यमाई) का मंदिर		
100.	विरागल पत्थरों सहित पुराना मंदिर पुराना तीर्थ मंदिर पुराना विरागल का मंदिर	वेल्लोर, जिला सोलापुर	
101.	ग्रहशोस्वर मंदिर	एलौरा जिला औरंगाबाद	
102.	उकेदेस्वर का मंदिर	अलखेदपिनोरी जिला बिद्	
उड़ीसा			
1.	दुर्गा मंदिर	रामेश्वर, जिला कटक	
2.	पांच पाण्डव मंदिर	गणेशश्वरपुर जिला कटक	

1	2	3
3.	भृगेंनेश्वर महादेव मंदिर	बाजराकोट, जिला कटक
4.	गंगाधर स्वामी मंदिर	कोट्टाकब्ला, जिला गंजाम
5.	जगदीशस्वर स्वामी मंदिर	-वही-
6.	भिमा मंदिर	महेन्द्रगीरी जिला गजपति
7.	कुन्ती मंदिर	-वही-
8.	युधिष्टीर मंदिर	-वही-
9.	जगतनाथ मंदिर	जाजपुर, जाजपुर जिला
10.	शिमहानाथ मंदिर	गोपीनाथपुर जिला कटक
11.	बुरहानेश्वर महादेव मंदिर	बालजा, जिला जगतसिंगपुर
12.	बासलारेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर, जिला खुरदा
13.	ब्रहेमेश्वर मंदिर	-वही-
14.	मेगेश्वर मंदिर	-वही-
15.	रामेश्वर मंदिर	-वही-
16.	अन्नत वासुदेव मंदिर	-वही-
17.	वैतालमंदिर	-वही-
18.	लिंगराज मंदिर	-वही-
19.	मारकडेश्वर मंदिर	-वही-
20.	शिशिरेश्वर मंदिर	-वही-
21.	मुक्तेश्वर मंदिर	-वही-
22.	चौसठ जोगनी मंदिर	हिरापुर जिला खुर्दा
23.	दक्षा प्रजापति मंदिर	पानपुर जिला पुरी
24.	सिधेश्वर और नृलममाधव के दो मंदिर	गाधारदि जिला बौद्ध
25.	शिव मंदिर समूह	बौद्ध जिला, बौद्ध
26.	भगवान जगन्नाथ मंदिर	पुरी जिला, पुरी
27.	बरही मंदिर	चौरासी जिला, पुरी
28.	धनतेश्वरी मंदिर में प्राचीन मूर्ति शेड	बारसूर जिला बस्तर
29.	महादेव मंदिर	बस्तर जिला, बस्तर
30.	बलरामदेव मंदिर	भैरागढ; जिला, बस्तर
31.	कालीमहादेव मंदिर	श्यामलूर जिला, बस्तर
32.	ईंटों का मंदिर (सावरी)	विलासपुर (खरोड़)

1	2	3	
33.	नारायण मंदिर	नारायणमाल जिला, बस्तर	
34.	महादेव मंदिर	पाली जिला, बिलासपुर	
35.	पातेलेश्वर मंदिर	मल्हार जिला, बिलासपुर	
36.	ईटों का मंदिर, केश्व मंदिर	शियोरीनारायण जिला, बिलासपुर	
37.	मंदिर	बेलयान जिला विलासपुर	
38.	शिव का खंडीत मंदिर	डैक्सबलोडा जिला, दुर्ग	
39.	महादेव मंदिर	नारायणपुर जिला, रायपुर	
40.	श्रीसूर्यनारायण मंदिर	-वही-	
41.	राजिव मंदिर तथा मंदिर समूह	राजिम जिला, रायपुर	
42.	रामचन्द्र मंदिर	-वही-	
43.	पुराना शिव मंदिर	गन्डाई, राजनन्द गाँव	

पंजाब

-कोई नही-

राजस्थान

1	2	3	
1.	हनुमान मंदिर, अर्धना	तहसली गरही	बांसवाड़ा
2.	सोमनाथ मंदिर	देव सोमनाथ	डुंगरपुर
3.	हनुमान मंदिर, दीग भवन	डीग	भरतपुर
4.	उषामंदिर, बेयानाफोर्ट	बयाना	भरतपुर
5.	जगत सिरोमणी मंदिर	अम्बीर	जयपुर
6.	लक्ष्मीनारायण मंदिर	-वही-	-वही-
7.	जसलमेरफोर्ट के प्राचीन मंदिर	जसलमेर	जसलमेर
8.	हर्षनाथ मंदिर	सिकर	सिकर
9.	रणथम्भोर फोर्ट का गणेश मंदिर	रणथम्भोर	सवाई-माधोपुर
10.	चित्तौडगढ़ किले का कालका माता मंदिर	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
11.	सामदेस्वर महादेव मंदिर, चित्तौड़गढ़ किला	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ
12.	मीरा मंदिर, चित्तौड़गढ़ किला	-वही-	-वही-
13.	सत बीस देबरी, चित्तौड़गढ़ किला	-वही-	-वही-
14.	आदिनाथ जैन मंदिर	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
15.	तुल्धा माता मन्दिर	-वही-	-वही-
16.	जयमाल कला की छतरी चित्तौड़गढ़ किला	-वही-	-वही-
17.	नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर चित्तौड़गढ़ किला	-वही	-वही-
18.	अन्नापुरन माता मंदिर चित्तौड़गढ़ किला	-वही-	-वही-
19.	हनुमान मंदिर भवनेर किला	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
20.	कृष्णा मंदिर, भटनेर फोर्ट	-वही-	-वही-
21.	शिव मंदिर, भटनेर किला	-वही-	-वही-
22.	देवी का मंदिर, भटनेर किला	-वही-	-वही-
23.	सिलापीर (सुल्तानपुर), भटनेर किला	-वही-	-वही-
24.	अढ़ाई दिन का झोपड़ा	अजमेर	अजमेर
25.	जामा मस्जिद, आमेर	आमेर	जयपुर
26.	रणथम्भौर किले की दरगाह	रणथम्भोर	सवाई-माधोपुर
27.	अतरू का मंदिर	अतरू	कोटा
28.	कांसदा का शिव मंदिर	कांसवा	कोटा
29.	शिव मंदिर चारचुमा	चारचुमा	कोटा
30.	चन्द्रभा के निकट पुराना मंदिर	झलरापाटन	झालाबाड़
31.	कुम्भलगढ़ किले के मंदिर	कुम्भलगढ़	राजसमंद
32.	प्राचीन मूर्तियां, कल्याण पुर	कल्याणपुर	उदयपुर
33.	जवाहरबुर्ज का हनुमान जी मंदिर	भरतपुर किला	भरतपुर
34.	यक्ष, नोह	नोह	भरतपुर
35.	बसीलदेव का मंदिर	बीसलपुर	टोंक
36.	पीपाजी का मंदिर	टोडाराय सिंह	टोंक
37.	कल्यानरायजी का मंदिर	-वही-	-वही-

1	2	3	
38.	गोपीनाथजी का मंदिर	टोडाराय सिंह	टोंक
39.	भंडासार जैन मंदिर	बीकानेर	बीकानेर
40.	विक्चुरिया मंदिर में युवा स्तम्भ	चागर	टोंक
41.	हरषद माता मंदिर	आबानेरी	दौसा
42.	नीलकंठ का मंदिर	नीलकंठ	अलवर
43.	भानमढ़ के मंदिर	भानगढ़	अलवर
44.	मैनाल के मंदिर समूह तथा मठ	मैनाल	चित्तौड़गढ़
45.	दादौली के मंदिर समूह	बादौली	चित्तौड़गढ़
सिक्किम			
1.	दुब्दी	जिला सिक्किम, सिक्किम	
तमिलनाडु			
1.	नित्यकल्याणस्वामी मदिर	तिरूकीदेन्थाई	चेनालपत्तू मार्ग
2.	गणेश मंदिर	ममलापुरम	-वही-
3.	तिरूपुलिश्वर मंदिर	वयलूर	-वही-
4.	मुन्कुदमिश्वर मंदिर	पोंविलैथक लाथूर	-वही-
5.	शिव मंदिर	तेन्नेरी	-वही-
6.	कंठलिंगेश्वर मंदिर	-वही-	-वही-
7.	धर्मेश्वर मंदिर	मणिमंगलम	-वही-
8.	वैकुंठपेरूमल मंदिर	उत्तिरामपुर	-वही-
9.	वेंकटेशपेरूमल मंदिर	तिरूमुक्कुदाल	-वही-
10.	कैलाशनाथ मंदिर	कांचीपुरम	-वही-
11.	वैकुंठ पेरूमल मंदिर	-वही-	-वही-
12.	माथंगेश्वर मंदिर	-वही-	-वही-
13.	मुक्तेश्वर मंदिर	-वही-	-वही-
14.	इरावतेश्वर मंदिर	-वही-	-वही-
15.	पिरावतेश्वर मंदिर	-वही-	-वही-
16.	ज्वरहरेश्वर मंदिर	-वही-	-वही-
17.	बृहदीश्वर मंदिर	थंजवूर	थंजवूर
18.	आर्यवतेश्वर मंदिर	दरभुराम	थंजवूर
19.	श्वारिज चर्च	थंजवूर	-वही-
20.	रामपाद मंडपम	कोडिया क्काद्	तिरूची
21.	बृहददीश्वर मंदिर	जी.के.सी.पुरम	-वही-
22.	शिव मंदिर	वालीकंठपुरम	तिरूची
23.	एरूम्ब्श्वर मंदिर	तिरूवेरूम्बूर	-वही-
24.	जैन प्रतिमाएं	जयकोन्दन	-वही-
25.	किले के अन्दर मस्जिद	रंजनगुडी	-वही-
26.	सोमस्कखान मस्जिद	पल्लपुरम	-वही-
27.	सेंट मेरी चर्च	मद्रास	मद्रास
28.	खलकेन्टेश्वर मंदिर	वेल्लोर	उत्तर अर्कोट जिला अम्बेदकर
29.	किले के अन्दर प्राचीन मस्जिद	-वही-	-वही-
30.	सुब्रमणि स्वामी मन्दिर	वल्लीभलाई	-वही-
31.	सोमनाथ मंदिर	मेल्यादी	-वही-
32.	जैन मंदिर	तिरूमलाई	तिरूवन्ना-मलाई शम्भूवा-रायार
33.	शैलकृत मंदिर और मूर्तियॉं	सियामंगलम	-वही-
34.	नरसिंह स्वामी मंदिर	नामक्काल	सलेम
35.	रंगनाथ स्वामी मंदिर	-वही-	-वही-
36.	चन्नकेशव मंदिर	चिन्नकावन्दूर	-वही-
37.	चननारायण पेरूमल मंदिर	आदियाम-न्कोत्ताई	धर्मपुरी
38.	सुग्रीस्वर मंदिर	सिरकार पेरिया पलयम	परियार
39.	जैन मंदिर	मेत्तुपुडर	-वही-
40.	मुरूगनाथ स्वामी मंदिर	तिरूमूर्गनपून्दी	कोइम्बतूर
41.	शिव मंदिर	अम्मन कुरिची	पुदुक-कोत्ताई

1	2	3	
42.	सुन्दरराजपेरूमल मंदिर	इरूम्बजादू	पुदुक-कोत्ताई
43.	शैलकृत शिव मंदिर	देवरमलाई	-वही-
44.	बालासुब्रमणियम मंदिर	कन्नौर	-वही-
45.	उथमानथेश्वर मंदिर	कोलाथन्यम	-वही-
46.	सिखनाथस्वामी मंदिर	कुदुमियांमलाई	-वही-
47.	शैलकृत शिव मंदिर	मलयक्कोइल	-वही-
48.	शैलकृत शिव और विष्णु मंदिर	मलयादिपत्ति	-वही-
49.	शिव और पिल्लईयार मंदिर	मंगुडी	-वही-
50.	मानन्धर पिल्लईथ्यार मंदिर	मल्नोलैवायल	-वही-
51.	शिव मंदिर	पोन्नमारवती	-वही-
52.	राजेन्द्रचोल ईश्वर मंदिर	-वही-	-वही-
53.	पुस्पवानेश्वर का शैलकृत मंदिर	पुवलक्कुडी	-वही-
54.	विष्णु और देवी का प्रस्तर मूर्तियां तथा शिव मंदिर	रासीपुरम	-वही-
55.	भूमीश्वर मंदिर	सेवालूर	-वही-
56.	शिव मंदिर	तेन्नागुडी	-वही-
57.	शिव मंदिर का कमरा	तिरूकलम्बूर	-वही-
58.	सुन्देश्वर मंदिर	तिरूक्कटालाई	-वही-
59.	शैलकृत शिव और विष्णु मंदिर	तिरूमयम	-वही-
60.	उत्तमनाथ स्वामी मंदिर	किरनपुर	-वही-
61.	शैलकृत गुफा मंदिर	कुन्नानडार कोईल	-वही-
62.	चालीश्वर मुदयार मंदिर	तिरूप्पूर	-वही-
63.	शिव मंदिर	तोदययूर	-वही-
64.	शिव मंदिर	वाराप्पुर	-वही-
65.	अगस्तीश्वर मंदिर	वेल्लानूर	-वही-
66.	लियर मंदिर के दो स्तम्भ	वीरामलाई	-वही-
67.	शिव मन्दिर	विसालूर	-वही-
68.	शिव मंदिर	अरियूर	-वही-
69.	विष्णु और श्रीदेवी मूर्तियां	सॅगिराय	-वही-
70.	शैलकृत गुफा मंदिर	कुन्नाकुडी	पुदुक-कोत्ताई
71.	कालावमुदयार मंदिर	ईरूम्बनादू	-वही-
72.	थेप्रकुलम के दक्षिणी बंद में ये मूर्तिगां	मदरापाते	-वही-
73.	कमलकन्नी अम्मन मंदिर	जिंगो	वेल्लूपुरम-रामास्वामी पदयाचियार
74.	साद-अत-उल्ला खान मस्जिद	-वही-	-वही-
75.	तलगिरीश्वर मंदिर	पनामलाई	-वही-
76.	निथिश्वर मंदिर	श्रीमुशनम	-वही-
	उत्तर प्रदेश		
1.	रिखियन, बरहा-कोटरा की दो बड़ी गुफाएं		बांदा
2.	नीलकंठ मंदिर	कालिंजर फोर्ट	बांदा
3.	बृहद मंदिर में अवशेष	रामनगर	बांदा
4.	देवी चन्द्र माहेश्वरी का मंदिर		बांदा
5.	झांसी किला के बगल में शिव मंदिर		झांसी
6.	प्राचीन ईंटा के मंदिर	कांथिल्लीपुर	कानपुर
7.	प्राचीन स्तम्भ	लाला भागर	कानपुर
8.	टेलीगरही, भागुपुर के स्थानी रूप से जाने वाले 10वीं शताब्दी के खंडीत ईंटों के मंदिर का समूह		सुल्तानपुर
9.	जामी मस्जिद	बांदा	बांदा
10.	हाथीखानी अथवा जयचन्दी मस्जिद	हाथीगॉव	फतेहपुर
11.	पुरानी नबाबी मस्जिद	अकबरपुर	फैजाबाद
12.	जराई का मठ	बारवासागढ़	झांसी
13.	हाजी इक्बाल की कब्र तथा मस्जिद		फैजाबाद
14.	जामी मस्जिद	महोबा	महोबा
15.	ओरई की मस्जिद		जालौन

1	2		3
16.	ईंटों की जामा मस्जिद		झांसी
17.	जामा मस्जिद		लखनऊ
18.	आसफ उद्दौला से संबंधित मस्जिद		लखनऊ
19.	तेहसिन अली की मस्जिद		लखनऊ
20.	बाहु, बेगम की मस्जिद कब्र	फैजाबाद	फैजाबाद
21.	सुजाउद्दौला की कब्र	फैजाबाद	फैजाबाद
22.	नबाब सदर जहाँ की कब्र	पेहानी	हरदोई
23.	नबाब दिलेर खान की मस्जिद	शाहाबाद	हरदोई
24.	इब्राहीम चिश्ती की कब्र		लखनऊ
25.	लखनऊ का कर्बला		लखनऊ
26.	इमामबाड़ा आमीनउद्दौला		लखनऊ
27.	आसफ उद्दौला का इमामबाड़ा		लखनऊ
28.	काज-में भवन		लखनऊ
29.	मलकाजहॉन का कर्बला		लखनऊ
30.	नसीरूद्दीन हैदर का कर्बला		लखनऊ
31.	गाजिउद्दीन हैदर की कब्र		लखनऊ
32.	लोटनबाग की कब्र		लखनऊ
33.	मोहम्मद अलीशाह की कब्र		लखनऊ
34.	क्वारदन मोहम्मद की कब्र	बांगरमऊ	लखनऊ

पश्चिम बंगाल

1.	मदनमोहन, मदनगोपाल	विष्णुपुर
2.	राधाश्याम	-वहो-
3.	राधाबिनोद	-वही-
4.	राधा माधव	-वही-
5.	लालजी	-वही-
6.	मल्लेश्वर मंदिर	-वही-
7.	रत्नेश्वर मंदिर	जगन्नाथ पुर
8.	श्याम सुन्दर मंदिर	मदनपुर
9.	प्राचीन मंदिर	बहुलारा
10.	शैलेश्वर	दोहार, जिला बंकुरा
11.	सेरेस्वर	-वही-
12.	जतरदेयोल	जाटा, जिला दक्षिणी 24, परगना
13.	राधाबिनोद मंदिर	जुदेवकन्दल
14.	बसूली का मंदिर	नानूर, जिला वीरभूम
15.	पांच मंदिरों का समूह	कलना
16.	सात अम्य मंदिर	-वही-
17.	चार प्राचीन मंदिरों का समूह	बेगुनिया
18.	रूद्रेस्वर मंदिर	बामुमारा
19.	बहरामशक्का की कब्र	बर्दवान
20.	शेरफगान	-वही-
21.	नवाब कुतुबुद्दीन	-वही-
22.	ब्रिंद्राबन चन्द्र मठ	गुप्तोपारा
23.	हंसेश्वरी	बांसबेरिया मंदिर
24.	वासुदेव मंदिर	-वही-
25.	जफरखान गाजी की मस्जिद	त्रिवेणी, जिला हुगली
26.	मंदिरों का चार बंगला समूह	बारानगर
27.	भवानीश्वर मंदिर	-वही-
28.	शाह अटा की दरगाह	गंगारामपुर, जिला दिनाजपुर
29.	क्रोरूनेशन थ्रौन	युकशांन जुग्दी मुनास्टेरी

पांडिचेरी

1.	मुलानाथस्वामी मंदिर	बाहौर
2.	महादेव मंदिर	मदागदीपदुदु
3.	पॉचअनादिश्वर मंदिर	तिरूवनदारकलेइल
4.	वारादरराज पेरूमल मंदिर	तिरूभुवन भाई
5.	स्वमभूनाथस्वामी मंदिर	न्यूनम्डु
6.	एकमवरेस्वर मंदिर	सेतु

उत्तर प्रदेश में मानेरमाली पन बिजली परियोजना

4637. डा॰ महादीपक सिंह शाक्य : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में मानेरमाली पनबिजली परियोजना का कार्य किस तिथि को आरम्भ किया गया था;

(ख) इसके पूरा होने की कार्य सूची का चरण-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे है और इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इसके पूरा होने में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए कोई पहल की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में मनेरी-भाली चरण-2 जल विद्युत परियोजना को वर्ष 1979-80 में आरंभ किया गया था तथा इसे 8 वर्षों में पूरा किए जाने का कार्यक्रम था राज्य सरकार के पास निधियों की कमी होने के कारण, प्रगति धीमी थी तथा कार्य वर्ष 1993-94 में रोक दिए गए। परियोजना की राज्य सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है तथा इसे 2002 में पूरा किए जाने की आशा है।

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत वित्त निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करना, लम्बित दावों के एक-मुश्त समायोजन के लिए एक समिति का गठन करना, के.वि.प्रा. के समय प्रस्तुत किए जाने हेतु एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना इत्यादि शामिल है।

[अनुवाद]

नियुक्ति के लिए हिन्दी को अनिवार्य करना

4638. **श्री वैको** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 से केन्द्रीय विद्यालयों में सभी श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए हिन्दी के ज्ञान को अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप अधिक योग्यता प्राप्त उम्मीदवार भी अध्यापक के पद के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस शर्त को समाप्त करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) भर्ती नियमों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और स्नातकोत्तर शिक्षक के पदों के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाने की क्षमता रखना अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) जी नहीं। पूरे देश के सभी विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम सामाजिक ज्ञान के लिए हिन्दी और गणित तथा विज्ञान के लिए अंग्रेजी है।

औद्योगिक और घरेलू प्रयोजनार्थ भारत में विद्युत शुल्क

4639. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** :
श्री डी॰एस॰ अहिरे :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में औसत विद्युत शुल्क अन्य देशों में विशेषकर हमारे पड़ोसी देशों में औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होने वाले शुल्क से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) देश में औसत विद्युत टैरिफ, इसकी आपूर्ति लागत (विद्युत उत्पादन लागत, जमा पारेषण एवं वितरण लागत), विद्युत कीमत निर्धारण संबंधी कानूनों और विनियमों पर निर्भर करती है। आपूर्ति की लागत कई सारे घटकों जैसे प्रौद्योगिकी, वित्त पोषण के तरीके, ब्याज दर, जल ताप मिश्रण, ईंधन की कीमत व स्रोत, समापन लागत, भौगोलिक क्षेत्र, भार घनत्व, शुल्क एवं करों इत्यादि पर निर्भर करता है। ये घटक विभिन्न देशों की टैरिफ समानता अर्जित करना दुष्कर बना देते है।

भारत और हमारे पड़ोसी देशों समेत कुछ अन्य देशों मे घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू औसत विद्युत टैरिफ का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	देश	वर्ष	घरेलू सीएल-1.5 कि.वा. 100 कि.वा.घं./माह	ऊर्जा	औद्योगिक सीएल-800 कि.वा.	ऊर्जा 0.2 मि.यू. एम डी 600 प्रति माह
1	2	3	4	5	6	7
1.	भारत	1996	2.6	92	6.1	218 (सी)
2.	बांग्लादेश	1992	3.8	136	5.6	200 (सी)

1	2	3	4	5	6	7
3.	पाकिस्तान	1992	1.6	57	2.8	100 (सी)
4.	श्रीलंका	1992	3.5	125	5.2	186 (सी)
5.	मलेशिया	1996	8.0	286	9.7	346
6.	चीन	1994	2.7	96	2.8	100
7.	फिलिपिंस	1997	6.4	228	9.7	346
8.	सिंगापुर	1996	10.5	375	8.3	296
9.	संयुक्त अमेरिका (बी)	1996	8.7	311	6.6	236
10.	यू.के.	1996	17.6	628	11.6	414
11.	जर्मनी	1995	8.0	286	4.3	161
12.	जापान (ए)	1992	22.0	785	16.0	571

(क) ये आंकड़े सभी विद्युत आपूर्ति यूटिलिटियों को अंकगणितीय औसत हैं।

(ख) यू.एस.ए. में दस शहरों का अंकगणितीय औसत।

(ग) मध्यम और एचटी उद्योगों के औसत को संयोजित किया गया है।

सीएस-सम्बद्ध भार

एम.डी.-अधिकतम मांगें

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में बिजली परियोजनाएं

4640. **श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल :**

श्री राम चन्द्र मलिक :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं को वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा निजी क्षेत्र को दी गई बुनियादी सुविधाओं का वे समुचित ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं;

(ग) राज्य-वार कौन-कौन सी परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पीछे जा रही हैं;

(घ) निजी क्षेत्र में जिन विद्युत परियोजनाओं के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किय गये हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वे विद्युत परियोजनाएं कब तक पूरी होंगी?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) भारत सरकार निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) आशय-पत्र (एलओआई) इत्यादि माध्यम पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 95 प्रस्तावों की मॉनिटरिंग कर रही है जिनकी कुल क्षमता 1,96,748.715 करोड़ रुपए की अनुमानत लागत पर 47871.54 मे.वा. है। इनमें से अभी तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) ने 44 प्रस्तावों को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। के.वि.प्रा. तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करते समय प्रत्येक विद्युत परियोजना के संबंध में वित्तीय समापन होने की तिथि से चालू-किए जाने के कार्यक्रम विनिर्दिष्ट करता है। तथापि, सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के बावजूद काफी संख्या में अनुमोदित परियोजनाएं उभर नहीं पाई हैं, तथा निजी प्रवर्तकों द्वारा वित्तीय समापन न किए जाने के कारण चालू किए जाने के कार्यक्रमों की अनुपालना करने में कठिनाई अनुभव कर रही है। उन अनुमोदित परयोजनाओं का ब्यौरा, जिनका वित्तीय समापन अभी किया जाना है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकृत परियोजनाएं जिनका अभी वित्तीय समापन नहीं हुआ है

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
हिमाचल प्रदेश		
1.	बासपा चरण-2 एचईपी (मे. जेपीआईएल)	300

1	2	3
	उत्तर प्रदेश	
1.	विषणुप्रयाग एचईपी (मै. जेपीआईएल)	400
2.	रोजा टीपीपी (इंडो-गल्फ् फर्टिलाइजर्स)	567
	राजस्थान	
1.	धौलपुर सीसीजीटी (मै. आरपीजी धौलपुर पावर कं. लि.)	702.7
2.	बरसिंगसर टीपीपी (मै. हिन्दुस्तान विद्युत कार्पो. लि.) आईसीबी रूट पर	500
	मध्य प्रदेश	
1.	महेश्वर एचईपी (मै. एस.कुमार्स लि.)	400
2.	कोरबा (पूर्व) टीपीपी (मै. डेबू पावर)	1070
3.	बीना टीपीपी (मै. बीना पावर सप्लाई कं.लि.)	578
4.	नरसिंहपुर सीसीपीपी (मै. जीबीएल पावर)	166
5.	कोरबा (पश्चिम) विस्तार (मै. आईटीपीएल)	420
6.	गुना सीसीजीटी (मै. एसटीआई पावर इंडिया लि.)	347.25
7.	पेंच टीपीपी (मै. पेंच पावर लि.)	500
8.	भिलाई टीपीपी (मै. भिलाई पावर सप्लाई कंपनी)	574
9.	रायगढ़ टीपीपी (मै. जिन्दल पावर लि.)	550
10.	भाण्डेर सीसीजीटी (मै. भाण्डेर पावर लि.)	342
11.	पीठमपुर डीजीपीपी (मै. शपूरजी पालोनजी पावर कं. लि.)	119.7
12.	रतलाम डीजीपीपी [मै. जीवीके पावर (रतलाम) लि.]	118.63
13.	खण्डवा सीसीजीटी (मै. मध्य भारत एलजी कार्पो. लि.)	171.17
	महाराष्ट्र	
1.	भद्रावती टीपीएस (मै. सेंट्रल इंडिया पावर)	1072
2.	पातालगंगा सीसीजीटी (मै. रिलायंस पातालगंगा पावर प्रा. लि.) आईसीबी रूट पर	447.1
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	विजाग टीपीएस (मै. एचएनपीसीएल)	1040

1	2	3
2.	रामागुंडम विस्तार (मै. बीपीएल ग्रुप)- आईसीबी रूट पर	520
3.	कोण्डापल्ली सीसीजीटी (लानको इंडस्ट्रिज लि.)-आईसीबी रूट पर	350
4.	कृष्णापट्टनम "ख" टीपीपी (बीबीआई पावर कृष्णापट्टनम कं.) आई सी बी रूट पर	520
	कर्नाटक	
1.	मंगलौर टीपीएस (मै. कोजेंट्रिक्स)	1013.2
	तमिलनाडु	
1.	नैवेली टीपीएस-जीरो यूनिट (मै.एसटी-सीएमएस)	250
2.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी (मै.पीपीएन पावर)	330.5
3.	उत्तरी मद्रास पीटीएस-2 (मै.वी डियोकोन पावर)	1050
4.	तूतीकोरिन टीपीपी चरण-4 (मै. एसपीआईसी)	525
5.	समयानल्लूर डीजीपीपी (मै. बालाजी पावर कार्पो. लि.)	106
6.	समलपट्टी डीजीपीपी (मै. समलपट्टी पावर कं.)	106
	उड़ीसा	
1.	ईब वैली टीपीएस (यूनिट-3 और 4) ईब वैली कार्पो.	420
	पश्चिम बंगाल	
1.	बालागढ़ टीपीएस (मै. बालागढ़ पावर कंपनी)	500
2.	बक्रेश्वर टीपीपी (बक्रेश्वर पावर जनेरशन कं. लि.)	420
	बिहार	
1.	जोजोबेरा टीपीपी (मै. जमशेदपुर पावर कं.)	240

कुल 35 परियोजनाएं (जल+ताप विद्युत) : 16,736 मे.वा.

[अनुवाद]

प्राप्तांकों की जांच करना

4641. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा : क्या मानव संसाधन विकास *मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) मार्च, 1998 में हुई दसवीं कक्षा की परीक्षा पत्रों की जांच करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) तत्संबंधी विषयवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के इतिहास में इतनी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होना एक नया रिकार्ड है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्ष 1998 में बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद एक या एक से अधिक विषयों में अंकों की जांच के लिए 13189 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन दिए गए हैं। आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 14-7-1998 थी। डाक विभाग की हड़ताल के कारण विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदनों को शामिल करने के बाद अन्तिम आंकड़ां बदल सकता है। अंकों की जांच के लिए प्राप्त अनुरोधों के विषय-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इस तथ्य के बावजूद कि बोर्ड की कक्षा दसवीं की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है, अंकों की जांच के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में पिछले दो वर्षों की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

विवरण

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 1998 में आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद अंकों की जांच के लिए प्राप्त अनुरोधों के विषय-वार ब्यौरे

विषय	प्राप्त अनुरोधों की संख्या
1	2
अंग्रेजी क	3349
अंग्रेजी ख	990
हिन्दी क	1784
हिन्दी ख	501
गुजराती	12
उर्दू	02
पंजाबी	52
बंगला	03
तमिल	17
सिंधी	02
फ्रांसिसी	44
जर्मनी	07
रूसी	06
संस्कृत	395
गणित	4776
गृह-विज्ञान	0
विज्ञान (प्रायोगिक के साथ)	3236
समाज विज्ञान	4898
विज्ञान (बिना प्रायोगिक के)	11
वाणिज्य विषय	14
मराठी	03
मणिपुरी	02
मलयालम	12
कन्नड़	05
नेपाली	01
उड़िया	02

महाराष्ट्र में डाकघर शाखाओं का उन्नयन

4642. श्री विट्ठल तुपे :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, विशेशरूप से खेड़, नासिक, पुणे और धुले क्षेत्र की डाकघर शाखाओं का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन शाखाओं का कब तक उन्नयन करने की आशा है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कुछ और स्थानों पर डाकघर की कुछ और शाखाएं खोलने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में स्टेडियम

4643. **श्री रंजीब बिस्वाल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की सहायता से उड़ीसा में अब तक कितने स्टेडियमों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1998-99 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ और स्टेडियमों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने स्टेडियमों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, उड़ीसा में केन्द्रीय सहायता से 13 स्टेडियमों के निर्माण को अनुमोदित कर दिया गया है। तथापि, अभी तक केवल तीन स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है।

(ख) खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों संबंधी संशोधित योजना में जिसको जल्दी ही अंतिम रूप दे दिये जाने की आशा है, सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में स्टेडियमों के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद ही नए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

(ग) यह राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध धनराशि की मात्रा पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या

4644. **श्री विजय गोयल :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए स्वीकृत सभी पदों को भर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय में, 1.7.1998 को, 31 स्थायी/अपर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के प्रति, 27 स्थायी/अपर न्यायाधीश पदासीन थे।

ऐसी नियुक्तियों को प्रक्रिया में, अनेक सांविधानिक प्राधिकरणों के मध्य परामर्श अन्तर्ग्रस्त है। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायधीशों/अपर न्यायाधीशों की विद्यमान रिक्तियों को अतिशीघ्र भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

[अनुवाद]

शिपयार्डों को मुनाफा

4645. **श्री पी॰सी॰ थामस :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों ने लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए शिपयार्ड-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के नियंत्रण में 7 सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड हैं जिनमें से 4 शिपयार्ड लाभ अर्जित कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 4 शिपयार्डों द्वारा अर्जित लाभ के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रु॰)

शिपयार्ड का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
गोवा शिपयार्ड, वास्को ड गामा, गोवा	44.71	60.06	62.34
कोचीन शिपयार्ड लि., कोचीन	11.16	18.46	12.56
मझगांव डॉक लि., मुम्बई	29.83	12.94	23.97
गार्डनरीच शिपबिल्डर्ज एंड इंजीनियर्स लि., कलकत्ता	15.82	14.51	15.98

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के तीन शिपयार्ड अर्थात् हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. विशाखापत्तनम, हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि., कलकत्ता और केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम (सी आई डब्ल्यू टी सी) का राजाबागान डाकयार्ड कलकत्ता लाभ अर्जित नहीं कर रहे हैं। इसके मुख्या कारण इस प्रकार हैं:-

(i) कमजोर आर्डर बुक स्थिति,

(ii) निरन्तर आदेशों का अभाव

(iii) निम्न उत्पादकता,

(iv) डिलीवरी में विलम्ब,

(v) पोत निर्माण आदेशों में लागत-मूल्य में भारी अंतर।

दूरदर्शन द्वारा फुटबाल खेल का घटिया प्रसारण

4646. श्री के॰एस॰ राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दर्शकों और प्रचार माध्यमों से फुटबाल मैचों और समाचार बुलेटिनों के खराब प्रसारण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है और वे किस तरह की हैं;

(ग) क्या सरकार ने खराब प्रसारण के लिए मूल कारण की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो की गई जांच का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या ऐसी भी आम शिकायत है कि केबल नेटवर्क की दूरदर्शन के समाचार बुलेटिनों के निर्बाध प्रसारण में विशेषरूप से शहरी क्षेत्रों में, बाधा पहुंचा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा दूरदर्शन का निर्बाध प्रसारण सुनिश्चित करने और केबल नेटवर्क पर नियंत्रण रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (च) हालांकि इस प्रकार की कोई औपचारिक शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं तथापि, विश्व कप फुटबाल और अन्य कार्यक्रमों के दूरदर्शन द्वारा प्रसारण के अभिग्रहण की गुणवत्ता के संबंध में दर्शकों के असंतोष संबंधी सामान्य शिकायतें तथा रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। ये आवश्यक रूप से केवल नेटवर्कों के माध्यम से असंतोषजनक अभिग्रहण से संबंधित हैं जो कि प्राप्त सूचना के अनुसार सामान्यतः दूरदर्शन के स्थलीय सिग्नलों को उपयुक्त डिश एंटेना के माध्यम से टेलीविजन सिग्नल प्राप्त न करके अपनी केबल प्रणालियों द्वारा प्रसारित करते हैं। कुछ मामलों में केबल आपरेटरों के उपस्कर की घटिया गुणवत्ता के कारण भी केबल नेटवर्क पर दूरदर्शन के अभिग्रहण की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है।

(छ) दूरदर्शन अपने दर्शकों को अपने केबल आपरेटरों से सिग्नल डिश एंटेना के माध्यम से प्रसारित करने का अनुरोध करने अथवा स्पष्ट अभिग्रहण के लिए स्वयं का यागी (रॉड) एंटेना स्थापित करने हेतु प्रेरित भी करता रहा है। सरकार, प्रस्तावित प्रसारण विधेयक जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केबल नेटवर्क को भी कवर किया गया है, सहित उपयुक्त उपायों के माध्यम से इस समस्या को हल करने का विचार रखती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृतिक बल

4647. श्री चिन्ता मोहन :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योगों के लिए गठित राष्ट्रीय कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट सरकार को किस तारीख को प्राप्त हुई;

(ग) इस कृतिक बल को मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी हां। 4.7.98 को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) रिपोर्ट में कुल 108 सिफारिशें शामिल हैं। राष्ट्रीय कार्य बल की मुख्य सिफारिशों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) राष्ट्रीय कार्य बल की सिफारिशों की जांच के लिए सरकार ने मंत्रियों का एक दल गठित किया है।

विवरण

राष्ट्रीय कार्य बल की मुख्य सिफारिशें

राष्ट्रीय कार्य-बल की मुख्य सिफारिशों का लक्ष्य निम्नलिखित बुनियादी उद्देश्य पूरे करना है :-

(i) **इन्फो इन्फरास्ट्रक्चर ड्राइव (अभियान) :** इंटरनेट, एक्सट्रानेट और इन्टरानेट का तीव्र देश-व्यापी आरंभ सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय इन्फोरमैटिक्स इन्फरास्ट्रक्चर (एलआईआई), राष्ट्रीय इन्फोरमैटिक्स इन्फरास्ट्रक्चर (एनआईआई) और ग्लोबल इन्फोरमैटिक्स-इन्फारास्ट्रक्चर (जीआईआई) की अनवरोध अंतः संयोजित करने के लिए फाइबर आप्टिक नेटवर्क, सैटकॉम नेटवर्क और वायरलैस नेटवर्क का व्यापक रूप से प्रचार करते हुए, विश्व मान्य इन्फोइन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के अभियान को तेज करना।

(ii) **लक्ष्य आई टैक्स-50 :** वर्ष 2008 तक 2 ट्रिलियन डॉलर आई टी उद्योग की क्षमता के साथ, आई टी साफ्टवेयर और आई टी सेवाओं (आईटी समर्थ सेवाओं सहित) के 50 मिलियन डॉलर के वार्षिक निर्यात का लक्ष्य पूरा करने हेतु भारतीय आई टी उद्योग के लिए इस वर्ष तक एक नीति बनाना।

(iii) 2008 तक सभी के लिए सूचना टेक्नालॉजी : देश के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का गहन

प्रयोग सुनिश्चित करते हुए, वर्ष 2008 तक इंटरनेट/एक्ट्रानेट/इंटरानेट तक व्यापक "संपर्कता के साथ-साथ 1998 के प्रति 500 व्यक्ति पर एक पीसी/सेट बॉक्स की दर को प्रति 50 व्यक्ति एक पीसी/सेट टॉप बाक्स तक बढ़ाना। 600,000 से भी अधिक मौजूदा सार्वजनिक टेलीफोन/पब्लिक कॉल आफिसों को सार्वजनिक टेली-इनफो सेन्टर में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जहां विविध प्रकार की मल्टी मीडिया सूचना सेवाएं उपलब्ध होंगी। 2008 तक सभी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आधार तैयार करने, आई टी साक्षरता प्रचार करने, सभी सरकारों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने आईटी आधारित आर्थिक विकास, गांवों में आईटी का प्रचार करने तथा टेली बैंकिंग, टेलीमेडिसीन, टेलीशिक्षा, टेली-डाकूमेंटस ट्रांसफर, टेली लाइब्रेरी, टेलीइनफो सेन्टर, इलेक्ट्रानिक व्यापार पब्लिक कॉल सेण्टर जैसी दिन प्रतिदिन की आईटी सेवाओं के संबंध में नागरिकों को प्रशिक्षण देना तथा विश्व स्तर के आई टी व्यावसायिकों के प्रशिक्षण के लिए नीतियां तैयार की जाती हैं।

[अनुवाद]

विद्युत संकट

4648. **श्री राम चन्द्र मलिक :**

श्री टी॰ गोविन्दन :

श्री के॰ येरननायडू :

श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल :

श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश कि अनेक भागों में बिजली का गंभीर संकट है;

(ख) देश में इस समय राज्य-वार बिजली की वास्तविक मांग और पूर्ति कितनी है;

(ग) बिजली का उत्पादन बढ़ाने और पारेषण व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विद्युत क्षेत्र के संबंध में कोई श्वेत-पत्र जारी करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक जारी किया जाएगा; और

(च) देश में बिजली की खराब स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) अप्रैल-जून, 1998 के दौरान देश में राज्य-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रक्षेपित मांग को पूरा करने और पारेषण प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाये हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : क्षमता अभिवृद्धि, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, विद्यमान संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के माध्यम से संयंत्र भार अनुपात में सुधार अंतर क्षेत्रीय लिंकों के माध्यम से अधिशेष विद्युत क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत का अंतरण करके मौजूदा विद्युत उत्पादन क्षमता का प्रभावी समुपयोजन आदि।

(घ) और (ङ) विद्युत क्षेत्र के संबंध में श्वेत पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) सरकार ने देश में विद्युत की स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत कानूनों में संशोधन करना, राज्य बिजली बोर्डो की पुनर्संरचना करना, केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना के लिए अधिक बजटीय आबंटन करना, राज्य क्षेत्र में निर्माणाधीन स्कीमों को तेजी से पूरा करने के लिए ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और प्रणाली सुधार करना, बड़ी परियोजनाओं के लिए एक नीति तैयार करना, क्षेत्रीय एकीकृत प्रचालन को प्रोत्साहन प्रदान करना और अंतर्राज्जीय/क्षेत्रीय विद्युत अंतरण को अधिकतम करना तथा विद्युत प्रणाली, पारेषण एवं रूपान्तरण क्षमता में अभिवृद्धि करना ऊर्जा संवर्धन उपाय और बेहतर भार प्रबन्धन आदि शामिल हैं।

विवरण

वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति

(सभी आकंड़े मि.यू. निवल में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल, 98 से जून, 98			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	प्रतिशत
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़	270	267	3	1.1
दिल्ली	4280	4149	131	3.1

1	2	3	4	5
हरियाणा	3570	3397	173	4.8
हिमाचल प्रदेश	696	696	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	1315	1293	22	1.7
पंजाब	7015	6639	376	5.4
राजस्थान	5425	5212	213	3.9
उत्तर प्रदेश	10795	9806	989	9.2
जोड़ (उ.क्षे.)	*33366*	*31459*	*1907*	*5.7*
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	11628	10930	698	6.0
मध्य प्रदेश	8221	7857	364	4.4
महाराष्ट्र	16771	16270	501	3.0
गोवा	364	364	0	0.0
जोड़ (प.क्षे.)	*36984*	*35421*	*1563*	*4.2*
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	10324	9156	1168	11.3
कर्नाटक	6639	5551	1088	16.4
केरल	3075	2726	349	11.3
तमिलनाडु	9919	8296	1623	16.4
जोड़ (द.क्षे.)	*29957*	*25732*	*4225*	*14.1*
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	2110	1914	196	9.3
डीवीसी	1864	1954	90	4.8
उड़ीसा	2525	2555	30	1.2
पश्चिम बंगाल	4018	4146	128	3.2
जोड़ (पू.क्षे.)	*10517*	*10559*	*42*	*0.4*
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
अरूणाचल प्रदेश	36.3	28.6	7.7	21.2
असम	763.0	675.2	87.8	11.5
मणिपुर	125.8	114.8	11.0	8.7
मेघालय	98.7	105.1	6.4	6.5
मिजोरम	53.6	44.3	9.3	17.4

1	2	3	4	5
नागालैंड	51.9	41.6	10.3	19.8
त्रिपुरा	132.7	127.4	5.3	4.0
जोड़ (उ.पू.क्षे.)	1262.0	1137.0	125.0	9.9
अखिल भारत	112086	104308	7778	6.9

[हिन्दी]

राजनीतिक दलों पर बकाया राशि की वसूली

4649. **श्री प्रदीप कुमार यादव :**

श्री पी॰एस॰ गढ़वी :

श्री विजय गोयल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनीतिक दलों और संगठनों पर राजनीतिक दल-वार और संगठन-वार कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ख) बकाया राशि की वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जानकारी मंगाई गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वानिकी के लिए कार्य योजना

4650. **श्री मुकुल वासनिक :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन क्षेत्र में कमी आई है और परिणामतः पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में वानिकी कार्यक्रम शुरू करने के लिए कोई संशोधित कार्य-योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। 1981-1993 की अवधि में देश में वन आवरण में भौगोलिक क्षेत्र के 19.52 प्रतिशत से घटकर 19.46 प्रतिशत की मामूली कमी आई है।

(ख) और (ग) 1. इस मंत्रालय ने संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों से अनुरोध किया है कि वे वन आवरण ह्रास को गंभीरता से लें और वन आवरण ह्रास के लिए जिम्मेदार घटकों का गहराई से विश्लेषण करें तथा ह्रास की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रभावकारी नीति और कार्य योजना तैयार करें ताकि आने वाले वर्षों में वन आवरण में वृद्धि की जा सके।

2. राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता से वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 78.6 लाख हैं भूमि पर वनीकरण किया गया है।

3. आठवीं योजना के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए वानिकी क्षेत्र में कार्यकलाप तैयार करने के संबंध में सिफारिशें करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया था। इस कार्यदल ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 150 लाख हैं वनीकरण सहित वानिकी क्षेत्र के लिए 21,102 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

4. योजना आयोग ने भी सभी राज्य सरकारों को रोजगार आश्वासन योजनाओं और जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक के लिए कम से कम 10 प्रतिशत निधि वनीकरण कार्यकलाप के लिए अलग से रखने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

लोक अदालतें

4651. **श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई और इनमें कितने मामले निपटायें गए;

(ख) क्या सरकार का विचार लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने की दृष्टि से देश में और अधिक लोक अदालतें आयोजित करने हेतु प्रयास करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रवर्तन के पश्चात् लोक अदालतें संबद्ध राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा सम्पूर्ण देश में आयोजित की जा रही हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालतों को मानीटर करता है और उनका अनुसमर्थन करता है तथा समय-समय पर उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायमूर्तियों से, जितनी अधिक संभव हों उतनी लोक अदालतें आयोजित करने के लिए और उनमें सुलहपूर्ण समझौते के लिए मामलों के अधिकाधिक प्रवर्गों को शामिल करने के लिए अनुरोध करता रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने, मुख्य न्यायमूर्तियों (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के मुख्य संरचनों) से, प्रत्येक जिले में स्थायी और निरन्तर लोक अदालतें स्थापित करने का भी अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग की खराब हालत

4652. **श्री वैद्य विष्णु दत्त :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग की हालत बहुत खराब है और इस पर प्रतिवर्ष कई दिनों तक यातायात बंद रहता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने दिनों तक यातायात बंद रहा; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष सड़क को यातायात के लिए खोलने और इसकी मरम्मत करने में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) कुल 288 कि.मी. लम्बे जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग में से 68 कि.मी. भाग में प्रति वर्ष प्रायः भारी हिमपात, भू-स्खलन और हिम स्खलन होता है। सड़क की सतह क्षतिग्रस्त हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप वह बार-बार अवरूद्ध हो जाती है और नवम्बर से मार्च तक बर्फ हटाना तथा मानसून के दौरान स्खलित भूखंडों को हटाना आवश्यक होता है। तथापि, सड़क को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए इन क्षतियों की तुरन्त मरम्मत की जाती है।

(ख)

वर्ष	*दिन संख्या*
1995-96	20
1996-97	17
1997-98	11

(ग)

वर्ष	*खर्च की गई राशि (करोड़ रु.)*
1995-96	12.00
1996-97	17.77
1997-98	16.51

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण में सुधार

4653. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन बोर्डों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिये कोई योजना बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त लेखों के विवरण के अनुसार 1993-94 में सभी राज्य बिजली बोर्डों की कुल वाणिज्यिक हानियां (बिना आर्थिक सहायता के) 3018.91 करोड़ रुपये थी तथा 1995-96 में यह बढ़कर 6748.68 करोड़ रुपये (बिना आर्थिक सहायता के) हो गई। रा.बि.बो. की खराब वित्तीय स्थिति भारतीय विद्युत क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है।

(ख) और (ग) सरकार ने हाल ही में केन्द्र में केन्द्रीय विद्युत आयोग तथा राज्य विद्युत नियामक आयोगों की स्थापना के लिए विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को लागू किया है इससे टैरिफों के यौक्तिकरण में सहायता मिलेगी तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो वहां सुस्पष्ट आर्थिक सहायता हेतु प्रावधान भी करने है। राज्य सरकारों के पास विनियामक आयोगों द्वारा सिफारिश की गई आर्थिक सहायता के अलावा भी आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का विकल्प है। इस तरह की आर्थिक सहायता में कृषि तथा/अथवा कमजोर वर्गों को रियायती विद्युत शामिल हो सकती है बशर्ते राज्य सरकारें पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान करके रा.बि.बो. की प्रतिपूर्ति करें जब टैरिफों का यौक्तिकरण हो जाएगा तथा बजटीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी, रा.बि.बो. अपनी वित्तीय स्थिति तथा निवेश करने की क्षमता में सुधार कर सकेंगे।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शहरों में ध्वनि प्रदूषण

4654. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :**
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न महानगरों में ध्वनि प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) भारत के प्रमुख महानगरों में शोर की बढ़ती प्रवृति देखी गई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के मुख्य शहरों में शोर प्रदूषण सर्वेक्षण किए हैं जिनसे पता चला कि औद्योगिक क्षेत्रों में शोर के स्तर सामान्यतः निर्धारित सीमा के अंदर पाए गए, लेकिन आमतौर पर कुछ वाणिज्यिक आवासीय और शांत क्षेत्रों में ये स्तर निर्धारित मानदण्डों से अधिक थे।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा शोर प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- शोर प्रदूषण को 1987 में यथासंशोधित वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में शामिल किया गया है। क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और शांत क्षेत्र) के लिए शोर के संबंध में परिवेशी वायु मानदण्ड पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए।
- मोटर वाहनों, घरेलू उपकरणों और निर्माण उपकरणों के लिए भी निर्माण स्तर पर शोर की सीमाएं निर्धारित की गई हैं।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों और मोटर वाहनों के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से शोर को नियंत्रित करने के लिए कार्य संहिताएं तैयार की हैं। इसमें शामिल हैं :- सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली, वायुयान संचालन, रेलवे संचालन, निर्माण कार्य और पटाखे छोड़ना। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे संबंधित स्थानीय नियमों के अंतर्गत इन कार्य संहिताओं को लागू करें।
- शोर के प्रभावों पर पर्यावरणीय जागरूकता अभियान सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंगलौर में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा

4655. **श्री एच॰जी॰ रामुलू** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर में आधुनिक राष्ट्रीय कला दीर्घा स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने प्रस्तावित दीर्घा के लिए भवन प्रदान किया है;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक कार्य करना शुरू कर देगी; और

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान उक्त दीर्घा को कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने "मनि क्या वेलू भवन" देने का प्रस्ताव दिया है।

(ग) विनिर्दिष्ट तिथि भवन सौंपे जाने और आवश्यक मरम्मत और पुनरोद्धार कार्य करने के पश्चात् ठीक किये जाने पर निर्भर है।

(घ) सरकार ने इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1998-99 के योजनागत बजट में 10 लाख रुपये की राशि आबंटित की है।

[हिन्दी]

नए डाकघर

4656. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री नृपेन गोस्वामी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्यवार कितने विभागीय उप-डाकघर और विभागेतर शाखा डाकघर स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या देश में उक्त डाकघर की स्थापना करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इनके लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि कितनी रही;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत डाकघरों में से कतिपय डाकघरों की स्थापना नहीं की गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित डाकघरों एवं तारघरों में सुधार की आवश्यकता है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (घ) डाकघर खोलने के लिए लक्ष्यों का आबंटन डाक

सर्किलवार किया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान डाक सर्किलवार निर्धारित किए गए लक्ष्य और मंजूर किए गए डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) जी हां।

(च) इस अवधि के दौरान कुछ विभागीय डाकघर नहीं खोले जा सके क्योंकि स्थान उपलब्ध नहीं था।

(छ) और (ज) ग्रामीण तार सेवा में विस्तार, पंहुच, उपलब्धता और सेवा की गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार लाने के लिए तार विभाग निरंतर प्रयासरत् रहा है। अप्रचलित मोर्स की तथा साउंडर्स के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक की स्थापित करने जैसे प्रौद्योगिकीय उपाय अपनाए जा रहे हैं।

डाक विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं को बेहतर बनाने का उद्‌देश्य डाक नेटवर्क के विस्तार, उपग्रह के माध्यम से पारेषण मनीआर्डरों के द्वारा तथा वितरण व्यवस्था में सुधार करके प्राप्त किया जाना है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान सर्किलवार निर्धारित लक्ष्य तथा मंजूर किए गए डाकघर

क्र.सं.	सर्किल का नाम	आबंटित लक्ष्य		मंजूर किए गए डाकघर	
		अ.वि.शा.डा.*	वि.उ.डा.**	अ.वि.शा.डा.*	वि.उ.डा.**
1.	आंध्र प्रदेश	42	25	26	28
2.	असम	63	18	63	15
3.	बिहार	183	49	184	25
4.	दिल्ली	1	41	–	25
5.	गुजरात	59	49	59	32
6.	हरियाणा	28	40	34	24
7.	हिमाचल प्रदेश	53	29	128	9
8.	जम्मू एवं कश्मीर	12	8	28	3
9.	कर्नाटक	34	42	39	40
10.	केरल	35	36	48	44
11.	मध्य प्रदेश	113	37	102	28
12.	महाराष्ट्र	163	51	172	62
13.	उत्तर-पूर्व	82	18	79	7
14.	उड़ीसा	87	21	94	12
15.	पंजाब	27	19	25	18
16.	राजस्थान	105	43	104	26
17.	तमिलनाडु	30	24	24	19
18.	उत्तर प्रदेश	206	73	244	40
19.	पश्चिम बंगाल	117	27	93	9
	कुल	1440	650	1546	466

* अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

** विभागीय उप डाकघर

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक इकाइयों को सीधे बिजली की आपूर्ति किया जाना

4657. **श्री एन॰ जनार्दन रेड्डी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा राज्यवार किन-किन औद्योगिक इकाइयों को सीधे बिजली की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) इन इकाइयों को राज्य-वार और इकाई वार कुल कितनी मात्रा में वार्षिक आपूर्ति की गयी; और

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बिजली की सीधी आपूर्ति करने के कारण राज्य विद्युत बोर्डों को कुल कितना नुकसान हुआ?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) किसी भी औद्योगिक इकाई को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत की प्रत्यक्ष आपूर्ति नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार में शेखपुरा में दूरदर्शन स्टूडियो

4658. **श्री राजो सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में शेखपुरा में दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना की मांग लम्बे समय से केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेहरू युवा केन्द्र

4659. **श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक** :

श्री दत्ता मेघे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) राज्य-वार, आज तक देश में कितने नेहरू युवा केन्द्र कार्यरत हैं; और

(ग) उन स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां 1998-99 के दौरान इस प्रकार के केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) नेहरू युवा केन्द्रों की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गैर छात्र युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कार्यक्रम तथा गतिविधियां शुरू करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। इस उद्देश्य का आगे प्रवर्चन करते हुए, यह परिकल्पना की गई थी कि भारत सरकार देश के सभी जिलों में नेहरू युवा केन्द्र स्थापित करेगी।

(ख) आज की तारीख तक देश में कार्यरत नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या 500 है। राज्य-वार सूची विवरण में दी गई है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

कार्यरत नेहरू युवा केन्द्रों की राज्य वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	06
2.	आंध्र प्रदेश	23
3.	अरुणाचल प्रदेश	04
4.	असम	23
5.	बिहार	50
6.	चण्डीगढ़	01
7.	दादरा व नगर हवेली	01
8.	दमन व दीव	02
9.	दिल्ली	03
10.	गोवा	03
11.	गुजरात	18
12.	हरियाणा	16
13.	हिमाचल प्रदेश	12
14.	जम्मू व कश्मीर	14
15.	कर्नाटक	20
16.	केरल	14
17.	लक्षयदीप	01
18.	मध्य प्रदेश	48

1	2	3
19.	महाराष्ट्र	30
20.	मणिपुर	9
21.	मेघालय	5
22.	मिजोरम	03
23.	नागालैंड	07
24.	उड़ीसा	15
25.	पाण्डिचेरी	04
26.	पंजाब	14
27.	राजस्थान	30
28.	सिक्किम	04
29.	तमिलनाडु	32
30.	त्रिपुरा	03
31.	उत्तर प्रदेश	63
32.	पश्चिम बंगाल	22
	योग	500

[हिन्दी]

बिहार में सारन में दूरदर्शन केन्द्र

4660. श्री हीरा लाल राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी तक किन-किन जिला मुख्यालयों में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है;

(ख) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान बिहार में सारन जिला मुख्यालय में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दूरदर्शन ट्रासंमीटरों की अवस्थिति संबंधी जिला मुख्यालय-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। देश के सभी जिले पूर्ण अथवा आंशिक रूप से उसी अथवा आसपास के जिलों में स्थित मौजूदा टी.वी. ट्रांसमीटरों द्वारा स्थलीय रूप से कवर किए जाते हैं। उपग्रह, डिश एंटिना अथवा जहां केबल आपॅरेटर उपलब्ध हैं उनके माध्यम से पूरे देश में दूरदर्शन के संकेत प्राप्त करना भी संभव है। तथापि, उन जिलों में जहां दूरदर्शन ट्रांसमीटर भौतिक रूप से स्थापित नहीं हैं उनके राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश के वे जिले, जहां दूरदर्शन ट्रांसमीटर वर्तमान में स्थापित नहीं हैं :-

राज्य	जिला
असम	बारपेटा, दरांग, धमजी, हैलाकण्डी, करीमगंज, मारिगांव, नलबाड़ी
बिहार	पूर्णिया, जहानाबाद, किशनगंज, साहिबगंज, नालंदा, वैशाली, सारण, समस्तीपुर
गोवा	दक्षिण गोवा
हरियाणा	अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर
जम्मू और कश्मीर	बदगाम, पुलवामा
कर्नाटक	बंगलौर ग्रामीण
महाराष्ट्र	लातूर
मणिपुर	बिष्णुपुर, तमंगलांग, थोउबल, चुराचादंपुर
मध्य प्रदेश	देवास, धार, रायसेन
पंजाब	फरीदकोट, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, संगरूर
राजस्थान	धौलपुर
तमिलनाडु	मदुरई, पासुम्पोन, थेवर टी, पेरियार
उत्तर प्रदेश	बाराबंकी, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, जौनपुर, कानपुर देहात, महाराजगंज, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उन्नाव
पश्चिम बंगाल	हावड़ा, हुगली, कोच बिहार, नं. 24 परगना।

रायपुर, मध्य प्रदेश में पी॰आई॰बी॰ कार्यालय

4661. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रायपुर, मध्य प्रदेश में प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो पुनः चालू करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पुनः चालू कर दिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) रायपुर में पत्र सूचना कार्यालय को पुन चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों द्वारा धनराशियों का उपयोग नहीं किया जाना

4662. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें विभिन्न शिक्षा मदों पर केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाई है तथा उन्हें लौटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने गत वर्ष के दौरान धनराशि लौटाई है तथा राज्य-वार कितनी राशि लौटाई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी गई धनराशि का पूरी तरह उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली

4663. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने अप्रैल, 1996 में ए॰टी॰ एंड टी॰ को नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एन॰एम॰एस॰) स्थापित करने के लिए ठेका दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी राशि लगी;

(ग) क्या एन.एम.एस. अब तक नही लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रणाली की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां।

(ख) यह ठेका नेटवर्क प्रबंधन तथा निगरानी प्रणाली के प्रापण के लिए था। इस ठेके का मूल्य 78.50 करोड़ रुपये था।

(ग) जी हां।

(घ) आदेश दिए जाने के बाद, ठेकेदार के अनुरोध पर आर्डर विनिर्देशन/सामग्री की सूची के कारण बिलम्ब हुआ। सामग्री की सूची में परिवर्तन के कारण ठेके का मूल्य 78.50 करोड़ रुपये से 52.16 करोड़ रुपये हो गया जिसकी मूल्य निर्धारित समिति द्वारा समीक्षा की जानी थी।

(ङ) 52.16 करोड़ रु. के घटे हुए मूल्य पर 12 महीने के अंदर डिलीवरी देने के लिए मै. एटीएंडटी (अब मै. ल्यूसेंट टेक) को संशोधित पेशकश दी गई। कुछ शर्तों पर इस पेशकश के संबंध में उन लोगों ने अपनी सहमति भेज दी है, जिसकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

डोल्फिन

4664. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लुप्तप्रायः समुद्री प्रजातियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में डोल्फिन के अस्तित्व को खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे लुप्त होने के बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) भारतीय क्षेत्र में बहुत सारी संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों की वास्तविक संख्या संबंधी अनुमान का कार्य नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कुछ प्रजातियों पर उपलब्ध सूचना निम्नलिखित है :-

	प्रजातियां	भारतीय महासागर में संख्या
1.	मिन्क व्हेल	5000
2.	फिन व्हेल	500
3.	से व्हेल	15,000
4.	ब्राइडज़ व्हेल	5000
5.	हमबैक व्हेल	लगभग 3000
6.	ब्लैक राईट व्हेल	500-1000
7.	फिनलैस पोटपौआइज	1000-3000

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा डालफिन की सुरक्षा के लिए उठाये कदमों में सम्मिलित है :-

(i) इस प्रजाति को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है और इसके शिकार को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

(ii) जब कभी भी डालफिन के अवैध रूप से पकड़े जाने की सूचना वन्यजीव प्राधिकारियों को मिलती है, वे छापा मारते हैं।

(iii) भारत के संबंधित रेंज राज्यों को निम्नांकिंत मापदण्डों का अनुसरण करने की सलाह दी गई है :-

(क) नदी डालफिन्स को दुर्घटना मृत्यु से बचाने के लिए मत्स्य विभागों को मछली पकड़ने वाले जाल के छिद्रों के आकारों को नियन्त्रित करना चाहिए।

(ख) मछली पकड़ने के लिए नदी के किसी भी हिस्से में मच्छरदानियों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

(ग) मछुआरों को मछलियों को जाल में फंसाने के लिए आकर्षित करने के लिए डालफिन तेल को प्रयोग नहीं करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

(घ) जागरूकता अभियान तेज किया जाना चाहिए।

(ङ) इसकी स्थिति, जीव विज्ञान और अन्य संरक्षण दृष्टिकोणों के अध्ययन के लिए विभिन्न संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

(च) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना भी इसके वासस्थलों में सुधार के लिए शुरू की गई है।

आप्टीकल फाइबर केबल

4665. डा॰ असीम बाला : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के विभिन्न ग्रामीण दूरभाष केन्द्रों में वर्तमान तारों को आप्टीकल फाइबर केबल से बदलने के बारे में अब तक स्थानवार क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या इस बारे में सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता नेटवर्क में मौजूदा कापर केबलों को ऑप्टिकल फाइबर केबलों से बदलने की कोई योजना नहीं है। तथापि, एस टी डी सेवाओं का उन्नयन करने के लिए ग्रामीण एक्सचेंजों में कुछ मौजूदा जंक्शन केबलों को ऑप्टिकल फाइबर केबलों से बदले जाने की योजना हैं। स्थान-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान कार्य पूरा हो जाने की योजना है बशर्ते कि सामग्री समय पर उपलब्ध हो।

विवरण

क्र.सं.	एक्सचेंजों के नाम जहां सुविधा प्रदान की जानी है।	ओ एफ सी द्वारा बदले जाने वाली केबल का विस्तार	लक्षित समय
1.	चांदपारा बाजार	चांदपारा बाजार से बंगांव	1998-99
2.	चंद्रलोक	चंद्रलोक के कलीमपोंग	1998-99
3.	छात्रीग्राम	छात्रीग्राम से कलना	1998-99
4.	इथिलबारी	इथिलबारी से बीरपारा	1998-99
5.	गेघटा	गेघटा से ठाकुरनगर	1998-99
6.	गंगपुर	गंगपुर से बर्दवान	1998-99
7.	घूम	घूम से दर्जिलिंग	1998-99
8.	कुली	कुली से कंडी	1998-99
9.	मतीगरा	मतीगरा से प्रधान नगर	1998-99
10.	शक्तिगढ़	शक्तिगढ़ से गंगपुर	1998-99
11.	शिबमंदिर	शिबमंदिर से मतीगरा	1998-99

[हिन्दी]

सीधी स्थानीय काल सुविधा

4666. श्री रामपाल सिंह :

श्री आदित्यनाथ :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा मेरठ के बीच सीधी स्थानीय काल सुविधा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इसे शुरू किया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विश्व कप फुटबाल का प्रसारण

4667. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने फ्रांस में होने वाले विश्व कप फुटबाल के सीधे प्रसारण के अधिकार प्राप्त कर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए दूरदर्शन को कुल कितनी धनराशि व्यय करनी पड़ी;

(ग) क्या दूरदर्शन इन अधिकारों को प्राप्त करने के बावजूद विश्व कप फुटबाल का सीधा प्रसारण नहीं कर सका।

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को दूरदर्शन द्वारा स्थगित सीधे प्रसारण के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) प्रसार भारती ने एशियन ब्राडकास्टिंग यूनियन को 1998 के विश्व कप फुटबाल टूर्नामेण्ट के टेलीविजन अधिकार शुल्क के रूप में चार किस्तों में 3,93,750 स्विस फ्रैंक का पहले ही भुगतान कर दिया है। पांचवीं और अंतिम किस्त के लिए एशियन ब्राडकास्टिंग यूनियन से मांग पत्र (मूल्य ज्ञात नहीं है) अभी तक प्रतीक्षित है।

(ग) से (च) इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। कुल 64 मैचों में से 41 मैचों का सीधा प्रसारण किया गया था और 23 को एक/दो घंटे बाद प्रसारित किया गया था। दूरदर्शन समाचार बुलेटिनों, लोकप्रिय धारावाहिकों आदि जैसी अन्य कार्यक्रम सम्बंधी वचनबद्धताओं/अत्यावश्यकताओं के कारण से सभी मैचों का सीधा प्रसारण नहीं कर सका कि श्रीलंका इंडिपेंडेंस कप क्रिकेट टूर्नामेण्ट तथा विम्बलडन-1998 जैसे प्रमुख खेल आयोजनों, जो कि उसी समय आयोजित किए गए थे, को उपयुक्त सीधा कवरेज प्रदान किया जाना अपेक्षित था।

तिरूवनन्तपुरम दूरदर्शन केन्द्र द्वारा अर्जित राजस्व

4668. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997 और 1998 में आज तक विज्ञापनों से तिरूवनन्तपुरम दूरदर्शन केन्द्र द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का प्रादेशिक दूरदर्शन केन्द्रों के नेटवर्क कार्यक्रमों के लिए आवंटित समय को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम द्वारा अर्जित राजस्व निम्न अनुसार है :-

वर्ष	राजस्व
1997	21.20 करोड़ रु.
1998 (जून तक)	11.36 करोड़ रु.

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है।

केन्द्र के सामान्य क्षेत्रीय प्रसारण के अलावा क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रमों को प्रसारित करने/दिखाने के लिए केन्द्र को अपराह्न 2.30 बजे से सायं 4.30 बजे तक दो घण्टे का अतिरिक्त समय दिया गया है।

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतो से विद्युत उत्पादन

4669. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत का ब्यौरा क्या है और पारम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन की तुलना में उसकी लागत कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित 746 मे.वा. की कुल क्षमता अधिष्ठापित की गई है। इसमें पवन से 615 मे.वा., बायो-मास से 89 मे.वा. और लघु जल विद्युत से 42 मे.वा. की क्षमता शामिल है.। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार अवधि के दौरान 2.36 विलियन यूनिटों का उत्पादन पवन विद्युत परियोजनाओं से किया गया है।

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन की लागत स्थल, प्रौद्योगिकी, परियोजना की किस्म और आकार, उपलब्ध राजकोषीय प्रोत्साहन और वित्तपोषण संबंधी साधनो पर निर्भर करते हुए 1.50 रु. से 3.00 प्रति यूनिट भिन्न होती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता, पर्यावरणीय एवं सामाजिक लागतों तथा अन्य ऊपरी खर्चों

को एक साथ ध्यान में रखते हुए लागत पारंपरिक विद्युत की लागत तुलना में अपेक्षाकृत कम बैठती है।

(ख) पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत तथा बायो मास पर आधारित अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार पूंजीगत आर्थिक राजकीय सहायता ब्याज आर्थिक राजकीय सहायता, राजकोषीय प्रोत्साहन तथा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (लिमिइरेडा से उदार ऋण उपलब्ध कराती है। इस प्रकार की परियोजना के लिए संभावयता वाले क्षेत्रों की पहचान करने हेतु संस्थान मूल्यांकन अध्ययनों एवं सर्वेक्षणों में भी सहायता की जा रही है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में अब तक 12 राज्यों ने इन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता को आकर्षित करने के लिए संप्रेषण, बैंकिंग खरीद वापसी एवं तृतीय पक्ष की बिक्री के लिए अनुकूल नीतियों की घोषणा की है।

एम.आर.टी.पी.सी. के सदस्य

4670. **श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के सदस्यों की कोई न्यायिक पृष्ठभूमि नहीं है और उनके द्वारा दिए आदेशों में न्यायिक दृष्टिकोण का अभाव होता है;

(ख) क्या सरकार का इन सदस्यों के कार्यकरण और दृष्टिकोण के संबंध में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों इत्यादि की राय जानने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस आयोग के दृष्टिकोण को और अधिक न्यायिक बनाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 की धारा 5(2) के उपबंधों के अनुसार की जाती है। उक्त अधिनियम में सदस्यों को न्यायिक या गैर-न्यायिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। न्यायिक दृष्टिकोण अध्यक्ष का है जो अधिनियम की ही धारा 5 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है या रह चुका है या इसके लिए योग्यता रखता है। एम.आर.टी.पी. अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि आयोग के समक्ष लाए जाने वाले मुद्दों को निपटाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिलाने के उद्देश्य से आयोग के सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और स्थायित्व वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखाशास्त्र, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव हो या जिन्होंने इनसे संबंधित समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदर्शित की हो।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत बोर्डों पर एनटीपीसी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बकाया देय राशि

4671. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून 1998 तक राज्य विद्युत बोर्डो पर राज्य-वार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कितनी राशि बकाया थी;

(ख) क्या इस समस्या के कारण वित्तीय संकट पैदा हो गया है और धन की कमी की समस्या और अधिक गम्भीर हो गयी है जिससे निवेश योजनाओं और चालू परियोजनाओं का निष्पादन प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य विद्युत बोर्डो से बकाया राशि वसूलने के लिये किये गये/किये जाने वाले उपायों के ब्यौरे के साथ-साथ उनके परिणाम क्या हैं;

(घ) चालू वर्ष के लिये इस संबंध में उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है तथा राज्य विद्युत बोर्डो से बकाया राशि को वसूलने के लिये चालू वर्ष में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये है; और

(ङ) एन.टी.पी.सी. द्वारा राज्य विद्युत बोर्डो से प्रस्तावित वसूली उपायों पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों और राज्य सरकारों इत्यादि की ओर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सहित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की बकाया राशियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की बकाया राशियों का भुगतान न किए जाने से उनकी द्रवता की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है तथा साथ ही ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को ऋण प्रदान किए जाने/परियोजनाओं को आरंभ किए जाने की उनकी वित्तीय क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है।

(ग) और (घ) विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार बकाया राशियों की प्रति वर्ष राज्य सरकारों को देय केन्द्रीय योजना सहायता के अधिकतम 15 प्रतिशत तक कटौती की जाती है। राज्य सरकारों/रा.बि.बो. से भी समय-समय पर निगमों के साथ अप्रवर्तनीय साख-पत्र खोलने तथा बकाया राशियों का शीघ्र भुगतान करने का अनुरोध किया जाता है। 1997-98 में राज्यों को देय केन्द्रीय योजना सहायता से 733.06 करोड़

रुपयों की वसूली की गई तथा उन्हें विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को उपलब्ध करवाया गया। सरकार एक स्कीम भी तैयार कर रही है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या तो अपनी बकाया राशियों की सुरक्षा का प्रबंध करके अथवा संसाधनों के दोहन के लिए सीधे ही बाजार में प्रवेश करके संसाधन जुटा सकेंगे।

(ङ) कुछ राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों ने केन्द्रीय विनियोजन के जरिए एनटीपीसी की बकाया राशियों को वसूली किए जाने के खिलाफ प्रतिवेदन दिया है तथा इसका समाधान राज्य सरकारों, एनटीपीसी और केन्द्र सरकार के मध्य पारस्परिक विचार-विमर्श करके किया जा रहा है।

विवरण

31 मार्च, 1998 की स्थितिनुसार केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत निगम को देय बकाया राशियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/ राबिबो	आरईसी 03/98	एनटीपीसी 03/98	नीपको 03/98	डीवीसी 03/98	एनएचपीसी 03/98	पीएफसी 03/98	पीजीसी 03/98
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	283.63	158.16	0.00	0.00	0.00	0.09	34.03
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	5.75	0.00	1.08	0.00	0.49
3.	असम	101.53	10.87	175.70	0.00	0.33	0.00	21.67
4.	बिहार	360.64	1030.92	0.00	692.46	0.24	0.73	13.16
5.	गुजरात	0 30	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
6.	गोवा	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
7.	हरियाणा	60.80	253.80	0.00	0.00	397.54	0.00	13.04
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	23.87	0.00	0.00	22.06	0.00	−0.94
9.	जम्मू और कश्मीर	1.44	435.71	0.00	0.00	126.58	0.00	29.61
10.	कर्नाटक	0.00	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24
11.	केरल	4.16	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
12.	मध्य प्रदेश	549.57	368.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
13.	महाराष्ट्र	0.00	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
14.	मणिपुर	7.11	0.00	30.87	0.00	3.41	0.05	4.19
15.	मेघालय	11.71	0.00	1.40	0.00	1.06	0.00	0.45
16.	मिजोरम	0.00	0.00	6.43	0.00	0.69	3.58	1.51
17.	नागालैंड	0.00	0.00	17.56	0.00	2.99	0.00	2.31
18.	उड़ीसा (ग्रिडको)	139.78	353.39	0.00	0.00	0.87	15.38	3.67
19.	पंजाब	0.00	32.30	0.00	0.00	83.24	0.00	5.72
20.	राजस्थान	0.00	99.76	0.00	0.00	44.73	0.00	20.91
21.	सिक्किम	0.86	7.61	0.00	0.00	−0.09	0.00	2.20
22.	तमिलनाडु	0.00	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	त्रिपुरा	2.77	0.00	4.24	0.00	0.55	0.00	0.07
24.	उत्तर प्रदेश	622.15	1356.63	0.00	0.00	477.03	0.00	238.51
25.	पश्चिम बंगाल	334.16	467.01	0.00	259.97	0.00	11.50	20.31
26.	डीवीबी (डेसू)	0.00	1363.78	0.00	0.00	159.65	0.00	34.62
27.	डीवीसी	0.00	262.61	0.00	0.00	0.18	0.00	5.91
28.	डीएनएच	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	यूटीसी	0.00	0.29	0.00	0.00	8.86	0.00	-0.58
30.	नीपको	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
31.	दमन एवं दीव	0.00	-0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
33.	कोओपरेटिव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	राज्य सरकारें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पावरग्रिड	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	अन्य (विन्ड)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	2480.31	6881.95	241.95	952.43	1329.92	31.33	492.88

1998 : 12,410.77

असम में गैस आधारित अमगुरी विद्युत परियोजना

4672. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम की गैस आधारित अमगुरी विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और यह कार्य किन एजेंसियों को सौंपा गया है;

(ख) उक्त परियोजना के कार्य को करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) पहले समझौता ज्ञापन में तेल उद्योग द्वारा कितनी मात्रा में गैस उपलब्ध कराये जाने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी और गैस लिंकेज को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही शुरू की गई थी;

(घ) परियोजना आरम्भ करने के संबंध में क्या कदम निर्धारित किया गया है;

(ङ) वैकल्पिक ईंधन आधारित परियोजना की अधिष्ठापना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) अमगुरी में एक 360 मे.वा. गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र को राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत क्रियान्वित किए जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 25.5.89 को तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकृत किया गया था। तदुपरांत, असम सरकार ने इस परियोजना को निजी क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया। चूंकि स्वतंत्र निजी उत्पादक से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए इस परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा क्रियान्वित किया जाने की संभावना की भी खोज की गई। एनटीपीसी ने इस परियोजना को एक क्षेत्रीय स्टेशन के रूप में लिए जाने का अनुरोध किया तथा एनटीपीसी के पक्ष में असम राज्य बिजली बोर्ड से गैस लिंकेज का हस्तातंरण किए जाने के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का अनुमोदन मांगा। पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मार्च, 1997 में, एनटीपीसी के पक्ष में अमगुरी परियोजना के लिए 1.5 एमसीएमडी के गैस आबंटन के हस्तातंरण को अनुमोदित करते समय यह संकेत दिया कि नवीं योजना अवधि के पश्चात् गैस की कम उपलब्धता के कारण परियोजना को गैस की आपूर्ति को शायद आस्थगित करना होगा। परियोजना संबंधी कार्य को पर्याप्त गैस आपूर्ति की उपलब्धता के साथ समकालित करना होगा।

परियोजनाएं पूरी करने में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की विफलता

4673. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्री गुरूदास कामत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् गत बीस वर्षों के दौरान शुरू की गयी अपनी अधिकांश परियोजनाएं पूरी करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसकी अभिरक्षा से सैकड़ों पांडुलिपियां गायब हैं अथवा पूर्णतः नष्ट हो गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार परियोजनाओं के समय पर पूर्ण न होने के दो मुख्य कारण हैं :-

(i) भारत में कुछ दस्तावेजों का उपलब्ध न होना, तथा

(ii) एक विशेष परियोजना के दस खंडों की श्रृंखलाओं के संपादक अवैतनिक क्षमता में कार्य कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् ने सूचित किया है कि कुछ पांडुलिपियां या तो खो गई हैं या किन्हीं कारणों से प्रेस में नहीं भेजी गई हैं। परिषद् ने सूचित किया है कि उसने यह मालूम करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है कि कोई पांडुलिपि खो गई है या अन्य कारण से अलग रख दी गई हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन लाइन बिछाने का लक्ष्य

4674. श्री रामदास आठवले : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य मुम्बई में टेलीफोन लाईन बिछाने का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) अब तक कितनी लाईनें बिछाई गई हैं;

(ग) ऐसे कितने मण्डल/सर्कल है जिनमें कार्य निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रहा है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) उत्तरी केन्द्रीय मुम्बई के लिए कोई पृथक लक्ष्य नहीं है। पूरे मुंबई क्षेत्र के लिए वर्ष 1998-99 के लिए निर्धारित लक्ष्य 2,30,000 है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य मुंबई में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना है।

(ख) एम.टी.एन.एल. मुम्बई में, 1.4.98 से 30.6.98 तक 29090 टेलीफोन लाइनें प्रदान की गई हैं। इनमें से 3256 लाइनें उत्तर तथा केन्द्रीय मुम्बई में प्रदान की गई हैं।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के लिए सर्किलवार लक्ष्य तथा 1.4.98 से 30.6.98 तक की सीधी एक्सचेंज लाइनों की उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है। इस स्तर पर यह कहना उचित नहीं होगा कि कोई सर्किल निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रहा है अथवा नहीं। तथापि, वर्ष 1998-99 के लिए निर्धाति किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

क्रं.सं.	सर्किल	वर्ष 98-99 के लिए कुल लक्ष्य	1.4.98 से 30.6.98 तक की उपलब्धि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	250000	28601
2.	असम	50000	3362
3.	बिहार	131000	10318
4.	गुजरात	250000	29029
5.	हरियाणा	95000	3265
6.	हिमाचल प्रदेश	59000	984
7.	जम्मू और कश्मीर	30000	4752
8.	कर्नाटक	200000	32406
9.	केरल	325000	34081
10.	मध्य प्रदेश	110000	10568
11.	महाराष्ट्र	300000	26998
12.	उत्तरपूर्व	32000	4309
13.	उड़ीसा	60000	5159
14.	पंजाब	190000	17836

1	2	3	4
15.	राजस्थान	163000	12654
16.	तमिलनाडु	280000	27879
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	133000	8957
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	139000	18901
19.	पश्चिम बंगाल	120000	8087
20.	अंडमान निकोबार	6000	130
21.	मुंबई	230000	29090
22.	दिल्ली	220000	13136
23.	कलकत्ता	112000	45770
24.	चेन्नई	115000	5684
		3600000	381946

डाक कर्मचारियों की संख्या

4675. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में डाक कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार डाक कर्मचारियों, विशेषकर डाकियों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) डाक परियात में उतार-चढ़ाव के अनुसार डाक सेवाओं के लिए डाक कर्मचारियों की आवश्यकता का मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है जिसके लिए आवधिक पुनरीक्षाएं की जाती हैं। औचित्यसम्मत अतिरिक्त स्टाफ के प्रस्तावों पर विनिर्धारित पद्धति के अनुसार कार्रवाई की जाती है। अतः कर्मचारियों की संख्या का आवश्यकता से अत्यधिक कम होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विभिन्न श्रेणियों के डाक कर्मचारियों की, जिनमें पोस्टमैन भी शामिल हैं, संख्या में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर जब औचित्यपूर्ण पाया जाता है तब विचार किया जाता है।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

4676. श्री दत्ता मेघे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई कार्य किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) के भाग के रूप में ब्लॉक स्तर पर समेकित ग्रामीण ऊर्जा परियोजनाओं को तैयार और क्रियान्वित किया जाता है जिसके तहत् विस्तार, निदर्शन और प्रोत्साहनों के माध्यम से विभिन्न ऊर्जा संबंधी उपायों को बढ़ावा दिया जाता है ताकि ग्रामीण जनता की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पुरा किया जा सके। आईआरईपी कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र में 37 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में आईआरईपी के ब्लॉकों में जिन विभिन्न ऊर्जा उपायों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है उनमें परिष्कृत चूल्हे, पवन मिलें, सोलर कूकर, सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम, परिष्कृत तेल स्टोव एवं लालटेन एयरोजेनरेटर्स, परिष्कृत शवदाह संयंत्र, बायोगैस संयंत्र, ऊर्जा दक्ष उपाय आदि शामिल हैं आईआरईपी के केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के घटकों के अंतर्गत महाराष्ट्र में वर्ष 1995-96 1996-97, और 1997-98 के दौरान क्रमशः 190.11 लाख रुपये, 139:365 लाख रुपये और 101.00 लाख रुपये खर्च किए जा चुके है।

(घ) सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 860 ब्लॉकों में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) चलाया गया है। आईआरईपी के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1997-98 तक स्वीकृत ब्लॉकों की राज्यवार संख्या सलंग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1997-98 तक स्वीकृत आईआरईपी ब्लॉकों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्वीकृत ब्लाकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	32
2.	अरूणाचल प्रदेश	10

1	2	3
3.	असम	21
4.	बिहार	56
5.	गोवा	5
6.	गुजरात	25
7.	हरियाणा	38
8.	हिमाचल प्रदेश	45
9.	जम्मू और कश्मीर	28
10.	कर्नाटक	42
11.	केरल	44
12.	मध्य प्रदेश	85
13.	महाराष्ट्र	37
14.	मणिपुर	19
15.	मेघालय	16
16.	मिजोरम	11
17.	नागालैंड	25
18.	उड़ीसा	45
19.	पंजाब	40
20.	राजस्थान	36
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडु	21
23.	त्रिपुरा	6
24.	उत्तर प्रदेश	115
25.	पश्चिम बंगाल	34
26.	अंडमान एवं निकोबार	5
27.	चंडीगढ़	1
28.	दादरा एवं नगर हवेली	1
29.	दमन और द्वीव	1
30.	दिल्ली	5
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पांडिचेरी	6
	जोड़	860

[अनुवाद]

देश में रेडियो स्टेशन

4677. श्री के॰ कृष्णमूर्ति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थान-वार रेडियो स्टेशनों की कितनी संख्या है;

(ख) क्या सभी रेडियो स्टेशनों पर स्टेशन डायरेक्टर हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे कितने रेडियो स्टेशन हैं जहां स्टेशन डायरेक्टर के पद रिक्त हैं; और

(ङ) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) देश में 187 रेडियो केन्द्र हैं। उनके स्थापना स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। वर्तमान में 68 आकाशवाणी केन्द्रों में केन्द्र निदेशक कार्यरत हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। 119 रेडियो केन्द्रों में केन्द्र निदेशक के पद रिक्त हैं।

(ङ) आकाशवाणी में केन्द्र निदेशक ग्रेड अधिकारियों की अत्यधिक कमी है क्योंकि फीडर ग्रेड में सभी पात्र अधिकारियों को पहले ही केन्द्र निदेशक के ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया है। सेवा की अत्यावश्यकता को देखते हुए केन्द्रों का संचालन करने के लिए यथा सम्भव सीमा तक केन्द्र निदेशकों के पदों पर सहायक केन्द्र निदेशकों को नियुक्त कर दिया गया है।

विवरण-I

सभी आकाशवाणी केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	केन्द्र	चैनल
1	2	3
राज्य का नाम : आंध्र प्रदेश		
1.	हैदराबाद	राजधानी केन्द्र
2.	अ.दिलाबाद	स्थानीय रेडियो केन्द्र
3.	अनन्तपुर	स्था.रे.के.
4.	कडप्पा	स्था.रे.के.
5.	कुरनूल	स्था.रे.के.
6.	कोठागुडेम	स्था.रे.के.
7.	मर्कापुरम	स्था.रे.के.

1	2	3
8.	निजामाबाद	स्था.रे.के.
9.	तिरूपति	स्था.रे.के.
10.	विजयवाडा	
11.	विशाखापटनम	
12.	वारंगल	स्था.रे.के.

राज्य का नाम : अरूणाचल प्रदेश

1.	इटानगर	अंतरिम प्रतिष्ठापन
2.	पासीघाट	
3.	तवांग	
4.	तेजू	

राज्य का नाम : दिल्ली

1.	दिल्ली	राजधानी केन्द्र

राज्य का नाम : गोवा

1.	पणजी	राजधानी केन्द्र

राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश

1.	शिमला	राजधानी केन्द्र
2.	धर्मशाला	
3.	हमीरपुर	स्था.रे.के. (एफएम)

राज्य का नाम : असम

1.	गुवाहटी	राजधानी केन्द्र
2.	डिब्रूगढ़	
3.	सिल्चर	
4.	हाफलांग	स्था.रे.के.
5.	जोरहाट	स्था.रे.के.
6.	नौगांग	स्था.रे.के.
7.	दिफू	स्था.रे.के.

राज्य का नाम : बिहार

1.	पटना	राजधानी केन्द्र
2.	भागलपुर	
3.	दरभंगा	

1	2	3
4.	जमशेदपुर	
5.	रांची	
6.	चाईबासा	स्था.रे.के.
7.	डाल्टनगंज	स्था.रे.के.
8.	हजारीबाग	स्था.रे.के.
9.	पूर्णिया	स्था.रे.के.
10.	सासाराम	स्था.रे.के.

राज्य का नाम : गुजरात

1.	अहमदाबाद	राजधानी केन्द्र
2.	आहवा	
3.	गोधरा	स्था.रे.के.
4.	सूरत	स्था.रे.के.
5.	वडोदरा	विशेष वि.भा. केन्द्र
6.	भुज	
7.	राजकोट	

राज्य का नाम : हरियाणा

1.	रोहतक	
2.	कुरूक्षेत्र	स्था.रे.के.

राज्य का नाम : जम्मू एवं कश्मीर

1.	श्रीनगर	राजधानी केन्द्र
2.	जम्मू	
3.	लेह	
4.	कठुआ	स्था.रे.के.
5.	पुंछ	स्था.रे.के.
6.	कारगिल	

राज्य का नाम : कर्नाटक

1.	बंगलौर	राजधानी केन्द्र
2.	भद्रावती	
3.	धारवाड़	
4.	गुलबर्गा	
5.	मंगलौर	

1	2	3
6.	मैसूर	
7.	चित्रदुर्ग	स्था.रे.के.
8.	हासन	
9.	होस्पेट	स्था.रे.के.
10.	कारवाड़	स्था.रे.के.
11.	मर्कारा (मेदिकरी)	
12.	रायचूर	स्था.रे.के.
13.	बीजापुर	स्था.रे.के.
राज्य का नाम : केरल		
1.	त्रिवेन्द्रम	राजधानी केन्द्र
2.	कालीकट	
3.	त्रिचूर	
4.	कोचीन	स्था.रे.के.
5.	कन्नूर	
6.	इदुक्की (देवीकुलम)	
राज्य का नाम : मध्य प्रदेश		
1.	भोपाल	
2.	अम्बिकापुर	
3.	छतरपुर	
4.	ग्वालियर	
5.	इन्दौर	
6.	जबलपुर	
7.	जगदलपुर	
8.	रीवा	
9.	रायपुर	
10.	बालाघाट	स्था.रे.के.
11.	बैतूल	स्था.रे.के.
12.	बिलासपुर	स्था.रे.के.
13.	छिन्दवाड़ा	स्था.रे.के.
14.	गुना	स्था.रे.के.
15.	खण्डवा	स्था.रे.के.
16.	रायगढ़	स्था.रे.के.
17.	सागर	स्था.रे.के.
18.	शिवपुरी	
19.	शहडोल	
राज्य का नाम : महाराष्ट्र		
1.	मुम्बई	राजधानी स्टेशन
2.	औरंगाबाद	
3.	जलगांव	
4.	पुणे	
5.	नागपुर	
6.	परभानी	अन्तरिम प्रतिष्ठापन
7.	रतनागिरी	
8.	सांगली	स्था.रे.के.
9.	अहमदनगर	स्था.रे.के.
10.	अकोला	स्था.रे.के.
11.	बीड़	स्था.रे.के.
12.	चन्द्रपुर	स्था.रे.के.
13.	धूले	स्था.रे.के.
14.	कोल्हापुर	स्था.रे.के.
15.	नादेड	स्था.रे.के.
16.	सतरा	स्था.रे.के.
17.	सोलापुर	स्था.रे.के.
18.	यवतमाल	स्था.रे.के.
19.	नासिक	स्था.रे.के.
20.	उस्मानाबाद	स्था.रे.के.
राज्य का नाम : पंजाब		
1.	जालंधर	राजधानी स्टेशन
2.	भटिण्डा	स्था.रे.के.
3.	पटियाला	
राज्य का नाम : राजस्थान		
1.	जयपुर	राजधानी स्टेशन
2.	बीकानेर	
3.	जोधपुर	

1	2	3
4.	कोटा	स्था.रे.के.
5.	सूरतगढ़	स्था.रे.के.
6.	अलवर	स्था.रे.के.
7.	बांसवाड़ा	स्था.रे.के.
8.	उदयपुर	स्था.रे.के.
9.	बाडमेर	स्था.रे.के.
10.	चित्तौड़गढ़	स्था.रे.के.
11.	चुरू	स्था.रे.के.
12.	जैसलमेर	स्था.रे.के.
13.	नागोड़	स्था.रे.के.
14.	झालावाड़	स्था.रे.के.
15.	सवाई	स्था.रे.के.
16.	माउण्ट आबू	स्था.रे.के.
राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश		
1.	लखनऊ	राजधानी स्टेशन
2.	आगरा	
3.	इलाहाबाद	
4.	अल्मोड़ा	
5.	गोरखपुर	
6.	मथुरा	
7.	नजीबाबाद	
8.	रामपुर	
9.	वाराणसी	
10.	बरेली	स्था.रे.के.
11.	फैजाबाद	स्था.रे.के.
12.	झांसी	स्था.रे.के.
13.	ओबरा	स्था.रे.के.
14.	कानपुर	विशिष्ट व्यावसायिक केन्द्र
15.	मसूरी	रिले केन्द्र
16.	पौड़ी	एन.एल.आर.एस.
राज्य का नाम : पश्चिम बंगाल		
1.	कलकत्ता	राजधानी स्टेशन

1	2	3
2.	कुर्सियांग	
3.	सिलीगुड़ी	
4.	मुर्शिदाबाद	स्था.रे.के.
राज्य का नाम : मणिपुर		
1.	इम्फाल	राजधानी स्टेशन
राज्य का नाम : मेघालय		
1.	शिलांग	राजधानी स्टेशन
2.	तुरा	अन्तरिम प्रतिष्ठा
3.	जेवाई	स्था.रे.के.
राज्य का नाम : मिजोरम		
1.	एजवाल	राजधानी स्टेशन
2.	लुगलेई	एन.एल.आर.एस.
राज्य का नाम : नागालैण्ड		
1.	कोहिमा	राजधानी स्टेशन
2.	मोकोक्चुंम	
राज्य का नाम : उड़ीसा		
1.	कटक	राजधानी स्टेशन
2.	जैपोर	
3.	साम्बलपुर	स्था.रे.के.
4.	किर्योझार	स्था.रे.के.
5.	बड़ीयादा	स्था.रे.के.
6.	बेरहमपुर	स्था.रे.के.
7.	बोलंगीर	स्था.रे.के.
8.	भवानीपटना	स्था.रे.के.
9.	राऊरकेला	स्था.रे.के.
10.	पुरी	(रिले केन्द्र)
11.	जोरंडा	(रिले केन्द्र)
राज्य का नाम : सिक्किम		
1.	गंगटोक	राजधानी स्टेशन

1	2	3
राज्य का नाम : त्रिपुरा		
1.	अगरतला	राजधानी स्टेशन
2.	बलोनिया	स्था.रे.के.
3.	कैलाशहर	स्था.रे.के.
राज्य का नाम : तमिलनाडु		
1.	मद्रास	राजधानी स्टेशन
2.	कोयम्बटूर	
3.	मदुरई	
4.	नगरकोयल	स्था.रे.के.
5.	तिरूचिरापल्ली	
6.	तिरूनेलवली	स्था.रे.के.
7.	तूतिकोरिन	ई.एस.डी.
8.	जोटोकमुंड	
राज्य का नाम : अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र)		
1.	पोर्ट ब्लेयर	राजधानी स्टेशन
राज्य का नाम : चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)		
1.	चण्डीगढ़	विशिष्ट व्यावसायिक केन्द्र
राज्य का नाम : लक्षद्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र)		
1.	कावरती	
राज्य का नाम : पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)		
1.	पांडिचेरी	राजधानी स्टेशन
2.	कराइकल	स्था.रे.के.
राज्य का नाम : दमन (संघ शासित क्षेत्र)		
1.	दमन	स्था.रे.के.

(स्टेशनों की कुल संख्या-187)

(74 स्थानीय रेडियो स्टेशनों को शामिल करते हुए)

निम्न को छोड़कर

(i) एन.ई.एस. आकाशवाणी, शिलांग

(ii) नेशनल चैनल, आकाशवाणी, नई दिल्ली

विवरण-II

केन्द्रों के नाम जहां केन्द्र निदेशक नियुक्त हैं

क्र.सं.	केंद्र
1	2
1.	अगरतला
2.	आगरा
3.	अहमदाबाद
4.	एजवाल
5.	इलाहाबाद
6.	बंगलौर
7.	बारीपाड़ा
8.	बड़ौदा
9.	बेहरमपुर
10.	बेलोनिया
11.	बेतुल
12.	भद्रावती
13.	भोपाल
14.	भुज
15.	बम्बई
16.	कलकत्ता
17.	चण्डीगढ़
18.	छिन्दवाड़ा
19.	कटक
20.	दरभंगा
21.	दिल्ली
22.	धर्मशाला
23.	धारवाड़
24.	डिब्रुगढ़
25.	गंगटोक
26.	गुवाहाटी

1	2
27.	ग्वालियर
28.	हैदराबाद
29.	इम्फाल
30.	इन्दौर
31.	इटानगर
32.	जयपुर
33.	जालंधर
34.	जम्मू
35.	जमशेदपुर
36.	झांसी
37.	जोधपुर
38.	कोहिमा
39.	कुर्सियांग
40.	कुरूक्षेत्र
41.	लेह
42.	लखनऊ
43.	मद्रास
44.	मुर्शिदाबाद
45.	मैसूर
46.	पणजी
47.	पटना
48.	पांडिचेरी
49.	पोर्ट ब्लेयर
50.	पुणे
51.	रायपुर
52.	राजकोट
53.	रामपुर
54.	रांची
55.	रोहतक
56.	साम्पुर
57.	संगली
58.	शिलांग
59.	शिमला
60.	सिलचर
61.	सिलीगुडी
62.	सिंहभूम (चाईबासा)
63.	श्रीनगर
64.	तेजू
65.	तिरूचिरपल्ली
66.	त्रिवेन्द्रम
67.	उदयपुर
68.	वाराणसी

[हिन्दी]

आधुनिक आग-सुरक्षा योजना

4678. श्री कान्तिलाल भूरिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान आग से वनों की रक्षा के लिये आधुनिक आग-सुरक्षा योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर किया जायेगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) "आधुनिक दावानल नियंत्रण प्रणाली" स्कीम के अन्तर्गत 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग से 1238.425 लाख रु. का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) चूंकि इस मंत्रालय के पास इस स्कीम के तहत (ग्यारह) राज्यों और "एयर ऑपरेशन विंग" के रख-रखाव के लिए 190 लाख रुपए की एक छोटी अनुदान राशि थी अतः इस सीमित अनुदान राशि में से मार्च, 1998 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को रुपए 11.015 लाख स्वीकृत किये गये। माह मई, 1998 में इसे वर्ष 1998-99 के लिए पुनः मान्य कर दिया गया है। प्रस्ताव के आधार पर वर्ष

1998-99 के लिए और धनराशि जारी करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में लम्बित सबसे पुराना मामला

4679. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में सबसे पुराना मामला कितने वर्षों से लम्बित है; और

(ख) क्या सरकार का विचार दो वर्षों से अधिक से लम्बित सभी मामलों के निपटान के लिए कोई कदम उठाने का है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

[अनुवाद]

दूरदर्शन से हटाकर अन्य टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किये जा रहे टेलीविजन धारावाहिक

4680. **डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन टेलीविजन धारावाहिकों के नाम क्या हैं जो पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन से हटाकर स्टार प्लस, सोनी इत्यादि टेलीविजन चैनलों द्वारा दिखाए गए तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या दूरदर्शन द्वारा इस पर कोई स्थानान्तरण प्रभार वसूल किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन धारावाहिकों का नाम क्या हैं, जिनका कापीराइट दूरदर्शन के पास है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) डीडी-I पर प्रसारित उन प्रायोजित धारावाहिकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है जो पिछले तीन वर्ष के दौरान अन्य चैनलों पर प्रसारण हेतु अंतरित हो गए हैं। चूंकि प्रायोजित धारावाहिकों का निर्माण निजी निर्माताओं द्वारा अपनी स्वयं की निधियों से किया जाता है, इसलिए दूरदर्शन के पास इन धारावाहिकों के प्रकाशन/प्रसारण अधिकार नहीं हैं और निर्माता अपने कार्यक्रम किसी भी चैनल को सौपने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः अन्तरण प्रभारों का प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछले तीन वर्ष के दौरान, दूरदर्शन ने अपने धारावाहिकों-"फ्लॉप शो", "सर्कस", "दूसरा केवल" तथा "दिल दरिया" के एशियन सैटेलाइट चैनलों (सोनी, स्टार टी बी, जी टी वी आदि) पर प्रसारण हेतु इनके प्रसारण अधिकार तीन वर्ष की अवधि के लिए बेचे हैं। इन अधिकारों के बेचने से दूरदर्शन ने 6.10 लाख रु. की राशि अर्जित की है। दूरदर्शन के पास इन धारावाहिकों के प्रतिलिप्य अधिकार हैं तथा यह इन धारावाहिकों को अपने किसी भी चैनल पर प्रसारित कर सकता है।

विवरण

दूरदर्शन पर प्रसारित उन प्रायोजित धारावाहिकों की सूची जो पिछले तीन वर्ष के दौरान अन्य चैनलों पर अंतरित हो गए हैं

क्र.सं.	धारावाहिक का नाम	चैनलों के नाम जिन पर धारावाहिक अंतरित हो गए हैं।
1.	हम लोग	सोनी
2.	रिपोर्टर	स्टार प्लस
3.	घुटन	स्टार प्लस
4.	चन्द्रकान्ता	स्टार प्लस
5.	गुड मार्निंग इंडिया	स्टार प्लस
6.	वाघले की दुनिया	होम टी वी
7.	शांति	जी टी वी
8.	स्वाभिमान	स्टार प्लस
9.	मेरी आवाज सुनो	स्टार प्लस

कर्नाटक को ओ.ई.सी.एफ. से सहायता

4681. **श्री ए॰ सिदराजू** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में वनों के विकास हेतु ओवरसीज़ इकानामिक कॉपरेशन फंड, जापान से कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान कितनी राशि जारी करने का प्रस्ताव है;

(ग) कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अब तक इस पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) अधिकारियों के विदेशी दौरों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) ओवरसीज़ इकानामिक को-आपरेशन फंड, जापान द्वारा कर्नाटक में वनों के विकास की परियोजना के कार्यान्वयन के

लिए 472.35 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देने के लिए सहमति दे दी गई है।

(ख) राज्य सरकार ने 1998-99 के दौरान परियोजना कार्यकलापों के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

(ग) 1996-97 से 31 मई, 1998 तक इस परियोजना के अंतर्गत 56,641 रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत अब तक अधिकारियों के विदेश दौरों पर 97.37 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

रामगढ़ गैस आधारित विद्युत परियोजना

4682. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार की रामगढ़ परियोजना के विस्तार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार/सी.ई.ए. के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीको आर्थिक स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी;

(घ) क्या निम्न ताप कार्यकुशलता परिचालन के कारण वी जी टी की एक इकाई आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द सरकार उक्त परियोजना के लिए कब तक प्रतिदिन 5 से 10 लाख क्यूबिक मीटर अतिरिक्त गैस के आवंटन की स्थिति में आ जायेगी?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) जी, हां। रामगढ़ सीसीजीटी विद्युत परियोजना चरण-2 (71 मे.वा.) की स्थापना करने का राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (आरएसईबी) का एक प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु मई, 1998 में प्राप्त हुआ था। स्कीम की जांच करके उसे 2.7.98 को परियोजना प्राधिकरण को वापिस कर दिया गया क्योंकि कुछ निवेश जैसे कि ईंधन लिंकेज, पर्यावरणीय स्वीकृति (केन्द्र और राज्य), राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण स्वीकृति, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29(2) की अनुपालना तथा वर्तमान दिवस की अद्यतन लागत को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(घ) जी, हां। जीटी के एकल यूनिट को किफायती नहीं माना गया है क्योंकि इसकी ताप-विद्युत दक्षता संयुक्त चक्र प्रचालन से कम है।

(ङ) राजस्थान सरकार ने 0.5 एमसीएमडी (अतिरिक्त प्राकृतिक गैस के आबंटन के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) से अनुरोध किया है। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश शुल्क

4683. **श्री जोगेन्द्र कवाडे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविधालय के अंतर्गत कुछ महाविद्यालय बी.ए., बी.काम., बी.एस.सी. आदि में प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में 3000 से 6000 रुपये तक वसूल रहे हैं;

(ख) क्या कुछ महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के दिनांक 23 जुलाई, 1981 के आदेश संख्या एम.सी.ए./ 1 शुल्क माफी/ एम.सी. 81 की अवहेलना करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों पर लागू प्रवेश शुल्क के बराबर प्रवेश शुल्क वसूल कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का ऐसे महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यो के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है जिन्होंने 23 जुलाई, 1981 के उक्त आदेश का उल्लघंन किया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं संबंधी निविदाएं

4684. **श्री सदाशिव दादोबा मंडलिक** :
श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 75000 मेगावाट क्षमता की 15 विद्युत परियोजनाओं के लिए निविदाएं आंमत्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की निविदाएं आंमत्रित करते समय क्या मानदंड अपनाए गए थे; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दिए जाने की सभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) अधिक क्षमता वाली विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। इन परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए विकासकर्ता का चयन सामान्यतः प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव आंमत्रित करके किया जाता है। इन परियोजनाओं की स्थापना हेतु रूपात्मकताओं को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

खानों में पारिस्थितिकी ह्रास

4685. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले मुहानों की खानों के कारण खनन क्षेत्र में पारिस्थितिकी का ह्रास हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में वृक्ष काट दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी ह्रास को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) ओपनकास्ट माइनिंग कार्य-कलाप सामान्यतया पर्यावरणीय ह्रास से सम्बद्ध है। खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी के ह्रास पर नजर रखने के लिए कम से कम पेड़ काटे जाते हैं। पर्यावरण प्रबंध योजनाएं उन क्षेत्रों के लिए तैयार की जाती हैं जिसमें वन भूमि के मामले में क्षतिपूरक वनीकरण, पट्टे पर दिए गए क्षेत्र मे सघन वनीकरण, खनन किए गए क्षेत्रों का सुधार एवं पुनर्स्थापना, इकट्ठा ढेर से रन आफ को रोकने के लिए वृत्ताकार नाला/अवरोधन ब्रांच का निर्माण जैसे उपचारात्मक उपाय शामिल हैं।

"एयरवेज़" विनियमन प्रणाली

4686. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 1993 में "एयरवेज़" विनियमन प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिये थे जो अभी तक स्थापित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं तथा इससे सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी है; और

(ग) उच्चतम न्यायालय के उन अन्य निर्देशों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सरकार को वायुतरंगों को विनियंत्रित करने के लिए वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के मामले में दिनांक 9.2.1995 के अपने निर्णय में वायुतरंगों के उपयोग को विनियंत्रित करने के लिए एक स्वायत्तशासी निकाय का गठन करने के लिए भारत संघ को निदेश दिया था। तदनुसार एक प्रसारण विधेयक, 1997 का मसौदा तैयार किया गया और दिनांक 16.5.97 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। तथापि, 11वीं लोक सभा के भंग होने से विधेयक व्यपगत हो गया।

टेलीफोन कनेक्शन

4687. श्री पी॰एस॰ गढ़वी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के कच्छ जिले के प्रत्येक तालुक में टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता की तुलना में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास इस जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों के उन्नयन के लिए कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने टेलीफोन कनेक्शनों के शीघ्र आबंटन हेतु क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) जी हां। 31.3.96 की स्थिति के अनुसार गुजरात के कच्छ जिले के प्रत्येक ताल्लुकों में कार्यरत कनेक्शनों तथा प्रतीक्षा सूची सहित टेलीफोन एक्सचेंजों की मौजूदा क्षमता का ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) जी हां। 1998-99 के दौरान कच्छ जिले के टेलीफोन एक्सचेंजों में 13708 लाइनों की निवल स्विचन क्षमता प्रदान करने का प्रस्ताव है। 31.3.98 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची 31.3.99 तक निपटा दिए जाने की आशा है। आवश्यक उपस्कर और सामग्री आबंटित किए जाने संबंधी कार्यवाही चल रही है।

विवरण

31.3.98 की स्थिति के अनुसार कच्छ जिले के प्रत्येक ताल्लुक में टेलीफोन एक्सचेंजों की मौजूदा क्षमता, कार्यरत कनेक्शन तथा प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा

क्र.सं.	ताल्लुक	मौजूदा क्षमता	कार्यरत कनेक्शन	31.3.98 के अनुसार प्रतीक्षा-सूची	कुल मांग
1	2	3	4	5	6
1.	अंजार	23550	20301	1998	22299
2.	अबदासा	1896	1424	377	1801

1	2	3	4	5	6
3.	चाऊ	2034	1531	804	2335
4.	भुज	17610	14017	1952	15969
5.	लखपत	928	765	213	978
6.	माणडवी कच्छ	5472	4260	2035	6295
7.	मुंदरा	2024	1577	970	2547
8.	नाखतराना	3000	2593	702	3295
9.	राहपार	1368	1082	481	1563
	कुल जोड़	57882	47550	9532	57082

त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को दो लेन वाला बनाना

4688. **श्री समर चौधरी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 दो लेनों वाला नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि देश में अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों में विकसित किया जा रहा है; और

(ग) सरकार का उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को दो लेनों में कब तक बदलने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) त्रिपुरा में 198 कि.मी. में से लगभग 26 कि.मी. में दो-लेन हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार-कार्य जिसमें उन्हें चौड़ा करना भी शामिल है, यातायात की मात्रा, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अनुरूप एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस समय, यातायात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए रा.रा.-44 को चौड़ा करने के प्रस्ताव को कम प्राथमिकता दी गई है।

क्षेत्रीय शैक्षणिक योजनाएं

4689. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्षेत्रीय शैक्षणिक योजनाओं के संचालन के लिए विभिन्न राज्यों में क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों से कितने सहयोग की मांग की गई; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि वितरित की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सतपुड़ा रेंज में राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) की स्थापना

4690. **श्री उल्हास वासुदेव पाटील :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के जलगांव जिले में सतपुड़ा रेंज में "राष्ट्रीय उद्यान" (नेशनल पार्क) तथा "अभयारण्य" बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) महाराष्ट्र सरकार की सूचना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले की सतपुड़ा रेंज में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

धनबाद में फैक्स मशीन

4691. **प्रो॰ रीता वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997-98 के दौरान धनबाद जिले में कितनी फैक्स मशीने कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या इन मशीनों के परिचालन हेतु लाइसेन्स जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेन्स शुल्क के रूप में कितनी राशि प्राप्त की गई;

(घ) क्या 1990 से मार्च 1998 तक लाइसेंस शुल्क के रूप में 4083 रुपये की राशि वसूल नहीं की जा सकी है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(च) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में कितनी मशीनें कार्य कर रही हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 109

(ख) जी हां।

(ग) 4,17,612/- रुपये मात्र (चार लाख सतरह हजार छः सौ बारह रुपये)

(घ) 6,62,612/- रुपये (छः लाख बासठ हजार छः सौ बारह रुपये मात्र) की वसूली कर ली गई है।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल फैक्स मशीनों की संख्या : 68 अदद सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कुल फैक्स मशीनों की संख्याः 41 अदद

[अनुवाद]

वन संरक्षण

4692. श्री अमर राय प्रधान : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1952 और 1988 की राष्ट्रीय वन नीति की एक विशिष्ट अनिवार्यता के बावजूद देश के केवल 12 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में 40 प्रतिशत वन आच्छादित है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के वानिकी क्षेत्र के लिए किए गए आवंटन में सातवीं योजना के दौरान किए गए आवंटन प्रतिशत के मुकाबले परिलक्षित गिरावट आई है;

(ग) क्या दान देने वाली विदेशी एजेंसियों ने यह पाया है कि भारत सरकार द्वारा अपर्याप्त धन देने के कारण बाह्य सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाएं अनुमोदित परियोजना दस्तावेजों में यथा-निर्धारित प्रगति कर पाने में असफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय वन नीति, 1952 और 1988 के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम एक तिहाई क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आना चाहिए। ताजा मूल्यांकन के अनुसार, देश में वनावरण 19.27 प्रतिशत है और 40 प्रतिशत से ऊपर की सघनता वाला सघन वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का 11.17 प्रतिशत है।

(ख) जी, हां।

(ग) सामान्यतः संबंधित राज्य सरकार द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त वानिकी परियोजना के लिए वार्षिक परिव्यय का निर्धारण, परियोजना समझौते में निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार किया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में, राज्य सरकार ने ऐसे मामलों के लिए स्वीकृत परियोजना लक्ष्य से कम परिव्यय प्रस्तावित किया है। स्वीकृत परियोजना लक्ष्यों के अनुसार उपयुक्त परिव्यय की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित विचार-विमर्श करके हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

(घ) वनों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य उपचारात्मक कदम निम्नलिखित हैं :-

1. राज्य सरकार द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
2. संयुक्त वन प्रबंधन के दिशा-निर्देशों के अनुसार अवक्रमित वनों की सुरक्षा और उनमें पुनः वनस्पति उगाने के कार्य में ग्रामीण समुदायों को शामिल किया जाता है।
3. वन भूमि के अपवर्तन को विनियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
4. संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।
5. आठवीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए नवीं पंचवर्षीय योजना में वानिकी क्षेत्र की गतिविधियों के ढांचे के बारे में सुझाव देने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया था। उक्त कार्यदल ने नवीं पंचवर्षीय योजना में वानिकी क्षेत्र के लिए 21,102 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है जिसमें करीब 15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का वनीकरण भी शामिल है।
6. योजना आयोग ने भी वनीकरण गतिविधियों के लिए सभी राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें

रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना के तहत प्रत्येक राज्य द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत निधियों का निर्धारण किए जाने के लिए कहा गया है।

मध्य प्रदेश की प्रमुख सड़कों के लिए विश्व बैंक ऋण

4693. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा मध्य प्रदेश की प्रमुख सड़कों की मरम्मत और सुधार हेतु करीब 10 बिलियन रुपये दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है और प्राप्त धनराशि से किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) मध्य प्रदेश की प्रमुख सड़कों के रख-रखाव और सुधार हेतु परियोजना की तैयारी अभी पूरी की जानी है। परियोजना की तैयारी पूरी हो जाने के बाद विश्व बैंक के साथ ऋण के बारे में विचार-विमर्श के बाद बैंक के बोर्ड द्वारा ऋण मंजूर किए जाने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि विश्व बैंक कितनी ऋण राशि उपलब्ध करवाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दामोदर घाटी निगम

4694. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम द्वारा अब तक भूस्वामियों की कुल कितनी एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं;

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करने और उन्हें नौकरी देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(घ) कितने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार और मुआवजा दिया गया है और इस संबंध में कितने मामलों पर विचार किया जा रहा है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) ने अपनी परियोजनाओं के लिए 1,12,938.07 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है।

(ख) इस प्रक्रिया में कुल विस्थापित व्यक्तियों की संख्या लगभग 20646 है।

(ग) भूमि खोने वाले व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों के संबंधित जिला भूमि अधिग्रहण प्राधिकरणों के द्वारा पूरे मुआवजे का भुगतान किया जाना है। इसके अतिरिक्त जब कभी भी संभव होता है भूमि खोने वालों को भूमि भी प्रदान की जाती है। पुरानी परियोजनाओं जैसे बांधो का निर्माण, विद्युत केन्द्रों इत्यादि के लिए विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने के संबंध में डीवीसी की नीति विस्थापित व्यक्तियों के लिए तैयार किए गए पैनलो से 30 प्रतिशत एट्रीशन रिक्तियों को भरना था। नई परियोजनाओं के लिए अपनाई गई नीति उन परिवारों के एक सदस्य को रोजगार देने की है जिन्होंने अपनी निवास-भूमि अथवा अपनी कुल भूमि का 75 प्रतिशत या इससे अधिक खो दिया है परन्तु यह अकुशल श्रेणी में जनशक्ति की आवश्यकता के तहत होगा।

(घ) सभी विस्थापित व्यक्तियों को अधिगृहित भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। पुरानी परियोजनाओं को आरंभ करने के समय पर पांच परियोजनाओं से काफी संख्या में विस्थापित व्यक्ति, लगभग 16139 कार्यआवेशित संगठनों में कार्य कर रहे थे। तत्पश्चात् काफी संख्या में इन व्यक्तियों को डीवीसी रोजगार में नियमित कर दिया गया शेष की उनके स्वयं के विकल्प पर आकर्षक छंटनी लाभों के साथ छंटनी कर दी गई। सत्तर के दशक के मध्य में, विस्थापित व्यक्तियों को पुनः रोजगार प्रदान किए जाने हेतु आंदोलन हुआ। डीवीसी ने पुनः भूमि विस्थापित परिवारों से आवेदन मांगे तथा प्राप्त किए गए आवेदनों के आधार पर 1976-78 में विभिन्न परियोजनाओं के लिए अलग-अलग पैनल बनाए गए थे। जिन्हें पैनल में शामिल किया गया था, केवल मैथान और पंचेट पैनल को छोड़कर, उन्हें डीवीसी में रोजगार दे दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर नये सिरे से तैयार करके सुरक्षित रख लिया गया। 1976-78 और उसके पश्चात् तैयार किए गए पैनलों में रोजगार से संबंधित स्थिति नीचे दी गई है। इन पैनलों से भर्ती के लिए निर्धारित 30 प्रतिशत कोटे के आधार पर रोजगार दिया जाता है। वर्तमान बोर्ड का निर्णय है कि जब तक पुराने पैनल समाप्त नहीं हो जाते तब तक नये पैनल न बनाए जायें।

बीटीपीएस	194
सीटीपीएस	44
डीटीपीएस	115
मैथॉन	157
पंचेट	64
हजारी बाग	12
तिल्लैया	15
कोनार	12
जीओएमडी विंग	13
	626

डीवीसी के अनुसार जिन गांवों में भूमि का अधिग्रहण किया गया है उनके संबंधित डीवीसी में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या निम्नवत हैं :-

विस्थापित/स्थानीय व्यक्ति जिन्हें डीवीसी में रोजगार दिया गया है

परियोजना	वर्ग "ग"	वर्ग "ख"	जोड़
बीटीपीएस	362	94	456
सीटीपीएस	603	199	802
डीटीपीएस	192	46	238
मैथॉन	763	28	791
कोनार	12	शून्य	12
पुटकी	10	शून्य	10
पंचेट	153	11	164
जोड़	2095	378	2473

मेजिया में, जो एक नई परियोजना है, 128 व्यक्तियों के पैनल में से 88 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर दिया गया है। शेष को सभी यूनिटों का प्रचालन आरंभ होने पर भर्ती कर लिया जाएगा।

डाक विभाग के वरिष्ठ अधीक्षक के कार्यालय का खोला जाना

4695. श्री आर॰एस॰ गवई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के अमरावती जिले में डाक विभाग के वरिष्ठ अधीक्षक का कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां पर अभी तक डाक विभाग के वरिष्ठ अधीक्षक के कार्यालय स्थापित नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई गई है; और

(च) देश में ऐसे कार्यालयों की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अमरावती में प्रवर अधीक्षक डाकघर का एक कार्यालय पहले से ही है तथा दूसरे कार्यालय का कोई औचित्य नहीं है।

(घ) देश में ऐसे जिलों की संख्या 311 (31.07.97 की स्थिति के अनुसार) है जहां प्रवर अधीक्षक डाकघर के कार्यालय नहीं खोले गए हैं क्योंकि विनिर्धारित मानदण्डों के आधार पर उनका औचित्य नहीं बनता है।

(ङ) ऐसे कार्यालय निम्नलिखित विनिर्धारित मानदण्डों में से एक के पूरा होने पर खोले जाते हैं :-

(i) किसी राजपत्रित प्रधान डाकघर की मौजूदगी;

(ii) कम-से-कम तीन अराजपत्रित प्रधान डाकघरों की मौजूदगी; तथा

(iii) एलएसजी/एचएसजी कर्मचारियों को मिलाकर अनुसचिवीय कर्मचारियों की स्वीकृति संख्या 450 अथवा अधिक होने पर।

(च) कोई विनिर्दिष्ट समय-सीमा बताना संभव नहीं है, क्योंकि इस संबंध में मानदण्ड परियात की मात्रा तथा अन्य कारकों से संबंधित होते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति

4696. श्री भीम दाहाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्तमान राष्ट्रीय दूरसंचार नीति किस वर्ष बनाई थी;

(ख) क्या सरकार नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त को कब तक तैयार किए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) मौजूदा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा 1994 में की गई थी। इस समय नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति बनाने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत को सूचना प्रौद्योगिकी में एक सुपर पॉवर बनाने के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करने हेतु, सरकार द्वारा "सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास" पर एक अंतर-मंत्रालय राष्ट्रीय कार्य बल नियुक्त किया गया है, जो एक व्यापक पैकेज पर विचार कर रहा है जिसका एक घटक दूरसंचार भी है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्वर सम्राज्ञी द्वारा व्यक्त विचार

4697. **प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

डा॰ चिन्ता मोहन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1998 के "पायनियर" में प्रकाशित समाचार "लता सिंग्स हर ब्ल्यूज" की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की प्रसिद्ध गायिका ने फिल्मों तथा गीतों में दर्शायी अश्लीलता तथा फूहड़ता जो कि भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के प्रतिकूल है पर क्षोभ व्यक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रसिद्ध गायिका द्वारा व्यक्त विचारों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने प्रसारण माध्यम को ऐसे कार्यक्रमों के स्तर को सुधारने हेतु कोई अनुदेश जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) यह देखा गया है कि कुछ कार्यक्रमों तथा दृश्यों में सेक्स, हिंसा आदि का प्रदर्शन बहुत अधिक, अनावश्यक है तथा विषय से संबंधित नहीं है।

(घ) और (ङ) दूरदर्शन/आकाशवाणी पर कार्यक्रमों का प्रसारण, प्रसारण संहिता के प्रावधानों से विनियंत्रित होता है जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी अश्लील या अभद्र स्थिति का प्रसारण वर्जित है। जहां तक उपग्रह टेलीविजन चैनलों का संबंध है, संसद में प्रसारण विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है जिससे इन्हें भारतीय कानूनों एवं विनियमों की परिधि में लाया जाएगा ताकि उनके कार्यक्रमों को विनियमित किया जा सके।

[अनुवाद]

वैज्ञानिकों को रोजगार

4698. **श्री बीर सिंह महतो :**

श्री अमर राय प्रधान :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी॰एच॰डी॰ और पोस्ट डाक्टोरल उपाधिकारी तथा अनुभवी उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों के लिए कोई राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों को समुचित रोजगार प्राप्त नहीं हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे वैज्ञानिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त वित्तीय/तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा प्रायोजित और अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) द्वारा 90 के दशक के आरम्भ में किए गए एक अध्ययन के आधार पर पीएचडी डिग्रीधारी 3200 नमूना प्रत्यर्थियों में से लगभग 95 प्रतिशत सेवारत थे जबकि लगभग 4 प्रतिशत ही बेरोजगार थे तथा शेष रोजगार के लिए प्रयत्नशील नहीं थें। अतः यह कहना सही नहीं है कि उच्च अर्हता प्राप्त वैज्ञानिकों को लाभकर रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) ऐसे उच्च अर्हता प्राप्त वैज्ञानिकों को लाभ देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पास "युवा वैज्ञानिको के लिए अवसर" नामक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत पीएचडी अथवा एम टैक अथवा एमडी डिग्रीधारी और 35 वर्ष तक की आयु के अर्हता प्राप्त वैज्ञानिकों को अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यापक क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह योजना सेवारत और बेरोजगार दोनों प्रकार के युवा वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध है। परियोजना विशेष की अवधि के लिए बेरोजगार युवा वैज्ञानिकों को वेतन के भुगतान हेतु योजना मे प्रावधान है। इसके अलावा सीएसआईआर वर्ष 1958 से वैज्ञानिक पूल योजना का संचालन कर रहा है जिसके अन्तर्गत उच्च अर्हता प्राप्त बेरोजगार वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और चिकित्सकों को वरिष्ठ अनुसंधान एसोशिएटशिप के माध्यम से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य सीएसआईआर तंत्र में रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है अपितु नियमित रोजगार खोज रहे वैज्ञानिकों के लिए अस्थायी रोजगार की व्यवस्था करना रहता है। वरिष्ठ अनुसंधान एसोशिएट (पूल अधिकारी) रसायन, कांच का सामान, स्टेशनरी आदि खरीदने जैसी उपकरण/प्रयोगशाला सुविधाओं विषयक व्यय के लिए अपने वेतन के साथ-साथ अतिरिक्त सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 10,000/- रुपए की आकस्मिक सहायता अनुदान राशि प्राप्त करने के भी हकदार होते हैं।

आप्टीकल फाइबर केबल्स लगाया जाना

4699. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री विठ्ठल तुपे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीफोन सुविधाएं बढ़ाने के लिए आप्टीकल फाइबर केबल्स लगाने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ये केबल लगाई जा रही है;

(घ) क्या आप्टीकल फाइबर केबल्स का प्रयोग करके शोलापुर को कोल्हापुर से जोड़मे को कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य में ऐसे स्थानों के ब्यौरे जहां इन केबलों को संस्थापित किया गया है, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) इस परियोजना पर कार्रवाई की जा रही है तथा कोल्हापुर से मिराज के बीच का कार्य 1997-98 में पहले ही पूरा हो चुका है। मिराज से सोलापुर के बीच के शेष कार्य के 1998-99 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि समय पर सामग्रियां उपलब्ध हो जाएं।

(च) उपरोक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

महाराष्ट्र सर्किल में कार्यरत ओ एफ सी संचारण प्रणालियों के ब्यौरे

स्थानों के नाम

1. एसएसएः अहमदनगर

श्रीमपुर

अहमदनगर एमआईडीसी

खडगांव

2. एसएसएः अमरावती

अमरावती-कैंप आरएलयू

3. एसएसएः औरगांबाद

चलकलथाना

बलूज

वारसूल

4. एसएसएः धुले

धुले एमआईडीसी

5. एसएसएः गोवा

मडगांव

पणजी

कनाकोना

क्वीपेम

कुरचोरम

कुनकोलिम

पोर्डे

रिवोना

कोल्लेम

मोल्लेम

मपुका

अजुना

6. एसएसएः जलगांव

जलगांव एमआईडीसी

7. एसएसएः कल्याण

दहानु

भिवांडी

डोबीवल्ली

उल्हासनगर

बदलापुर

कोलसेबॉडी

वसाई

वरारहाटा

8. एसएसएः कोल्हापुर

गधीगलांज

महागांव

निसारी

हपरी

पैतनकाडोली

हटकानानगले

रूकाड़ी

जयसिंहपुर

करूनवाडी

बैम्बारडे

मल्कापुर

9. एसएसएः लातूर

चाकूर

अहमदपुर

10. एसएसएः नागपुर

इतवारी

वीआरसीई

हिंगना

नागपुर सीटीओ

नारी

खपता

कारोईरोड़

नन्दनवन

कुही

मंडल

11. एसएसएः नानदेड़

हडगांव

लोहे

अरधापुर

वसमत

मालेगांव

12. एसएसएः नासिक

कनाडा कार्नर

नासिक रोड

नासिक फाटा

सतपुर

देवलाई

मकमालाबाद

उपनगर

ओआईडीसीओ

शिंदे

13. एसएसएः उस्मानाबाद

मालदुर्ग

14. एसएसएः पुणे

नसरायनगांव

हुमानाबाद

हादेवसर

एमएचएस

पुणे, सिटी

चिंचवाड

एमकेआर

गुटलेकडी

शिवाजीनगर

मोडल कालोनी

सतारा रोड़

बकाड

भोसारी

धनकवाड़ी

ओंध

रवेदशिवपुरी

अलेफाटा

बडगांव डेरी

15. एसएसएः रायगढ़

मनगांव

महाद

श्रीवर्धन

महाद एमआईडीसी

चिपलुन

खांड

दपोली

पेन

नागोथाने

गोरेगांव

खेदामदा

नन्दगांव

बोरलीनानदेल

16. एसएसएः सांगली

विशामबाग

कुपवाड एमआईडीसी

तेसगांव

वीटा

17. एसएसएः सतारा

सतारा एमआईडीसी

कारडा

मम्बराज

भूंज

देल्लानगर

18. एसएसएः सोलापुर

सीटीओ सोलापुर

19. एसएसएः यवतमॉल

कलाम्ब

धरवाह

गोवा के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना

4700. **श्री रवि सीताराम नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा के लिए सितम्बर, 1996 में अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना 1991 के सी.आर.जैड. विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो गोवा के मामले में यह विचार करते हुए कि केवल सैटलमैंट एरियाज ही सी.आर.जैड.-II क्षेत्र हैं, और अन्य सी.आर.जैड.-I क्षेत्र है अपवाद कैसे रखे गए है;

(ग) क्या इससे गोवा और रिसार्टस/होटल परियोजनाएं स्थापित करने से वंचित हो रहा है क्योंकि वर्तमान सैटलमेंट क्षेत्रों के दायरे में कोई रिसार्ट निर्मित नहीं किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना अनुमोदित करते समय गोवा के मामले में कोई अपवाद नहीं रखा गया था।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

यूनेस्को की रिपोर्ट

4701. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को ने देश में साक्षरता की स्थिति के संबंध में हाल ही में कोई रिपोर्ट प्रकाशित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में अतिक्रमण

4702. **श्री खारबेल स्वाइन :**

डा॰ जयन्त रंगपी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में गैर-कानूनी अतिक्रमण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल परिवारों और इस तरह अतिक्रमण किए गए क्षेत्रफल के साथ-साथ ऐसे अतिक्रमण का पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान किए गए अतिक्रमण को दूर करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इन आरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को कब तक अतिक्रमण से मुक्त करा लिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

तार सुविधाएं

4703. श्री आदित्यनाथ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारघरों में रोमन तथा देवनागरी लिपि में तार भेजने की क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) तार भेजने के लिए उन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जो रोमन में उपलब्ध है परन्तु हिन्दी में उपलब्ध नहीं है; और

(ग) इन सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) तारघरों में कार्यरत पब्लिक काउंटरों और फोनोग्राम के माध्यम से रोमन और देवनगरी लिपियों में तार भेजे जाने की सुविधाएं मौजूद हैं।

(ख) द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर, मोर्स वर्किंग, द्विभाषी इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड, द्विभाषी फार्मेटेड टर्मिनल कन्सेन्ट्रेटरों, 32 और 64 लाइनों की क्षमता वाली द्विभाषी स्टोर तथा फॉरवर्ड मैसेज स्विचन प्रणालियों जैसे तार टर्मिनल उपस्करों में, रोमन तथा देवनागरी में तार भेजने की सुविधा उपलब्ध है। कुछ स्टोर तथा फॉरवर्ड मैसेज स्विचन प्रणालियों और फामेटेड टर्मिनल/कन्सेंट्रटर द्विभाषी परियाज का संचालन करने में सक्षम नहीं है।

(ग) भारत सरकार की नीति के अनुसार, पूरे स्वचालित तार नेटवर्क को द्विभाषी बनाया जाएगा। इसके लिये अपेक्षित उपस्कर पहले ही तैयार करके उसकी परीक्षण भी कर लिया गया है। इस उपस्कर को नेटवर्क में लगाने के लिए बड़ी मात्रा में इसकी प्राप्ति के लिए कार्रवाई चल रही है।

[अनुवाद]

सुन्दरवन में अंतर्राष्ट्रीय स्टीमर मार्ग

4704. श्री पी॰आर॰ किन्डिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा असम/बांग्लादेश के बीच चल रहे मालवाहक पोतों द्वारा इस समय सुंदरवन में अंतर्राष्ट्रीय स्टीमर मार्ग प्रयोग में लाया जा रहा है;

(ख) क्या इस मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित तथा विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या चुंगी पर चलाए जाने की इस परियोजना को निजी (विदेशी) निवेश की कोई गुंजाइश है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र इस परियोजना को वित्त प्रदान करने वाली किसी विदेशी एजेन्सी को देगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : *(क) जी हां।*

(ख) यह एक अभिज्ञात जलमार्ग है जिसे संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा सकता है।

(ग) सुन्दरवन में रंगफाला चैनल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिहारीखाल-रायमंगल नदी के संगम तक के अंतर्राष्ट्रीय स्टीमर मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था। इस मार्ग का पर्यावरणीय अध्ययन पूरा कर लिया गया है। तथापि, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार ने इस राष्ट्रीय जल मार्ग के लिए वैकल्पिक मार्गों को सुझाव दिया है। तदनुसार एक व्यापक जल सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।

(घ) इसका अभी जायजा नहीं लिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एन.टी.पी.सी. को विश्व बैंक ऋण

4705. श्री इन्द्रजीत सिंह राव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक एनटीपीसी को ऋण उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान एन.टी.पी.सी. को उपलब्ध करवाये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक के एक निरीक्षण दल ने हाल ही में एनटीपीसी के विद्युत परिसरों का दौरा किया है तथा एनटीपीसी को ऋण उपलब्ध करवाने में विलम्ब करने का निर्णय लिया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विश्व बैंक के इस निर्णय के कारण एनटीपीसी की परियोजनाये कहां तक विपरीत रूप से प्रभावित हुई हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नैशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन को कोई नया ऋण प्रदान नहीं किया है। एन.टी.पी.सी. के लिए विश्व बैंक ऋण द्वारा अनुमोदित पिछला ऋण वर्ष 1993-94 में समय भाजित सिद्धान्त के अंतर्गत 400 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि के लिए था। पिछले तीन वर्षों के दौरान

एनटीपीसी द्वारा विश्व बैंक ऋण का आहरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	अमेरिकी डालर मिलियन
1995-96	74.46
1996-97	108.34
1997-98	140.86

(ग) से (ङ) विश्व बैंक के जांच दल ने जुलाई, 1997 में सिंगरौली क्षेत्र का दौरा किया है। और जांच के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार को इस संबंध में कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है कि एनटीपीसी को दिए जा रहे ऋण में विलम्ब किया जा रहा है।

[हिन्दी]

चार्टर्ड अकाउन्टेंसी की परीक्षा

4706. श्री सुरेश चन्देल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार्टर्ड अकाउन्टेंसी की परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पश्चात् संस्थान को उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच करने संबंधी कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच करने के पश्चात् कितने व्यक्तियों को सफल घोषित किया गया और इनमें किस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थीं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) संस्थान के पास सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अन्तः निर्मित मानिटरिंग मैकेनिज्म है। इसका सख्ती से निन्तर अनुपालन किया जाएगा।

विवरण

क्र. सं.	परीक्षा का प्रकार	नवम्बर, 97 में हुई परीक्षा के संबंध में प्राप्त आवेदनों की संख्या	सत्यापन के परिणाम-स्वरूप सफल घोषित उम्मीदवारों की संख्या	विंसगति का प्रकार
1	2	3	4	5
1.	संस्थापन (फाउंडेशन) परीक्षा	522	4 (चार)	-
2.	इन्टरमीडिएट	3505	पहला ग्रुप - 15 दूसरा ग्रुप - 14 यूनिट 3 - 1	इनमें मुख्यतः कोई उत्तर/उत्तरों को जांचने या अंक देने की चूक जैसी या अंकों का जोड़ करने में गल्तियों की विसंगतियां थीं।
3.	अन्तिम परीक्षा	3010	पहला ग्रुप - 6 दूसरा ग्रुप - 16	

[अनुवाद]

राज्यों में पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति

4707. श्री गिरिधर गमांग : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय की "अंतर्राज्यीय आर्थिक महत्ता" नामक योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्यवार कितने पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई हैं;

(ख) उक्त योजना के क्रियान्वयन में राज्यों द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है और उक्त योजना के लिए राज्यों द्वारा उनके हिस्से की कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इन योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए क्या मानदण्ड हैं और किन राज्यों ने उन मानदण्डों का अनुपालन किया है और सरकार को अपने प्रस्ताव भेजे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) 8वीं योजना के अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व (ई एंड आई) की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित संख्या में पुल निर्माण सिद्धांततः अनुमोदित किए गए थे :-

(i)	मध्य प्रदेश	-	1
(ii)	कर्नाटक	-	2
(iii)	राजस्थान	-	2
(iv)	उड़ीसा	-	1
(v)	तमिलनाडु	-	1

(ख) 8वीं योजना के दौरान अंतिम रूप से स्वीकृत पुल परियोजनाओं की प्रगति इस प्रकार है :-

राजस्थान - 2 राज्य सरकार द्वारा अपना अपेक्षित हिस्सा दे दिए जाने के पश्चात् पूरे हो चुके हैं।

तमिलनाडु - 1 कार्य शुरू हो गया और राज्य सरकार फरवरी, 1998 तक 348.48 लाख रु. खर्च कर चुकी है।

(ग) प्रस्तावों को ई एंड आई स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित करने का मानदंड इस प्रकार है :-

(i) राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली सड़कें/पुल

(ii) सीधा संचार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अंतर्राज्यीय सड़कें/पुल।

(iii) ऐसे नए क्षेत्र में पहुंचने के लिए अपेक्षित सड़कें/पुल जहां निकट भविष्य में रेल सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती।

(iv) ऐसी सड़कें/पुल जिनसे द्रुत विकास में वास्तविक योगदान प्राप्त हो सके अर्थात् पहाड़ी क्षेत्र में और खनन के लिए बहुलतः उपलब्ध खनिज संसाधन युक्त क्षेत्रों में।

उक्त मानदंड के आधार पर सभी राज्यों से प्रस्ताव आंमत्रित किए गए थे और 8वीं योजना के दौरान 17 राज्यों ने लगभग 300 प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना

4708. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार प्रशासन की ओर से पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ऐसी स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है ताकि विकास कार्य में बाधाओं को रोका जा सके?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में दौरान इस मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति के लिए छः प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से तीन प्रस्तावों को पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की गई थी और शेष 3 को भूतल परिवहन मंत्रालय को स्थानान्तरित कर दिया गया था। जिन्हें तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना के 7 जुलाई, 1997 संशोधन के प्रावधानों के अंतर्गत इन परियोजनाओं पर विचार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

वानिकी दृष्टि से स्वीकृति के लिए, पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से चार प्रस्तावों को अंतिम अनुमोदन दिया जा चुका है। शेष एक प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया जा चुका है। बाद में प्रस्ताव के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट की अंडमान और निकोबार प्रशासन से प्रतीक्षा है।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्तावों पर कार्रवाई करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्य पद्धति को सरल बनाने के लिए इन दिशा-निर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया गया है।

भारतीय तेल निगम द्वारा पाइप लाइन को मंजूरी दिया जाना

4709. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा पारादीप और रांची के बीच पाइप लाइन बिछाने संबंधी प्रस्ताव मंजूरी हेतु लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस तारीख से लम्बित है और मंजूरी शीघ्र दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) मंत्रालय को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निकासी के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नये समाचार पत्रों के शीर्षकों का सत्यापन

4710. श्री जी॰एम॰ बनातवाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये समाचार पत्रों के शीर्षकों का सत्यापन प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या सभी सत्यापन, विशेषकर नये अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू समाचार पत्रों के लिये, दिल्ली स्थित भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय से प्राप्त किया जाना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित नये समाचार पत्रों के लिये शीर्षकों के सत्यापन प्राप्त करने में अत्यधिक समय लगता है; और

(घ) यदि हां, तो शीर्षकों के शीघ्र सत्यापन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) आशयित प्रकाशक द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट को आवेदन करना अपेक्षित है जो आवेदन को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक को अग्रेषित करता है, जो उचित सत्यापन के बाद मजिस्ट्रेट तथा आवेदक को शीर्षकों की उपलब्धता अथवा अन्य स्थिति के बारे में सूचित करता है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

नालन्दा विश्वविद्यालय के अवशेष

4711. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय के अवशेष नष्ट होते जा रहे हैं;

(ख) क्या इन अवशेषों के नष्ट होने का कारण वित्तीय संकट हैं और यदि नहीं, तो इसके अन्य कारण क्या हैं;

(ग) इसके अनुरक्षण हेतु वार्षिक अनुदान जारी करने के लिये क्या दिशानिर्देश हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार अनुदान की कितनी राशि जारी की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, नहीं। नालन्दा स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष परिरक्षण की काफी अच्छी हालत में हैं।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले नालन्दा स्थित जैसे किसी भी केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक को फंड जारी करने का निर्देशक कारक संरक्षण कार्य संबंधी उनकी वास्तविक आवश्यकता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नालन्दा स्थित स्थल के रख-रखाव एवं संरक्षण पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :-

1995-96	4,40,500/- रु.
1996-97	16,86,500/- रु.
1997-98	6,67,700/- रु.

असम में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर/कम शक्ति ट्रांसमीटर के लिए रखरखाव केन्द्र

4712. श्री ए॰एफ॰ गुलाम उस्मानी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर/कम शक्ति ट्रांसमीटर के लिए रखरखाव केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में बारबेटा में ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों का संबंधित कार्यालय अध्यक्षों द्वारा स्वतंत्ररूप से रख-रखाव किया जाता है। डिबुगढ़, जोरहाट, गुवाहाटी एवं तेजपुर में प्रत्येक में एक-एक अर्थात् चार मौजूदा सम्भागीय अनुरक्षण केन्द्रों के अलावा राज्य में स्थापित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की रख-रखाव के लिए सिलचर में एक सम्भागीय अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है और अपेक्षित स्टाफ के तैनात होने पर इसको चालू कर दिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रौढ़ साक्षरता अभियान

4713. श्री कीर्ति वर्धन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान और मई, 1998 तक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र साक्षरता अभियान के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अशिक्षित लोग हैं;

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई विभिन्न साक्षरता योजनाओं के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में लोक जुम्बिश परियोजना कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) सभी साक्षरता कार्यक्रमों के लिए आठवीं योजना और वर्ष 1998-99 हेतु क्रमशः 1400 करोड़ रु. तथा 93.97 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है तथा राज्य सरकार की आवश्यकताओं के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं और विभिन्न जिलों से सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों और उत्तर साक्षरता अभियानों के प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान संपूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियानों के अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से प्रदान की गई अनुदान की धनराशि निम्नवत है:-

1996-97	-	4,21,36,000/- रु.
1997-98	-	2,27,80,000/- रु.
अप्रैल-मई, 1998	-	80,00,000/- रु.

(ख) उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष की आयु तथा इससे अधिक आयु के निरक्षरों की कुल संख्या 64.77 मिलियन (26.30 मिलियन पुरूष तथा 38.47 मिलियन महिला) है। ग्रामीण क्षेत्रों में 55.98 मिलियन निरक्षर हैं जिसमें 33.35 मिलियन महिलाएं तथा 22.63 मिलियन पुरूष हैं (1991 की जनगणना के अनुसार)।

(ग) संपूर्ण साक्षरता अभियानों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों सहित उत्तर प्रदेश के सभी 68 जिलों को शामिल कर लिया गया है, जबकि 11 जिलों में उत्तर साक्षरता अभियान भी शुरू कर दिया गया है। संपूर्ण साक्षरता अभियान निरक्षर शिक्षार्थी को मौलिक कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करता है जबकि उत्तर साक्षरता अभियान का उद्देश्य वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के अनुरूप नए शिक्षण की सतही दक्षता को समेकित करना है।

संपूर्ण साक्षरता ने वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के जरिए उत्तर प्रदेश में 190.78 लाख शिक्षार्थियों का लक्ष्य अभिनिर्धारित किया था। इनमें 130 लाख शिक्षार्थी विभिन्न संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अंतर्गत नामांकित किए गए तथा प्रवेशिका I, II और III पूरी करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्नवत है :

प्रवेशिका	पूरी कर चुके शिक्षार्थियों की संख्या
I	9903619
II	6413454
III	4796100

(घ) से (च) स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथारिटी (सीडा) के सहयोग से राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना को एक नवाचारी राज्य विशिष्ट परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है जिनकी लागत का वहन सीडा, भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार द्वारा 3:2:1 के अनुपात में किया जाता है। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में वानिकी विकास

4714. डा॰ रामविलास वेदान्ती : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को पिछले तीन वर्षों के दौरान परियोजनावार वानिकी विकास के लिए कितना वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया गया;

(ख) क्या अनुदान का उपयोग संतोषजनक पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय की वनीकरण संबंधी मुख्य स्कीमों, जिनमें राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है, के अंतर्गत 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार को जारी वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है :-

स्कीम का नाम	जारी की गई केन्द्रीय सहायता (रुपये लाखों में)		
	1995-96	1996-97	1997-98
एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम	437.31	1049.66	185.42
क्षेत्रोन्मुख जलावन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम	340.78	360.47	212.44
औषधीय पौधों सहित इमारती लकड़ी से इतर वनोपज का संरक्षण एवं विकास	शून्य	शून्य	53.00

आठवीं योजना अवधि की परियोजनाओं का अब तक किए गए मूल्यांकन से अनुदान राशि का इस्तेमाल संतोषजनक पाया गया है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का कार्य-निष्पादन

4715. श्री नरेश पुगलीया : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धारित मानदंडों के अनुसार वर्ष 1997-98 के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए वर्ष 1998-99 हेतु अंतिम रूप से तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और संयंत्रवार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा चलाए जा रहे प्रत्येक विद्युत संयंत्र को हुए कुल घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(च) क्या गत एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयंत्रों में टयूब्स के बोइलर्स द्वारा ठीक ढंग से कार्य न करने के कारण इसे 220 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जैसा कि दिनांक 29 जून, 1998 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(छ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर आधारित नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के कार्य निष्पादन की सरकार द्वारा समीक्षा की गई है। एनटीपीसी ने सकल विद्युत उत्पादन, नियोजित पूंजी पर निवल लाभ, सकल मार्जिन, परियोजना क्रियान्वयन और राख समुपयोजन के संबंध में वर्ष 1997-98 के लिए कार्य-निष्पादन संबंधी मुख्य लक्ष्यों को पूरा कर लिया है।

(ग) वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन में शामिल एनटीपीसी के कार्यनिष्पादन संबंधी कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पैरामीटर शामिल हैं :-

	लक्ष्य
सकल विद्युत उत्पादन (मि.यू.)	99000
उपलब्धता घटक (प्रतिशत)	84
हीट रेट कोयला आधारित स्टेशन (किलो कैलॉरी/कि.वा.घं.)	2480
सकल मार्जिन (करोड़ रुपये में)	4460.01
नियोजित पूंजी पर निवल लाभ (प्रतिशत)	6.85

(घ) और (ङ) एनटीपीसी अपने केन्द्रों के वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ किए जाने के बाद में लगातार लाभ अर्जित कर रहा है। उन्हे पूर्वी क्षेत्र में अपने संयंत्रों के लिए गैस की अपर्याप्त उपलब्धता और मांग में कमी के कारणवश पूर्वी क्षेत्र स्थित अपने यूनिटों में मजबूरन उत्पादन कम करना पड़ा। इन घटकों के परिणामस्वरूप वर्ष 1995-96 के दौरान अन्ता, औरैया एवं कवास गैस टरबाईन केन्द्रों और वर्ष 1996-97 के दौरान सिंगरौली एसटीपीएस, कोरबा एसटीपीएस और कवास एसटीपीएस के लिए बही संबंधी हानियां प्राप्त हुई। वर्ष 1997-98 के लिए फरक्का एसटीपीएस पर बही संबंधी हानि की सूचना प्राप्त हुई। तथापि, एनटीपीसी के अनुसार सम-उत्पादन के उनके दावे की स्वीकृति के पश्चात् बही संबंधी हानियां समाप्त हो जायेगी।

(च) और (छ) जी, नहीं। दिनांक 29 जून, 1998 के दि हिन्दुस्तान टाइम्स में दिया गया समाचार सन्दर्भ से बाहर था। विद्युत संयंत्रों में बॉयलर ट्यूब का खराब होना पूरे विश्व में एक आम बात मानी जाती है। एनटीपीसी केन्द्रों में ट्यूब के खराब होने की वजह से उपलब्धता में प्रतिशत हानि यूएसए और यू.के. की अंतर्राष्ट्रीय यूटिलिटियों के बराबर है तथा यह 1996-97 में 1.89 प्रतिशत हो गई है जिसे देश में उत्तम कार्य निष्पादन में से एक माना गया है। पिछले तीन वर्षों के लिए ट्यूब खराब होने की दर जिसे एनटीपीसी केन्द्रो के प्रति हजार प्रचालन घंटो में खराब होने की संख्या में दर्शाया गया है, निम्नवत है :-

वर्ष	ट्यूब खराब होने की दर प्रति हजार प्रचालन घंटे
1995-96	0.351
1996-97	0.338
1997-98	0.294

(ज) और (झ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सांस्कृतिक नीतियों पर यूनेस्को सम्मेलन

4716. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 2 अप्रैल, 1998 को स्टाकहोम में सम्पन्न हुए "यूनेस्को इन्टर गवर्नमेन्टल कान्फ्रेस आफ कल्चरल पालिसीज फार डेवलपमेंट" में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया;

(ग) सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(घ) इस सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा क्या-क्या प्रस्ताव रखे गए थे?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) भारत ने स्टाकहोम में 30 मार्च, 1998 से 2 अप्रैल, 1998 तक विकास के लिए सांस्कृतिक नीतियों के संबंध में यूनेस्को अंतर-सरकारी सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व डा॰ एल॰एम॰ सिंघवी द्वारा किया गया था, जिसमें संस्कृति विभाग, भारत सरकार के सचिव डा॰आर॰वी॰ वैद्यनाथ अय्यर भी शामिल थे।

(ग) सम्मेलन में बहुलवाद के प्रति वचनबद्धता, सांस्कृतिक नीति व शोध, सांस्कृतिक अधिकारों, संसाधनों के संग्रहण, संस्कृति, बच्चों व युवाओं, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति सहयोग, सांस्कृतिक सर्जनात्मकता, संस्कृति नीति जन-प्रचार, सांस्कृतिक विरासत व संस्कृति तथा नई जन-प्रचार माध्यमी प्रौद्योगिकी जैसी कई विषय-वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए मुख्य विषय पर चर्चा की गयी।

(घ) भारत ने सांस्कृतिक विरासत नामक विषय-वस्तु पर अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह प्रारूपण समिति के लिए निर्वाचित बारह देशों में से एक था, जिन्होंने कार्य-योजना को अंतिम रूप से तैयार किया। भारत विश्व-व्यापी आधार पर पुरावशेषों में गैर-कानूनी व्यापार के निवारण एवं विशेषकर संग्रहालयों व निजी संग्रहकर्ताओं

द्वारा अप्रभावित/अपरिचित वस्तुओं के अधिग्रहण पर रोक लगाने को कार्य योजना में एक अहम् उद्देश्य के रूप में शामिल करवाने में रहा है।

[हिन्दी]

कांडला पत्तन में वित्तीय संकट

4717. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन इस समय वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश के आयात और निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कांडला पत्तन के वित्तीय ढांचे की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इसका तथ्यात्मक परिणाम क्या निकला; और

(घ) चालू वित्त वर्ष और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस पत्तन को किये गये आबंटन का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) वार्षिक योजना 1998-99 के दौरान, कांडला पत्तन न्यास के लिए अनुमोदित परिव्यय 65.50 करोड़ रु. है, जिसमें से 50 लाख रु. विदेशी सहायता है और शेष, पत्तन के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा। कांडला पत्तन के लिए, नौवीं पंचवर्षीय योजना में 360 करोड़ रु. का परिव्यय आबंटित किया गया है, जिसमें से 30 करोड़ रु. विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त होने की संभावना है और शेष, पत्तन के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा हेतु बनाई गई समितियां

4718. **श्री हरि केवल प्रसाद** :

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) सरकार ने मई, 1993 में राज्य विद्युत बोर्डों की वाणिज्यिक लेखा प्रणाली की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया है।

(ख) और (ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1996 में प्रस्तुत की जिसे आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सभी राज्य विद्युत बोर्डों में परिवर्तित किया गया था। समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

राज्य विद्युत बोर्डों में वाणिज्यिक लेखा प्रणाली की समीक्षा हेतु समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें।

(i) समिति की सिफारिश कि नोडल एजेंसी नामशः केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अथवा विद्युत वित्त निगम (जो कि विद्युत क्षेत्र का एक विकासात्मक वित्तीय संस्थान है) लेखों की एकीकृत प्रणाली हेतु समान साफ्टवेयर का विकास करें, जिसे विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा अपनी स्थितियों विशेष के अनुसार संशोधन कर के अपनाया जा सकता है। ऐसा करते हुए नोडल एजेंसी राज्य विद्युत बोर्डों और व्यावसायिक कम्प्यूटर साफ्टवेयर एजेंसी के कुछ लेखा कार्मिकों को शामिल करते हुए एक कृतिक बल का गठन कर सकती है।

(ii) बदले हुए परिवेश में राज्य विद्युत बोर्डों से अपेक्षित है कि वे निजी विद्युत विकास के लिए आई.पी.पी., वितरण के निजीकरण के लिए निजी पक्षकारों बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों इत्यादि सहित वित्तीय संस्थानो से विनिमय वार्ता करेंगें। इस स्थिति में राज्य विद्युत बोर्डों को कड़े वित्तीय अनावरण और अनुशासनात्मक अपेक्षाओं से गुजरना होगा। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न एजेंसियों के सूचना हित को ध्यान में रखते हुए राजस्व लेखे और तुलन पत्र में लम्बाकरण आंकडों का समेकित प्रस्तुतीकरण करना होगा।

(iii) प्राप्यों जैसी परिसंपत्तियों की गुणवता इंगित करते हुए विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण और चल रहे प्रमुख कार्य जैसे लेखाकरण सूचना का बेहतार मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाए।

(iv) लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखा परीक्षक की टिप्पणियों को शामिल किया जाना चाहिए।

(v) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में प्रबंधन की टिप्पणियों को भी वार्षिक लेखा विवरण के अनुबंध के तौर पर शामिल किया जाए।

(vi) राज्य विद्युत बोर्ड की कार्यप्रणाली पर बोर्ड की रिपोर्ट को वार्षिक लेखे के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष के दौरान बोर्ड का निष्पादन, भविष्य संदर्श और बोर्ड के समक्ष अन्य निर्णायक मुद्दों का सार दिया जाना चाहिए।

(vii) लेखाकरण नीतियों का प्रावधान करने वाले नियमों में संशोधन।

(viii) उपदान और अन्य अंतिम लाभों के संबंध में पर्याप्त प्रावधान देयता के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रति वर्ष किए जाने चाहिए।

(ix) राज्य विद्युत बोर्डों को मूल्यहास भंडारों का वित्त पोषण करना चाहिए।

(x) नियमों के भाग II की अनुसूची 3 में विद्युत शुल्क इत्यादि के पृथक प्रकटन के प्रावधान हेतु संशोधन किया जाए।

(xi) स्क्रैप में डाले गए अतिरिक्त पुर्जों/मदों इत्यादि की मूल कीमत को संगठन को हुई हानि के तौर पर दर्शाया जाना चाहिए।

(xii) आंतरिक लेखा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(xiii) मूल्यांकन में समस्याओं के बावजूद समिति ने कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्राप्त विद्युत विक्रय के लिए राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को प्रतिपूर्ति करने की अनिवार्य आवश्यकता का समर्थन किया।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान

4719. **प्रो॰ अजित कुमार मेहता :**

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान के समूह को मूल्यवान वस्तुओं के निकालने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार संस्थान द्वारा निकाली गयी मदों का ब्यौरा क्या है और उनका मूल्य क्या है;

(ग) क्या धन की कमी के कारण संस्थान को अद्यतन खोज कार्य प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं हो पा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा संस्थान के अद्यतन खोज कार्य प्रौद्योगिकी और उपकरण प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान (एनआईओ), गोवा अपने चार्टर के अनुसार समुद्री पुरातत्व विज्ञान अध्ययन कार्य में प्रवृत्त है और मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने और उन्हें निकालने के कार्य में रत नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने हेतु मानदण्ड

4720. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस मानदण्ड में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) नवोदय विद्यालय योजना में संबंधित राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर नवोदय विद्यालय स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिसमें 30 एकड़ जमीन देना और उपयुक्त निःशुल्क अस्थाई आवास तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की कार्ययोजना, 1992 में यह प्रस्ताव किया गया है कि देश के सभी जिलों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना और समेकन के बाद, नवोदय विद्यालय योजना की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता होगी। नवोदय विद्यालय योजना की समीक्षा किए जाने तक उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित मानदण्ड के आधार पर नवोदय विद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

[अनुवाद]

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

4721. **श्री टी॰ गोविन्दन :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों में किए जाने के उद्देश्य से केरल राज्य की "गोल्डन कवाड्रिलेट्रल" में शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केरल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग गोल्डन कवाड्रिलेट्रल जोकि दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुम्बई के चार महानगरों को जोड़ता है, में नहीं पड़ते हैं।

ट्रान्सपोन्डरों का उपयोग

4722. **श्री के॰ येरननायडू** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खर्चीली उपग्रह प्रणाली में ट्रांन्सपोन्डरों के उपयोग में असाधारण विलम्ब के कारण दूर संचार विभाग की सम्भावित राजस्व की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सभी उपग्रहों पर ट्रान्सपोन्डरों का पूर्ण उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 1996-97 की अपनी रिपोर्ट में उपग्रह प्रणाली में ट्रांसपोंडरों के उपयोग में असाधारण विलम्ब के कारण, राजस्व की हानि होने का उल्लेख किया है। तथापि, दूरसंचार विभाग लेखा परीक्षा की टिप्पणी से सहमत नहीं है।

(ख) ट्रांसपोंडरों का हर संभव उपयोग करने के प्रयास किए जाते हैं। तथापि कुछ ट्रांसपोडरों को आकस्मिक एवं तात्कालिक जरूरतों के लिए अलग से रख लिया जाता है।

जम्मू और कश्मीर में बाल कल्याण केन्द्र

4723. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू और कश्मीर में कितने बाल कल्याण केन्द्र खोले गये हैं और नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान और कितने बाल कल्याण केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या राज्यों को इन बाल कल्याण केन्द्रों के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य में 58 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं स्वीकृत की गयी थी। इनमें से 50 परियोजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू की गयी और शेष 8 परियोजनाएं 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में शुरू किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक जम्मू व कश्मीर में प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के 65 केन्द्र तथा 33 बालवाड़ी केन्द्र चलाये जा रहे थे। समेकित बाल सेवा स्कीम के अंतर्गत 8 परियोजनाएं 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खोले जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते पर्याप्त राशि उपलब्ध हो।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से विकास

4724. **श्री रामशकल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 से 1997 तक कौन से विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान रहा;

(ख) क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) कितने क्षेत्रों को विकसित करने का लक्ष्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने कृषि, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, औद्योगिक अनुसंधान, जैव चिकित्सा अनुसंधान, कम्प्यूटर विज्ञान आदि जैसे क्षेत्रों में 1990-97 की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। कुछ मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार है :-

* खाद्यान्नों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
* भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इन्सैट 2ए, 2बी और 2सी तथा इन्सैट 2डी का सफल प्रक्षेपण किया गया जिससे भारतीय दूरदर्शन और भारतीय संचार माध्यमों की और भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह 1सी (आई आर एस-1सी) तथा आई आर एस - 1डी की भी पहुंच राष्ट्रीय सीमाओं से आगे मध्य पूर्व से दक्षिण-पूर्व एशिया तक हो गयी है। अन्य मुख्य बड़ी उपलब्धि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, जिस पर आई आर एस - 1डी को प्रक्षेपित किया गया, को प्रचालनात्मक बनाया जाना है।
* "आत्मनिर्भर विकास हेतु एकीकृत मिशन" (आई एम एस डी) नामक एक कार्यक्रम स्थानविशेष की विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए सभी जिलों में चलाया गया।

* 0.7 माइक्रोमीटर आप्टीकल लिथोग्राफी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए "जी ए ए एस वैफर्स" प्रक्रिया के लिए समानान्तर प्रणाली (पेस प्लस) और पायलट संयंत्र सुविधा।
* नाभिकीय उपकरणों की जांच और निकासी प्रणाली, दाबीकृत गुरूजल प्रौद्योगिकी की स्थापना सहित नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण अनुप्रयोग, तीव्र प्रजनक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन और थोरियम के उपयोग के अतिरिक्त यूरेनियम-233 का उपयोग करते हुए देशीय रूप से अभिकल्पित लघु रिएक्टर (कामिनी) और वृहद मीटरवेव रेडियों दूरबीन (जी एम आर टी) की स्थापना।
* पौध ऊतक संवर्धन उद्योग, जल कृषि, दवाएं एवं औषधियां तथा टीका नैदानिक उद्योग बने है और डी एन ए अंगुलछाप के नये केन्द्र की भी स्थापना हुई है।
* नये क्षेत्रों के शोध को शामिल करते हुए अंटार्कटिका हेतु वार्षिक वैज्ञानिक अभियान जारी है और महासागर प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है।
* औद्योगिक उत्प्रेरक, रसायनों, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा प्रसंस्करण और उत्पाद, निर्माण सामग्री, दवाएं और औषधियां तथा जैव चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में विकास और वाणिज्यीकरण, देश के सर्वप्रथम समग्र रूप से एकीकृत प्रशिक्षु वायुयान (हंस) का विकास। चीनी उत्पादन अग्रिम निक्षेपों, उड़न राख का उपयोग, चमड़ा प्रौद्योगिकी, जल कृषि, जैव कीटनाशक और जैव उर्वरकों के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मिशन परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण प्रगति की भी उपलब्धि प्राप्त की है।
* सभी श्रेणियों के शोध कार्मिकों के लिए अध्येतावृति की राशि दोगुनी कर दी गई है, प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग में तेजी लाने के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की स्थापना, 30-40 वर्षों के मध्य आयु वर्ग के प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों के लिए बुनियादी शोध में स्वर्ण जयन्ती अध्येतावृति की संस्थापन, विश्वविद्यालयों और संबंधित संस्थानों में "एस एण्ड टी बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु निधि (एफ आई एस टी)" की एक नयी स्कीम, पेटेन्ट कराने के पहलुओं पर सभी वैज्ञानिकों को सहायता मुहैया कराने के लिए एक पेटेन्ट सुविधा तंत्र, प्रौद्योगिकी विजन - 2020 संदर्भ प्रकाशित करना और देश में आधुनिकतम मौसम विज्ञान और भूकम्पीय सुविधाओं की स्थापना।

(ग) और (घ) सरकार ने एस एण्ड टी के अग्रणी क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान को सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, महासागर विज्ञान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान आदि जैसे एस एण्ड टी के विभिन्न क्षेत्रों में आर एण्ड डी के प्रोन्नयन हेतु चालू वित्त वर्ष (1998-99) के दौरान केन्द्रीय एस एण्ड टी विभागों/एजेन्सियों के लिए 2418.50 करोड़ रुपये मुहैया कराने का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

हम्पी विश्वविद्यालय में पुरातत्व संग्रहालय

4725. श्री के॰सी॰ कोंडय्या : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक से राज्य में हम्पी विश्वविद्यालय में पुरातत्व संग्रहालय खोलने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता मांगी गई है;

(ग) कुल सहायता राशि में से अब तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(घ) राज्य सरकार को बकाया सहायता राशि कब तक जारी की जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं। तथापि कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी में बहुउद्देशीय संग्रहालय की स्थापना करने के लिए "क्षेत्रीय व स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन व सुदृढ़ीकरण" की स्कीम के अंतर्गत कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी ने संस्कृति विभाग से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया था।

(ख) से (घ) इस संग्रहालय की स्थापना करने के लिए, कन्नड़ विश्वविद्यालय ने नए संग्रहालय-भवन के निर्माण-कार्य के लिए 1,79,50,259/- रुपये के अनुदान के लिए अनुरोध किया था। इस अनुरोध पर इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति द्वारा विचार किया गया। समिति ने 2.00 लाख रुपये के सांकेतिक अनुदान की सिफारिश की बशर्ते कि विश्वविद्यालय भवन-योजना को व्यावसायिक वास्तुकार से संशोधित कराकर भवन की लागत को घटाकर एक उचित सीमा तक दर्शाए। विश्वविद्यालय को जनवरी, 1998 में कार्रवाई करने की सलाह दी गयी थी। विश्वविद्यालय ने अभी तक संशोधित योजना नहीं भेजी है। उस संशोधित योजना के प्राप्त न हो पाने के कारण, 2.00 लाख रुपये का सांकेतिक अनुदान अभी तक विश्वविद्यालय को जारी नहीं किया गया है।

सेल्यूलर कम्पनियों से बकाया धनराशि की वसूली

4726. श्री मोहन रावले :

श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्यूलर कम्पनियों पर सरकार को लाइसेंस फीस के रूप में भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इतनी धनराशि बकाया होने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी कम्पनियों से बकाया धनराशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां।

(ख) 30.6.98 की स्थिति के अनुसार 1343.44 करोड़ रु. की राशि सर्किल सेल्यूलर प्रचालकों की ओर से देय है।

(ग) और (घ) भारतीय सेल्यूलर प्रचालन संघ ने यह प्रतिवेदन-किया है कि वर्तमान शर्तों के संदर्भ में अधिकांश परियोजनाएं अव्यवहार्य हैं क्योंकि मांग और उपभोक्ताओं की संख्या के संदर्भ में उनके प्रारंभिक अनुमान सही सिद्ध नहीं हो पाए हैं। संघ ने लाइसेंस अवधि बढ़ाने तथा दो वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान स्थगित करने की मांग की है। कुछ मामलों में न्यायालय/भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के कारण बकाया लाइसेंस शुल्क वसूल करने के लिए बैंक गारंटियों को भुनाया नहीं जा सका। संघ द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं को सत्यापन करने के लिए तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने के लिए औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बीआईसीपी) की सूल्यूलर उद्योग का विस्तृत तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। बीआईसीपी का अध्ययन पूरा होने तक भारतीय औद्योगिक क्रेडिट और निवेश निगम लि. (आईसीआईसीआई) से सेल्यूलर सेवा के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन का शीघ्र अध्ययन करने के लिए भी अनुरोध किया गया था। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

विजयवाड़ा में आयकर न्यायाधिकरण की खंडपीठ

4727. श्री पी॰ उपेन्द्र : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आय कर न्यायाधिकरण की खण्डपीठ की स्थापना करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सिद्धान्तरूप में वहां पर इस खण्डपीठ की स्थापना करने पर सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस खण्डपीठ को खोलने में विलंब के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) यह पाया गया कि इस मांग को मान लेना संभव नहीं है। तथापि, सरकार ने, हाल ही में, अधिकरण की एक न्यायपीठ विशाखपट्नम में स्थापित किए जाने का अनुमोदन कर दिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पारेषण तथा संवितरण जनित घाटा

4728. श्री अर्जुन सेठी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों के "लो प्लांट लोड फैक्टर" तथा पारेषण तथा संवितरण के कारण हो रहे भारी घाटे पर अत्यधिक चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कारकों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए क्षेत्रवार और अखिल भारतीय आधार पर संयंत्र भार अनुपात निम्नानुसार हैं :-

(संयंत्र भार अनुपात प्रतिशत)

क्षेत्र	1996-97	1997-98
राज्य क्षेत्र	60.3	60.9
केन्द्रीय क्षेत्र	71.0	70.4
निजी क्षेत्र	71.2	71.2
अखिल भारतीय	64.4	64.7

वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान पारेषण और वितरण संबंधी हानियां क्रमशः 21.13 प्रतिशत और 22.27 प्रतिशत थी।

सरकार देश में लगातार ताप-विद्युत केंद्रों की कार्य प्रणाली की समीक्षा करती है और उसने विभिन्न ताप विद्युत केंद्रो की समस्याओं को अभिज्ञात किया है। इन समस्याओं के निवारण के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। जिनमें पुराने यूनिटों का नवीकरण और आधुनिकीकरण, कोयले की आवश्यक मात्रा और गुणवत्ता की आपूर्ति, प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिक का प्रशिक्षण और पारेषण और वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करना शामिल है। देश में पारेषण एवं वितरण हानियां जो कि वर्ष 1996-97 तक लगभग 15 प्रतिशत थी, वर्ष 1995-96 में धीरे-धीरे बढ़कर 22.27 प्रतिशत हो गई हैं। प्रमुख हानियां पारेषण और वितरण प्रणाली मे होती हैं। विद्युत वितरण राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने संबंधी समेकित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्च हानि क्षेत्र का पता लगाना प्रचालन वोल्टेज का उन्नयन, एल.टी. लाइनों की लंबाई में कटौती, भार केंद्रों के निकट वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना, शंट कैपेसिटरों की अधिष्ठापना, निर्माण और प्रचालन तकनीकों और प्रक्रियाओं में सुधार शामिल है।

महिला विकास निगम

4729. श्री माधवराव पाटील :
श्री विट्ठल तुपे :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में महिला विकास निगम स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन निगमों द्वारा अब तक निगम-वार कितना कार्य किया गया है;

(ग) विशेषकर महाराष्ट्र में इन निगमों ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं; और

(घ) 1997-98 के दौरान इन निगमों को कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है और वर्ष 1998-99 के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा चंडीगढ़ और पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने महिला विकास निगम स्थापित किये हैं।

(ख) और (ग) प्रत्येक निगम द्वारा किये गये कार्यों का विवरण संलग्न है।

(घ) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार, महिला विकास निगम स्थापित करने की स्कीम 1-4-1992 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दी गयी है। हालांकि महिला विकास निगमों को सीधे धनराशि नहीं दी जा रही है, कुछ निगम विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

विवरण

क्रम संख्या	महिला विकास निगम	गतिविधियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश महिला सहकारी वित्त निगम लि.	- लघु महिला उद्यमियों को छोटे ऋण प्रदान करना।
		- डवाकरा और नौराड कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।
		- 11 कामकाजी महिला होस्टल चलाना।
		- राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण देना।
		- महिला समृद्धि योजना का प्रचार करना।
2.	बिहार राज्य महिला विकास निगम	- निगम महिलाओं को सीमान्त राशि सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, देवधर में हथकरघा साड़ी और बैग बनाने का एक प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र चलाया गया और बांसजोड़ा में एक टस्सर बुनाई और कढ़ाई केन्द्र चलाया जा रहा है।
		- हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक महिला समृद्धि उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें महिलाओं और महिला समूहों द्वारा तैयार चीज़ों की बिक्री होती है, एक प्रदर्शनी, दैनिक कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और निःशुल्क डाक्टरी जांचें शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।
		- निगम ने कार्यालय प्रबंधन में एक प्रशिक्षण सह-रोजगार केन्द्र शुरू किया है।
3.	गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम	- एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत एक लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है।
		- निगम ने शिविर आयोजित किए और महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते खोले।
		- छोटे उद्यमियों को लघु राशि दी गई।
		- समय-समय पर बिक्री सह-प्रदर्शनी आयोजित की और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र चलाया जा रहा है।

1	2	3
		- प्रशिक्षण सह-रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता के अंतर्गत हस्तशिल्प में महिलाओं का कौशल बढ़ाना।
4.	हरियाणा महिला विकास निगम	- लघु उद्यमियों को सीमान्त ऋण प्रदान किया जाता है।
		- रोजगार-सह-आयोत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत ब्यूटी कल्चर और कम्प्यूटर व्यवसायों में विभिन्न प्रशिक्षण एकक चलाए जा रहे हैं।
		- प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता के अंतर्गत महिला डेयरी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
		- महिला समृद्धि योजना का प्रचार किया जा रहा है।
5.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	- वित्तीय संस्थाओं से रियासती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में महिलाओं की सहायता कर रहा है।
		- रोजगार-सह-आयोत्पादन-सह-उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत ब्यूटीशियन, स्क्रीन प्रिंटिंग और कार्यालय प्रबंधन व्यवसायों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है।
		- महिला समृद्धि योजना का प्रचार
6.	जम्मू और कश्मीर महिला विकास निगम	- लघु महिला उद्यमियों को सीमान्त ऋण देना।
		- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र चलाना।
7.	कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम	- मेनिबेलक् स्कीम
		- देवदासी पुनर्वास कार्यक्रम
		- महिला उद्यमियों हेतु प्रशिक्षण
		- प्रशिक्षण कार्यक्रम
		- निगम ऋण स्कीम
		- प्रदर्शनी-सह-बिक्री कार्यशालाएं
		- महिला समृद्धि योजना का प्रचार

1	2	3
8.	केरल राज्य महिला विकास निगम	- निर्धनता रेखा के नीचे महिलाओं हेतु स्व-रोजगार स्कीम।
		- पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों हेतु स्व-रोजगार स्कीम।
		- कामकाजी महिला होस्टलों का निर्माण।
		- महिलाओं हेतु रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम।
		- महिलाओं हेतु उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र।
9.	मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम	- ग्राम्य स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत छोटे व्यवसाय चलाने की इच्छुक महिलाओं को निगम द्वारा 500 रु. का ब्याज-रहित ऋण दिया जाता है।
		- फोटोकोपियर मशीन स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत बैंक से प्राप्त ऋण से फोटोकापियर मशीन लगाने वाली महिलाओं को 10 प्रतिशत की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो अधिकतम 10 हजार रु. तक हो सकती है।
		- सामर्थ्य स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रशिक्षण का खर्च निगम द्वारा वहन किया जाता है।
		- टंकण प्रशिक्षण स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत छात्रवृत्ति के साथ-साथ महिलाओं को जिला मुख्यालयों में तथा अन्य बड़े शहरों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
		- निगम को सौंपी गई कम्प्यूटर प्रशिक्षण जैसी नोराड स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

1	2	3
		- राष्ट्रीय महिला कोष हेतु नोडल एजेंसी में रूप में कार्य कर रहा है।
		- स्टेप परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।
		- राज्य के छह जिलों (होशंगाबाद, देवास, सिहोर, बेतुल, टीकमगढ़ और छतरपुर) में विश्व बैंक - डफैड से सहायता प्राप्त केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण महिला विकास और शक्ति-सम्पन्नता कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेन्सी है।
		- डवाकरा दलों द्वारा उत्पादित चीजों की मेलों में बिक्री की व्यवस्था करता है।
		- आयोत्पादन गतिविधियों के लिए महिलाओं का प्रशिक्षण आयोजित करता है।
10.	महाराष्ट्र महिला विकास निगम	- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण एकक चला रहा है।
		- महिला समृद्धि योजना का प्रचार किया।
		- कामकाजी महिला होस्टलों का निर्माण।
11.	मणिपुर महिला विकास निगम	- सीमान्त महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान कर रहा है।
		- मच्छरदानी बनाने, टंकण और आशुलिपि व्यवसायों में प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्रो के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है।
		- महिला समृद्धि योजना का प्रचार।
12.	उड़ीसा महिला विकास निगम	- खुरवा में एक छोटी इकाई चला रहा है, जहां महिलाएं एच एम टी की घड़ियां असैम्बल करती हैं।
		- महिला समृद्धि योजना का प्रचार।
13.	पंजाब महिला विकास निगम	- महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न बैंकों के जरिए ऋण में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
		- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र के अंतर्गत शाल बुनाई, स्टेशनरी और हौजरी में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
		- भटिंडा, लुधियाना और होशियारपुर में व्यावसायिक और पुनर्वास केन्द्र चलाए जा रहे हैं।
14.	तमिलानाडु महिला विकास निगम	- तमिलनाडु महिला विकास परियोजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से स्व-सहायता महिला दलों का गठन।
		- गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
		- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र।
		- उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम।
		- महिला समृद्धि योजना का प्रचार।
15.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम	- ग्रामीण महिला विकास और शक्ति -सम्पन्नता परियोजना।
		- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण एकक चलाना।
		- रियायती ब्याज दरों पर सीमान्त राशि ऋण प्रदान करना।
		- महिला उद्यमियों को विपणन सुविधाएं।
		- कामकाजी महिला होस्टलों का निर्माण करना।
16.	प.बंगाल महिला विकास निगम	- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण एकक चलाना।

1	2	3
		- महिला समृद्धि योजना का प्रचार।
17.	चण्डीगढ़ महिला विकास निगम	- हाल ही में स्थापित।
18.	पाण्डिचेरी महिला विकास निगम	- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण एकक चलाना।
		- महिला समृद्धि योजना का प्रचार।

सेवा काल में वृद्धि

4730. **श्री सत्यपाल जैन :**

श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सभी अध्यापकों के सेवा काल में दो वर्षों की वृद्धि करने का अनुरोध किया है जो 1 मई, 1998 को या उससे पहले विश्वविद्यालयों और संबद्ध कालेजों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव गत एक माह से सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन सहित उक्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इस संबंध में निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा।

विद्यालयों के शैक्षणिक स्तर में गिरावट

4731. **श्री अनंत गंगाराम गीते :**

श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यालयों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के शैक्षणिक स्तर में गिरावट के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लाभप्रद शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण ढांचे को फिर से जीवंत बनाने के लिए कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) विशेषरूप से इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शिक्षण की अद्यतन पद्धति तथा पाठ्यविवरण के माध्यम से शिक्षा पद्धति में फिर से प्राण फूंकना सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्य योजना 1992 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा विकसित किया है। यह पाठ्यपुस्तकें भी तैयार करती है जिन्हें विभिन्न बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा अपनाया जाता है/अपने अनुकूल बनाकर उनके द्वारा उपयोग मे लाया जाता है। सेवाकालीन प्रबोधन और प्रशिक्षण के द्वारा तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों के माध्यम से बेहतर सहायता सुविधाएं उपलब्ध कराकर और विज्ञान, गणित आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों पर विशेष बल देकर शिक्षकों की क्षमताओं में सुधार के माध्यम से शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास किए गए हैं। अध्ययन-अध्यापन की विषय-वस्तु तथा प्रक्रिया में भी सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया को कम बोझिल और अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जी-8 राष्ट्रों द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध

4732. **प्रो॰ पी॰के॰ कुरियन :**

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा पोखरन परमाणु परीक्षण करने के बाद जी-8 राष्ट्रों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से विद्युत क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इनसे विद्युत क्षेत्र पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार अल्पकाल में निर्मित होने वाली परियोजनाओं को तरल ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस उपाय करने के बारे में विचार कर रही है;

(घ) विद्युत परियोजनाओं पर इसका कुल कितना प्रभाव पड़ा है;

(ङ) वर्तमान में कितनी विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है और इन्हें कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने 49 स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है; और

(छ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की कुल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क), (ख) और (घ) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार विभिन्न दाता राष्ट्रों द्वारा लगाये गए प्रतिबन्धों के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए वचनबद्ध विदेशी सहायता प्रभावित नहीं होगी इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के चल रहे कार्यक्रमों में तत्काल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं हैं।

(ग) अल्पावधि में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए एक बारगी किए गए उपाय के तौर पर पूरे देश के लिए लगभग 12000 में.वा. क्षमता वाली परियोजनाओं को तरल ईंधन नीति में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार 12000 मे.वा. क्षमता केवल नैपथा आधारित विद्युत परियोजनाओं पर लागू होगी और राज्य फर्नेस तेल और कण्डेनसेट और ओरीमल्सन जैसे अपारम्परिक ईंधन पर आधारित नई विद्युत परियोजनाओं हेतु करार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(ङ) पूरी होने की प्रत्याशित तिथि सहित प्रमुख निर्माणाधीन परियोजनाओं के ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(च) और (छ) निजी क्षेत्र में 21221 मे.वा. की कुल क्षमता वाली 44 विद्युत परियोजनाओं को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जून, 1998 तक तकनीकी-आर्थिक मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।

विवरण-I

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	पूरा होने की तिथि
1	2	3	4
1.	फिरोजगांधी ऊंचाहार टीपीपी चरण-2	2×210	7/2000
2.	फरीदाबाद गैस विद्युत परियोजना (सीसीजीटी)	430	1/2001
3.	विंध्याचल एसटीपीपी चरण-2	2×500	2/2001
4.	कायमकुलम सीसीजीटी	350	3/2000
5.	सिम्हाद्री टीपीएस	2×500	12/2002
6.	पानीपत चरण-4	210	(*)
7.	जीएचटीपी भटिण्डा	2×210	7/98
8.	सूरतगढ़	2×250	1999-2000
9.	वनाकबोरी टीपीएस	210	8/98
10.	पगुथन सीसीजीटी	655	10/98
11.	सूरत लिग्नाइट सीसीजीटी	2×125	2/99
12.	संजय गांधी विस्तार टीपीपी	2×210	12/99
13.	खापरखेड़ा विस्तार, चरण-2	2×210	7/2000
14.	डाभोल सीसीजीटी	2184	2000-01
15.	तोरांग्लू में ताप विद्युत परि.	2×130	3/99
16.	डीजी विद्युत केन्द्र	8×16	समय कार्यक्रम अपेक्षित है।
17.	कराईकल संयुक्त साइकिल	32.5	9/98
18.	बेसिन ब्रिज में डीजल जेनरेटर सेट	4×50	2/99
19.	उत्तरी मद्रास टीपीपी चरण-2	2×525	
20.	बक्रेश्वर टीपीपी	5×210	समय कार्यक्रम अपेक्षित है।
21.	बज-बज टीपीएस	2×250	12/98
22.	लीमाखोग डीजी विद्युत परियोजना भारी तेल आधारित	6×6	समय कार्यक्रम अपेक्षित है।

(*) पीपीए पर हस्ताक्षर से 24 माह।

विवरण-II

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	पूरा होने की तिथि
1	2	3	4
1.	नाथपा झाकड़ी	6×250	2001-02
2.	दुलहस्ती	3×130	2001-02
3.	टिहरी चरण-I	4×250	2001-02
4.	धोलीगंगा-I	4×70	2004-05
5.	रंगित	3×20	1999-2000
6.	दोयांग	3×25	1998-2000

1	2	3	4
7.	रंगानदी	3×135	1999-01
8.	अपर सिंध-II	2×35	1998-2000
9.	अपर सिंध विस्तार	1×35	1999-2000
10.	सेवा चरण-III	3×3	1998-99
11.	चेनानी चरण-III	3×2.5	1998-99
12.	रणजित सागर	4×150	1998-2000
13.	सोबला	2×3	1998-99
14.	सरदार सरोवर	6×200+5×50	1999-02
15.	बाणसागर टोंस पीएच. I,II व III	3×105	2001-02
16.	बाणसागर टोंस पीएच, II	2×15+3×20 2×10	2001-02
17.	राजघाट	3×15	1999-2000
18.	कोयला चरण-II	4×250	1999-01
19.	दुध गंगा	2×12	1998-2000
20.	घाटघर पीएसएस	2×125	2002-03
21.	श्रीसेलम एलबीपीएच	6×150	1999-02
22.	सिंगुर	2×7.5	1998-2000
23.	कालीनदी चरण-2	3×40+3×50	1997-2000
24.	वृन्दावन	2×6	एक्स योजना
25.	शरावती टी.आर.	4×60	2000-02
26.	मालनकारा	3×3.5	2001-02
27.	काक्कड़	2×25	1999-2000
28.	कुटियाडी टेल-रेस	3×1.25	2000-01
29.	पोरिंगलकुथू एलबी विस्तार	1×16	1998-99
30.	कुटिसाटी विस्तार	1×50	2001-02
31.	सतनूर बांध	1×7.5	1998-99
32.	पारसन वैली (कुंडा-5 विस्तार)	1×30	1999-2000
33.	पाइकारा अल्टीमेट चरण	3×50	1999-01
34.	चांडिल	2×4	1999-2000
35.	उत्तरी कोयल	2×12	1999-2000
36.	अपर इन्द्रावती	4×150	1999-2000
37.	पोत्तेरू	1×3+1×3	1998-99
38.	तीस्ता प्रपात 1-3	3×3×7.5	1999-2000
39.	पुरूलिया पीएसएस	4×225	2002-04
40.	धनश्री	5×3×1.33	एक्स प्लान
41.	लिकिम रो	3×8	2000-01
42.	बासपा चरण-2	3×100	नौवीं योजना के आगे
43.	महेश्वर	10×40	2001-02

फ्रैंकिंग मशीन का प्रयोग आरंभ करना

4733. **श्री वैको :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रेषिती को भेजे गये डाक पत्रों को शीघ्र पहुंचाने में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पत्रों पर लगायी गई मुहर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या देश के सभी डाकघरों में फ्रैंकिंग मशीन का प्रयोग आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) आम तौर पर डाक का वितरण विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है। वर्ष 1997 में किए गए अखिल भारतीय लाइव मेल सर्वे के परिणामों के अनुसार गृह जिले की 68.1 प्रतिशत डाक तथा गृह राज्य की 76.9 प्रतिशत डाक और अन्य राज्यों के लिए भेजी गई 75 प्रतिशत डाक मानदंडों के अनुसार वितरित की गई थी। तथापि, ऐसे अनेक कारणों से डाक-वितरण में यदा-कदा विलंब हो जाता है जो विभाग के नियंत्रण से बाहर होते हैं। डाक के वितरण में विलंब, परिवहन संबंधी समस्याओं जैसे-रेलों के देर से चलने, एयरलाइनों द्वारा डाक ले जाने से इंकार करने, डाक ले जाने वाली बसों के अनियमित रूप से चलने, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण होता है।

(ख) और (ग) डाकघरों द्वारा लगाई जाने वाली डाक मुहरों को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं। मुहरों और सीलों को

समय-समय पर बदला जाता है। बेहतर छाप प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा फ्रैंकिंग मशीनों और डाक-टिकट विरूपक मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बेहतर स्तर की तारीख और वितरण मोहरें प्राप्त करने के लिए, इन्हें अब आयुध फैक्ट्रियों द्वारा बनाया जा रहा है।

(घ) से (च) देश के महत्वपूर्ण डाकघरों में फ्रैंकिंग मशीनों की आपूर्ति पहले ही कर दी गई है। उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, अन्य डाकघरों में इन मशीनों की सप्लाई को बढ़ाने का हर संभव उपाय किया जाता है, जो परियात तथा जुटाए जाने वाले संभावित राजस्व पर आधारित औचित्य पर निर्भर करता है।

आई॰सी॰एच॰आर॰ के उद्देश्यों में परिवर्तन

4734. डा॰ जयंत रंगपी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.सी.एच.आर. के उद्देश्यों के वितरण में हाल ही में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नए संशोधित संस्करण सहित 1972 के मूल समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों के वितरण का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

शुल्क ढांचे में परिवर्तन

4735. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री डी॰एस॰ अहिरे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग को प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग को कितना नुकसान/घाटा हुआ;

(ग) तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार शुल्क ढांचे में परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) डाक विभाग को ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है परंतु यह घाटे में है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग का घाटा निम्नानुसार है:-

1994-95	351.81 करोड़ रु.
1995-96	659.41 करोड़ रु.
1996-97	703.26 करोड़ रु.

(ग) अधिकांश डाक सेवाओं की प्रचालन लागत इन सेवाओं के लिए जो शुल्क लिया जा रहा है, उसकी तुलना में कहीं अधिक है। चूंकि, डाक विभाग एक जनोपयोगी सेवा विभाग है, अतः विभिन्न सेवाओं के लिए डाक दरों को संशोधित करते समय शुल्क वहन कर पाने से संबंधित कारक को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) जी हां।

(ङ) आठ डाक सेवाओं के संबंध में दरों में परिवर्तन, वित्त विधेयक 1998 में शामिल किया गया है।

खेलकूद को बढ़ावा

4736. श्री विठ्ठल तुपे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को अपने-अपने राज्यों में खेलकूद संवर्द्धन, मूलभूत खेलकूद सुविधाओं का प्रावधान करने तथा खेलकूद परिसर का निर्माण हेतु राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यों को राज्य-वार तथा वर्ष-वार इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार द्वारा 1996 तक सिद्धांत रूप में अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में भारी प्रतिबद्ध देयता और संबद्ध योजना में संशोधन करने संबंधी विभाग के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग ने प्रतिबद्ध देयता के पूरा हो जाने और इस योजना में किए जाने वाले संशोधन को अंतिम रूप दिए जाने तक किसी भी नये प्रस्ताव पर विचार न करने का निर्णय लिया है। फलतः, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से खेल अवस्थापना के सृजन हेतु प्राप्त प्रस्ताव उन्हें वापस कर दिए गए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान लम्बित पड़े अनुमोदित प्रस्तावों और आबंटित की गई धनराशि के ब्यौरों को दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1995-96, 1996-97 और 1997-98) के दौरान खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों और आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा दर्शाने वाली सूची

वर्ष	क्रम संख्या	परियोजना/स्थान का नाम	अनुमोदित राशि लाख रु. में	जारी की गई राशि लाख रु. में
1	2	3	4	5
असम				
1995-96	1.	जोरहाट में तरणताल	43.00	-
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश				
1995-96	1.	आदिलाबाद में जिला खेल परिसर	75.00	-
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
अरूणाचल प्रदेश				
1995-96	1.	जोगिंग में एस.पी.डी.ए. केन्द्र	41.30	20.60
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
बिहार				
1995-96		-	-	-
1996-97	1.	लहरिया सराय, दरभंगा में स्थित वर्तमान पोलो ग्राउण्ड स्टेडियम में पेवेलियन और खेल मैदान का विकास	5.00	-
1997-98	-	-	-	-
गोवा				
1995-96	-	-	-	-
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
गुजरात				
1995-96	1.	राजपीपला, भड़ोज में आऊटडोर स्टेडियम	11.80	-
	2.	पी.एन. मेहता उच्च विद्यालय, कोहली, साबरकंठा में बास्केटबाल कोर्ट	0.60	-

1	2	3	4	5
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
हरियाणा				
1995-96	1.	सी.एम.के. नेशनल गर्ल्स कालेज, सिरसा में इंडोर स्टेडियम	14.08	7.00
	2.	महाविद्यालय गुरूकुल झज्जर, रोहतक में कुश्ती भवन	4.26	3.834
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश				
1995-96	1.	भूले मंडी में तरणताल	30.00	-
	2.	जी.ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कांगड़ा में बास्केटबाल कोर्ट	0.90	0.81
	3.	सेक्रेट हार्ट हाई स्कूल, सिद्धपुर, कांगड़ा में फुटबाल मैदान	1.24	1.116
	4.	जंग, शिमला में आउटडोर स्टेडियम	8.32	7.488
	5.	राजकीय विद्यालय, ताल, हमीर पुर में बास्केटबाल कोर्ट	0.89375	0.80435
	6.	राजकीय विद्यालय महाराल में बास्केटबाल कोर्ट	0.89375	0.80435
	7.	राजकीय विद्यालय हमीरपुर में बास्केटबाल कोर्ट	0.89375	0.80435
	8.	राजकीय विद्यालय, जंगल, हमीरपुर में बास्केटबाल कोर्ट	0.89375	0.80435
	9.	राजकीय विद्यालय जालारी, हमीरपुर में बास्केटबाल कोर्ट	0.89375	0.80435
1996-97	-	-	-	-
1997-98	1.	एस.पी.डी.ए. केन्द्र, धर्मशाला, कांगड़ा	49.00	49.00
जम्मू व कश्मीर				
1995-96	1.	इंडोर स्टेडियम, लेह	37.50	33.75
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
कर्नाटक				
1995-96	1.	सीरा, तुमकुर में तालुक स्टेडियम	6.00	5.40

1	2	3	4	5
	2.	पूर्ण-प्रजना एजूकेशन सैंटर न्यू थापासान्द्रा, बंगलौर में खेल मैदान	0.40	-
	3.	कारवार में इंडोर स्टेडियम	35.00	-
	4.	गुलबर्गा में इंडोर स्टेडियम	20.00	10.00
	5.	बगलकोट, बीजापुर में इंडोर स्टेडियम	10.00	-
	6.	सद्गुरू अपैया स्वामी हाई स्कूल, कुडीग, कोडागु में खेल मैदान	1.24	1.116
	7.	हरपनहाली, बेलारी में तालुक स्टेडियम	12.00	-
	8.	सीरूमप्पा, बेलारी में तालुक स्टेडियम	1.00	-
	9.	श्री आदिचुन्चुनागिरी इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सिस, बेलूर के अहाते में स्टेडियम	1.75	1.575
	10.	मान्डया सिटी, मान्डया में इंडोर स्टेडियम	35.00	35.00
1996-97	1.	सन्केश्वर, बेलगांव में तालुक स्तरीय स्टेडियम	8.51	-
	2.	रेनेबेनूर, धारवाड़ में तालुक स्तरीय स्टेडियम	12.00	-
	3.	बेलाहोंगल, बेलगांव में तालुक स्तरीय स्टेडियम	18.00	-
	4.	गवर्नमेंट ब्वायज हाई स्कूल तीपतुर, तुमकुर में तालुक स्तरीय स्टेडियम	1.98	-
	5.	हालीयाल उत्तर करनाडा जिला में तालुक स्टेडियम	12.00	-
	6.	होसनगर, शिमोगा में तालुक स्तरीय स्टेडियम	8.75	-
	7.	रायचूर में इंडोर स्टेडियम	18.90	-
	8.	अरसीकेरा, हसन में तालुक स्टेडियम	10.495	9.4455
	9.	फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा आडिटोरियम ट्रस्ट कोडागू (मैडेकेरि) द्वारा इंडोर स्टेडियम	52.50	6.83
	10.	बंगलौर और मैसूर में राष्ट्रीय खेलों के लिए विद्यमान खेल अवस्थापना का सृजन/आधुनिकीकरण	800.00	800.00
1997-98	1.	हुविनाहडागोली, बेलारी में तालुक स्तरीय स्टेडियम	2.60	-
	2.	हवेरी, धारवाड़ में तालुक स्तरीय स्टेडियम	12.00	-
केरल				
1995-96	1.	सेंट मेरी हाईस्कूल कोबाका क्षमपोइल, कोजीकोड में सयुंक्त फुटबाल/क्रिकेट मैदान	1.24	-
	2.	सेक्रेड हार्ट हाईस्कूल, थिरूवाम्बाडी कोजीकोड में स्टेडियम	6.10	5.49
	3.	गोल्फ क्लब, कोडियार, थिरूवनंतपुरम, केरल में टेनिस कोर्ट	0.60	0.60

1	2	3	4	5
	4.	होली फेमिली हाई स्कूल राजपुरम कासरगोड में स्टेडियम	4.65	4.185
	5.	सेंट एंटोनी पब्लिक स्कूल अनावकाल कांजीरापल्ली, कोट्टायम में इंडोर स्टेडियम	10.00	-
	6.	जे.डी.टी. इस्लाम आरफेनेज हाईस्कूल, कोजीकोड में फुटबाल मैदान	0.83	-
	7.	"आवर लेडी ऑफ लोर्डे हाईस्कूल" उजवर, कोट्टायम के परिसर में फुटबाल मैदान	1.24	1.116
	8.	मित्रा निकेतन, वेल्लानाद, त्रिवेन्द्रम में इंडोर स्टेडियम	16.60	12.12752
	9.	कांजीकुझी, इदुक्की में फुटबाल मैदान	1.24	1.116
	10.	अलप्पुझा, अलेप्पी में तरणताल	38.00	34.20
	11.	कसरगौड में ओपन स्टेडियम	6.60	5.94
	12.	पिलाई कोट्टायम में खेल परिसर	37.50	-
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
मध्य प्रदेश				
1995-96	1.	बुरहानपुर, खंडवा में इंडोर स्टेडियम	19.975	-
	2.	पिछौर, शिवपुरी में खेल स्टेडियम	6.00	5.40
	3.	बालोद, दुर्ग में मिनी स्टेडियम	18.00	16.20
	4.	रूप सिंह स्टेडियम, ग्वालियर में फ्लड् लाइटिंग	50.00	45.00
	5.	ग्वालियर में एस.पी.डी.ए. केन्द्र	15.00	15.00
	6.	मोरेना में स्टेडियम	9.50	-
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
महाराष्ट्र				
1995-96	1.	यवटमाल में बहुउद्देशीय हाल (इंडोर स्टेडियम)	35.00	-
	2.	यवटमाल में तरणताल	20.00	10.00
	3.	चिपलुन, रत्नगिरी में इंडोर स्टेडियम	30.00	-
	4.	राव साहब, अखाड़ा, नागपुर द्वारा इंडोर खेल परिसर	3.03	-
	5.	वार्ड सं. 49, 55, 57 तथा 62 में नागपुर नगर निगम द्वारा जिमनेजियम हॉल	10.00	-
	6.	किशनुजी भिसीकर अधाना, नागपुर में बहुउद्देशीय जिमनेजियम हॉल	2.96	-

1	2	3	4	5
	7.	नवभारत हाईस्कूल तथा जूनियर कालेज ऑफ ऑर्टस एण्ड साइंस, भार्ते, रत्नगिरी में जिम्नेजियम हॉल	6.72	–
	8.	निवाशी हाईस्कूल, बाराशिव परभानी में खेल मैदान	0.80	0.72
	9.	सावरदे, रत्नगिरी में जिम्नेजियम हॉल	6.72	–
1996-97	1.	नारखेड, जिला नागपुर में तरणताल	5.00	–
1997-98	–	–	–	–
मणिपुर				
1995-96	1.	खोगजोम युद्ध स्मृति परिसर, टेंथा, थाऊबाल में तरणताल	30.00	10.00
1996-97	–	–	–	–
1997-98	–	–	–	–
मेघालय				
1995-96	–	–	–	–
1996-97	–	–	–	–
1997-98	–	–	–	–
मिजोरम				
1995-96	1.	लुंगलै, सैहा, लुंगवेल, लुंगदाई, मैकडोनाल्ड हिल चम्फाई, सैतुअल तथा कवरतेथावर्वेग में जिला स्तरीय खेल परिसर/इंडोर स्टेडियम/आऊटडोर स्टेडियम	215.49	215.49
1996-97	–	–	–	–
1997-98	–	–	–	–
नागालैंड				
1995-96	–	–	–	–
1996-97	–	–	–	–
1997-98	–	–	–	–
उड़ीसा				
1995-96	1.	राजकीय हाईस्कूल, सियालखंडहाथा बारागढ़ में खेल मैदान	0.498	–
	2.	राजकीय हाई स्कूल नारायणपटना कोरापुट में खेल मैदान	0.75	–
1996-97	–	–	–	–
1997-98	–	–	–	–

1	2	3	4	5
पंजाब				
1995-96	1.	आत्मा राम कुमार सभा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटियाला में 6 लेन के घास के रनिंग ट्रैक सहित हाकी मैदान/बास्केटबाल कोर्ट	2.30	-
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
राजस्थान				
1995-96	1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, निम्बोहेड़ा जतन, भीलवाड़ा में बास्केटबाल कोर्ट	0.435	-
	2.	बी.एल. वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बागर, झुन्झुनु में खेल मैदान।	4.23	3.807
	3.	बाल हायर स्कूल, कोटा का स्टेडियम	10.00	10.00
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
सिक्किम				
1995-96	1.	ग्यालसिंग और माओगोन में आऊटडोर स्टेडियम	18.00	15.30
1996-97	--	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
तमिलनाडु				
1995-96	1.	धारापुरम, चेन्नमपट्टी ओलागडम और देवाकोट्टाई, पेरियार में खेल मैदान/बास्केटबाल कोर्ट	1.7835	-
	2.	धाराओयराम, पेरियार में इंडोर स्टेडियम	52.50	47.25
	3.	काम्पियन एच.एस. स्कूल, विश्री में तरणताल	10.00	10.00
	4.	एस.बी.आई.ओ.ए. मैट्रिकुलेशन और एच.एस. स्कूल, कोयम्बटूर में टेनिस कोर्ट	0.3675	0.33075
	5.	आर.बी.जी.एच.एस. स्कूल क्रुची, कोट्टि, कोयम्बटूर में फुटबाल/क्रिकेट के मैदान सहित 8-लेन का रनिंग ट्रैक।	2.50	-
	6.	सैनिक स्कूल, अमरावती नगर, कोयम्बटूर में तरणताल के लिए फिल्टरेशन प्लांट	6.20	-
	7.	स्टेनस एच.एस. स्कूल, कोयम्बटूर में बास्केटबाल कोर्ट	0.60	0.60
	8.	पेर्कस कैम्पस, कोयम्बटूर में टेनिस कोर्ट	1.86	1.674
	9.	माऊंट जिआंन मेट्रिकुलेशन एच.एस. स्कूल, करपगानगर, पुडकोट्टि में बास्केटबाल कोर्ट	0.60	0.60

1	2	3	4	5
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
त्रिपुरा				
1995-96	1.	उदयपुर में तरणताल	63.75	57.375
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश				
1995-96	1.	जार्जटाऊन, इलाहाबाद में तरणताल	43.00	21.50
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल				
1995-96	1.	रबिन्द्र नगर, मिदनापुर में इंडोर स्टेडियम	52.50	-
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
संघ शासित क्षेत्र				
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह				
1995-96	-	-	-	-
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
चंडीगढ़				
1995-96	1.	विवेक हाई स्कूल, सैक्टर 38 में खेल मैदान	1.95	-
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
दादरा एवं नगर हवेली				
1995-96	-	-	-	-
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
दमन एवं दीव				
1995-96	-	-	-	-

1	2	3	4	5
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
दिल्ली				
1995-96	1.	रामजस खेल एवं पर्वतारोहण संस्थान, नई दिल्ली में आउटडोर स्टेडियम	5.02	2.50
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
पाण्डिचेरी				
1995-96	-	-	-	-
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-
लक्षद्वीप				
1995-96	-	-	-	-
1996-97	-	-	-	-
1997-98	-	-	-	-

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर सामयिक घटनाओं संबंधी कार्यक्रम

4737. श्री विजय गोयल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान दूरदर्शन के राष्ट्रीय तथा मेट्रो चैनल पर सामयिक घटनाओं से संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत किन-किन सामयिक विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किए गए;

(ख) कौन-कौन से कार्यक्रमों को किन-किन तारीखों को प्रसारित किया गया और उनके निर्माता कौन-कौन थे;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों को स्वीकृति देने के मामले में अनियमितताएं बरते जाने की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) दूरदर्शन के राष्ट्रीय तथा मैट्रो चैनल पर जुलाई, 1997 से जून, 1998 तक प्रसारित सामयिक घटनाओं से संबंधित कार्यक्रमों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जुलाई, 1997 से जून, 1998 तक प्रसारित/कमीशंड सामयिक कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं.	निर्माता का नाम	शीर्षक	स्वीकृति की तिथि	प्रसारण की तिथि
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स तनुष फिल्म्स, लखनऊ	डेवलपमेंट ऑफ स्माल हाइड्रो प्रोजेक्ट इन उत्तराखण्ड	4.7.97	29.12.97
2.	मैसर्स मूविंग पिक्चर कं.	एजेण्डा (6)	4.7.97	

1	2	3	4	5
		1. पावर		8.9.97
		2. इकोनोमी		15.9.97
		3. फैमिली प्लानिंग		22.9.97
		4. कोयलिशन गवर्नमेंट		29.9.97
		5. ब्राडकास्टिंग बिल		6.10.97
		6. इण्डियन क्रिकेट		20.10.97
3.	मैसर्स फार्म्स एंड इमेजिस	इन्हें कहने दें (5)	4.7.97	
		1. पंचायत		10.3.98
		2. रिवर एक्शन प्लान		17.3.98
		3. टूरिज्म		15.6.98
4.	मैसर्स राजिन्द्र फिल्म्स	इंडिया एग्जिम रिपोर्ट (6)	4.7.97	13.10.97
				20.10.97
				27.10.97
				3.11.97
				10.11.97
				17.11.97
5.	मैसर्स न्यू एज टेलीविजन	आयल पूल डेफिसिट	9.7.97	6.7.97
6.	मैसर्स आयतम प्रोडक्शन	दि आइलैंड फाइल (3)	9.7.97	24.3.98
				31.3.98
				21.4.98
7.	मैसर्स आर.एस. एसोसिएट्स	इंश्योरेंस-टुडे एंड टुमारो	17.7.97	5.5.98
8.	मैसर्स अमन आर्ट्स	शारो फोकस (5)	7.8.97	
		1. फायर ट्रेजिडी		22.6.98
		2. एयर क्रैश		29.6.97
		3. पोलुशन		6.7.98
		4. अर्थक्वेक		13.7.98
		एक एपीसोड निर्माणधीन		
9.	मैसर्स प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस	लुकिंग बैक, लुकिंग फारवर्ड	19.8.97	10.7.97
10.	मैसर्स आरोही सिनेमाटिक्स	फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (5)	22.8.97	
		1. पंजाब		13.4.98
		2. सिक्किम		20.4.98
		3. कर्नाटक		27.4.98
		4. त्रिपुरा		4.5.98

1	2	3	4	5
11.	श्री. कीर्ति अग्रवाल	सीरिज ऑन इक्नोमिक इन्फ्रास्ट्रेक्चर (4)	22.8.97	
		1. रेलवेज		10.4.98
		2. रोड्स		17.4.98
		3. पोर्ट्स		24.4.98
		4. पावर		12.5.98
12.	मैसर्स उपवन फिल्म्स	प्रोग्राम ऑन हॉगकांग	8.9.97	26.6.97
13.	मैसर्स वाइटल फिल्मस	अनकेजिंग दी टाइगर (13)	22.9.97	29.3.98
				12.4.98
				19.4.98
				26.4.98
				03.5.98
				10.5.98
			सीरिज बंद कर दी गई है।	
13.	(क) मैसर्स न्यू एज. टेलीविजन	प्रोफाईल ऑन श्री के॰आर॰ नारायणन	22.10.97	17.7.97
14.	मैसर्स इमेजिस नेटवर्क	ग्रोथलाइन (6)	19.11.97	
		1. सूरत		21.2.98
		2. मुरादाबाद		9.3.98
		3. लुधियाना		16.3.98
		4. बंगलौर		23.3.98
		5. शिवकाशी		30.3.98
		6. विरूपुर		6.4.98
15.	मैसर्स प्रीतिश नंदी कम्यूनीकेशन्स	इन फोक्स विद पीएम (2)	18.12.97	8.11.97
				15.11.97
16.	मैसर्स प्रीतिश नंदी कम्यूनीकेशन्स	ट्रिब्यूट टू मदर टेरेसा	24.12.97	13.9.97
17.	मैसर्स टी.वी. लाइव	इंटरव्यू श्री आई॰के॰ गुजराल	24.12.97	3.6.97
				11.12.97
18.	मैसर्स एएनआई	प्रोग्राम ऑन पोलिटिकल डिवलेपमेंट	12.1.98	21.11.98
19.	मैसर्स इमेजिस नेटवर्क	एजूकेशन स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज	12.01.98	05.12.97
				18.11.97
20.	मैसर्स सिगनेट कम्युनीकेशन्स	गिरी चाइल्ड स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज एजूकेशन	12.1.98	2.10.97
				15.11.97
				17.11.97

1	2	3	4	5
21.	मैसर्स लुकरेटिव आई	पांचवां वेतन आयोग	12.1.98	18.8.97
22.	मैसर्स इस्टर्न न्यूज एंड फीचर्स कलकत्ता	दि जैवल्स ऑफ इडिंया (2)	29.1.98	12.1.98
				5.3.98
23.	मैसर्स टी वी न्यूज इण्डिया	प्रोग्राम ऑन लेट पण्डित दत्त	23.2.98	24.1.98
24.	मैसर्स एपीसीए	इंटरव्यू विद श्री के॰आर॰ नारायणन	27.2.98	27.7.97
25.	मैसर्स इमेजिस नेटवर्क	इम्प्लायमेंट जनरेशन	5.5.98	18.10.97
26.	मैसर्स प्रीतिश नंदी कम्यूनिकेशन्स	सिंगिंग ऑफ एंड टेकिंग चार्ज	6.5.98	14.3.98
				17.3.98
27.	मैसर्स ए.एस. फिल्म्स	इन्सटालिंग कॉनफिडेंस इन माइनोरिटीज (2)	23.4.96	19.11.97
				20.11.97

चल रही सीरिज के विवरण

क्र.सं.	निर्माता का नाम	कार्यक्रम का नाम	प्रसारण के दिन
1.	मैसर्स ए एन आई	भारत डायरी	सोमवार, वीरवार-डीडी-1
2.	मैसर्स एन एन आई	शार्वा डायरी	रविवार-डीडी-1
3.	मैसर्स सिगनेट कम्युनीकेशन्स	खोज खबर	शनिवार-डीडी-1
4.	मैसर्स संवाद परिक्रमा	कारोबारनामा	बुधवार-डीडी-1
5.	मैसर्स प्लस चैनल	बिजनेस प्लस	(इस समय रूका हुआ है)
6.	मैसर्स टी वी टूडे	बिजनेस आज तक	सोमवार-शुक्रवार-डीडी-2
7.	मैसर्स एपीसीए	फर्स्ट एडिशन	सोमवार-शनिवार-डीडी-2
8.	मैसर्स टी वी लाइव	आंखों देखी	दैनिक-डीडी-2
9.	मैसर्स टी वी टूडे	आज तक	सोमवार-शनिवार-डीडी-2
10.	मैसर्स मूविंग पिक्चर कं.	इंण्डिया दिस वीक	शनिवार-डीडी-2
11.	मैसर्स इन टी वी	क्रॉसफायर	रविवार-डीडी-2
12.	मैसर्स टी वी टूडे	साप्ताहिक आज तक	शनिवार-डीडी-2

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ

4738. **श्री पी॰सी॰ थामस :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन :

श्री एच॰डी॰ रामुलू :

श्री टी॰ गोविन्दन :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाओं सहित सभी श्रेणियों के कुल कितने विशेषकर कर्नाटक से संबंधित मामले लंबित हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उच्चतम न्यायालय में मुकदमें दायर करने वाले वादियों को दूर-दूर से आने-जाने तथा खर्च होने वाले किराए की समस्या को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार से उच्चतम न्यायालय की नई खण्डपीठ स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) 1.7.1998 को उच्चतम

न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए सभी प्रवर्गों से संबंधित (जिसमें विशेष इजाजत याचिका भी हैं) 6,709 ग्रहण किए जानेवाले मामले और 13,531 नियमित सुनवाई वाले मामले लंबित थे। इनमें से ग्रहण किए गए 451 मामले (जिसमें 415 विशेष इजाजत याचिकाएं भी हैं) और 456 नियमित मामले, (जिसमें 32 विशेष इजाजत याचिकाएं भी हैं) या तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरूद्ध फाइल किए गए थे या जहां कर्नाटक राज्य एक पक्षकार है, लंबित थे।

(ख) और (ग) तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने दक्षिण भारत के अपने-अपने राज्य की राजधानियों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए सुझाव दिया था। त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना की इच्छा व्यक्त की थी। पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों के विधि मंत्रियों ने सर्वसम्मति से एक संकल्प अंगीकार किया कि उच्चतम न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि उनके क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान पर अधिविष्ट हों।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 130 यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, समय-समय पर, नियत करे।

दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के सुझाव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किए गए थे। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने यह सूचित किया कि सुझावों पर विचार किया गया था और इन पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्ण न्यायालय द्वारा सहमति नहीं व्यक्त की गई थी।

विद्युत परियोजनाओं पर प्रतिबंधों का प्रभाव

4739. **श्री एन॰सी॰ जोस :**

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रतिबंधों और "मूडी" द्वारा भारत में पूंजी निवेश साख को कम आंके जाने के कारण विद्युत क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं को भारी धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में प्रत्येक विदेशी पूंजी निवेश की प्रतिशतता 18.81 है;

(ग) यदि हां, तो क्या अमरीका के आयात-निर्यात बैंक और ओपिक नाम की बड़ी कंपनियों ने ऋण गारंटियों को खारिज कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इन विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क), (ख) और (घ) विदेशी सहायता की वचनबद्धता वाली सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माणाधीन परियोजनाओं पर प्रतिबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है। निजी क्षेत्र के संबंध में सरकार को प्रतिबंधों और निवेश दरों में गिरावट के कारणवश विदेशी कंपनियों द्वारा उनके प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की अनिच्छा का आभास नहीं हुआ है।

(ग) आर्थिक सर्वेक्षण 1997-98 के अनुसार अनुमोदनों के अनुपात में विदेशी परोक्ष निवेश का वास्तविक अंतः प्रवाह वर्ष 1995 में लगभग 19 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1997 में (नवम्बर, 1997 तक) लगभग 21 प्रतिशत हो गया है।

संस्कृति पर दुष्प्रभाव

4740. **श्री चिन्ता मोहन :**

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्री जी॰ गंगा रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मई, 1998 के "पायनियर" में "गवर्नमेंट टू स्टाप कल्चर पौल्यूशन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय फिल्म उद्योग, मीडिया और विभिन्न आडियों एवं विडियों कैसेट उद्योग देश की सांस्कृतिक धरोहर पर दुष्प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) यह देखा गया है कि कुछ कार्यक्रमों और कथा क्रम में काम, हिंसा आदि का अत्यधिक, अनावश्यक चित्रण है और वह प्रासंगिक नहीं है।

(ग) से (ङ) तथापि, सरकार का संसद में प्रसारण विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है जो विदेशी उपग्रह चैनलों को भारतीय कानूनों और विनियमों की परिधि में लाएगा जिससे कि उनके कार्यक्रमों को विनियमित किया जा सके। जहां तक फिल्मों का संबंध है, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमाणन का दायित्व सौंपा गया है।

उच्च शिक्षा

4741. डा॰ सरोजा वी॰ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च शिक्षा काफी मंहगी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत विश्व में ऐसे देशों में से एक है जहां उच्च शिक्षा की लागत न्यूनतम है। अनेक विश्वविद्यालयों में शिक्षण शुल्क की दर लगभग 15-20 रु. महीना मात्र है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा विद्युत इक्विटी परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना

4742. श्री प्रदीप कुमार यादव :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को एफ.आई.पी.बी. स्वीकृति दिए बिना शत-प्रतिशत विद्युत इक्विटी परियोजनाओं को अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने 1500 करोड़ रुपये से कम निवेश वाली अनेक विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) अभी हाल ही में एक निर्णय लिया गया है जिसके आधार पर जल विद्युत संयंत्रों, कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों और तेल/गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित विद्युत के वैद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए परियोजनाओं को स्वत: अनुमोदन माध्यम पर 10 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी की भागीदारी की अनुमति दी जाएगी बशर्ते इस तरह की किसी परियोजना में विदेशी इक्विटी 1500 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों और अध्यापकों का अनुपात

4743. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों और अध्यापकों का राज्य-वार अनुपात कितना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय औसत के अनुसार अध्यापकों और विद्यार्थियों की संख्या में समानता लाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) वर्ष 1996-97 में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक-छात्र के अनुपात को दर्शाने वाला एक राज्य वार विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत, 30-9-1986 की यथास्थिति के अनुसार एकल स्कूलों को द्विशिक्षक स्कूलों में बदलने के लिए प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के पद की व्यवस्था की गई थी। 100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों में तृतीय शिक्षक उपलब्ध कराने की व्यवस्था 1993 से ही कर दी गई है। इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जाने हैं तथा इस योजना के अंतर्गत उनकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

विवरण

वर्ष 1996-97 में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात

राज्य	शिक्षक छात्र अनुपात
1	2
आंध्र प्रदेश	53
अरूणाचल प्रदेश	35
असम	37
बिहार	58
गोवा	21
गुजरात	46
हरियाणा	48
हिमाचल प्रदेश	31
जम्मू और कश्मीर	30
कर्नाटक	36
केरल	30
मध्य प्रदेश	43

1	2
महाराष्ट्र	37
मणिपुर	18
मेघालय	38
मिजोरम	23
नागालैंड	20
उड़ीसा	36
पंजाब	42
राजस्थान	49
सिक्किम	15
तमिलनाडु	40
त्रिपुरा	39
उत्तर प्रदेश	59
पश्चिम बंगाल	57
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22
चंडीगढ़	51
दादरा और नगर हवेली	42
दमन और दीव	44
दिल्ली	30
लक्षद्वीप	29
पांडिचेरी	27
भारत	45

[अनुवाद]

कर्नाटक सरकार द्वारा प्रेषित विधेयक

4744. श्री एच॰जी॰ रामुलू : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को सहमति के लिए भेजे गये विधेयकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने विधेयकों पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी है;

(ग) स्पष्टीकरण के लिये कर्नाटक सरकार को वापस भेजे गये विधेयकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा विधेयकों के संबंध में स्पष्टीकरण पेश किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) 1.7.96 से 14.7.98 तक की अवधि के दौरान, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए कर्नाटक सरकार से, प्राप्त विधयकों की सूची दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) चार।

(ग) शून्य।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

1.7.96 से 14.7.98 तक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए कर्नाटक सरकार से प्राप्त विधेयकों की सूची।

क्र.सं.	विधेयकों का नाम	प्राप्ति की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	रोरिच और देवीकरणी रोरिच संपदा (अर्जन और अंतरण), विधेयक, 1996	30-9-96	राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई
2.	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1997	22-4-97	राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई
3.	कर्नाटक रेशम कीट, बीज ककून और रेशम सूत (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और विक्रय का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1997	22-4-97	राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई
4.	कर्नाटक किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998	7-4-98	राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई

1	2	3	4
5.	मैसूर पैलेस (अर्जन और अंतरण) विधेयक, 1998	19-5-98	
6.	विद्युत विधि (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 1998	8-6-98	
7.	कर्नाटक राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1997	8-6-98	
8.	कर्नाटक सहकारी सोसायटी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1997	29-6-98	
9.	कर्नाटक सौहार्द सहकारी विधेयक, 1997	7-7-98	
10.	कर्नाटक अंतर्देशीय मछली उद्योग (संरक्षण, विकास और विनियमन) विधेयक, 1996	10-7-98	

निजी क्षेत्र में रक्षित विद्युत परियोजनाएं

4745. **श्री एस॰एस॰ ओवेसी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र द्वारा पत्तन आधारित रक्षित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पत्तन आधारित रक्षित विद्युत परियोजनाओं पर इन दिशा-निर्देशों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस मूल्यांकन को देखते हुए नए दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। महापत्तनों में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी संबंधी मार्गनिर्देशों में अभिज्ञात क्षेत्रों में से एक क्षेत्र पत्तन के लिए विद्युत की व्यवस्था हेतु निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर आबद्ध विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना है। इसकी अधिकतम रियायत अवधि 30 वर्ष तक है। गैर-सरकारी पार्टी का चयन पत्तन न्यास द्वारा प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा के आधार पर किया जाना है। विद्युत मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत बोर्ड आदि जैसे अन्य प्राधिकरणों के मार्ग-निर्देशों का भी पालन किया जाना है तथा इसके लिए स्वीकृति यदि कोई हो, प्राप्त की जाएगी। ऐसे विद्युत संयंत्र के विकासकर्त्ता पत्तन की आवयकता को पूरा करने के पश्चात् फालतू विद्युत बाजार में बेच सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में विद्युत परियोजना

4746. **श्री संदीपन थोरात : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1998 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान इनके पूरा होने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य में क्रियान्वित की जा रही स्वीकृत/निर्माणधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	चालू करने का प्रकाशित कार्यक्रम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
केंन्द्रीय क्षेत्र			
1.	उरान वेस्ट हीट-3 (400 मे.वा.)	-	गैस आपूर्ति में कमी और विभिन्न बाधाओं के कारण इस यूनिट का क्रियान्वयन रोक दिया गया है। एन एस

1	2	3	4
			ई बी के अनुरोध पर मै. एनरॉन ने 2×130 जी टी यूनिटों के लिए अपेक्षित प्रतिदिन 2 मिलियन घन मीटर गैस की आपूर्ति करने में अपनी अभिरुचि व्यक्त कर दी है।
2.	खापरखेड़ा विस्तार चरण-II (2×210 मे.वा.)	2/2000	इस परियोजना जो कि पहले निजी क्षेत्र को प्रदान की गई थी, को मुख्य संयंत्र उपस्कर हेतु आपूर्तिकत्ताओं की साख का उपयोग करके विभागीय तौर पर क्रियान्वित करने की परिकल्पना की गई थी। मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आदेश 10.9.97 को भेल को प्रदान किए गये थे। आपूर्ति के 6/98 तक आरम्भ हो जाने की प्रत्याशा है।
3.	कोयना चरण-II (4×250 में.वा.)	1999-01	परियोजना विश्व बैंक ऋण की सहायता से निर्माणाधीन है, निर्माण कार्य और अन्य विभिन्न निर्माण कार्य प्रगति पर है।
4.	दुध गंगा (2×12 मे.वा.)	1998-00	निर्माण कार्य और अन्य विभिन्न निर्माण कार्य प्रगति पर है।
5.	घाटघर पीएसएस (2×125 मे.वा.)	2002-03	अवसंरचनात्मक कार्य आरम्भ कर दिए गये हैं। टीजी सेटों की आपूर्ति के आदेश दे दिये गये है।
निजी क्षेत्र			
1.	डाभोल सीसीजीटी (2015 मे.वा.) (मैसर्स डाभौल पावर कंपनी मै. एनरॉन यूएसए की	2000-01	परियोजना का चरण-I क्रियान्वयनाधीन है।

1	2	3	4
2.	भद्रावती टीपीपी* (1072 मे.वा.) मै. सैंट्रल इंडिया पावर कंपनी लि.		परियोजना को के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वित्तीय समापन अभी प्राप्त किया जाना है।
3.	पाताल गंगा सीसीजीटी* (447.1 मे.वा.) मै. रिलायंस पातालगंगा पावर प्राइवेट लि.		परियोजना को के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है वित्तीय समापन अभी प्राप्त किया जाना है।

* वित्तीय समापन सुनिश्चित करने के बाद ही परियोजना चालू करने संबंधी कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जाएगा।

ग्रामीण विद्यालय

4747. श्री बी॰एम॰ मेनसिंकाई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय मोरारजी देसाई ने ग्रामीण विद्यालयों का नेटवर्क कार्यक्रम शुरू किया था;

(ख) क्या ये विद्यालय अभी भी काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक में इन विद्यालयों की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत और रूस का विद्युत क्षेत्र में समझौता

4748. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस ने सहयोग के लिए विद्युत क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो सहयोग के लिए पहचान किए गए प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रूस भारत को कितनी पुनः प्रयोज्य ऊर्जा देने पर सहमत हुआ है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) भारत-रूसी संयुक्त आयोग के अंतर्गत दोनों देशों के बीच विद्युत और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों संबंधी-भारत-रूसी संयुक्त कार्यदल की आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। अक्तूबर 1997 में आयोजित भारत-रूसी कार्य दल की चौथी बैठक में विभिन्न मुद्दों जैसे पहले से पूरी परियोजनाओं के लिए पुर्जों और अतिरिक्त पुर्जों के हासिल करने में समन्वयन, नई उत्पादन स्कीमों और नवीकरण व आधुनिकीकरण स्कीमों में रूसी कंपनियों की और अधिक भागीदारी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत बायोमास विद्युत, भूतल परिवहन इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप पर विचार-विमर्श हुआ था। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु दोनों देशों के बीच दिनांक 27.10.97 को एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए।

(ङ) लघु जल विद्युत क्षेत्र में दोनों पक्षों की निजी कंपनियाँ पहले से ही इलैक्ट्रो-मैकेनिकल उपस्कर की आपूर्ति और परियोजनाओं के संयुक्त कार्यान्वयन के लिए सहयोग प्रदान कर रही हैं। दोनों पक्ष विकसित बायोमास गैसीकरण, बायो-मास ईंधन आधारित भूतल परिवहन प्रणालियां और विद्युत वाहनों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए सहमत है।

महाराष्ट्र के गांवों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सर्वेक्षण

4749. **श्री डी॰एस॰ अहिरे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के किन-किन गांवों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) इन सर्वेक्षण स्थलों पर पायी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में सर्वेक्षण किए गए गांवों के ब्यौरे

क्रम सं.	सर्वे किए गए गांव के नाम	जिला	प्राप्त वस्तुओं के ब्यौरे
1	2	3	4
1.	पाहुर	यावतमल	केशव मंदिर, लगभग 12वीं शताब्दी ईसवीं, यह मंदिर जानवरों, पौराणिक जानवरों एवं दसावतार फलकों के साथ-साथ गर्भगृह में विष्णु की एक सुन्दर प्रतिमा से सुसज्जित है
2.	पिंपलखूंटा	यावतमल	कुछ अबद्ध इमारती तथा वास्तु-शिल्पी टुकड़े लगभग 14वीं शताब्दी ईसवी
3.	डाभा	यावतमल	उत्तर मध्यकालीन मिट्टी गढ़ के रूप में किलेबंदियों के अवशेष (17वीं शताब्दी ईस्वी)
4.	बेटवड	धुले	आरंभिक चालुक्यों का ताम्रपटिया, लगभग 7वीं शताब्दी ई. एवं ऐतिहासिक मृद्भांड
5.	तालेगांव	अमरावती	अबद्ध मूर्तियां एवं वास्तुशिल्पी टुकड़े तथा सीढ़ीदार कुआं, लगभग 14वीं शताब्दी ई.
6.	घुईखेड	अमरावती	संत बेन्दाजी को समर्पित पुरानी समाधि, परवर्ती 19वीं शताब्दी ई.
7.	येराड	अमरावती	गढ़ समेत उत्तर मध्यकालीन किलेबंदी, लगभग 17वीं शताब्दी ई.
8.	अखाटवाडा	अमरावती	लगभग 5000 ईसापूर्व के लघुपाषणिक औज़ार, क्रिश्चियन युग की प्रथम से चौथी पांचवीं शताब्दी की ऐतिहासिक सामग्री
9.	अलवाड़ा	अमरावती	क्रिश्चियन युग की प्रथम से चौथी-पांचवीं शताब्दी की ऐतिहासिक सामग्री
10.	भम्बोरा	-वही-	-वही-
11.	मूर्तिजापुर	-वही-	-वही-
12.	पलवाडी	-वही-	-वही-
13.	उमरखेड	-वही-	-वही-
14.	वन्दति	-वही-	-वही-

1	2	3	4
15.	अहीरवाडा	वर्धा	परवर्ती 12वीं शताब्दी ई. से मराठा काल तक के मृतभांड, ईंटें आदि
16.	देवरवाडा	-वही-	-वही-
17.	करमाबाद	-वही-	-वही-
18.	खड़की	-वही-	-वही-
19.	नेरी	-वही-	-वही-
20.	राजापुर	-वही-	-वही-
21.	टाकेरखेड़ा	-वही-	क्रिश्चियन युग की प्रथम से चौथी-पांचवीं शताब्दी की ऐतिहासिक सामग्री।

प्रौढ़ निरक्षरता

4750. श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों को अपने राज्य में प्रौढ़ निरक्षरता के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कोई वित्तीय सहायता मुहैया कराती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को इस संबंध में दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) विभिन्न संगठनों/जिला साक्षरता समितियों तथा राज्यों को निरक्षरता उन्मूलन करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं/परियोजनाओं तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर निधियां संस्वीकृत की जाती हैं।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्यों को प्रदान की गई निधियां

(रुपये लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	884.21	1081.06	922.55
अरुणाचल प्रदेश	25.63	20.72	3.67
असम	361.09	194.29	86.97
बिहार	1977.84	1062.52	446.98
गोआ	5.95	3.32	0.56
गुजरात	262.98	458.78	112.34
हरियाणा	175.31	57.12	77.50
हिमाचल प्रदेश	26.43	49.18	112.82
जम्मू और कश्मीर	132.70	50.47	38.02
कर्नाटक	319.58	350.16	303.29
केरल	7.00	537.97	15.35
मध्य प्रदेश	977.67	548.58	459.47
महाराष्ट्र	1153.63	432.83	746.29
मणिपुर	17.62	20.63	17.94
मेघालय	127.74	112.45	16.85
मिजोरम	2.29	0.57	34.23
नागालैंड	47.81	56.90	32.34
उड़ीसा	801.36	310.13	196.62
पंजाब	370.34	135.00	211.14
राजस्थान	1681.76	1304.62	820.35
सिक्किम	-	11.22	-
तमिलनाडु	1212.48	261.21	554.00
त्रिपुरा	0.10	4.73	27.00
उत्तर प्रदेश	1888.01	943.27	537.23
पश्चिम बंगाल	308.40	728.11	502.82
चंडीगढ़	20.12	41.37	20.00
दिल्ली	322.58	158.57	173.87
पांडिचेरी	-	-	18.24
दमन और दीव	0.50	-	-
अंडमान और निकोबार	8.12	12.56	-
दादरा और नगर हवेली	-	-	-
लक्षद्वीप	1.62	4.32	-
कुल	13120.87	8952.66	6488.44

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में नये दूरभाष केन्द्र

4751. श्री चन्दशेखर साहू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पुराने दूरभाष केंद्रों (टेलीफोन एक्सचेंजों) की जिला-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1998-99 के दौरान नए दूरभाष केन्द्र लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) मध्य प्रदेश में ऐसा कोई दूरभाष केन्द्र (टेलीफोन एक्सचेंज) कार्यरत नहीं है जिसकी मियाद समाप्त हो गयी है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1998-99 में मध्य प्रदेश में जिन एक्सचेंजों को खोले जाने की योजना बनाई गई है, उनके जिलेवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

क्रम संख्या	जिला	एक्सचेंज का नाम
1	2	3
1.	बालाघाट	गढ़ी
2.	बस्तर	मकदी
3.	बस्तर	कायेलीबाड़ा
4.	भोपाल	नंदेड
5.	छिन्दवाड़ा	कामठीकलम
6.	देवास	बावदीखेडा
7.	खरगौन	गढ़ावाल
8.	रायपुर	टेसगांव
9.	शिवपुरी	गोवर्धन
10.	विदिशा	बागासपुर

अशिक्षित व्यक्ति

4752. श्री सुशील कुमार शिन्दे :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल अशिक्षित पुरुष व महिलाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा वे कुल पुरुष व महिला जनसंख्या का कितने प्रतिशत हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार आंकड़े)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल	निरक्षरों की संख्या		निरक्षरों का प्रतिशत	
			पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
			(हजार में)			
1	2	3	4	5	6	7
	भारत	328879	128362	200517	35.87	60.71
1.	आंध्र प्रदेश	31057	12641	18416	44.87	67.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	398	181	217	48.55	70.31
3.	असम	8477	3592	4885	38.13	56.97
4.	बिहार	42206	17167	25039	47.51	77.11
5.	दिल्ली	1931	777	1154	17.99	33.01
6.	गोवा	253	86	167	16.36	32.91

1	2	3	4	5	6	7
7.	गुजरात	13348	4787	8561	26.87	51.36
8.	हरियाणा	5889	2214	3675	30.90	59.53
9.	हिमाचल प्रदेश	1566	539	1027	24.64	47.87
10.	कर्नाटक	16487	6264	10223	32.74	55.66
11.	केरल	2574	786	1788	6.38	13.87
12.	मध्य प्रदेश	29625	11460	18165	41.58	71.15
13.	महाराष्ट्र	22985	7943	15042	23.44	47.68
14.	मणिपुर	614	222	392	28.37	52.40
15.	मेघालय	703	332	371	46.88	55.15
16.	मिजोरम	100	42	58	14.39	21.40
17.	नागालैंड	385	174	211	32.38	45.25
18.	उड़ीसा	13397	4926	8471	36.91	65.32
19.	पंजाब	7043	3095	3948	34.34	49.59
20.	राजस्थान	21597	8290	13307	45.01	79.56
21.	सिक्किम	141	60	81	34.26	53.31
22.	तमिलनाडु	18075	6426	11649	26.25	48.67
23.	त्रिपुरा	893	342	551	29.42	50.35
24.	उत्तर प्रदेश	64769	26298	38471	44.27	74.69
25.	पश्चिम बंगाल	23907	9540	14367	32.19	53.44
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	63	28	35	21.01	34.54
27.	चंडीगढ़	121	56	65	17.96	27.66
28.	दादरा और नगर हवेली	65	26	39	46.44	73.02
29.	दमन और दीव	25	8	17	17.34	40.60
30.	लक्षद्वीप	9	3	6	9.82	27.11
31.	पांडिचेरी	176	57	119	16.32	34.17

इनमें जम्मू और कश्मीर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वहां जनगणना नहीं हुई थी।

छोटे वन्य प्राणी

4753. डा॰ असीम बाला : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में छोटे वन्य प्राणियों को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन्य प्राणियों की अनिवार्य रूप से कोई गणना की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो सभी छोटे वन्य प्राणियों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) हर दो वर्ष के बाद कुछ बड़े प्राणियों की नियमित तौर पर गणना की जाती है। छोटे प्राणियों की कोई नियमित गणना नहीं की जाती, परन्तु समय-समय पर उनकी संख्या का केवल अनुमान लगाया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर मोयदू पुल का पुनर्निर्माण

4754. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि केरल में तेलीचेरी तथा कन्नानूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर मोयदू पुल सड़क यातायात के लिए काफी कमजोर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस पुराने पुल का पुनर्निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या कुछ वर्ष पूर्व इस पुल मे दरार आ जाने से सरकार ने इस पुल पर चलने वाले यातायात को अन्य मार्ग की ओर मोड़ दिया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पुल पर चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदप उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) तेलीचेरी-माही बाइपास और उसी नदी पर नए पुल का 2 चरणों में निर्माण करने का प्रस्ताव है। चरण-I के लिए भूमि का अधिग्रहण हो गया है। चरण-II के लिए वार्षिक योजना 1998-99 में भूमि के अधिग्रहण का प्रावधान है। परियोजना का निर्माण उसके लिए भूमि अधिग्रहण पूरा होने पर निर्भर है।

(ग) जी हां।

(घ) पुल को पुनर्स्थापित किया जा चुका है और यातायात की अनुमति दे दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-53 को चौड़ा बनाना

4755. श्री था॰ चौबा सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 53 को चौड़ा बनाने का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना कब तक पूरी होगी; और

(ग) परियोजना के आरम्भ से आज तक कितनी धनराशि आबंटित, जारी और प्रयुक्त की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां। कार्य चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है।

(ख) और (ग) परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 185.00 करोड़ रु. है। 1998-99 के दौरान 20.20 करोड़ रु. की निधियां आबंटित की गई हैं। मार्च, 1998 तक 14.12 करोड़ रु. व्यय हुए हैं। परियोजना का पूरा होना निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

"इग्नू" प्रबंधन बोर्ड

4756. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड में कितने सदस्यों को नामित किया गया है;

(ख) क्या इन सदस्यों में से कुछ बोर्ड की किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं होते;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में गत पांच वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को भी बोर्ड में नामित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में वर्ष-वार उनकी भागीदारी का ब्यौरा क्या है; और

(च) विश्वविद्यालय के प्रबंधन में इसके नामितियों की ऐसी गैर-भागीदारी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (च) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की संविधि के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के सभी नामांकन विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष की हैसियत से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। इन नामांकनों में भारत सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में सचिव, शिक्षा विभाग और सचिव, सूचना और प्रसारण विभाग सम्मिलित हैं। बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के वर्षवार विवरण संलग्न हैं। प्रबंधन बोर्ड की बैठकें सामान्यतः बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से कुलपति द्वारा निर्धारित होती हैं और ऐसा संभव है कि उन तारीखों को सचिव (शिक्षा और सचिव सूचना और प्रसारण) के पास कोई अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्य हों।

विवरण

प्रबंधन बोर्ड की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति

क्रम संख्या		1993	1994	1995	1996	1997	1998
1.	प्रो॰ मिहिर भट्टाचार्य	1	4	5	5	-	-
2.	प्रो॰ प्रभात पटनायक	1	3	4	3	-	-
3.	श्री सी॰के॰ बिरला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-
4.	श्री कपिल सिब्बल	शून्य	1	शून्य	शून्य	-	-
5.	डा॰ (श्रीमती) निर्मला देशपांडे	1	4	2	4	-	-
6.	प्रो॰ हबीबूर रहमान	-	-	-	-	5	6
7.	डा॰ (श्रीमती) शकुन्तला वर्मा	-	-	-	-	2	शून्य
8.	श्री जे॰पी॰ जावाला	-	-	-	-	4	4
9.	डा॰ ए॰सी॰ मुत्तैड	-	-	-	-	शून्य	शून्य
10.	प्रो॰ सुहास चक्रवर्ती	-	-	-	-	3	6
11.	सचिव, शिक्षा विभाग	1	3	1	शून्य	शून्य	1
12.	सचिव, सूचना और प्रसारण	-	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्रम संख्या 1 से 5 तक की सदस्यता अवधि वर्ष 1996 में समाप्त हो गई। क्रम संख्या 6 से 10 तक के सदस्य वर्ष 1997 में नामांकित किए गए।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में चल रही परियोजनाओं के लिए धनराशि

4757. श्री अजीत जोगी : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा वित्तपोषित की जा रही मध्य प्रदेश में चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) तत्संबंधी परियोजना–वार अनुमानित लागत और जारी की गई राशि तथा अब तक इस पर खर्च की गई राशि क्या है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) 817.39 लाख रु. की अनुमानित लागत की 8 परियोजनाएं केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित की जा रही हैं। केन्द्रीय सड़क निधि से निधियों का आंबटन राज्य के लिए जमा राशि, संस्वीकृत स्कीमों और वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त आधार पर किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के लिए निधियों का वर्ष वार आबंटन इस प्रकार है :-

क्रम सं.	वर्ष	आबंटन (लाख रु.)
1.	1995-96	74.00
2.	1996-97	98.00
3.	1997-98	99.00

[अनुवाद]

जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट पर टिप्पणी

4758. श्री भगवान शंकर रावत :

श्री अमर पाल सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से टिप्पणियां मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना करने में कोई कानूनी बाधा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) जसवंत सिंह आयोग पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(छ) आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) से (ग) जसंवत सिंह आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश सरकार से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई विनिर्दिष्ट पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। फिर भी, उच्च न्यायालय न्यायपीठ की स्थापना के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपबंध राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। दिन प्रतिदिन के प्रशासन की देखभाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की जानी है। विधिज्ञ परिषद न्यायिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इसलिए, यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विषय पर विचार किए जाने से पूर्व विधिज्ञ परिषद, न्यायपीठ और राज्य सरकार के मध्य सहमति हो।

(च) जसवंत सिंह आयोग पर 29.95 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी।

(छ) वह समय उपदर्शित कर पाना संभव नहीं है जिस तक, इस निमित्त कोई विनिश्चय किए जाने की संभावना है।

देश में पर्यावरण परियोजनाएं

4759. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले :
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और बिहार राज्यों में शुरू की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित पर्यावरणीय परियोजनाओं के जिलावार नाम क्या हैं;

(ख) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है; और

(ग) देश में निकट भविष्य में राज्यवार शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और बिहार राज्यों में प्रारम्भ की गई केन्द्रीय प्रायोजित पर्यावरणीय परियोजनाएं, उनके अंतर्गत उपलब्धियां और इस मंत्रालय द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में चलाई जा रही सभी परियोजनाओं को निकट भविष्य में जारी रखे जाने की संभावना है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	व्यापक उद्देश्य	स्थिति	पिछले तीन वर्षों 95-96, 96-97 और 97-98 के दौरान उपलब्धियां		शामिल किए गए राज्य, जिले/शहर
				वित्तीय	भौतिक	
1	2	3	4	5	6	7
1.	वनस्पति उद्यान के लिए सहायता	दुर्लभ एवं स्थानिक प्लांट जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण और प्रवर्धन	चल रही है।	4.60	2 वनस्पति उद्यान शामिल किए गए	महाराष्ट्रः पुणे, बम्बई
				10.27	1 वनस्पति उद्यान को शामिल किया गया।	बिहारः बौद्ध गया
2.	कॉमन एफ्लूऐंट ट्रीटमेंट पलांट्स औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विश्व बैंक परियोजना	कॉमन एफ्लूऐंट ट्रीटमेंट प्लांट्स	-वही-	198.93	9 सीईटीपी के लिए समर्थन दिया गया।	महाराष्ट्रः राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता दी जाती है।
3.	प्रदूषण नियंत्रण	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/पर्यावरण विभागों को सुदृढ़	-वही-	1.00	प्रदूषण जागरूकता और सहायता केन्द्र की	महाराष्ट्रः राज्य प्रदूषण

1	2	3	4	5	6	7
		बनाने के लिए सहायता			स्थापना	नियंत्रण बोर्ड को सहायता दी जाती है।
				22.80	प्रदूषण जागरूकता एवं सहायता केन्द्र/गश्ती प्रयोगशाला और प्रयोगशाला उपकरणों की स्थापना	बिहार: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सहायता दी जाती है।
4.	गंगा कार्य योजना चरण-2 उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अधीन शहर	नदी जल प्रदूषण नियंत्रण	चल रही	13.72	उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अधीन राज्य सरकार द्वारा डीपीआर में संशोधन किया जा रहा है। अब तक कोई भी डीपीआर अनुमोदित नहीं किया गया है।	बिहार: मोकामा, कहेलगांव, हाज़ीपुर
5.	गंगा कार्य योजना चरण-2 (मेनस्टैम)	नदी जल प्रदूषण नियंत्रण	-वही-	135.50	399 लाख रुपए की लागत पर 18 योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा भौतिक प्रगति के कार्यों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।	बिहार: पटना, भागलपुर, मुंगेर, छपरा, बक्सर, आरा, फटवा, बाढ़, बड़हिया, सुल्तानगंज और साहेबगंज
6.	दामोदर कार्य योजना	नदी जल प्रदूषण नियंत्रण	-वही-	13.31	डीपीआर का संशोधन करने के लिए उन्हें राज्य सरकार को वापस कर दिया गया है।	बिहार: रामगढ़, दुर्ग, झरिया, चिकुण्डा, सिन्ह तेलुमोचु सूदाम्दीह, बोका कंगली
7.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	नदी जल प्रदूषण नियंत्रण	चल रही है	132.20	396 लाख रुपए की लागत पर 9 डीपीआर अनुमोदित किए गए है।	बिहार: रांची, जमशेदपुर, घाटशिला
				257.80	260 लाख रुपए की लागत पर 5 डीपीआर अनुमोदित किए गए हैं।	महाराष्ट्र: कराद, सांगिरी, नासिक और नांन्देड़

बोंगाईगांव ताप विद्युत केन्द्र

4760. **श्री नृपेन गोस्वामी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोंगाईगांव ताप विद्युत केन्द्र (बी.टी.पी.एस.) का उत्पादन, पारेषण और वितरण निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई आकलन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में विद्युत का उत्पादन और खपत

4761. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में विशेषकर महाराष्ट्र में विद्युत का कुल उत्पादन और खपत कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : वर्ष 1997-98 के दौरान देश में महाराष्ट्र सहित विद्युत उत्पादन और खपत (उपलब्धता) के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य का नाम	1997-98	
	बस बार पर ऊर्जा उत्पादन (मि.यू.)*	खपत (उपलब्धता) निवल (मि.यू.)
दिल्ली	6904	14676
जम्मू व कश्मीर	6120	5201
हिमाचल प्रदेश	3956	2895
हरियाणा	3782	12981
राजस्थान	11157	20288
पंजाब	12993	21928
उत्तर प्रदेश	67489	36105
गुजरात	39711	38489
महाराष्ट्र	55997	60149
मध्य प्रदेश	44598	29936
आंध्र प्रदेश	45911	35606
कर्नाटक	17093	21192
केरल	5071	9404
तमिलनाडु	38090	32550
बिहार	7093	7493
उड़ीसा	11991	10776
पश्चिम बंगाल	20502	15775
असम	1072	2727.5
मेघालय	598	425.8
त्रिपुरा	302	439
मणिपुर	535	404.7
अरूणाचल प्रदेश	13	115.3

* ये आंकड़े संबंधित राज्यों में स्थित केंद्र/संयुक्त क्षेत्र/निजी/राज्य क्षेत्र विद्युत केंद्रों के कुल उत्पादन को इंगित करते हैं।

रेत पारिस्थितिकीय संतुलन

4762. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में रेत खनन हेतु कोई नियामक प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार अनियंत्रित खनन से होने वाले प्रभावों से अवगत है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रेत पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। खनिज स्रोतों का विकास जिसमें साथ-साथ बालू की खुदाई शामिल है, खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम में देश में खनिजों के संरक्षण और सुव्यवस्थित विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए उपबंध शामिल है। इसके अलावा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जारी अधिसूचना द्वारा भी खनन को विनियमित किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बालू खनन की अनुमति देते समय विभिन्न पर्यावरणीय बचाव उपायों जैसे भू-जल निकालने का विनिमयन और खनन के लिए पट्टे पर दिए क्षेत्र और उसके आस-पास सघन वनस्पति लगाने की शर्त रखी जाती है।

एस.टी.डी. बूथ

4763. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अमरनाथ गुफा और वैष्णो देवी के मंदिर तक के मार्ग में एस टी डी बूथ स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 के दौरान दोनों तीर्थ स्थलों के मार्ग में कितने एस टी डी बूथ स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अमरनाथ गुफा और वैष्णों देवी के मंदिर तक के मार्ग में 39 एस.टी.डी., पी.सी.ओ. बूथ पहले से ही काम कर रहे हैं। वर्ष 1998-999 के दौरान, 10 ऐसे और बूथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

राजस्थान को विद्युत आबंटन

4764. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ने केन्द्र सरकार से राज्य में विद्युत की कमी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त विद्युत आबंटन का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य को आबंटित विद्युत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता देने हेतु भावी योजना का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) राजस्थान समय-समय पर केन्द्रीय स्टेशनों में विद्युत का अतिरिक्त आबंटन करने के लिए अनुरोध करता रहा है। जून, 1998 के दौरान राजस्थान में ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन कमी क्रमशः 2.2 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत थी। राजस्थान को प्रदान किया गया अतिरिक्त आबंटनों का ब्यौरा निम्नवत है:-

(i) केन्द्रीय विद्युत के स्टेशनों से अतिरिक्त विशेष आंबटन जो राज्यों के निश्चित हिस्से से अधिक होगा :

- अक्टूबर, 1993 से एनटीपीसी के अंता गैस आधारित स्टेशन के कुल उत्पादन का एक तिहाई-लगभग 110 मे.वा.
- दादरी गैस विद्युत स्टेशन - 135 मे.वा.
- चमेरा एचपीएस-89 मे.वा.

कुल - 224 मे.वा.

(ii) उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों में अनाबंटित हिस्से में से 25 प्रतिशत का आबंटन (लगभग 200 मे. वा.)

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के निश्चित हिस्से का आबंटन हिस्सेदारी संबंधी विद्यमान फार्मूले पर निर्भर करता है। देश में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की मौसमी और अनिवार्य आवश्यकताओं तथा संबंधित कमियों के आधार पर केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों के 15 प्रतिशत अनाबंटित हिस्से से किए जाने वाले आबंटन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण

4765. श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वर्ष 1995 से आज तक कितनी भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण किया है और इसमें कितनी राशि व्यय हुई;

(ख) क्या सरकार ने इस अधिग्रहण के प्रभाव का आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कांडला पत्तन न्यास के प्राधिकारियों की निष्क्रियता की जांच

4766. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार से गुजरात में हाल ही के चक्रवात के दौरान पत्तन न्यास प्राधिकरण की निष्क्रियता के बारे में जांच करने का आग्रह किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर सहमति दे दी है; और

(ग) पत्तन न्यास प्राधिकरण पर लगाए गए मुख्य आरोप क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) मौसम-विज्ञान विभाग से चेतावनी प्राप्त होने के बाद नमक बनाने वाले मजदूरों को सतर्क न करने और उन्हें वहां से न हटाने के लिए पत्तन न्यास प्राधिकरण पर कतिपय आरोप लगाए गए हैं।

कोई जाचं नहीं की गई है क्योंकि पत्तन न्यास ने कर्मचारियों की जीवन-रक्षा के लिए और अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए सभी संभव उपाय किए हैं। तथापि, घटनाक्रम का जायजा लेने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि हाल में आए तूफान से गुजरात के कांडला क्षेत्र में इतनी जानें कैसे गई, एक उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया गया।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश

4767. श्री महेश कनोडिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति प्राप्त विदेशी तथा निजी कंपनियों ने अब तक अपना कार्य शुरू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कंपनी-वार कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाया गया है/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) आज की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विदेशी कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों सहित 44 प्रस्ताव को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करते समय वित्तीय समापन की तारीख से प्रत्येक विद्युत परियोजना के संबंध में चालू करने संबंधी कार्यक्रम का निर्धारण करता है। इन स्वीकृत परियोजनाओं में से अनेक परियोजनाएं उभरने में असफल रही हैं और निजी प्रवर्तकों द्वारा वित्तीय समापन प्राप्त करने में असफल रहने के कारणवश चालू करने संबंधी कार्यक्रम का निर्वाह करने में कठिनाइयों का सामना कर रही है। सरकार समय-समय पर इन परियोजनाओं की मानीटरिंग कर रही है और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रही है।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों की खंडपीठें

4768. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन उच्च न्यायालयों में इनकी मुख्य पीठों के अलावा खंडपीठे भी हैं;

(ख) स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खंडपीठों में खंडपीठवार न्यायाधीश के कितने पदों को मंजूरी प्रदान की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) किसी उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने के समय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्रधान पीठ से न्यायपीठ में नामनिर्देशित किए जाने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या विहित की जाती है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, संपूर्ण उच्च न्यायालय के लिए नियत की जाती है और इसकी प्रधान पीठ तथा न्यायपीठ/न्यायपीठों के लिए पृथक रूप से दर्शायी नहीं जाती है।

विवरण

उच्च न्यायालयों की पीठें

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	प्रधान पीठें	न्यायपीठें
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	लखनऊ
2.	बम्बई	बम्बई	नागपुर, औरंगाबाद और पणजी
3.	गुवाहाटी	गुवाहाटी	इम्फाल, शिलांग, अइजावल, कोहिमा और अगरतला
4.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	इन्दौर और ग्वालियर
5.	पटना	पटना	रांची
6.	राजस्थान	जोधपुर	जयपुर

डाक प्रभागों की स्थापना

4769. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में स्थापित किए गए डाक प्रभागों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में नए डाक प्रभाग स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थल-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) शून्य।

(ख) इस समय, गुजरात राज्य में कोई भी नया डाक डिवीजन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विनिर्धारित मानदण्डों के आधार पर किसी भी नए डाक डिवीजन का कोई औचित्य सिद्ध नहीं हुआ है।

युवा विकास के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान

4770. श्री मुकुल वासनिक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा विकास के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान को इसके मुख्यालय श्रीपेरम्बुदूर में चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) श्रीपेरम्बुदूर में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। इस समय यह संस्थान चेन्नई स्थित अपने सिटी सेंटर से कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

यू.एच.एफ. प्रणाली के चैनल

4771. प्रो॰ रीता वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार विभाग ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) को अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेन्सी (यूएचएफ) प्रणाली के कितने चैनल उपलब्ध कराए हैं;

(ख) क्या इन चैनलों का किराया निर्धारित करते समय अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) बी सी सी एल को 6-6 चैनलों की क्षमता वाली छः यू एच एफ प्रणालियां प्रदान कर दी गई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मांग पर टेलीफोन

4772. श्री के॰एस॰ राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि. का दिल्ली और मुम्बई में 1998 के अंत तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो महानगर टेलीफोन निगम ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं या करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां।

(ख) (i) वर्ष 1998-99 के दौरान जोड़े जाने वाली प्रस्तावित सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या निम्नानुसार है :-

दिल्ली	मुम्बई
2,20,000	2,30,000

(ii) एक्सचेंज क्षमताओं के प्रस्तावित विस्तार के अनुरूप बाह्य संयंत्र नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

जबलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर पुल/पुलियां

4773. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर से कटनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर पांच वर्ष पूर्व निर्मित किए गए पुलों/पुलियों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस राजमार्ग पर ऐसे पुल/पुलियां है जो 25 टन के भारी वाहनों का भार ग्रहण नहीं कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तंग सड़कों, सड़क विभाजकों की कमी और यातायात की भीड़ के कारण मेडिकल कालेज और रायपुर (पानागार) के बीच दुर्घटनाएं होती हैं;

(ङ) क्या चार लेन वाले सड़क विभाजक के निर्माण का प्रस्ताव किसी स्तर पर लंबित है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) रा.रा.-7 पर कटनी और जबलपुर के बीच पांच वर्ष पूर्व 5 पुलों और एक पुलिया का निर्माण किया गया था।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग पुलों की डिजाइन 70-आर भार के लिए की जाती है जिसमें कुल वाहन भार 100 टन और अनुमत एकल धुरी भार 10.2 टन होता है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-7 जो 466 कि.मी. पर मेडीकल कालेज से और 443 कि.मी. पर पानागढ़ से गुजरता है, 455/8 से 458 कि.मी. और 462 से 464/4 कि.मी. के बीच (4 लेनों की कुल लम्बाई 5.6 कि.मी.) 4 लेन का है और शेष भाग में दो लेनें हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों को पूरा करती हैं। चार लेन वाले खंडों में पहले से ही डिवाइडरों की व्यवस्था है और 2 लेन वाले खंड में डिवाइडर की व्यवस्था नहीं है। तथापि, इस खंड में दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। दुर्घटना के कारणों में चालकों और पैदल यात्रियों का व्यवहार, सड़क फिसलन-घुमाव आदि जैसे विभिन्न कारक शामिल हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैज्ञानिकों की भर्ती

4774. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.एस.आई.आर. के संघटक प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास संस्थान में 1982 से वैज्ञानिकों की प्रारम्भिक और उच्च श्रेणी में भर्ती (प्रत्यक्ष भर्ती) सी.एस.आई.आर. द्वारा निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार न्यूनतम आवश्यक योग्यता के बिना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के भर्ती किए गए वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भर्ती बिना उचित विज्ञापन के की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी हां, विशिष्ट कार्य आवश्यकताओं के मद्देनजर सीएसआइआर के नई दिल्ली स्थित घटक एकक राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान (निस्टैडस) में अनिवार्य योग्यताओं में छूट के आधार पर आज तक 18 वैज्ञानिकों की भर्ती की गई है।

तथापि, प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति विधिवत् रूप से प्राप्त की गई। सीएसआइआर में वैज्ञानिकों के प्रवेश स्तरीय पद हेतु अनिवार्य योग्यता विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री/प्रथम श्रेणी इंजीनियरी स्नातक अथवा एम टेक/एम ई/एमबीबीएस/एम वी साइंस/एम. फार्म/पीएचडी (साइंस) है।

निस्टैड्स के पास निम्नवत् विषयों पर अध्ययन करने के लिए विस्तृत चार्टर है: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इतिहास एवं दर्शन; सूचना प्रणाली तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अभिलेख; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रतिरूप; योजना; अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन; अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन तथा प्रशिक्षण; क्षेत्रीय विकास हेतु संसाधन योजना तथा उपयोग; विज्ञान का समाजशास्त्र; प्रौद्योगिकीय तथा सामाजिक परिवर्तन; विज्ञान संचार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाएं; अर्थशास्त्र; भूविज्ञान एवं वैश्विक परिवर्तन।

अपनी विविध गतिविधियों में हरेक के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अर्हता प्राप्त विद्वानों की विशेषज्ञता इन अध्ययनों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये भर्तियां की गई।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन चैनलों की विश्वसनीयता

4775. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के चैनल दूसरे निजी चैनलों की अपेक्षा कम लोकप्रिय हैं तथा ये अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने की सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दूरदर्शन पर कार्यक्रमों के प्रसारण से संबंधित मामले पूर्णतः प्रसार भारती के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इसके बारे में सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है। अन्य चैनलों के कार्यक्रमों की तुलना में दूरदर्शन के कार्यक्रमों में लगभग गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रसार भारती सतत रूप से प्रसारित रहता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गर्भनिरोधक उपायों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध

4776. श्री तथागत सत्पथी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन/आकाशवाणी पर एड्स, एसटीडी, महिला गर्भनिरोधक तरीकों जैसी कुछेक गर्भनिरोधक युक्तियों संबंधी विज्ञापनों पर रोक लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन लाइनें बिछाने का लक्ष्य

4777. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के भागलपुर जिले में चालू वर्ष के दौरान टेलीफोन लाइनें बिछाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) आज तक कितनी लाइनें बिछा दी गई हैं;

(ग) ऐसे सर्किलों की संख्या कितनी है जहां कार्य समय-सूची से पीछे चल रहा है;

(घ) इसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार ने लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) चालू वर्ष के दौरान बिहार के भागलपुर जिले में 3000 टेलीफोन लाइनें (सीधी एक्सचेंज लाइनें) बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) 486

(ग) से (ङ) चालू वर्ष के लिए सर्किल-वार लक्ष्य तथा 1.4.98 से 30.6.98 तक सीधी एक्सचेंज लाइनों की उपलब्धि सलंग्न विवरण में दी गई है। इस समय यह कहना संभव नहीं है कि किसी सर्किल का कार्य समय-सूची से पीछे चल रहा है। तथापि, वर्ष 1998-99 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

विवरण

1998-99 के वार्षिक लक्ष्य तथा अप्रैल से जून, 1998 तक की उपलब्धि

क्र. सं.	सर्किल का नाम/जिला	वार्षिक लक्ष्य 1998-99	30.6.98 तक की उपलब्धि
1	2	3	4
1.	अंडमान निकोबार	6000	130
2.	आंध्र प्रदेश	250000	28601
3.	असम	50000	3362
4.	बिहार	131000	10318
5.	गुजरात	250000	29029
6.	हरियाणा	95000	3265
7.	हिमाचल प्रदेश	59000	984
8.	जम्मू एवं कश्मीर	30000	4695
9.	कर्नाटक	200000	32406
10.	केरल	325000	34081
11.	मध्य प्रदेश	110000	10970
12.	महाराष्ट्र	300000	26998
13.	उत्तर-पूर्व	32000	4307
14.	उड़ीसा	60000	5159
15.	पंजाब	190000	17836
16.	राजस्थान	163000	12654
17.	तमिलनाडु	280000	27792
18.	उ.प्र. (पूर्व)	133000	8957
19.	उ.प्र. (पश्चिम)	139000	18465
20.	पश्चिम बंगाल	120000	8087
21.	मुम्बई (एमटीएनएल)	230000	29090
22.	कलकत्ता	112000	45770
23.	दिल्ली (एमटीएनएल)	220000	13126
24.	चेन्नई	115000	5684
		3600000	381766

वनभूमि का आबंटन

4778. श्री अमर राय प्रधान : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनभूमि के विकास के लिए निजी पार्टियों को वनभूमि के आबंटन के लिए निर्धारित सामान्य नीति और मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा ऐसी भूमि पर राजस्व की वसूली की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में वनभूमि के विकास के लिए निजी पार्टियों को कितनी वनभूमि दी गई और वर्षवार इससे कितने राजस्व की वसूली की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) कोई भी योजना अथवा परियोजना जिसके अंतर्गत किसी निजी व्यक्ति अथवा ऐसे प्राधिकरण/अभिकरण/संगठन, जो सरकार के पूर्ण स्वामित्व, प्रबंधन अथवा नियंत्रण में नहीं हैं (जैसे निजी अथवा संयुक्त क्षेत्र के उद्यम), उन्हें वनीकरण सहित किसी भी प्रयोजन के लिए पट्टे पर अथवा इसी प्रकार की किसी व्यवस्था द्वारा वन भूमि आबंटित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंध लागू होंगे और इसलिए केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

(ख) पट्टाधारी से वसूला जाने वाला पट्टा किराया/भूमि की कीमत सहित पट्टे की शर्तें राज्य सरकार द्वारा तय की जाती हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 का विकास

4779. **श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान उपमार्ग के अंतर्गत किए व्यय को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के रख-रखाव और विकास के लिए कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए कितनी राशि खर्च करने का विचार है;

(ग) क्या उपमार्ग के कार्य को छोड़कर कोलम और अलपुज्जा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर कोई नया विकास संबंधी कार्य शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए राज्य को निधियां समग्र रूप में आबंटित की जाती हैं न कि कार्य के अनुसार। तथापि, 1997-98 के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्गों जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-47 भी शामिल है, के विकास के लिए 33.00 करोड़ रु. और अनुरक्षण व मरम्मत के लिए 23.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए।

(ख) 1998-99 के लिए अनुदान-मांगे अभी तक संसद द्वारा अनुमोदित नहीं की गई हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के त्रिचुर-अलवाई खंड के 317 से 332 कि.मी. में चार-लेन बनाने का कार्य 1998-99 की वार्षिक योजना में शामिल कर लिया गया है।

कांडला भूमि

4780. **श्री पी॰एस॰ गढ़वी** :

श्री हरिन पाठक :

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास गुजरात के कांडला बंदरगाह की अतिरिक्त भूमि को राज्य सरकार को सौंपने से संबंधित प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) कांडला पत्तन की फालतू जमीन के हस्तांतरण के संबंध में राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि कांडला पत्तन के भावी विकास के लिए इस जमीन की आवश्यकता है।

(ग) गुजरात राज्य सरकार बार-बार यह अनुरोध करती रही है और जिस अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया था वह दिसम्बर, 1993 में किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एफ.एम. स्टेशन

4781. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने एफ.एम. रेडियो स्टेशन हैं;

(ख) क्या बिहार में कहीं पर भी एफ.एम. सुविधा उपलब्ध है;

(ग) एफ.एम. केन्द्र की वास्तविक प्रसारण रेंज क्या है; और

(घ) जापान की तुलना में भारत में एफ.एम. सुविधा कितने लोगों को उपलब्ध है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) इस समय देश में 103 एफ.एम. ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, हां। बिहार राज्य में वर्तमान में 6 एफ.एम. रेडियों स्टेशन कार्य कर रहे हैं।

(ग) एफ.एम. ट्रांसमीटर की प्रसारण रेंज ट्रांसमीटर की शक्ति मस्तूल की ऊंचाई एवं भू-भागीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। प्रसारण रेंज 30 मीटर एंटिना की ऊंचाई से 1 किलोवाट ट्रांसमीटर के लिए 15 कि.मी. से 100 मीटर एन्टिना की ऊंचाई से 10 कि.वा. के ट्रांसमीटर के लिए 52 कि.मी. तक के बीच भिन्न-भिन्न होती है।

(घ) रेडियो संकेतों की उपलब्धता को प्रति व्यक्ति के रूप में नहीं मापा जाता है, तथापि, वर्तमान में, देश की 23.86 प्रतिशत जनसंख्या एफ.एम. कवरेज प्राप्त कर रही है, जापान के एफ.एम. कवरेज से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

ब्राह्मणी में प्रदूषण

4782. श्री खारबेल स्वाइन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उड़ीसा में सर्वाधिक प्रदूषित समझी जाने वाली राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी, ब्राह्मणी के जल की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ब्राह्मणी नदी तथा इसकी सहायक नदियों के पानी को शुद्ध करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से ब्राह्मणी नदी की जल गुणवत्ता पर एक अध्ययन किया है। यह पाया गया कि ब्राह्मणी नदी तालचर, धर्मशाला तथा चांदवाली के किनारों पर प्रदूषित है। ब्राह्मणी नदी में घरेलू अपशेष के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत इन नगरों में प्रदूषण निवारण के कार्य अनुमोदित किए गए हैं। इन कार्यों की अनुमानित लागत 1.28 करोड़ रु. है। इन कार्यों में सीवेज का अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन, सीवेज उपचार संयंत्र, अल्प लागत सामुदायिक शौचालय, उन्नत काष्ठ आधारित शवदाहगृह तथा वनीकरण शामिल हैं। उड़ीसा सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। औद्योगिक प्रदूषण का समाधान वैधानिक उपायों के माध्यम से किया जाना है।

दहेज निषेध अधिनियम

4783. श्री के॰पी॰ नायडू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दहेज निषेध अधिनियम, 1961 देश में दहेज मौतों को रोक पाने में निष्प्रभावी रहा है;

(ख) यदि हां, तो दहेज के कारण हुई मौतों को रोकने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) दहेज (निषेध) अधिनियम की राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संवीक्षा और जांच की जा रही है। आयोग ने दहेज (निषेध) अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अंतरित करने की सिफारिश की है।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा की गई सिफारिशों को सम्बन्धित कानूनों में परिवर्तन करते समय ध्यान में रखा जाता है।

उडुपि-मंगलोर के बीच चार लेनों वाला राष्ट्रीय राजमार्ग

4784. श्री ए॰ सिदराजू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि उडुपि-मंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिदिन बहुत अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) उडुपि-मंगलौर राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) रा.रा.-17 का उडुपी-मंगलौर खंड 2 लेन का है जो बेहतर यातायात योग्य स्थिति में है। सम्पूर्ण खंड इमारतदार इलाका है। दुर्घटनाएं मुख्यतया लोगों द्वारा सड़क पार करते समय होती हैं।

(ख) से (घ) कर्नाटक सरकार ने इस खंड को चार लेन का बनाने के कार्य को नौवीं योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया है, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

महानगरों में प्रदूषण

4785. श्री राजो सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली के अलावा अन्य महानगरों में प्रदूषण स्तर का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब कराया गया था; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के महानगरों के प्रदूषण का स्तर विश्व के प्रदूषित शहरों की तुलना में कितना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड महानगरों में प्रदूषण की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ नियमित रूप से सर्वेक्षण कर रहा है।

(ग) निलम्बित कणिकीय पदार्थ के स्तर अधिकांशतः निर्धारित परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंड से ऊपर पाए गए जबकि

सल्फरडाइआक्साइड और नाइट्रोजन आक्साइड के स्तर निर्धारित मानदण्डों के भीतर थे। औद्योगिक क्षेत्रों में शोर के स्तर सामान्यतः सीमा के भीतर पाए गए, परंतु वाणिज्यिक, आवासीय और शांत क्षेत्रों के कुछ इलाकों में आमतौर पर निर्धारित मानदण्डों से अधिक रहे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और सयुंक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई "ग्लोबल पोल्यूशन एण्ड हैल्थ रिपोर्ट" के अनुसार निलम्बित कणिकीय पदार्थ के स्तर के मामले में दिल्ली, कलकत्ता और मुम्बई विश्व के 54 शहरों में क्रमशः चौथे, छठे और तेहरवें स्थान पर आते हैं। सल्फर डाइआक्साइड के मामले में ये शहर विश्व के 41 शहरों में क्रमशः 27वें, 18वें और 37वें स्थान पर आते हैं।

[अनुवाद]

सीधी स्थानीय टेलीफोन सुविधा

4786. डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिवंडी और मुम्बई के बीच सीधी स्थानीय टेलीफोन सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) 15.8.1998 से एस डी सी ए (अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र) को स्थानीय क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि भिवण्डी एस डी सी ए और मुम्बई एस डी सी ए दो निकटस्थ स्थानीय क्षेत्र होंगे, अतः भिवण्डी और मुम्बई के बीच की जाने वाल कालों के लिए 180 सेकण्ड पल्स की दर से शुल्क वसूल किया जाएगा। तथापि, भिवण्डी और नई मुम्बई की कालों के लिए यथापूर्व प्रभार लिया जाएगा क्योंकि भिवण्डी एस डी सी ए नई मुम्बई के निकट नहीं पड़ता है।

ऊर्जा संरक्षण के लिए नीति

4787. राव इन्द्रजीत सिंह :

श्री सुरेश चन्देल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा संरक्षण हेतु कोई व्यापक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा ऊर्जा नीति को तैयार करने के लिये विचार किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त सरकार उपस्करों एवं बिजली उपकरणों हेतु ऊर्जा खपत के सम्बंध में मानदण्ड एवं प्रतिमान निर्धारित करने, उपस्कर और बिजली उपकरणों की आवश्यक ऊर्जा लेवलिंग करने और ऊर्जा के दक्ष उपयोग तथा इसके संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा अनिवार्य बनाने के वास्ते (बी.ई.ई.) एक शीर्ष स्तर की केन्द्रीय संस्था की स्थापना करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार कर रही है।

बालिकाओं के लिए शिक्षा

4788. श्री पी॰आर॰ किन्डिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण, जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में सामाजिक मान्यतायें और प्रतिबंध एक अवरोध है;

(ख) यदि हां, तो माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि के लिये कार्यवाही कार्यक्रम 1992 में की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सिफारिशें के अनुरूप देश के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छात्राओं के लिये खान-पान और होस्टल सुविधा प्रदान की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या खान-पान और होस्टल सुविधा स्थापित करने का कार्य किसी गैर-सरकारी संगठन को सौंपा गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति लड़कियों के नामांकन पर बल देकर माध्यमिक शिक्षा की पहुंच को विस्तृत करने का संकल्प करती है। यह नीति परंपरागत कुरीतियों को दूर करने की दृष्टि से महिलाओं के लिए एक सशक्त नीति तैयार करना चाहती है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक सकारात्मक मध्यस्थता की भूमिका भी निभाना चाहती है। कार्य योजना 1992 मध्यस्थता के संदर्भ में कुछ स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता पर भी बल देता है। कार्य योजना 1992 ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अभिधारणा को कार्यान्वित करने के लिए कतिपय कार्रवाहियों का निर्धारण किया है। इनमें से एक विशेष सक्षम योजना है जो लड़कियों के नामांकन में वृद्धि को सुनिश्चित करती है। यह नीति गैर-सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्तीय सहायता देने पर भी बल देती है। उपर्युक्त के अनुसरण में, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1993-94 से एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही केवल लड़कियों के छात्रावासों के रखरखाव के लिए शत प्रतिशत सहायता प्रदान करती है। यह योजना छात्रावासों के निर्माण के लिए कोई सहायता नहीं देती है।

सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर

4789. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर संतोषजनक नहीं है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ङ) सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) सरकार के पास इस संबंध में कोई तुलनात्मक आंकडा या अध्ययन रिपार्ट नहीं है। तथापि, पिछले वर्षों के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) के परीक्षा परिणामों के विश्लेषण दर्शाते हैं कि विशेष रूप से दिल्ली में सरकारी विद्यालयों की तुलना में गैर-सरकारी विद्यालयों में उत्तीर्णता की प्रतिशतता अधिक रही है।

(ख) सरकारी स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के छात्रों, जिनमें अधिकांशतः सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के होते हैं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है और ये स्कूल कदाचित ही कभी चयनात्मक या प्रतिबंधक प्रवेश नीति अपना सकते हैं। स्कूलों के स्तर प्राधिकरणों, प्रबंध और मानिटरिंग पर भी निर्भर करते हैं।

(ग) और (घ) विशेष रूप से इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ङ) सेवाकालीन प्रबोधन और प्रशिक्षण के द्वारा तथा शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों के माध्यम से बेहतर सहायता सुविधाएं उपलब्ध कराकर और विज्ञान, गणित आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय-क्षेत्रों पर विशेष बल देकर शिक्षकों की क्षमताओं में सुधार के माध्यम से शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास किए गए हैं। अध्ययन-अध्यापन की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया में भी सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया को कम बोझिल और अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में रिक्त पद

4790. श्री ए॰एफ॰ गुलाम उस्मानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में निदेशक (पुरातत्व) तथा अधिशासी पुरातत्व की श्रेणी में कई पद रिक्त पडे हैं;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ये पद रिक्त पड़े हैं तथा इसका क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा नियमित आधार पर इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा कब तक पद भर दिए जायेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सर्वेक्षण में खाली पड़े निदेशकों (पुरातत्व) एवं अधीक्षण पुरातत्वविदों के कुछ पदों को फीडर ग्रेडों के योग्य अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति देकर भर दिया गया है। इन पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का सयोजन करने सम्बन्धी प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए हैं। तथापि इस कार्य को पूरा करने के लिए समय--सीमा बता पाना संभव नहीं है।

स्पीड पोस्ट सेवा

4791. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्पीड पोस्ट सेवा के असंतोषजनक कार्यक्रम की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत भेजे गए पत्रों के गुम हो जाने के बारे में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(घ) सरकार द्वारा इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) स्पीड पोस्ट बिजनेस का विस्तार हो रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान राजस्व वृद्धि लगभग 12 प्रतिशत रही है। हाल ही में एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल ग्रुप द्वारा स्पीड पोस्ट की स्थिति का सर्वेक्षण किया गया, जिसने इस सेवा को इसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर पाया।

(ग) डाक वस्तु के खोने से संबंधित अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस विपणन-क्षेत्र में खो जाने वाली और असंतोषजनक रूप से वितरित होने वाली वस्तुओं के संबंध में विभाग को जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	शिकायतों की संख्या (हजार में)	परियात के संदर्भ में प्रतिशत
1995-96	29.0	0.20 प्रतिशत
1996-97	20.7	0.18 प्रतिशत
1997-98	24.0	0.17 प्रतिशत

(घ) स्पीड पोस्ट सेवा के वितरण और पारेषण को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। वितरण और पारेषण को बेहतर बनाने तथा कमियों को दूर करने, यदि कोई हो, के लिए विभाग ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(i) आठ महानगरों को कवर करने के लिए ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली की शुरूआत।

(ii) स्पीड पोस्ट नेटवर्क का विस्तार।

(iii) स्पीड पोस्ट केंद्रों में तैनात कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा उनकी कार्यकुशलता बढ़ाना।

(iv) मार्केट सर्वेक्षण करना और ग्राहकों की जरूरतों का पता लगाना।

(v) सेवा की निरंतर मानीटरिंग करना।

(vi) ग्राहक-सेवा पर ध्यान केंद्रित करना।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

4792. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**

श्री भगवान शंकर रावत :

श्री रामशकल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु स्वीकृति के लिए कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्थापित किए जाने की आशा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकार के साथ कोई संयुक्त बैठक करने का है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य की विद्युत परियाजनाओं से विद्युत का कितना उत्पादन हुआ?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं हुआ है जो तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) में लंबित हो।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा नीचे दी गई है :-

	विद्युत उत्पादन (मि.यू. में)
1995-96	63457
1996-97	65711
1997-98	67489

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में अहेरी में दूरदर्शन केन्द्र

4793. **श्री नरेश पुगलीया :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले में अहेरी स्थित दूरदर्शन केन्द्र 2 बजे से रात के 10 तक ही कार्यक्रमों का प्रसारण करता है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के लोगों ने इस केन्द्र के प्रसारण समय को बढ़ाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले में अहेरी में एक अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है। वर्तमान में, इसके प्रसारण घंटे सप्ताह के दिनों में 16.30 बजे से प्रसारण बंद होने तक और रविवार को 0700 बजे से प्रसारण बंद होने तक है।

(ख) जी, हां।

(ग) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, अहेरी से पूर्ण प्रसारण, अपेक्षित जनशक्ति की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद

4794. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत देश में अनुसंधान और विकास पर खर्च किया गया;

(ख) क्या आबंटित धनराशि विश्व के विकसित औद्योगिक देशों के निगमों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए देश को सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) अनुसंधान और विकास

(आर एण्ड डी) व्यय पर आधिकारिक आंकड़ा सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी एन पी) के प्रतिशत के रूप में संकलित किया जाता है न कि सकल घरेलू उत्पाद के रूप मे। हाल में उपलब्ध आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 1994-95 में देश में अनुसंधान और विकास पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद व्यय का प्रतिशत 0.81 है। इसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों, अनुसंधान तथा विकास संस्थानों एवं निजी क्षेत्र की घरेलू अनुसंधान तथा विकास इकाईयों और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (एस आई आर ओ) के अनुसंधान और विकास व्यय शामिल है। इस संकलन में उस अनुसंधान तथा विकास व्यय को शामिल नहीं किया गया है जो अन्य स्रोतों से प्राप्त किया गया है जिनमें वे व्यवसाय तथा कम्पनियां भी शामिल हैं, जिन्होंने डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया है।

(ख) और (ग) भारत में अनुसंधान तथा विकास पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद व्यय की प्रतिशतता उन विकसित देशों की तुलना में कम है जो अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 2 से 3 प्रतिशत तक खर्च करते है। 90 के दशक के दौरान विकसित/कतिपय विकासशील देशों में अनुसंधान तथा विकास व्यय में उद्योग का योगदान अलग-अलग है जैसा कि इस्राइल के मामले में यह योगदान 37.2 प्रतिशत है तो दक्षिण कोरिया के मामले में यह 84 प्रतिशत है। डीएसआईआर द्वारा पंजीकृत भारतीय निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए जब इस प्रतिशतता की तुलना की गई तो इसे 1990-91 में 12.6 प्रतिशत पाया गया जो 1994-95 में बढ़ कर 16.4 प्रतिशत हो गयी। अनुसंधान तथा विकास पर निवेश में वृद्धि केवल सरकार तथा निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से ही सम्भव है। अनुसंधान तथा विकास पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उद्योग को कई वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य सहयोग उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

बुनियादी दूर-संचार सेवा का विस्तार

4795. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 और चालू वर्ष के दौरान बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के संबंध में कितनी वास्तविक प्रगति हुई है;

(ख) सरकार की नई नीति उपक्रमों के प्रति निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र, उपभोक्ताओं का विश्वास नहीं जीत पाया है;

(घ) क्या सरकार का विचार पिछले अनुभव को ध्यान में रखकर वर्तमान नीति की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 29 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य के प्रति, वर्ष 1997-98 के दौरान 32.6 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए, जो पिछले किसी भी वर्ष में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या से अधिक है। इससे देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या की स्थिति 17.8 मिलियन लाइनों तक की हो गई है। वर्ष 1998-99 के दौरान, जून 1998 तक, 3.82 लाख नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए।

(ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के अनुसरण में, सरकार ने 21 दूरसंचार सर्किलों में बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए बोली लगाने हेतु निजी सेक्टर को आमंत्रित किया था। उसकी प्रतिक्रिया में, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी सर्किलों के लिए बोलियां प्राप्त हुई थीं। इनमें से छः कंपनियों ने छः सर्किलों में बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए पहले ही लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दो कंपनियों के, एक बिहार के लिए और दूसरी कर्नाटक के लिए, करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किये जाने की सभांवना है।

(ग) केवल इंदौर, मध्य प्रदेश में 04.06.98 को, एक निजी प्रचाल द्वारा बुनियादी टेलीफोन सेवा का प्रारंभ किया गया था। यह कहना अभी उचित नहीं होगा कि निजी सेक्टर ने उपभोक्ताओं का विश्वास प्राप्त किया है अथवा नहीं।

(घ) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रशन नहीं उठता।

[अनुवाद]

अंडमान मेनलैंड में यात्री/पोतभार जहाज

4796. श्री मनोरंजन भक्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान मेनलैंड में यात्री/पोतभार जहाज को भेजे जाने हेतु मायाबंदर घाट किस तिथि को पूरा हो गया था और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई थी;

(ख) क्या कलकत्ता से आने और वहां तक जाने वाले जहाज नियमित रूप से मायाबंदर से होते हुए घाट पहुंचते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मेनलैंड जाने वाले जहाजों के लिए और वहां से मायाबंदर जेट्टी तक आने-जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) मायाबन्दर घाट पर मार्च, 1995 में कार्य पूरा हो गया था जिस पर 218.53 लाख रु. खर्च हुआ।

(ख) से (ङ) कलकत्ता आने वाले और कलकत्ता जाने वाले पोत प्रचालनात्मक आवश्यकता के आधार पर सामान्यतया महीने में एक बार मायाबन्दर के रास्ते भेजे जाते हैं। टग उपलब्ध होने की स्थिति में पोत घाट के साथ-साथ जा सकते हैं क्योंकि सीमित स्थान होने की वजह से मुख्य ईंजन और कमानी प्रणोदक के साथ कुशल कार्य साधन जलयान के लिए अत्यंत जोखिम भरा होता है। अंडमान और निकोबार प्रशासन के पास उपलब्ध दो उपयुक्त टगों में से एक की पोर्ट ब्लेयर में आवश्यकता होती है और फिलहाल दूसरे टग की मरम्मत की जा रही है जिसकी मध्य-अगस्त के बाद ड्राई-डाकिंक की जाएगी।

सांस्कृतिक विरासत

4797. श्री के॰ येरननायडू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक भवनों और स्मारकों पर सांस्कृतिक पर्यटन आयोजनों के बढ़ते रुझान से उन भवनों और स्मारकों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो देश की स्मृद्ध सांस्कृतिक विरासत के इन स्मारकों को अतिक्रमण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक पर्यटनं को प्रोत्साहन देने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करते समय स्मारकों के परिरक्षण एवं संरक्षण को प्राथमिकता देता है। यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाते हैं कि सांस्कृतिक पर्यटन हेतु केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की अवस्थिति का उनके संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ख) जब कभी आवश्यक होता है, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोक्ता वेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 और 9 पर सूर्यपलेम से अटकूरू तक उपमार्ग

4798. श्री पी॰ उपेन्द्र : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 तथा 9 को सूर्यपलेम से अटकूरू तक जोड़ने के लिए उपमार्ग का निर्माण करने के लिये मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) विजयवाड़ा शहर के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 तथा 9 को जोड़ने के लिए सूर्यपलेम से अटकूरू तक बाइपास का निर्माण करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। विजयवाड़ा से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के तीन खंडों को, जिन पर भारी यातायात चलता है, चार-लेन का बनाया जा रहा है। तथापि, बाइपास परियोजनाएं यदि व्यवहार्य पाई गई तो निर्माण-प्रचालन और हस्तांतरण स्कीम के तहत उन पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

युवा छात्रावास खोलने के लिए मापदण्ड

4799. श्री रामशकल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में युवा छात्रावास खोलने के लिए क्या मापदण्ड हैं; और

(ख) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल में अब तक ऐसी सुविधा प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) युवा छात्रावासों के निर्माण की केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में अवधारणा की गयी है। जबकि केन्द्रीय सरकार निर्माण की लागत वहन करती है, राज्य सरकार पर्याप्त जल तथा विद्युत आपूर्ति, पहुंच मार्ग, चहारदीवारी तथा स्टाफ क्वार्टर सहित पूरी तरह से विकसित भूमि निशुल्क उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार से औपचारिक व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर, उस पर युवा कार्यक्रम और खेल विभाग में विचार किया जाता है। युवा छात्रावास के निर्माण हेतु स्थान का चयन राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है :-

(i) ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मूल्य;

(ii) शैक्षिक केन्द्र, राज्य की राजधानी;

(iii) पर्यटक महत्व का स्थान, प्राकृतिक सौंदर्य तथा पर्वतीय स्थल;

(iv) ऐसा स्थान जहां पर युवा संबंधी गतिविधियों के लिए सुविधाएं हों; और

(v) प्रवेश द्वार।

(ख) चूंकि मिर्जापुर मंडल में युवा छात्रावास खोलने हेतु उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से कोई भी औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है, अतः अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

[अनुवाद]

कांडला पत्तन न्यास द्वारा प्लाट/भूमि का आवंटन

4800. **श्री मोहन रावले :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन न्यास ने उन व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है जिनके मकान 9 जून, 1998 को कांडला पत्तन क्षेत्र में आए विध्वंसकारी तूफान में नष्ट हो गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। कांडला पत्तन न्यास बोर्ड ने तूफान से प्रभावित प्रत्येक परिवार को, जिनके मकान तूफान में नष्ट हो गए, एक रुपये के सांकेतिक वार्षिक भूमि किराए पर और एक रुपये प्रति प्लाट के सांकेतिक विकास प्रभार पर 25 वर्ग मीटर भूमि के आबंटन के लिए एक स्कीम तैयार करने के संबंध में "सिद्धांत रूप" में निर्णय लिया है।

महाराष्ट्र में ऐतिहासिक स्मारकों का रखरखाव

4801. **श्री माधव राव पाटील :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अजन्ता, एलोरा और एलिफेन्टा गुफाओं जैसे कई ऐतिहासिक स्मारक बहुत खराब हालत में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्मारकों के रख-रखाव संरचनात्मक मरम्मत आदि कार्य के लिए केन्द्रीय धनराशि का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) महाराष्ट्र केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक जिनमें अजन्ता, ऐलोरा और एलीफेन्टा गुफायें शामिल हैं परिरक्षण की अच्छी स्थिति में हैं। वर्ष भर उनकी देखभाल और रखरखाव के अतिरिक्त संरचनात्मक मरम्मत, रासायनिक संरक्षण और पर्यावणीय विकास जब भी पुरातत्वीय मानदन्डों के अनुसार आवश्यकता होती है किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आकाशवाणी पर तमिल समाचार बुलेटिन

4802. **श्री वैको :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, दिल्ली अपने तमिल समाचार बुलेटिनों में "सेमी फाइनल" "पार्लियामेंट" "आकाशवाणी" "राष्ट्रपति" और "लोक सभा" जैसे शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रसारण से पूर्व समाचार आलेख का सम्पादन करने के लिए तमिल भाषा का आधुनिक रूप में प्रयोग करने वाले निष्णात लोगों का एक सम्पादन बोर्ड स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत क्षेत्र में महाराष्ट्र को विश्व बैंक सहायता

4803. **श्री विठ्ठल तुपे :**

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार को राज्य में विद्युत क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए विश्व बैंक से कोई ऋण/सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण/सहायता का पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) महाराष्ट्र को प्रदान किए गए विश्व बैंक ऋणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

परियोजना का नाम	ऋण धनराशि (अमरीकी डालर)	संचयी संवितरण (मार्च, 98 तक)	ऋण की अंतिम तिथि
महाराष्ट्र विद्युत परियोजना-1 कोयना एचईपी चरण-4 (4×250 मे.वा.) सहित एमएसईबी की पारेषण एवं वितरण प्रणाली	337.330	299.746	30.12.98
महाराष्ट्र विद्युत परियाजना-2 (चन्द्रपुर ताप विद्युत परियोजना, यूनिट-7 सहित प्रारेषण प्रणाली)	350.000	112.254	रद्द

कोयना परियोजना को वर्ष 1999-2001 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है विश्व बैंक द्वारा महाराष्ट्र-2 ऋण का 30.6.1998 के बाद निरस्त कर दिया गया है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार/महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ऋण समझौता संबंधी कुछ सम्मत प्रसंविदाओं को पूरा नहीं कर सके।

समेकित बाल विकास योजना के लिए विश्व बैंक की सहायता का दुरूपयोग

4804. डा॰ सरोजा वी॰ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा के नीचे रह रहे बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए समेकित बाल विकास योजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही सहायता के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक ने केन्द्रीय प्रायोजित आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं अर्थात् आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में चलाई जा रही आई.सी.डी.एस.-1 परियोजना तथा बिहार और मध्य प्रदेश में चलाई जा रही आई.सी.डी.एस.-2 परियोजना के लिए ऋण प्रदान किया।

आई.सी.डी.एस.-1 परियोजना में उड़ीसा के 191 ब्लाक तथा आंध्र प्रदेश के 110 ब्लाक शामिल थे। यह परियोजना जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1997 तक जारी रही। इस परियोजना के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रावधान 343.68 करोड़ रुपए था (159.40 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के लिए तथा 184.28 करोड़ रुपए उड़ीसा के लिए)। इस राशि में पूरक पोषाहार की लागत शामिल नहीं थी। परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से प्राप्त 74 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का पूर्णरूपेण उपयोग कर लिया गया।

आई.सी.डी.एस.-2 परियोजना में बिहार के 210 ब्लाक तथा मध्य प्रदेश के 244 ब्लाक शामिल थे। यह परियोजना सितम्बर 1993 में 7 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई अर्थात् यह मार्च 2000 तक जारी रहेगी। इस परियोजना के लिए परियोजना अवधि हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रावधान 596.23 करोड़ रुपए का है। (257.13 करोड़ रुपए बिहार के लिए तथा 339.10 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए)। परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से अनुमोदित ऋण 194 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) स्कीम के तहत उपलब्ध सहायता के दुरूपयोग के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों ने कोई शिकायत नहीं की है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्रौद्योगिकी का अन्तरण

4805. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन-कौन से देश हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु गत तीन वर्षों के दौरान तथा मार्च, 1998 तक प्रस्ताव दिए हैं;

(ख) इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों (1995, 1996 और 1997) और जनवरी से मार्च, 1998 तक के दौरान अनेक देशों से विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, सेवाओं तथा अन्यों के अन्तरण के लिए प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। इन देशों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ये प्रस्ताव रसायन, वैद्युत और इलेक्ट्रोनिकी, यांत्रिकी, धातुकर्म, वस्त्र इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में इक्विटी भागीदारी तथा एकमुश्त शुल्क का भुगतान, उत्पादन मूल्य पर आधारित रॉयल्टी, प्रशिक्षण व्यय आदि शामिल हैं, जिनका स्वरूप और मात्रा हर मामले में भिन्न-भिन्न है।

(ग) वर्ष 1995, 1996, 1997 और जनवरी से मार्च, 1998 तक के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित प्रौद्योगिकी, सेवाओं और अन्यों के आयात वाले विदेशी सहयोगों की संख्या क्रमशः 2337, 2303, 2325 और 437 हैं।

विवरण

उन देशों के नाम जहां से विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, सेवाएं तथा अन्यों के अन्तरण के लिए गत तीन वर्षों (1995, 1996 और 1997) और जनवरी से मार्च 98 तक के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया

क्र.सं.	उन देशों के नाम जहां कंपनी/सहयोगी स्थित हैं
1	2
1.	अफगानिस्तान
2.	अर्जेन्टीना

1	2
3.	अर्मीनिया
4.	आस्ट्रेलिया
5.	आस्ट्रिया
6.	बाहामास
7.	बेहरीन
8.	बेल्जियम
9.	बरमुडा
10.	ब्रिटिश बर्जिनिया
11.	बुल्गारिया
12.	कनाड़ा
13.	केमैन द्वीप
14.	चैनल द्वीप
15.	चीन
16.	साइप्रस
17.	चैक गणराज्य
18.	डेनमार्क
19.	इस्टोनिया
20.	मिस्त्र
21.	फिनलैंड
22.	फ्रांस
23.	जर्मन
24.	जिब्राल्टर
25.	ग्रीस
26.	हवाई द्वीप
27.	हांगकांग
28.	हंगरी
29.	आइसलैंड
30.	इंडोनेशिया
31.	ईरान
32.	आयरलैंड
33.	आइल ऑफ मैन
34.	इजराइल
35.	इटली

1	2
36.	जमैका
37.	जापान
38.	जॉर्डन
39.	केन्या
40.	कुवैत
41.	लिचदेन स्टीन
42.	लक्सम्बर्ग
43.	मलेशिया
44.	माल्डोवा
45.	माल्टा
46.	मॉरिशस
47.	मैक्सिको
48.	नेपाल
49.	नीदरलैंड
50.	न्यूजीलैंड
51.	नाइजीरिया
52.	नार्वे
53.	ओमान
54.	पनामा
55.	पुपआ न्यू जीनिया
56.	फिलिपीन्स
57.	पोलैंड
58.	पुर्तगाल
59.	कतार
60.	रोमानिया
61.	रूस
62.	सन सल्वाडोर
63.	सऊदी अरब
64.	स्कॉटलैंड
65.	सिंगापुर
66.	स्लोवॉकिया
67.	स्लोवेनिया
68.	दक्षिण अफ्रीका

1	2
69.	दक्षिण कोरिया
70.	स्पेन
71.	श्रीलंका
72.	सूडान
73.	स्वीडन
74.	स्विटजरलैंड
75.	ताइवान
76.	ततरस्थान
77.	थाइलैंड
78.	संयुक्त अरव अमीरात
79.	यू.के.
80.	यू.एस.ए.
81.	यूक्रेन
82.	वियतनाम
83.	वेस्ट इंडीज
84.	यूगोस्लाविया

हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को प्रोत्साहन

4806. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ररकार ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने में काई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उपभोक्ताओं को एसटीडी/आईएसडी टेलीफोन बिल

4807. श्री एच॰जी॰ रामुलू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर दूरसंचार विभाग ने टेलीफोन उपभोक्तओं को मदवार एसटीडी/आई एस डी ब्यौरा देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से उक्त सुविधा बंद कर दी गई है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपभोक्ताओं को मदवार बिल देना शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) यह सुविधा बंद नहीं की गई है। तथापि, हाल में कुछ तकनीकी दिक्कत पैदा हो जाने के कारण, विस्तृत बिलिंग की सुविधा में कुछ समय के लिए व्यवधान आ गया था। तत्पश्चात् मदवार बिलों को जारी करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

[हिन्दी]

सेल्यूलर फोन सुविधा

4808. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री पंकज चौधरी :

श्री रामचन्द्र बैंदा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कोई ऐसी सुविधा विकसित की गई है। जिसके अंतर्गत सेल्यूलर फोन धारकों के साथ देश में कहीं से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सुविधा को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) विभिन्न सेल्यूलर टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) नेटवर्कों के बीच "रोमिंग" नामक सुविधा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन (जीएसएम) मानकों में उपलब्ध मानक सुविधाओं में से एक है। देश में सी एम टी एस लाइसेंसधारी जी एस एम मानकों पर आधारित प्रणालियों का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार ने, हाल ही में, कॉमन चैनल सिग्नलिंग (सीसीएस) नामक विशिष्ट सिग्नलिंग पर आधारित दूरसंचार विभाग (डीओटी) के नेटवर्क अवसंरचना का प्रयोग करके देश में अपने उपभोक्तओं को आटोमेटिक रोमिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सेल्यूलर प्रचालकों को अनुमति प्रदान कर दी है। आटोमेटिक रोमिंग के माध्यम से एक सेल्यूलर आपरेटर का मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता, कॉल प्राप्त करने तथा काल करने के लिए अन्य प्रचालकों की सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। जब वह अन्य प्रचालक के सेवा क्षेत्र का दौरा कर रहा हो। इस प्रकार, उपभोक्ता से उन सभी शहरों में संपर्क किया जा सकता है। जहां सेल्यूलर सेवा उपलब्ध हो बशर्ते कि दोनों सेल्यूलर प्रचालकों के बीच रोमिंग करार हो।

(ग) देश में निकट भविष्य में निजी प्रचालकों द्वारा अपनी व्यावसायिक योजना के अनुसार इस सेवा के उत्तरोत्तर रूप से शुरू किये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप

4809. श्री संदीपान थोरात : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की जांच हेतु एक समिति स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति को अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा निपटाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तथापि, समिति को अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा विज्ञान परिषद अधिनियम

4810. श्री एस॰एस॰ ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में एक समान अद्यतन की गयी क्रीड़ा विज्ञान और शारीरिक शिक्षा की निगरानी के लिए अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा विज्ञान परिषद के काफी समय से लम्बित अधिनियम के संबंध में राज्यों/संबद्ध विभागों और अन्य सभी एजेंसियों के विचार प्रापत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या के॰पी॰ सिंह देव समिति की सिफारिशें पूर्णयता लागू की गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो देश में समेकित शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को किस प्रकार लागू किया जा रहा है; और

(ङ) इस संबंध में अभी तक क्या उपलब्धि हासिल हुई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) अभी तक केवल 18 राज्यों तथा संघ शासित प्रशासनों ने अपने विचार भेजे हैं।

(ग) से (ङ) शारीरिक शिक्षा एवं खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम के साथ मिलाने के बारे में के॰पी॰ सिंह देव समिति की सिफारिशों को भारत सरकार ने सिद्धांत रूप में मान लिया है। सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रशासनों से इन सिफारिशों को लागू करने के लिए अनुरोध किया गया है। समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के शिक्षा तथा युवा मामले एवं खेल विभागों के जरिए कार्यान्वित की जानी है। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने श्री ए॰के॰ पंड्या, सचिव (सेवा निवृत्त), भारत सरकार की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति भी गठित की है। समिति अपनी बैठकें नियमित रूप से आयोजित करती है और इस दिशा में राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति पर निगरानी रखती है। हाल ही में संपन्न हुए राज्य खेल मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस मामले पर चर्चा की गयी थी और शारीरिक शिक्षा एवं खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम के साथ मिलाने के बारे में के॰पी॰ सिंह देव समिति की सिफारिशों को लागू करने के मामले पर जोर दिया गया था।

क्षेत्रीय लोड को बढ़ाने के लिए विक्रेता

4811. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन ने उत्तरी और दक्षिणी भारत में क्षेत्रीय लोड को बढ़ाने के लिए सात विश्वस्तरीय विद्युत उपकरण विक्रेताओं की सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निगम द्वारा आर.एल.डी.सी. को बढ़ाये जाने के इस कार्य का विश्व बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक संयुक्त रूप से वित्त पोषण करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उत्तर क्षेत्रीय भार प्रेषण एवं संचरण के लिए विभिन्न वित्तपोषण एजेंसियों से सुनिश्चित की गई निधि संबंधी आवश्यकता निम्नवत है :-

एनआरएलडीसी

विश्व बैंक	40.7 मिलियन डॉलर
जे-एक्सिम	48.2 मिलियन डॉलर

एसआरएलडीसी

विश्व बैंक	46.3 मिलियन डॉलर
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक	55.00 मिलियन डॉलर

विवरण

क्र.सं.	पैकेज का नाम	फर्म का नाम
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
1.	ईएमएस/एससीडीए	1. एबीबी नेटवर्क कंट्रोल, स्वीडन
		2. केगलेक, फ्रांस
		3. हैरिस कंट्रोल, यूएसए
		4. सीमेन्स एनर्जी एंड ऑटोमैशन, यूएसए
2.	**दूरसंचार**	
	क. फाइबर आप्टीकल	1. पायरली कावी, एस.पी.ए., इटली
		2. सीमेन्स, एजी, जर्मनी
		3. जापान एंड एनटीटी इंटरनेशनल कार्पो., जापान
		4. एबीबी नेटवर्क पार्टनर, स्विटजरलैंड
		5. आईवीओ इंटरनेशनल का संयुक्त उद्यम, फिनलैंड एंड फुबीकुरा लि., जापान
		6. कैगलेक एसए का संयुक्त उद्यम, फ्रांस एंड फ्रोकस लि., यू.के.
		7. नेरा एएस का संयुक्त उद्यम, नार्वे एंड एरिक्सन बिजनेस नेटवर्क एबी, स्वीडन
		8. नार्दन टेलीकॉम का संयुक्त उद्यम, यू.के. एंड बीआईसीसी केबल्स, यू.के.
	ख. माइक्रोवेव	1. एबीबी नेटवर्क पार्टनर, स्विटजरलैंड
		2. हैरिस फैरिनॉन, कनाडा
		3. हैरिस ट्रांसकॉम, यूएसए
		4. सीमेन्स, इटली
		5. आईवीओ इंटरनेशनल, फिनलैंड
		6. कैगलेक एसए, फ्रांस
		7. नेरा, ए.एस., नार्वे
		8. नार्दर्न, टेलीकॉम, यू.के.
	ग. फाइबर आप्टीकल एवं माइक्रोवेव हेतु संयुक्त	1. कैगलेक एसए, फ्रांस एंड फोकस लि. यू.के.
		2. नेरा एस और नार्वे एरिक्सन बिजनेस नेटवर्क एबी, स्वीडन का संयुक्त उद्यम
		3. नार्दर्न टेलीकॉम, यू.के. एवं बीआईसीसी केबल्स, यू.के. का संयुक्त उद्यम
दक्षिणी क्षेत्र		
1.	ईएमएस/एससीडीए	1. एबीबी नेटवर्क कंट्रोल, स्वीडन
		2. कैगलेक, फ्रांस
		3. हैरिस कंट्रोल, यूएसए
		4. सीमेन्स एनर्जी एंड ऑटोमैशन, यूएसए
2.	**दूरसंचार**	
	क. फाइबर आप्टीक	1. पायरली कावी, एस.पी.ए., इटली
		2. सीमेन्स एजी, जर्मनी
		3. फुरूकावा इलेक्ट्रिक कं. लि., जापान, फुजीत्सु लि., जापान और एनटीटी इंटरनेशनल कार्पोरेशन, जापान का संयुक्त उद्यम
		4. एबीबी नेटवर्क पार्टनर, स्विटजरलैंड
		5. फुजीकुरा लि, जापान और एनईसी, जापान का संयुक्त उद्यम
		6. कैगलेक एसए फ्रांस और फोकस लि., यू.के. का संयुक्त उद्यम
		7. एरिक्सन बिजनेस नेटवर्क एबी, स्वीडन और नेरा एएस, नार्वे का संयुक्त उद्यम
		8. नार्दर्न टेलीकॉम, यू.के. और बीआईसीसी केबल्स, यू.के. का संयुक्त उद्यम
	ख. माइक्रोवेव	1. एबीबी नेटवर्क पार्टनर, स्विटजरलैंड
		2. हैरिस फैरिनॉन, कनाडा

1	2	3
		3. सीमेन्स, इटली
		4. नेरा एस, नार्वे
		5. कैगलेक एसए, फ्रांस
		6. नार्दर्न, टेलीकॉम, यू.के.
	ग. फाइबर आप्टीक एवं माइक्रोवेव हेतु संयुक्त	1. कैगलेक एसए, फ्रांस एवं फोकस लि. यू.के. का संयुक्त उद्यम
		2. नेरा एस और नार्वे एरिक्सन बिजनेस नेटवर्क एबी, स्वीडन का संयुक्त उद्यम

भारतीय सांस्कृतिक विरासत

4812. श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार युवाओं के दिलों में भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान जागृत करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) यद्यपि, इस समय ऐसा कोई भी विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हैं, फिर भी युवा कार्यक्रम और खेल विभाग देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने, उसे सम्मान देने, संरक्षित एवं विकास करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से योजनाओं को कार्यान्वित करता है। राष्ट्रीय युवा सप्ताह के दौरान प्रत्येक वर्ष एक राष्ट्रीय युवा समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के युवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें वे भारतीय संस्कृति की समृद्धि एवं विविधता को प्रतिबिम्बित करने वाले लोक और शास्त्रीय संगीत, नृत्य व नाटक आदि के विभिन्न प्रतियोगी और गैर-प्रतियोगी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इस समारोह के दौरान देश के भिन्न-भिन्न भागों से संबंधित कला एवं शिल्प प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा, युवाओं के लिए राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित करने के लिए राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिनमें देश के विभिन्न भागों से आए युवा भाग लेते हैं और एक-दूसरे की संस्कृति एवं परंपरा को सम्मान देते हैं। उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को समझने तथा सम्मान देने के लिए देश के अन्य भागों की यात्रा करने का अवसर प्रदान करने हेतु युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

दक्षिण एशिया में पर्यावरण प्रबंधन

4813. प्रो॰ अजित कुमार मेहता : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशिया में पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग संबंधी अमेरिकी सूचना सेवा का एक सेमीनार मई, 1998 में हुआ था;

(ख) क्या इस सेमीनार में यह आह्वान किया गया था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल को इस क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन में सहयोग करना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो इन देशों में सहयोग के लिए इस सेमीनार में रखे गए पर्यावरण प्रबंधन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में अन्य देशों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास करने का प्रस्ताव है और उनके सहयोग का क्षेत्र क्या होगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सेमीनार में कुछ विस्तृत सिफारिशें की गई थी, जिन्हें संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। इनमें से अधिकतर सिफारिशें निरन्तर क्षेत्रीय सहयोग का हिस्सा हैं।

विवरण

मई, 1998 में यूएसआईएस द्वारा आयोजित क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के अंत में की गई सिफारिशें

* ठोस विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के भीतर गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर विशेषज्ञता और अनुभवों के आदान-प्रदान और अनुक्रिया के लिए मेकेनिज्म को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता।
* वायु प्रदूषण की मानीटरिंग, जांच और नियंत्रण के लिए नवीनतम और सर्वाधिक प्रभावी तकनीकों के संबंध में अधिक से अधिक सूचना के आदान-प्रदान की आवश्यकता।
* नदी जल प्रदूषण की नियंत्रित मानीटरिंग और नियंत्रण की आवश्यकता; विशेषकर प्रमुख नदियों जैसे गंगा, जो पेय जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
* शहरी बहिस्त्रावों के निपटान के लिए उपयुक्त सीवर अन्तरावरोधन और शोधन और शोधन प्रणाली के संबंध में ध्यान केन्द्रित करना और सूचनाओं का आदान-प्रदान करना और मलजल निपटान के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां सुनिश्चित करना।
* पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभाव के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करना।

* जल गुणवत्ता की मानीटरी, परीक्षण और फ्लोराइडेंज क्षेत्र के विशेष संदर्भ में सहयोगात्मक समुदाय स्तर की परियोजनाएं चलाना।
* पर्यावरणीय संबंधों और संसाधनयुक्त व्यक्तियों के बारे में व्यापक सूचनाओं का आदान-प्रदान।
* हडियारा ड्रेन प्रदूषण के पाकिस्तान पहुंचने से पूर्व भारत द्वारा इस प्रदूषण में कमी के लिए अध्ययन करने तथा प्रभावकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता।
* सही सूचना, अधिकतम क्षेत्र को दायरे के भीतर लाना तथा पर्यावरणीय पत्रकारों के बीच निकट सहयोग की आवश्यकता।

विद्युत वित्त निगम को प्रतिबंधों के बावजूद विदेशी वाणिज्यिक ऋण

4814. श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने 100 मिलियन डालर का विदेशी ऋण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है जो कि परमाणु परीक्षणों के बाद जी-8 के देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद सबसे बड़ा विदेशी वाणिज्यिक ऋण है;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किन स्रोतों से प्राप्त किया है; और

(ग) इस ऋण को प्राप्त करने में प्रतिबंधों के प्रभाव के संबंध में क्या अनुभव रहा?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। 100 मिलियन अमरीकी डॉलर सिंडीकृत ऋण सुविधा के लिए ऋण समझौते पर 7 जुलाई, 1998 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त ऋण का आहरण विभिन्न देशों से 14 बैंकों के ग्रुप नामशः एएनजेड ग्रेंडलेज एक्सपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड, अरब बैंकिंग कार्पोरेशन (बीएससी), बेडन-वर्टेमबर्ग बैंक, एक्टिंजलशाफ्ट, बैंक आफ बड़ौदा, लन्दन, बैंक ऑफ इंडिया, जर्सी, बैंक ऑफ इंडिया लन्दन, बैरीस्क वेरिन्सबैंक एजी, बरलाइनर बैंक एक्टिंनशाफ्ट, दि फूजी बैंक लिमिटेड, सिंगापुर, इंडियन बैंक, सिंगापुर, नैटिक्स बैंक, सिंगापुर, एसबीआई यूरोपियन बैंक पीएलसी, लंदन, स्कैंडिनाविस्का ऐंस्किलडा बैंक एबी (पीयूबीएल), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लंदन, यूनाईटेड ताइवान बैंक एस.ए., ब्रसल्स से होगा।

(ग) ऋणों को सिंडीकृत किए जाने के दौरान स्वीकृतियां प्रदान की गई इसके बावजूद सिंडीकरण को लीड व्यवस्थापक के साथ स्वीकृत मूल मूल्य और अन्य शर्तों के अनुसार सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

[हिन्दी]

पर्यावरण परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

4815. श्री अजीत जोगी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997 और 1998 के दौरान पर्यावरण परियोजनाओं के लिए कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई;

(ख) राज्यवार किन परियोजनाओं के लिए उक्त विदेशी सहायता उपलब्ध करायी गई और खर्च की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त सहायता राशि में से मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों को कितनी राशि उपलब्ध करायी गई;

(घ) क्या उपलब्ध करायी गई राशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए वन भूमि

4816. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने औद्योगिक इस्तेमाल के लिए वन भूमि देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश/मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक इस्तेमाल के लिए परिवर्तित की गई और आबंटित की गई वन भूमि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक प्रयोग के लिए वन भूमि विमुक्त किए जाने के बारे में पिछले तीन वर्षों में महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत उक्त प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश

जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में वनों को विभिन्न वनेतर गतिविधियों के लिए अपवर्तित (डायवर्शन) करने संबंधी स्वीकृति प्रदान करने के बारे में क्रियाविधि का उल्लेख किया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में महाराष्ट्र में औद्योगिक प्रयोग के लिए अपवर्तित करने हेतु अनुमोदित वन भूमि का विस्तृत ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अपवर्तन (डायवर्शन) हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र (है.)
1.	राईगाड और पुणे जिलों में ट्रांसमिशन-कम-रिसीविंग टावर काम्पलेक्स टू बिरला एट एंड टी कम्यूनिकेशन लि. का निर्माण	0.248
2.	राइगाड जिले में श्रिंम्प सीड कारर्पोरेशन के लिए समुद्री जल निकासी के प्रयोजन हेतु सर्फेस पाइप लाइन बिछाना	0.0038
3.	राइगाड जिले में आर सी एफ, थाल से ऊसर तक नेशनल गैस टविन बिछाना	0.867
4.	विंड एनर्जी जैनरेशन प्लांट का निर्माण पूना जिले में टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी लि., मुम्बई	1.285
5.	वर्धा और चन्द्रपुर जिलों में डिनडोरा बैरेज एंड के.टी. वियर का निर्माण।	95.81

विवरण-II

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अपवर्तन (डायवर्शन) हेतु अनुमोदित/सिद्धांतरूप में अनुमोदित वन क्षेत्र (है.क्षे.)
1	2	3
1.	वरधा जिले में लियोड्ज स्टील उद्योग लि. द्वारा स्टील संयंत्र का निर्माण।	45.75
2.	नागपुर जिले में बूटी औद्योगिक क्षेत्र का विकास।	19.52
3.	राइगाड और पूना जिले में ट्रांसमिशन-कम रिसीविंग टॉवर काम्पलेक्स टू बिरला-एट-एंड टी कम्यूनिकेशन लि. का निर्माण।	0.248
4.	मुम्बई से मानमाद तक पैट्रोलियम उत्पाद की पाइपलाइन बिछाना।	18.77
5.	राइगाड जिलें में श्रिम्प सीड कार्पोरेशन के लिए समुद्री जल की निकासी के प्रयोजन हेतु सर्फेस पाइपलाइन बिछाना।	0.0038
6.	राइगाड जिले में आर सी एफ, थाल से ऊसर तक नेशनल गैस टविन पाइप लाइन बिछाना।	0.867
7.	पूना जिले में विंड एनर्जी जैनरेशन प्लांट का निर्माण - दि टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी लि. मुम्बई।	1.285
8.	जलगांव जिले में बी टी पी एस से एश स्ल्यूसिंग स्कीम स्टेज-III	115.00

असम में गेंडो का अवैध शिकार

4817. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में पबितोरा अभयारण्य में अवैध शिकारियों द्वारा गैंडे मारे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या असम में अवैध शिकार बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के पबितोरा अभयारण्य में शिकार चोरों द्वारा कुछ गैंडे मारे गए थे। पिछले तीन वर्षों में पबितोरा अभयारण्य में शिकार चोरों द्वारा मारे गए गैंडों की संख्या नीचे दी गई है :-

1995	*1996*	*1997*
2	4	4

(ख) राज्य सरकार चोरी-छिपे शिकार के बारे में चिन्तित है और उसने इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। सरकार इस संबंध में काफी सजग है और दिन रात पैट्रोलिंग द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है। सरकार ने अवैध शिकार को रोकने के कार्य में अभयारण्य स्टाफ की मदद के लिए सशर्त होमगार्ड, असम वन सुरक्षा बल की बटालियन तैनात की थी।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा उठाए गए कारगर कदमों के कारण वर्ष, 1997 में असम में गैंडों के अवैध शिकार की घटनाओं में काफी कमी आई है। पिछले तीन वर्षों में असम में विभिन्न राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों में अवैध शिकार संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

क्र.सं.	राष्ट्रीय पार्क/अभयारण्य	1995	1996	1997
1.	औरंग वन्य जीव अभयारण्य	10	9	11
2.	काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क	27	26	12
3.	पबितोरा वन्यजीव अभयारण्य	2	4	4
4.	मानस वन्यजीव अभयारण्य	1	–	–
5.	अन्य	2	1	2
	कुल	42	40	29

(ङ) गैंडों और अन्य संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :-

(i) संकटापन्न प्रजातियों और उनके वासस्थलों के संरक्षण के लिए छः' वन्यजीव अभयारण्यों और तीन राष्ट्रीय पार्कों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के विकास के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध करने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों के अनुसार 1992-93 से संसाधनों सहित "असम में गैंडों का संरक्षण" नाम से एक विशेष योजना राज्य सरकार के पास अंतरित की गई है।

(ii) गैंडे को वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में रखा गया है और इस प्रकार उसे सबसे ज्यादा सुरक्षा प्राप्त है।

(iii) गैंडे के शरीर के अंगों और उनसे निर्मित उत्पादों पर कानूनी प्रतिबंध भी लगाया गया है।

(iv) शिकार चोरों और अवैध व्यापार करने वालों को पकड़ने के लिए आवश्यकता पड़ने पर पुलिस, बी.एस.एफ., डी. आर.आई तथा आर्मी का सहयोग लिया जाता है।

(v) भारत, "कन्वेंशन ऑन इंटरनैशनल ट्रेड इन एनडैंजर्ड, स्पैसीज ऑफ वाईल्ड फाउना एंड फ्लोरा" संबंधी कन्वेंशन का एक पक्षकार है और यह जीव-जन्तुओं की संकटापन्न प्रजातियों और उनके अंगो से निर्मित वस्तुओं के व्यापार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विनियमों का पालन करता है। कन्वेंशन के प्रावधानों के अंतर्गत, गैंडों को "साइट्स" के परिशिष्ट-I में रखा गया है जिसमें संकटापन्न प्रजातियों, उनके उत्पादों और उनसे निर्मित वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(vi) गैंडों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के लिए तथा उन्हें उनके पहले के वासस्थलों में पुनर्वासित करने के लिए उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क और केटर्नियाघार वन्य जीव अभयारण्य में "गैंडों का पुनर्वास" नामक योजनाएं शुरू की गई हैं।

(vii) बाघों, हाथियों और गैंडों तथा उनके वास स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(viii) जब कभी भी वन्य जीवों के अवैध शिकार की सूचना वन्य जीव प्राधिकारियों को प्राप्त होती है तो इसे रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(ix) देश में वन्य जीवों के उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए मुख्य निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव संरक्षण संबंधी क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जात हैं।

(x) सूचना देने वालों, जो अन्य कार्यों के अलावा वन्यजीव उत्पादों की तस्करी संबंधी आसूचनाएं उपलब्ध कराने में सहायता भी करते हैं, को इनाम देने की एक योजना भी उपलब्ध है।

(xi) वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने इस समस्या से निपटने के लिए विशिष्ट उपायों का सुझाव दिया है, जिन्हें उनकी टिप्पणियों और आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है।

आपरेशन ब्लैकबोर्ड और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू किये जाने में सुधार

4818. **श्री आर॰ साम्बासिवा राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन ब्लैकबोर्ड और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने में सुधार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में काई ठोस कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना वर्ष 1987-88 में आरंभ की गई थी जिसे 100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों में तीन शिक्षक तथा तीन कक्षा-कक्ष

उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1993 में संशोधित कर दिया गया। यह योजना उच्च प्राथमिक स्कूलों तक भी बढ़ा दी गई है।

प्रारंभिक शिक्षा संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट में नौवीं योजना के लिए आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत दो नए घटक जोड़ने की सिफारिश की गई है ताकि उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके और स्कूल स्तर पर प्राथमिक स्कूलों के पर्यवेक्षण तथा प्रबंध में सुधार किया जा सके। इनमें कम महिला साक्षरता वाले ब्लाकों में उच्च प्राथमिक स्कूलों तथा चुने गए प्राथमिक स्कूलों में एक मुख्याध्यापक के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। नौंवी योजना के आबंटनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक विकासशील कार्यक्रम हैं जिसमें विगत शिक्षा अनुभवों के आधार पर, जब और जहां आवश्यक होगा, परियोजना के मानकों में आवश्यक संशोधन अथवा आशोधन कर दिया जाएगा। इस संबंध में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

महाराष्ट्र में आईएसडी, फैक्स और टेलेक्स सुविधाएं उपलब्ध कराना

4819. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आईएसडी, फैक्स और टेलेक्स सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) राज्य में आई एस डी, फैक्स और टेलेक्स सुविधाएं प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य के सभी एक्सचेंजों में एस टी डी सुविधाएं नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रदान की जाएंगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेबल क्रासिंग

4820. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट के कन्नानूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर आठ लेबल क्रासिंग हैं;

(ख) क्या लेबल क्रासिंग राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोध हैं जिनसे सड़क यात्रियों को असाधारण विलम्ब और असुविधा होती है;

(ग) यदि हां, तो इन लेबल क्रासिंगों पर उपरि पुल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इन स्थानों पर उपरि पुल बनाने के लिए केरल सरकार ने कोई अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) फाटकों से राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात में विलम्ब तथा असुविधा होती है।

(ग) से (ङ) इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव किया है:

(i) चोरोड में फाटक के स्थान पर रोड-ओवर-ब्रिज का निर्माण।

(ii) नन्दी, चेनकोट्टूकवु, चोवा और नादल में 4 फाटकों से बचने के लिए क्विलैंडी, चोवा, नादल में पुनर्सरेक्षण का निर्माण।

(iii) थलासेरी-माहे और कालीकट बाइपासों के निर्माण से मुझापिलंड्डु, वेंगालम और वेनगोली में फाटकों से बचा जा सकेगा।

उपर्युक्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है और निधियों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में निर्माण कार्य पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

विद्युत वित्त निगम का मूल्यांकन

4821. श्री महेश कनोडिया :

श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने विद्युत वित्त निगम के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समीक्षा के परिणामों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) पावर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है। निगम वर्ष 1993-94 से "समझौता ज्ञापन" (एमओयू) पर हस्ताक्षर करता रहा है और

इसका मूल्यांकन प्रतिवर्ष सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है। पीएफसी, एमओयू में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के संबंध में अच्छा कार्य निष्पादन करता रहा है और वर्ष 1993-94 से और उसके बाद उत्कृष्ट दर्जा हासिल करता रहा है। निगम के कार्य निष्पादन की भी सरकार द्वारा भी नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में आम्र वन

4822. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आम्र वन के अंतर्गत आने वाले भू-क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और आम्र वन के विकास के लिए राज्यों को प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितना धन आबंटित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र राज्य में आम्र वनों की उन्नति और संरक्षण हेतु कोई योजना प्रायोजित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1997 में दी गई सूचना के अनुसार देश में "मेन्ग्रोव" वनों का कुल क्षेत्र 4,827 वर्ग कि.मी. है। राज्य-वार विवरण निम्नलिखित है :-

	राज्य	क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)
1.	आंध्र प्रदेश	383
2.	गोवा	5
3.	गुजरात	991
4.	कर्नाटक	3
5.	महाराष्ट्र	124
6.	उड़ीसा	211
7.	तमिलनाडु	21
8.	पश्चिम बंगाल	2,123
9.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	966

इसके अतिरिक्त तटीय राज्यों में "मेनग्रोव" के कुछ बिखरे हुए खण्ड भी हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय "मैन्ग्रोवज तथा कोरल रीफ का संरक्षण तथा प्रबंधन" शीर्षक स्कीम के तहत मैन्ग्रोवज के संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई प्रबंधन कार्य योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

1997-98 तथा 8वीं योजना के दौरान "मैन्ग्रोवज़" के संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार से है :-

	राज्य	1997-98 तथा 8वीं योजना के दौरान प्रदान की गई सहायता (लाख रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	18.00
2.	गोवा	37.75
3.	कर्नाटक	62.74
4.	केरल	8.50
5.	महाराष्ट्र	1.81
6.	उड़ीसा	7.03
7.	तमिलनाडु	38.52
8.	प. बंगाल	215.61
9.	अंडमान व निकोबर द्वीपसमूह	42.76

(ख) और (ग) "मैंग्रोवज़ तथा केरल रीफ का संरक्षण तथा प्रबंधन" स्कीम के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पात्र है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भ्रष्टाचार

4823. श्री बी॰एम॰ मेनसिंकाई : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव संसाधन विकास संबंधी स्थाई समिति ने अपने 46वें प्रतिवेदन में यह माना था कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस मामले की जांच/छानबीन की जा रही है।

खेलों के विकास हेतु किए गए उपाय

4824. डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी :
जनरल नेविले फोली :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को खेलों में विशेषकर हाकी में विश्व स्तर का बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार उच्च तकनीकी प्रशिक्षण प्रणालियां अपनाने और खेल विज्ञान अनुसंधान का निरंतर अनुपालन कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) खेलों के विकास का कार्य राष्ट्रीय खेल परिसंघों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। राष्ट्रीय खेल परिसंघ, राष्ट्रीय टूर्नामेंट और चैंपियनशिप आयोजित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों और टीमों का चयन करते हैं। हाकी को बढ़ावा देना भारतीय हाकी परिसंघ का कार्य क्षेत्र है जो देश में हाकी के संवर्धन का कार्य देखने वाला एक स्वायत्तशासी निकाय है। सरकार भारतीय हाकी परिसंघ को इस खेल के स्तर में सुधार लाने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान कर रही है। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं :-

(1) भारतीय खेल प्राधिकरण तथा राज्य सरकारों के माध्यम से छोटी आयु में प्रतिभा का पता लगाना तथा उसका विकास करना।

(2) राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, उपस्कर खरीदने, सब-जूनियरों, जूनियरों एवं सीनियरों के लिए टूर्नामेंट आयोजित करने, देश में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के लिए परिसंघ की मदद करना।

(3) बुनियादी सुविधाओं के सृजन और सिंथेटिक परतों के लिए राज्य सरकारों की मदद करना।

(4) बंगलौर में हाकी के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना करना।

(5) एक विशेषज्ञ दल के माध्यम से प्रशिक्षण संबंधी मापदण्ड का विकास करना।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार हाकी में उच्च तकनीकी प्रशिक्षण संबंधी प्रणाली आरंभ करने के लिए कदम उठा रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल विज्ञान में अनुसंधान कार्य जारी रखा जा रहा है। राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षण के लिए भारतीय हाकी परिसंघ को सहायता दी जा रही है। उपर्युक्त के अलावा, खेलों में विशेषज्ञों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक अनुकूलन विशेषज्ञों, खेल वैज्ञानिकों और अनुसंधान वैज्ञानिकों तथा साहसिक खेलों में उत्कृष्ट रिकार्ड वाले खिलाड़ियों को विदेशों में नवीनतम तकनीकों, कोचिंग तथा अनुसंधान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां मंजूर की जा रही हैं।

खेल कूद

4825. श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे देश में खेल कूदों की हालत बड़ी शोचनीय है;

(ख) यदि हां, तो नई प्रतिभाओं के चयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत के विभिन्न खेल कूद संघों का पुनर्गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है।

(ख) केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकारें नई प्रतिभा का पता लगाने के लिए कदम उठा रही हैं। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से नई प्रतिभा का पता लगाने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इनके अलावा, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तथा विश्वविद्यालय/कालेज स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। "स्कूलों में खेलकूद का संवर्धन" संबंधी योजना के अंतर्गत टूर्नामेंट आयोजित करने व स्कूल स्तर पर पुरस्कार देने के लिए राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण खेल कार्यक्रम के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) और (घ) भारतीय ओलंपिक संघ (आई.ओ.ए.) सहित राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत गठित स्वायत्तशासी निकाय है। सरकार तथा भारतीय ओलंपिक संघ एंव राष्ट्रीय खेल परिसंघों के बीच संबंध के बारे में कोई कानून नहीं है। भारतीय ओलंपिक संघ का कहना है कि यह ओलंपिक चार्टर के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रीय खेल आयोजित करने अथवा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों/चैंपियनशिपों आदि में भाग लेने जैसे मामलों में, राष्ट्रीय खेल परिसंघ स्वायत्तशासी हैं और वे सरकार को उत्तर देने के लिए जिम्मेवार नहीं हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में सहभागिता संबंधी कार्य देखता है। सरकार के पास राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता

देने के प्रयोजनार्थ मान्यता देने की एक प्रणाली है। खेलों के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में, अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए उनके आंतरिक कार्यकरण के संबंध में कुछ बुनियादी मानक, मापदण्ड तथा प्रक्रियाएं बनाए रखने के लिए एक प्रावधान भी है जो संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा निर्धारित उच्च सिद्धांतों तथा उद्देश्यों के अनुरूप हों और जिसका ओलंपिक चार्टर अथवा भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों के साथ पूर्ण सामंजस्य हो। खेलों के संवर्धन के लिए समुचित कार्रवाई करने हेतु सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ निरंतर रूप से संपर्क रख रही है।

कम शक्ति वाले/बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में लगी जनशक्ति

4826. श्री मुकुल वासनिक : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिस्थापित टी.वी. ट्रांसमीटरों का इष्टतम उपयोग करने के लिए बहुत कम शक्ति वाले और कम शक्ति वाले प्रत्येक टांसमीटर पर अपेक्षित जनशक्ति/स्टाफ प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) जी, नहीं। यद्यपि अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कर्मचारी रहित प्रतिष्ठापन है और इनके संचालन तथा अनुरक्षण के लिए विशेष रूप से स्टाफ की आवश्यकता नहीं होती है तथापि, वर्तमान में कार्यरत दूरदर्शन के कुल 646 अल्प शक्ति ट्रासंमीटरों में से 427 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को पूर्ण पूरक स्टाफ उपलब्ध कराया गया है। 205 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को केवल आंशिक स्टाफ की मंजूरी दी गई है। शेष 14 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को स्वीकृत पदों के बिना अन्य प्रतिष्ठापनों से अस्थायी रूप से कर्मचारियों को स्थानान्तरित करके चालू किया गया है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बिजली का उत्पादन

4827. श्री के॰एस॰ राव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम परियोजनाएं तथा देश के विभिन्न क्षेत्र में निजी तौर पर संचालित होने वाली परियोजनाओं में परियोजनावार विद्युत क्षमता क्या है;

(ख) मांग की तुलना में वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा क्या है तथा क्षेत्र-वार कितनी गिरावट आयी है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत उत्पादन को कम किए जाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) देश के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम परियोजनाओं और निजी रूप से प्रबंधित परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता क्रमशः संलग्न विवरण I और विवरण II में दी गई हैं।

इसके अतिरिक्त एनटीपीसी उत्तरी क्षेत्र में बदरपुर ताप-विद्युत केन्द्र (705 मे.वा.) तथा पश्चिमी क्षेत्र में बाल्को (270 मे.वा.) का भी प्रबंध कर रहा है।

(ख) अप्रैल 98-जून 1998 की अवधि के दौरान क्षेत्र-वार ऊर्जा आवश्यकता, उपलब्धता और कमियां निम्नवत हैं :-

(आंकड़े मि.यू.में)

क्षेत्र	आवश्यकता	उपलब्धता	प्रतिशत कमी
उत्तरी क्षेत्र	33366	31459	5.7
पश्चिमी क्षेत्र	36984	354221	4.2
दक्षिणी क्षेत्र	29957	25732	14.1
पूर्वी क्षेत्र	10517	10559	(-) 0.4
उत्तरी पूर्वी	1262	1137	9.9
अखिल भारत	122086	104308	6.9

(ग) से (ङ) रा.वि.बो.डी.वी.सी. और एनटीपीसी के पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत केन्द्रों में पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की कम मांग की वजह से विद्युत उत्पादन को कम करना पड़ा। पूर्वी क्षेत्र से देश के अन्य क्षेत्रों में विद्युत का अंतरण किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-I

उत्तरी क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

क्र.स.	परियोजना	राज्य	ईंधन	क्षमता (मे. वा.)
1	2	3	4	5
1.	सिंगरौली	उ.प्र.	कोयला	2000
2.	रिहन्द	उ.प्र.	कोयला	1000

1	2	3	4	5
	3. एनसीपीपी दादरी	उ.प्र.	कोयला	840
	4. फिरोजगांधी ऊंचाहार	उ.प्र.	कोयला	420
	5. दादरी	उ.प्र.	गैस	817
	6. अन्ता	राजस्थान	गैस	413
	7. औरैया	उ.प्र.	गैस	652
	जोड़			*6142*
पश्चिमी क्षेत्र				
	8. कोरबा	म.प्र.	कोयला	2100
	9. कवास	गुजरात	गैस	645
	10. विन्ध्याचल	म.प्र.	कोयला	1260
	11. झनोर-गांधार	गुजरात	गैस	648
	जोड़			*4653*
दक्षिणी क्षेत्र				
	12. रामागुंडम एपी	आं.प्र.	कोयला	2100
	जोड़			*2100*
पूर्वी क्षेत्र				
	13. फरक्का	पश्चिम बंगाल	कोयला	1600
	14. कहलगांव	बिहार	कोयला	840
	15. तलचेर एसटीपीएस	उड़ीसा	कोयला	1000
	16. तलचेर थर्मल	उड़ीसा	कोयला	460
	जोड़			*3900*
	अखिल भारत जोड़			16,795 मे.वा.

विवरण-II

31.3.98 की स्थिति के अनुसार देश में निजी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1	2
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	
1. साबरमती (एईसीओ)	450
2. वटवा सीसीजीटी	99
3. जीआईपीसीएल	167
4. हजीरा सीसीजीटी	515
5. पगुयन सीसीजीटी	405
6. सूरत डीजल सेट	0.2
उप-जोड़	*1636.2*
महाराष्ट्र	
1. ट्राम्बे टीपीएस	1150
2. ट्राम्बे सीसीजीटी	180
3. दहाणु टीपीएस	500
4. शिवपुरी एचई	72
5. कोपिली एचई	72
6. भीरा एचई	282
उप-जोड़	*2256*
आंध्र प्रदेश	
1. जेगुरूपाडु	235.40
2. गोदावरी सीसीजीटी	208.00
उप-जोड़	*443.40*
कर्नाटक	
1. शिवपुरी एचई	18.0
उप-जोड़	*18.0*
केरल	
1. लघु एचई	12.0
उप-जोड़	*12.0*
पश्चिम बंगाल	
1. मालाजोर टीपीएस	120
2. तीतागढ़	240
3. दक्षिणी टीपीएस	135
4. न्यू काशीपुर टीपीएस	160
5. कोरबा जीटी	40
6. बज-बज	250

	1	2
7.	बिशनगढ़ सिंहोर टीपीएस	46.38
8.	सुन्दरबन डी.जी.	0.14
	उप-जोड़	*991.52*
	असम	
1.	बाशकांडी जीटी	9.0
2.	आदमटिल्हा जीटी	10.5
	उप-जोड़	*19.5*
	जोड़ अखिल भारत	5376.62

"सेंट्रल सेंटर आफ एक्सलेंस फार हाकी" के बारे में दिनांक 4 अगस्त, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1795 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

उपर्युक्त प्रश्न के भाग "ख" के उत्तर में उल्लिखित विवरण को इस प्रकार पढ़ा जाए :-

हाकी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र का ब्यौरा

1. केन्द्र प्रशिक्षण के लिए पहचाने गए 50 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सतत आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। खिलाड़ियों का चयन सभी प्रमुख टूर्नामेंटों में से 16-21 वर्ष के आयु वर्ग में से किया जाएगा।

2. खिलाड़ियों का चयन एक प्रतिभा खोज समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य शामिल होंगे :-

(क) एक व्यक्ति अध्यक्ष, भारतीय हाकी संघ द्वारा नामित किया जाएगा।

(ख) दो भूतपूर्व ओलंपिक खिलाड़ी महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा नामित किए जाएंगे।

3. समिति हरेक स्थान के लिए कम से कम चार खिलाड़ियों का चयन करेगी। किसी भी एक समय में लगभग आधे खिलाड़ी जूनियरों में से होने चाहिए। गोल कीपिंग तथा पेनल्टी कार्नर को गोल में बदलने के लिए बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी।

4. प्रतिभा खोज के अगले चरण में पहचाने गए खिलाड़ियों की एच.पी.एल. में जांच की जाएगी। अंतिम चरण में, शारीरिक उपयुक्ता तथा वै... क जांच परिणामों पर आधारित चयन समिति 50 से अधिक हाकी के खिलाड़ियों का चयन नहीं करेगी।

5. खिलाड़ियों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

6. यदि कोई खिलाड़ी 3 वर्ष की अवधि अथवा 23 वर्ष की आयु तक राष्ट्रीय टीम में नहीं आ पाता तो उसकी छंटनी कर दी जाएगी।

7. खिलाड़ियों को खेल वैज्ञानिकों तथा विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

8. भारतीय हाकी संघ उत्कृष्टता केन्द्र की उस प्रबंध समिति में सक्रिय रूप से शामिल होगा जो कि महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा गठित की जाएगी। समिति की बैठक तिमाही में का से कम एक बार होगी। परियोजना को भारतीय खेल प्राधिकरण, दक्षिणी केन्द्र, बंगलौर द्वारा पूरा प्रशासनिक समर्थन प्रदान किया जाएगा।

9. खिलाड़ियों के आत्मविश्वास के स्तर तथा उनकी छवि बनाए रखने के लिए, उनके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए इस प्रकार से कोशिश की जाएगी जैसी सेना में एन.डी.ए. के कैडेटों के लिए की जाती है।

10. उत्कृष्टता केन्द्र राष्ट्रीय स्तर के हाकी टूर्नामेंटों में भाग लेगा तथा टूर्नामेंटों में उनका प्रवेश संघ की टीम की भांति होगा।

11. योजना के लिए धनराशि भारतीय खेल प्राधिकरण को दिए गए अनुदान से प्राप्त होगी।

हाल ही में लोक सभा को भेजे गए उत्तर की जांच करते समय भूल का पता चला है।

इस संबंध में हुई असुविधा के लिए खेद है।

अपराह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(i) वर्ष 1996-97 के इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस आदि के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उसके कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1262/98]

(3) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1263/98]

(5) (एक) टेक्नॉलोजी इंफारमेशन, फोरकास्टिंग एण्ड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नॉलोजी इंफारमेशन, फोरकास्टिंग एण्ड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1264/98]

(7) (एक) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1265/98]

(ii) एन एच पी सी एल और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : महोदय, मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच (वर्ष 1998-99 के लिए) समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1266/98]

(iii) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेजीविजन इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उसके कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1267/98]

[अनुवाद]

(iv) दिल्ली विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय आदि की क्रमशः वर्ष 1994-95 और 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उनके कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुमारी उमा भारती के निमित्त निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1268/98]

(3) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1269/98]

(5) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1270/98]

(7) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1271/98]

(9) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1272/98]

(11) (एक) विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1273/98]

(13) विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1274/98]

(15) (एक) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये संख्या* एल॰टी॰ 1275/98]

(17) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये संख्या* एल॰टी॰ 1276/98]

(19) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये संख्या* एल॰टी॰ 1277/98]

(21) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये संख्या* एल॰टी॰ 1278/98]

(23) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये संख्या* एल॰टी॰ 1279/98]

(25) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये संख्या* एल॰टी॰ 1280/98]

(27) (एक) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये संख्या* एल॰टी॰ 1281/98]

(29) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये संख्या* एल॰टी॰ 1282/98]

(31) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये संख्या* एल॰टी॰ 1283/98]

(33) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1284/98]

(35) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, मद्रास के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, मद्रास के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, मद्रास के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1285/98]

(37) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1286/98]

(39) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1287/98]

(41) (एक) सरदार वल्लभभाई रीजनल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, सूरत के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई रीजनल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, सूरत के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1288/98]

(43) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1289/98]

(45) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1290/98]

(47) (एक) कर्नाटक रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सूरतकल के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सूरतकल के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1291/98]

(49) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1292/98]

(51) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1293/98]

(53) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1294/98]

(55) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1295/98]

(57) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1296/98]

(59) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1297/98]

(61) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1298/98]

(63) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1299/98]

(65) (एक) खुदा बक्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदा बक्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1300/98]

(67) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1301/98]

(69) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1302/98]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब 'शून्य काल' में विषय उठाए जायेंगे। अब श्री वैको बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को अनुमति दूंगा क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित सूचना दी है। कृपया एक-एक करके बोले। अब श्री वैको अपने विचार व्यक्त करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री वैको, श्री सत्यमूर्ति, डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी और श्री बालू को अनुमति दूंगा। कृपया एक-एक करके बोलिए।

श्री वैको बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, आपको भी मैं अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰ बालू (मद्रास दक्षिण) : मैंने उपयुक्त ढंग से एक सूचना दी है। मेरा नाम क्रम संख्या 2 पर है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान कावेरी नदी के जल के बंटवारे सम्बंधी विवाद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सपोर्ट विदड्रा करो।

डा॰ सुब्रहम्ण्यम स्वामी (मदुरै) : वह इनके हाथ में नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वैको : मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा।

25 जून, 1991 को कावेरी जल न्यायाधिकरण ने कार्यान्वित किए जाने के लिए एक अन्तरिम फैसला पारित किया था। तब से सात वर्ष का समय बीत चुका है। यह मामला भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के पास गया था...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एल॰ जालप्पा (चिकबलपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल है। मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : अध्यक्ष महोदय, इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती। कल यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाया जाने वाला है।

श्री वैको : 9 अप्रैल, 1997 को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के समक्ष यह मामला आया था और भारत के महान्यायवादी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि एक योजना की रूपरेखा तैयार करके उसे अन्तिम रूप देकर संसद के समक्ष रखा जायेगा। छह महीने बीत चुके हैं। अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया है। इसीलिए यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, कृपया अपने स्थान पर एक मिनट के लिए बैठ जाएं।

श्री जालप्पा, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : महोदय, कल यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह मामला न्यायाधीन है। इससे उच्चतम न्यायालय का फैसला प्रभावित हो सकता है। इस मामले की अनुमति नहीं दी जा सकती।

...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : महोदय, कल यह मामला उच्च न्यायालय में पेश होगा...*(व्यवधान)* इसीलिए अब यह न्यायाधीन है। इस मामले को यहां नहीं उठाने दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* यह कर्नाटक के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

श्री वैको : यह न्यायाधीन नहीं है। इस मामले पर यहां चर्चा होनी चाहिए। यह मामला संसद में उठाए जाने के लिए प्रासंगिक है ...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : मैं जानता हूं कि सुश्री जयललिता महोदया द्वारा धमकी दी गई है। वे सरकार को धमका रहे हैं ...*(व्यवधान)* इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको अपनी बात पूरी कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यह पूरी तरह अनियमित हैं।...*(व्यवधान)* उन्हें त्यागपत्र देकर चले जाना चाहिए...*(व्यवधान)* वे सरकार को हर छोटी-बड़ी बात पर धमकी दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री वैको : भारत के उच्चतम न्यायालय को महान्यायवादी ने वचन दिया था कि योजना विधिवत तैयार की जाएगी और संसद में रखी जाएगी...*(व्यवधान)* कर्नाटक सरकार सभी प्रकार के अवैध और असंवैधानिक तरीकों को अपनाकर...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : असम्भव। इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। वे हमें बर्बाद करना चाहते हैं। महोदय, उन्हें कर्नाटक से अधिकतम पानी मिल रहा है...*(व्यवधान)* यहां तक कि वे हमें इसे प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे रहे थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, कृपया अपनी बात अब पूरी करें।

...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे सरकार को हर छोटी-बड़ी बात पर धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं...*(व्यवधान)* ऐसे साझा दलों की अपेक्षा भाजपा सरकार को इस्तीफा देकर फिर से चुनाव कराना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री वैको : आज भारत सरकार को कृतक बल के समक्ष योजना अधिसूचित कर देनी चाहिए और इसे सभापटल पर रखा जाना चाहिए ...*(व्यवधान)* वकील उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होने जा रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय बातचीत और वार्तालाप के मामले के अन्तर्गत डा॰ करूणानिधि और श्री पटेल तमिलों को परेशान करने के कई संदिग्ध प्रयास कर चुके है...*(व्यवधान)* मैं आपसे यह कह रहा हूं...*(व्यवधान)* और ज्यादा बातचीत और विचार-विमर्श नहीं होना चाहिए...*(व्यवधान)* दो बार बातचीत हो चुकी है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.07 बजे

इस समय श्री आर॰एल॰ जालप्पा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, यह ठीक बात नहीं है। कृपया अपने स्थानों पर जाकर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : संयुक्त मोर्चे में, श्री बालू भी मंत्री थे...*(व्यवधान)* मैं सरकार से हमारे साथ न्याय करने का अनुरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जालप्पा और अन्य सदस्यगण कृपया अपने स्थानों पर चले जाएं। आप अपनी बात अपने स्थान से उठा सकते हैं। यह ठीक बात नहीं है।

अपराह्न 12.08 बजे

इस समय श्री आर॰एल॰ जालप्पा और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस लौट गए।

श्री वैको : महोदय हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारों की रक्षा हो। हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा की जाये। हम इस सरकार से न्याय चाहते हैं...*(व्यवधान)* श्री देवेगौड़ा और श्री गुजराल की पूर्ववर्त्ती सरकारों ने तमिल हितों को नुकसान पहुंचाया हैं। उन्होंने तमिलों के हितों के साथ विश्वासघात किया। पिछली सरकार, जिसमें श्री बालू मंत्री ने तमिलों के साथ विश्वासघात किया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको जो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : इसीलिए मैं जोर देकर भारत सरकार से यह अनुरोध और आग्रह करूंगा कि वह इस योजना को अधिसूचित करें और उसे संसद में प्रस्तुत करें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री वैको : आज ही इसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए और इसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री टी॰आर॰ बालू आपकी सूचना मेरे पास है। मैं आपको भी बाद में बोलने की अनुमति दूंगा। इसीलिए कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री आर॰ मुथैया (पेरियाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार द्वारा कावेरी जल मुद्दे पर पहले ही बनायी गई योजना को अधिसूचित करने की अत्यधिक आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं केरल के भी सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री आर॰ मुथैया : कावेरी जल विवाद अधिकरण के अन्तरिम आदेश को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा कावेरी जल मुद्दे पर सरकार द्वारा बनाई गई योजना को अधिसूचित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। 25.06.1991 को अन्तरिम आदेश का फैसला दे दिया गया था। तत्पश्चात् 10.12.1991 को केन्द्र सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था। राजपत्र में अधिसूचना के बावजूद भी तत्कालीन सरकार ने फैसले को कार्यान्वित करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। तत्पश्चात् कर्नाटक सरकार ने न्यायाधिकरण में अपना पक्ष रखा था परन्तु अधिकरण ने उनकी दलील को नामंजूर कर दिया था। इसके बाद, इस सम्बन्ध में कर्नाटक सरकार की दलील को उच्चतम न्यायालय ने भी रद्द कर दिया था।...*(व्यवधान)* जी हां, आपकी दलील रद्द कर दी गयी थी। इसके पश्चात् न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के सुझाव पर तत्कालीन सरकार ने अप्रैल, 1997 को 'कावेरी नदी प्राधिकरण' योजना नाम की योजना बनायी थी। फिर 30 सितम्बर 1997 को यह मामला उच्चतम न्यायालय में पेश हुआ था। तत्पश्चात् सरकार उच्चतम न्यायालय में मामले के आस्थगन के लिए गई थी। इसके पश्चात् संयुक्त मोर्चा सरकार जिसमें मेरे मित्र श्री बालू और अन्य मंत्री थे, ने मामले को स्थगित करने के लिए कहा, यह रिकार्ड में दर्ज है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.11 बजे

[**श्री पी॰एम॰ सईद** *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय : श्री बालू, श्री मुथैया के बाद आपको बोलने का अवसर मिलेगा। कृपया सारी बातें अभी मत बताइए।

श्री आर॰ मुथैया : उन्होंने पांच बार इस मामले के स्थगन के लिए उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था। संयुक्त मोर्चा सरकार के सहभागी अर्थात् डी.एम.के. और टी.एम.सी. ने तमिलनाडु के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। मुझे यह सब बातें सभा में रखनी हैं। इसके पश्चात् अब इसे कल उच्चतम न्यायालय के सम्मुख लाया जा रहा है। 11 नवम्बर, 1997 को भी महान्यायवादी ने मात्र छह सप्ताह का समय मांगा था। उन्होंने पिछले वर्ष दिसम्बर में ऐसा ही

कहा था। इन सब बातों के बाद भी पूर्ववर्ती सरकार ने और वर्तमान सरकार ने भारत सरकार द्वारा पहले ही तैयार की गई योजना को अधिसूचित करने में कोई रुचि नहीं ली। उच्चतम न्यायालय को जब तक मामले को स्थगित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह मामला तमिलनाडु में ज्वलन्त मामला बना है। तमिलनाडु की जनता हमसे पूछ रही है कि लोक सभा में राज्य के 40 सदस्य किस लिए हैं यदि वे कुछ भी नहीं करते हैं, कम से कम अधिसूचना जारी तो करवायें। पूर्ववर्ती सरकार ने पहले ही तमिलनाडु की जनता के साथ धोखा किया है, वर्तमान सरकार को आज ही इस योजना को अधिसूचित कर तमिलनाडु राज्य की जनता के साथ न्याय करना होगा, अन्यथा हम कल के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, तमिलनाडु की जनता के लिए यह एक ज्वलन्त मामला है, मुझे केन्द्रीय सरकार को चेतावनी देनी है कि कम से कम राज्य के साथ न्याय करें।

आज महत्वपूर्ण दिन है। कृपया योजना को अधिसूचित कीजिए और उसे कल उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखें और तमिलनाडु राज्य के साथ न्याय कीजिए।

श्री टी•आर• बालू : सभापति महोदय, भारत के उच्चतम न्यायालय ने कल के लिए कावेरी विवाद अधिकरण पंचाट से संबंधित मुद्दों की एक सूची बनाई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 16.07.1998 को सरकार से यह आग्रह करते हुए एक फैक्स संदेश भेजा कि उच्चतम न्यायालय से मामले को और स्थगित करने के लिए न कहा जाए। मैं उनके पत्र की एक पंक्ति उद्‌धृत करता हूं :-

> "मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले को और स्थगित कराए बिना भारत सरकार द्वारा अपने पहले की वचनबद्धता का अनुपालन करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष 21 जुलाई, 1998 को महान्यायवादी को रिपोर्ट देने के लिए अनुदेश दें।"

हम कल सुनवाई के लिए निर्धारित मामले के संबंध में भारत सरकार द्वारा महान्यायवादी को दिए गए निर्देश के बारे में सही-सही जानना चाहते हैं। तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु की करोड़ों जनता केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण के प्रति अत्यधिक आंशकित है। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि कल के मामले के लिए महान्यायवादी को सही-सही क्या निर्देश दिए गए हैं।*(व्यवधान)* इस सबंध में मैं सरकार से उत्तर चाहता हूं। मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। सरकार का दृष्टिकोण उत्साहहीन है।

अन्नाद्रमुक और एमडीएमके सरकार के हिस्से हैं...*(व्यवधान)*। वे दिखावटी आंसू बहा रहे हैं; इसीलिए सरकार आगे नहीं आ रही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, जो आप कहना चाहते थे वह आप पहले ही कह चुके हैं।

श्री टी•आर• बालू : हम सरकार के इस दृष्टिकोण के विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 12.16 बजे

इस समय श्री टी•आर• बालू और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

डा• सुब्रहमण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, मैं श्री मुथैया द्वारा की गई बात को नहीं दोहराऊंगा। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। वह छोटी सी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया है और श्री वाजपेयी की सरकार पहले ही दो बार मामले को स्थगित करवा चुकी है पहली बार 30 मार्च को और दूसरी बार अप्रैल में। अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी। इसलिए यदि उन्हें किसी प्रकार की शंका नहीं है या वे पूर्णतः नपुंसक (अशक्त) नही हैं तो उन्हें यहां एक रुख अख्तियार करना चाहिए कि वे कल क्या करने जा रहे हैं, वे मामले को स्थगित नहीं करवा सकते हैं, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जिससे इन राज्यों के किसान का जीवन जुड़ा है। जब उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है तो सरकार के पास यह कहने का साहस होना चाहिए कि वह इसे लागू करने जा रही है या यदि यह इसे लागू नहीं करती तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। किंतु उसे अनिश्चय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए और एक बार पुनः मामले को स्थगित करने के लिए नहीं कहना चाहिए ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, डा• सुब्रहमण्यम स्वामी ने 'नपुंसक' शब्द का प्रयोग किया है...*(व्यवधान)* यह उनके लिए सामान्य बात हो सकती है क्योंकि वे भी नपुंसक रहे हैं।

सभापति महोदय : क्या मैं डा• स्वामी से स्पष्टीकरण मांग सकता हूं? आपने सही-सही किस शब्द का प्रयोग किया है?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मोहन सिंह मुझे इसे समझने दें।

डा• सुब्रहमण्यम स्वामी : मैंने यह कहने के लिए एक संसदीय शब्द का प्रयोग किया है कि वे 'शक्तिहीन हैं' जिसका तात्पर्य 'नपुंसक' होता है। मैंने इसका प्रयोग 'वियाग्रा' के अर्थ में नहीं किया है।

श्री राम नाईक : मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री आर•एल• जालप्पा : क्या यह डा• स्वामी की राय है या उनके नेता की?...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : आप कृपया इसकी जांच करें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे माननीय मंत्री की बात सुनने दें।

श्री राम नाईक : माननीय सदस्य डा• स्वामी में इतनी भी शिष्टता नहीं कि वे 'माननीय प्रधानमंत्री' कहें; उन्होंने 'वाजपेयी', इसलिए मेरा मानना है कि जिस तरीके से वे सभा में बोल रहे हैं वह

संसदीय तरीका नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो उन्होंने कहा उसकी जांच की जाए...(*व्यवधान*)

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : *क्या यह उनकी राय है? क्या यह डा॰ स्वामी की राय है या उनके नेता की?*

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदय, द्रमुक पिछले दो सालों से सरकार का हिस्सा थी।...(*व्यवधान*) क्या तब संयुक्त मोर्चा सरकार में वे भी नपुंसक थे?

श्री राम नाईक : माननीय सदस्य स्वयं *...

डा॰ सुब्रहम्ण्यम स्वामी : द्रमुक भारत में सबसे अधिक नपुंसक पार्टी है। वह भारत के तमिलों की कभी भी रक्षा नहीं कर सकती है। ...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : महोदय, हम 'इंपोटट' शब्द का मतलब समझते हैं। हम इसे जानते हैं। उन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया है। 'इंपोटेंट' का तात्पर्य है

[हिन्दी]

जो नंपुसक है। नंपुसक के मायने...(*व्यवधान*) हिन्दी भाषा जानने वाले लोग जानते होंगे कि नपुंसक का मतलब हीजड़ा होता है। हम किसी को बोल नहीं रहे हैं। आप व्याख्या कर दीजिए।...(*व्यवधान*) हम इस बात को जानते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदनलाल खुराना): आप नहीं हैं, हम जानते हैं। आपके नौ बच्चे हैं, हमें मालूम है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने किस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है। यदि यह असंसदीय है तौ मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

...(*व्यवधान*)

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : यदि यह उनके नेता की राय है तो फिर आप उसे कार्यवाही वृत्तान्त से क्यों निकालते हैं?...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : यदि कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग करता है तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

...(*व्यवधान*)

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कोवेरी मुद्दा आज या कल की समस्या नहीं है। यह समस्या विगत 100 सालों से है...(*व्यवधान*)

श्री ए॰सी॰ जोस (मुकुन्दपुरम) : महोदय, इस मुद्दे से केरल राज्य भी जुड़ा है...(*व्यवधान*)

श्री आर॰ मुथैया : यह समस्या 1974 से है। वे सभा को गुमराह कर रहे हैं...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : श्री मुथैया, आपकी बात को धैर्यपूर्वक सुना गया। माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने दें।

...(*व्यवधान*)

श्री आर॰ मुथैया : यह समस्या विगत 100 सालों से नहीं चली आ रही है। वे सभा को गुमराह कर रहे हैं...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : डा॰ सुब्रहम्ण्यम स्वामी द्वारा प्रयोग किए गए शब्द के संबंध में मैंने पहले ही विनिर्णय दे दिया है। यदि यह असंसदीय है तो हम इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल देंगे।

...(*व्यवधान*)

डा॰ सुब्रहम्ण्यम स्वामी : मैं कह रहा हूं उन्हें उत्तर देना होगा अन्यथा उन्हें बाद में परिणाम भुगतने होंगे...(*व्यवधान*) परिणाम विनाशक होंगे...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मुझे श्री जालप्पा की बात सुनने दें।

...(*व्यवधान*)

श्री वैको (शिवकाशी) : उन्होंने तथ्य को तोड़ा-मरोड़ा है। यह मुद्दा 100 सालों से नहीं चला आ रहा है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : श्री वैको, मुझे श्री जालप्पा की बात सुनने दें। यह शून्यकाल है। आपने अपनी बात कह दी है। आप उन्हें बोलने से नहीं रोक सकते हैं।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री वी॰ सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : महोदय, मैंने शून्यकाल के लिए सूचना दी है। मुझे अनुमति भी मिली है...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : श्री सत्यमूर्ति मैंने आप सभी लोगों की बात सुनी है। माननीय सदस्य की बात भी सुनी जानी चाहिए। आप उन्हें कैसे वंचित कर सकते हैं?

श्री वी॰ सत्यमूर्ति : हम सरकार का उत्तर जानना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कुछ अन्य माननीय सदस्य हमारे बोलने में व्यवधान पैदा करें...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : श्री सत्यमूर्ति, मैं बोल रहा हूं। क्या आप बैठ सकते हैं? अभी डा॰ सुब्रहम्ण्यम स्वामी ने एक शब्द का प्रयोग किया है जिस पर अनेक सदस्यों ने आपत्ति की है। उसके बारे में मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

...(*व्यवधान*)

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें। आखिर वे भी इस सभा के माननीय सदस्य हैं। उन्हें भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप उन्हें वंचित नहीं कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

डा॰ सुब्रहमण्यम स्वामी : माननीय वाजपेयी जी की सरकार कर्नाटक की भाषा बोल रही है इसलिए वे क्यों बोलेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : महोदय, वे मेरी भाषा नहीं बोल रहे हैं...*(व्यवधान)* मैं श्री वाजपेयी की सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूं। यह लोग ही इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। यदि वे पूरी बात सुनें तो वे उनके शब्द होंगे, मेरे नहीं। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि 25.6.1992 को कावेरी न्यायाधिकरण ने एक निर्णय लिया था कि कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु को 205 टी.एम.सी. पानी देना होगा। एक भाग यह है। दूसरा भाग समय सारिणी के सम्बन्ध में है, जोकि यह है कि कर्नाटक सरकार को पहले सप्ताह में इतना पानी छोड़ना चाहिए, दूसरे सप्ताह में इतना पानी छोड़ना चाहिए, इतना पानी जून में और इतना पानी जुलाई में छोड़ना चाहिए। इस प्रकार न्यायाधिकरण चाहता है कि कर्नाटक सरकार अपने किसानों की कीमत पर तमिलनाडु को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जलाशय का कार्य करे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मुझे उनकी बात सुनने दें।

...*(व्यवधान)*

डा॰ सुब्रहमण्यम स्वामी : सरकार का क्या दृष्टिकोण है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह एक अत्यधिक गम्भीर और भावनाओं से जुड़ा मामला है। श्री वैको और अन्य सदस्यगण आप सब अपनी पार्टियों के नेता हैं और आपको नेताओं जैसा आचरण करना चाहिए। आप अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वह अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आखिरकार यह देश की कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उन्हें कहने दीजिए जो वह कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दीजिए; आप कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, वे पंचाट के नियमों और विनियमों का सम्मान नहीं करते हैं। वे न्यायाधिकरण के निर्णय का पालन नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰ बालू : महोदय, ये पंचाट के उद्देश्यों पर ही दोषारोपण कर रहे हैं और इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में से निकाल दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, आप अपनी बात रख चुके हैं और उसे सबने सुना है। उन्हें भी अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰ बालू : ये पंचाट के उद्देश्यों पर ही दोषारोपण कर रहे हैं और यह बात ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰ बालू : मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं। वे न्यायाधिकरण के निर्णय पर ही प्रश्न चिह्न लगा रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री वैको : वे न्यायपालिका के खिलाफ बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे जो कुछ भी कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिए बिना ही आपने यह निष्कर्ष कैसे निकाल लिया?

...*(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰ बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय उनकी टिप्पणी न्यायाधिकरण के कार्यकरण के सम्बन्ध में ही थी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : चाहे जो कुछ भी हो, वे कह सकते हैं और आप उसे रोक नहीं सकते। यह आपकी मर्जी पर निर्भर नहीं है कि वे क्या बोलेंगे। कृपया ऐसा मत कीजिए। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰ बालू : महोदय वे इसकी चर्चा नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उन्हें बोलने से रोक नहीं सकते। यह अच्छी बात नहीं है। कृपया उन्हें टोकिए मत।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, हम हमारे जन्मसिद्ध अधिकार पर समझौता नहीं कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको, आपने अपने विचार व्यक्त किए। कर्नाटक के माननीय सदस्यगण भी अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। कृपया व्यवधान मत डालिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं। कृपया व्यवधान मत डालिए। यह कोई तरीका न हुआ। उन्हें ऐसे टोकिए मत।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : यदि वे न्यायाधिकरण के विरुद्ध कुछ कहते हैं तो मैं उनको अवश्य टोकूंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको, यदि वे नियमों के अनुसार ही बोलते हैं तो मैं उनको बोलने का अवसर दूंगा यदि वे किसी असंसदीय शब्द या कुछ आपत्तिजनक बात कहते हैं तो मैं उनको अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, मैं अध्यक्षपीठ का सम्मान करता हूं; परन्तु उन्हें न्यायाधिकरण के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको, यह कोई तरीका न हुआ। श्री मुथैया, मैंने श्री जालप्पा को बोलने की अनुमति दी है। कृपया मुझे आपका नाम लेने के लिए बाध्य न करें। आप सभा के एक राजनीतिक दल के नेता हैं। मैंने श्री जालप्पा को बोलने की अनुमति दी है उनकी बात सुनने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : परन्तु उन्हें न्यायपालिका या न्यायाधिकरण के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने स्वयं कहा था कि यह न्यायाधीन है तो फिर वो कैसे इस विषय पर बोल सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि कोई बात आपत्तिजनक हो तो मैं उस पर निर्णय लूंगा। यहां पर सभा के कार्यसंचालन के लिए मैं हूं आप नहीं। कृपया ऐसा ने करें।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : मैं अध्यक्षपीठ का सम्मान करता हूं और उसके सभी निर्देशों का पालन करता हूं। परन्तु उन्हें सभा को गुमराह नहीं करना चाहिए...*(व्यवधान)*

डा॰ सुब्रहम्ण्यम स्वामी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)* महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

...*(व्यवधान)*

डा॰ सुब्रहम्ण्यम स्वामी : महोदय संसदीय कार्य प्रक्रिया अनुसार यह कभी भी उठाया जा सकता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे व्यवस्था के प्रश्न को सुनना होगा। श्री स्वामी, आप किस नियम के अन्तर्गत अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

डा॰ सुब्रहम्ण्यम स्वामी : मैं नियम 41 का उल्लेख कर रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया पढ़िए।

डा॰ सुब्रहम्ण्यम स्वामी : पृष्ठ 20 पर यह उप-नियम (xxiii) है। मामला यह है। वे पूछ सकते हैं कि सरकार का क्या मत है। वे उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस पर टिप्पणी कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उनके द्वारा एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है।

डा॰ सुब्रहम्ण्यम स्वामी : महोदय वे व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है नहीं जानते हैं। वे केवल अव्यवस्था पैदा करना जानते हैं। वे अव्यवस्थित हैं। पूरी सरकार अव्यवस्थित है। उन्हें सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है परन्तु वे उच्चतम न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ धनंजय कुमार : महोदय, 'शून्य काल' में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता ...*(व्यवधान)*

डा॰ सुब्रहम्ण्यम स्वामी : आप केवल आर.एस.एस. के संविधान को पढ़ रहे हैं। आर.एस.एस. में किसी प्रकार को के नियम नहीं होते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या मैं अपना विनिर्णय दे सकता हूं? मैं पृष्ठ 20 को पढ़ लिया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे विनिर्णय देने दीजिए। उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ धनंजय कुमार (मंगलौर) : जो उन्होंने कहा है उसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

सभापति महोदय : चूंकि मैंने उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है अतः मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूं।

श्री वी॰ धनंजय कुमार : सभा की परम्परा रही है कि "शून्य काल" के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है। डा॰ स्वामी इसे अच्छी तरह जानते हैं। वे कावेरी जल प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते हैं। वे केवल तकनीकी बारिकियों में रुचि लेते हैं।

डा॰ सुब्रहम्ण्यम स्वामी : महोदय, वे एक नए सदस्य हैं।

सभापति महोदय : नही, वे नए सदस्य नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ धनजय कुमार : मैं भी आप ही जितना पुराना सदस्य हूं। आप केवल तकनीकी बारीकियों में रुचि रखते हैं,.महोदय, वे कावेरी जल प्राप्त करने में रुचि नहीं रखते हैं।

सभापति महोदय : श्री धनंजय कुमार, अब मैं आपको अपने स्थान पर बैठने के लिए कहता हूं। मुझे उनसे बात करने दें।

श्री वी॰ धनंजय कुमार : महोदय, उन्होंने पहले ही अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अब हमारी बात सुनी जानी चाहिए। आपके विनिर्णय से पूर्व हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपका नाम पुकारूंगा। श्री जालप्पा के बोलने के बाद आपका नाम पुकारा जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब श्री जालप्पा ने अधिकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है अतः व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता है।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : उन्होंने अधिकरण के बारे में टिप्पणी की है ...*(व्यवधान)*

श्री आर॰ मुथैया : उन्होंने अधिकरण और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लेख किया है...*(व्यवधान)*

श्री वैको : कर्नाटक सरकार का कानून के प्रति कोई आदर नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कर्नाटक सरकार के बारे में यह बात कही है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जहां तक मैं समझता हूं मैंने उनकी बात सुनी है। मैं उनकी बात भी सुन रहा था।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए, वे केवल इतिहास का वर्णन कर रहे थे न कि तथ्यों का, जो कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया गया है उसका उल्लेख किया जा सकता है।

मैं आपको बता दूं और हम सभी जानते हैं कि किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित कोई भी मामला न्यायाधीन होता है और यहां उसका उल्लेख नहीं किया जाएगा हर कोई इसे जानता है। वे एक वरिष्ठ सदस्य हैं। जहां तक मैं समझता हूं मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। इसलिए भी श्री जालप्पा इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना निवेदन करें और अपनी बात समाप्त करें।

श्री सी॰पी॰एम॰ गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : हम यहां उसी बात की वकालत कर रहे हैं जिसकी वकालत हम उच्चतम न्यायालय के समक्ष कर रहे हैं। वे इस मामले के इतिहास का वर्णन मात्र कर रहे थे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

सभापति महोदय : क्या पाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरा व्यवस्थसा का सवाल यह है कि यह बहस कर्नाटक और तमिलनाडु में चल रही है। हमारी राय है कि कावेरी मामले को लेकर यह सरकार...*(व्यवधान)* मेरी बात सुन तो लीजिये। मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि...*(व्यवधान)* जालप्पा साहब आप भी धीरज रखिये और आप भी धीरज रखिये। यह मामला नहीं होता तो आप सरकार से विदड्रा कीजिये। हम सब मिलकर पंचायत करवा देंगे।

श्री वी॰ धनंजय कुमार (मंगलौर) : आप क्या जानें कावेरी का मामला?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वी॰ धनंजय कुमार, कृपया बैठ जाइए। अब श्री जालप्पा बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सी॰एच॰ विजयशंकर (मैसूर) : हमने आपसे मौका मांगा है, हमें नहीं दिया। क्या हमारे लिए अधिकार नहीं हैं? आप हमें मौका दें।

सभापति महोदय : आपको भी मौका मिलेगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं बोल रहा हूं। अब हम श्री जालप्पा की बात सुनें।

डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे उच्चतम न्यायालय की आलोचना नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय : हां, वे ऐसा नहीं करेंगे।

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : कर्नाटक और तमिलनाडु पड़ौसी राज्य हैं। अब तक हम भाईचारे से रह रहे थे। 1991 में, जब यह निर्णय आया वहां अव्यवस्था फैल गई। करोड़ों रुपये की संपति नष्ट हो गई। कई जानें चली गई...*(व्यवधान)*

श्री वैको : हमारे लोग मारे गए थे।

सभापति महोदय : श्री वैको मैं आपको शांत रहने के लिए कहा रहा हूं। आप इस तरह से सभा की कार्यवाही नहीं चला सकते।

श्री वैको : महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दो।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, मै आपको इस तरह बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : इन सब बातों पर विचार करते हुए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान हो। जब श्री एस॰आर॰ बोम्मई सत्ता में थे तो श्री के॰ करूणानिधि और श्री बोम्मई के बीच एक समझ बनी थी कि उन्हें किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष जाने की आवश्यकता नहीं है। वे इस मामले को आपस में ही सुलझा देंगे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, श्री सत्यमूर्ति।

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : ये दो पार्टियां अर्थात द्रमुक और अन्नाद्रमुक अपना हिसाब चुकता करना चाहती हैं।

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं कि भारत सरकार क्या करे?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह कुछ की कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया आप बैठ जाइए।

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : 1991-92 में हमने तमिलनाडु की जनता के लिए 332 टी.एम.सी. पानी छोड़ा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको, उन्हें अपनी बात पूरी करने दो।

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : 1992-93 में हमने 367 टी.एम.सी. पानी छोड़ा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : 1993-94 में हमने 223 टी.एम.सी पानी छोड़ा...*(व्यवधान)* ये आंकड़े उनकी अपनी सरकार अर्थात तमिलनाडु सरकार के हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं...*(व्यवधान)* 1995-96 में हम अधिक पानी नहीं छोड़ सके।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं कि भारत सरकार क्या करे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह शून्य काल है।

...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि चारों मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएं और उसका निर्णय करें।

सभापति महोदय : यदि बिलकुल ठीक है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब श्री धनंजय कुमार बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने श्री धनंजय कुमार का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : महोदय, दूसरा, मैं इस सम्माननीय सभा को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, हम नहीं चाहते...*(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰ बालू : महोदय, वे*..भाजपा का समर्थन कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* वे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको जी और श्री बालू जी मैं खड़ा हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप बैठने की कृपा करेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, इन लोगों ने समझौता कर लिया है ...*(व्यवधान)* हम समझौता कभी नहीं करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : महोदय, मैंने सरकार से पहले ही यह अनुरोध किया है कि मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई जाए और इस मामले पर फैसला किया जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जालप्पा, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : जी हां, वे रोज ही यह धमकी देते रहे हैं कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, इसका इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री धनन्जय कुमार

...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री वैको : महोदय, हम वह न्याय चाहते हैं जो हमें इन वर्षों में नहीं मिला।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको, मैंने श्री धनंजय कुमार जी को बोलने के लिए बुला लिया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मुझे श्री धनंजय कुमार जी को बोलने का मौका देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, हम न्याय चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री धनंजय कुमार जी कर्नाटक से हैं। मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री ए॰सी॰ जोस : महोदय, केरल के सदस्यों की बात भी सुनिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जी हां, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : यह सरकार बुरी तरह असफल हो गई है...*(व्यवधान)* इन्हें सभा विघटित कर चुनाव करवाने दें।

श्री पी॰सी॰ थामस (मुवत्तुपुज़ा) : महोदय, केरल को कावेरी का जल लेने का अधिकार है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री थामस जी, मैंने पहले ही कहा है कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। अब मुझे कर्नाटक के सदस्य की बात सुनने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी॰सी॰ थामस : हम कावेरी के जल को राजनीति से गंदा नहीं करना चाहते।...*(व्यवधान)*

श्री वैको : इसमें कोई भी राजनीति नहीं खेल रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : आप लोग मौके का फायदा उठाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री वैको : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?...*(व्यवधान)* यह हमारा अधिकार है।...*(व्यवधान)* हम यहां कोई राजनीति करने नहीं आए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : कावेरी जल पर आपका एकाधिकार नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)* हम भी इस मामले में उतना ही चिन्तित हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ऐसा लगता है यहां किसी को बोलने की अनुमति नहीं है। श्री मुलापल्ली जी, क्या आप बैठने की कृपा करेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री पी॰सी॰ थामस : महोदय, हम भावुक नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सभी भावुक हैं। मुझे इसमें कोई अपवाद नहीं दिखता।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : यह हमारे राज्य का अधिकार है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप सभी भावुक हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं।

श्री पी॰सी॰ थामस : महोदय, हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री धनंजय कुमार, कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ धनंजय कुमार : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आखिर यह एक गंभीर और संवेदनशील मामला है। कृपया अपने आपको नियंत्रित रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, यह तमिलनाडु के भविष्य का फैसला करेगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या मैं अपने मित्र श्री वैको से बैठ जाने का अनुरोध कर सकता हूं? यह दोनों राज्यों और अन्य राज्यों के लिए भी एक संवेदनशील मामला है। आप जो कुछ कहना चाहते थे वह आप कह चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, हम प्रभावित लोग हैं।...*(व्यवधान)* हम वो लोग हैं जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या आप चाहते हैं सदन ठीक से चले या नहीं?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब, मैंने बोलने के लिए धनंजय कुमार का नाम पुकारा है।

श्री कुमार, कृपया सभी विवादास्पद मामलों को छोड़ दें।

...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ धनंजय कुमार : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा॰ शकील अहमद (मधुबनी) : हम लोगों के नोटिस का क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको समय कैसे मिलेगा? अभी एक विषय ही खत्म नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

श्री धनंजय कुमार : सभापति महोदय, सबसे पहले मुझे श्री वैको, डा॰ स्वामी, श्री मुथैया और तमिलनाडु के अन्य मित्रों को यह आश्वासन देना है कि इस समय हम तमिलनाडु के अधिकारों के विरुद्ध नहीं हैं। उन्हें इस बात से आश्वस्त होना चाहिए। हम उनके समुचित हिस्सेदारी से कभी इन्कार नहीं करेंगे। जब मैं कहता हूं 'हम' तो मेरा आश्रय कर्नाटक सरकार से है। मैं उन्हें आश्वासन दे रहा हूं। उन्हें इस तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

डा॰ सुब्रहम्ण्यम स्वामी : क्या आप भाजपा की ओर से बोल रहे हैं?

श्री वी॰ धनंजय कुमार : जी हां, भाजपा भी उनके हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। तमिलनाडु के लोगों को उनका समुचित हिस्सा मिलेगा। हम इससे इन्कार नहीं कर रहे हैं। आज हम सब विशेष मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कावेरी जल के बंटवारे पर काफी पुराना विवाद चला आ रहा है।...*(व्यवधान)* मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आप इस तरह हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम फैसला दिया है जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि कर्नाटक प्रतिवर्ष तमिलनाडु को 205 टी.एस.सी. जल देना सुनिश्चित करे। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है...*(व्यवधान)* आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? इतिहास गवाह है कि न्यायाधिकरण द्वारा अंतरिम घोषणा दिए जाने वाले दिन से ही अर्थात 1991-92 से 1997-98 तक प्रति वर्ष कर्नाटक ने यह सुनिश्चित किया है कि वहां से 205 टी.एम.सी. से अधिक जल छोड़ा जाता है।...*(व्यवधान)*

श्री वैको : तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश किया जा रहा है वे सभा को गुमराह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ धनंजय कुमार : ये तथ्य हैं। वे इस पर विवाद नहीं कर सकते। वे तकनीकी बातों पर जा रहे हैं। उनकी रुचि केवल विवाद में है। पानी लेने में उनकी रुचि नहीं है। इन लोगों के साथ यही समस्या है। वह छोड़े जा रहे पानी को नहीं लेना चाहते। मुझे यह कहते हुए काफी दुःख हो रहा है।...*(व्यवधान)* श्री वैको को यह समझना चाहिए कि संसदीय शिष्टाचार में यह आवश्यक है कि जब कोई सदस्य अपना मामला प्रस्तुत कर चुका होता है तो उसे अन्य सदस्यों की बात भी सुननी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

श्री वी॰ धनंजय कुमार : हमने उनकी बात सुनी और संसदीय शिष्टाचार की यह मांग है कि उन्हें भी दूसरों को अपनी बात कहने का अवसर देना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह आवश्यक नहीं है कि आप हर सैकेण्ड के बाद खड़े हो जाएं। दूसरों को भी कुछ कहने का मौका दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ धनंजय कुमार : महोदय, उन्हें मेरी बात धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए। वे इस प्रकार हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको मेरी सहायता करनी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री धनंजय कुमार, आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : वो सभा को गुमराह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ धनंजय कुमार : सभापति महोदय, आपको मेरा बचाव करना चाहिए।

सभापति महोदय : आप मुझे सभा का संचालन नहीं करने दे रहे हैं। हर पल आप खड़े हो जाते हैं और कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। यह मेरी कठिनाई है। ऐसे में मैं सभा का कार्य संचालन किस प्रकार कर सकता हूं? मैं समझता हूं कोई भी ऐसे सभा का कार्य संचालन नहीं कर सकता है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : आप इस पर विशेष चर्चा की अनुमति दे सकते हैं। अन्य कई सदस्य हैं जो कतिपय महत्वपूर्ण तथ्यों को उठाना चाहते हैं। यदि आप सब सहमत हैं, आप इस पर विशेष चर्चा की अनुमति दे सकते हैं।

श्री वी॰ धनंजय कुमार : महोदय, सच बात तो सच है। इसीलिए श्री वैको, श्री मुथैया या डा॰ स्वामी यह कह रहे हैं कि दिन रात नहीं बन सकता और रात दिन नहीं बन सकती है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री वी॰ धनंजय कुमार : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। कितना भी शोरगुल उनकी मदद नहीं कर सकता...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं श्री धनंजय कुमार से कह रहा हूं आपसे नहीं। आप जो कुछ कहना चाहते थे कह चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मुख्य बात बताइए। आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री वी॰ धनंजय कुमार : वे चाहते हैं कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए और यह मत कहिए कि वे क्या चाहते हैं।

श्री वी॰ धनंजय कुमार : महोदय, जब तक मैं यह नहीं स्पष्ट करूंगा कि वे क्या चाहते हैं तब तक मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री वी॰ धनंजय कुमार : श्री बालू, जब आप सत्ता में थे तब आपने तमिलनाडु के लोग आपने**। मैंने तमिलनाडु के लोगों को कभी धोखा नहीं दिया है। आज आपको तमिलनाडु के लोगों के पक्ष में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है...*(व्यवधान)* महोदय मैं, चाहता हूं भारत सरकार अधिकरण के अन्तरिम आदेश को कार्यान्वित करने के लिए एक योजना बनाए। मैं कहता हूं कि हमेशा से कर्नाटक अधिकरण के अन्तरिम आदेश का ईमानदारी से पालन करता रहा है। यह बात सच है कि योजना नहीं बनाई गई। 24 घंटों के भीतर कुछ भी नहीं होने वाला है...*(व्यवधान)*

श्री वैको : सोलह महीने पहले ही बीत चुके हैं। और अधिक देरी नहीं हो सकती...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ धनंजय कुमार : श्री वैको, डा॰ स्वामी और श्री मुथैया इस सरकार द्वारा बनाए गए 'शासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची' में भागीदार रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰ बालू : शर्म करो! शर्म!!

श्री वी॰ धनंजय कुमार : आप अब क्यों चिल्ला रहे हैं?

श्री वैको : महोदय, ये तो डा॰ करूणानिधि, श्री बालू और उनकी पार्टी थी जिन्होंने** तमिलनाडु राज्य को।

श्री वी॰ धनंजय कुमार : महोदय, पूरी सभा और देश यह जानता है कि 'शासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह सरकार राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा करने वाली है। हमारी केवल यही प्रार्थना है' कि नदी के जल सम्बन्धी नीति को पहले घोषित किया जाये। तभी यह फैसला कार्यान्वित किया जा सकता है। तभी इस पूरे मामले को निपटाया जा सकता है।

श्री वैको : यह विलम्ब करने और फिर से हमारे साथ विश्वासघात करने का तरीका है।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री वी॰ धनंजय कुमार : महोदय, श्री वैको अच्छी तरह जानते हैं कि एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है।

श्री वैको : सरकार को इसे आज ही अधिसूचित करना चाहिए।

श्री वी॰ धनंजय कुमार : महोदय, हमारी भी मांग रखी गई है और उनकी मांग भी रखी गई है। अन्ततः इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाना चाहिए। हम प्रधानमंत्री से इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक को बुलाने का अनुरोध करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर इस मामले को सौहार्दपूर्वक निपटाया जाना चाहिए।

श्री वैको : मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वह उक्त फैसले को अधिसूचित न करने की भंयकर भूल न करे।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : सभापति महोदय, कावेरी जल विवाद एक संवेदनशाली मुद्दा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर पर्याप्त गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि सम्भवतः आप लोग जानते होंगे कावेरी उत्तरी वायनाड के महनंतवाडी से होकर बहती है जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। इसीलिए यह मामला केवल कर्नाटक और तमिलनाडु का ही नहीं है। ये मामला देश के चारों दक्षिणी राज्यों से जुड़ा है। इसीलिए यह परिस्थितियों की मांग है कि विवाद पर चर्चा में केरल को भी सम्मिलित किया जाये ...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ सत्यमूर्ति : आप भी अधिकरण में जा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसमें आपत्तिजनक क्या है।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया उनके भाषण में व्यवधान पैदा मत कीजिए।

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप कृपया बैठ जायें। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : प्रतिक्रिया व्यक्त करने का यह सही तरीका नहीं है। उनके भाषण में गलत क्या है? हर किसी के भाषण में हस्तक्षेप करने के लिए आप खड़े हो जाते हैं। मैं ऐसी किसी भी बात की अनुमति नहीं दूंगा। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हर बात की सीमा होती है। आपका नाम सभापति तालिका में सम्मिलित है। आपको उचित आचरण करना

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहिए। मुझे ऐसा कहते हुए खेद होता है। क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे? मैं खड़ा हूं। उनके भाषण में गलत क्या है?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभा में ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसे कहते हुए खेद है। आपको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। उनके भाषण में कौन सी बात आपत्तिजनक है?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने यह कहा है, केवल यह दो राज्य नहीं, अपितु चारों राज्यों से यह मामला जुड़ा हुआ है। क्या इसमें कुछ गलत है? आचरण करने का यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी नहीं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह बात आप पर भी लागू होती है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : सभापति महोदय, इस मुद्दे पर निर्णय करते समय, यह मेरा विनम्र अनुरोध है कि चर्चा में केरल राज्य को शामिल किया जाए। समय-समय पर इस सरकार के समक्ष इस मुद्दे पर केरल सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। दुर्भाग्यवश, इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया और सरकार इन अभ्यावेदनों पर चुप्पी साधे बैठी है। यह परिस्थितियों की मांग है कि केरल राज्य को भी कोवरी जल विवाद सम्बन्धी चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए। अन्यथा यह मामला अधिक गम्भीर, जटिल हो जाएगा और इसका सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं किया जा सकेगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मल्लिकार्जुनय्या,

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : कोई चर्चा नहीं होगी।...*(व्यवधान)* चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री विजयशंकर : महोदय, मैं केवल यही कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* मैं मैसूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। सारा मुद्दा मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। यह अधिकरण किसी भी परिस्थिति में इस समस्या को हल नहीं कर सकता है* मुझे कहने का पूरा अधिकार है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ऐसा न करें। यह न्यायपालिका का मामला है। वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं कि अब भारत सरकार क्या करे?

श्री विजयशंकर : मैं सीधे मद्दे पर आता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने कार्यवाही वृत्तांत से निकालने का आदेश दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री के॰ विजयभास्कर रेड्डी (कुरनूल) : किसी न किसी को उत्तर देना ही चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए मंत्री होंगे।...*(व्यवधान)*

श्री विजयशंकर : सौभाग्य से इस बार अच्छी वर्षा हुई है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं कि भारत सरकार क्या करे?

श्री विजयशंकर : इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि तत्काल राष्ट्रीय जल नीति बनाई जानी चाहिए जिसके माध्यम से समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, अन्य कोई रास्ता नहीं है और इसे तत्काल किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री वैको : इसे आज ही अधिसूचित किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, इसके पहले कि मैं सरकार के बारे में बताऊं, हमारे माननीय मुलायम सिंह जी और बालू जी ने यहां कहा कि ए.डी.एम.के. शेम।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : मैंने नहीं कहा। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : हां, आपने नहीं कहा।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : आपने अभी मेरा नाम लिया है।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मैंने बालू जी के बारे में कहा है। ...*(व्यवधान)* आपके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)* मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि अंगूर खट्टे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 1.00 बजे

श्री टी॰आर॰ बालू : उन्हें सभा में हमें कोई कहानी नहीं सुनानी चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जहां तक मैं समझता हूं यह असंसदीय नहीं है। मैं उन्हें यह कहने की अनुमति देता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : बालू जी को सुनने की सहनशक्ति भी होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी॰आर॰ बालू : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के अधीन?

श्री टी॰आर॰ बालू : उन्हें हमें शून्यकाल के दौरान कोई कहानी नहीं बतानी चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं श्री मुलायम सिंह के बारे में कहना चाहता हूं, जैसा इन्होंने कहा, आज विदड्रा करो, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लोमड़ी और अंगूर की कहानी आपके ऊपर फिट बैठती है। मैं बालू जी से कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी॰आर॰ बालू : वे आज समर्थन वापस ले रहे हैं ...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री खुराना के भाषण के अलावा यहां कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह मामला पिछले सात साल से चल रहा है और अप्रैल 1997 में अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को रिटन अंडरस्टैडिंग दी थी कि हम पौजीटिव चीज लेकर आएंगे। ...*(व्यवधान)* बालू जी, आप पिछली सरकार में मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह जी, आप भी पिछली सरकार में मिनिस्टर थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी॰आर॰ बालू : सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? ...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सुप्रीम कोर्ट में रिटन अंडरस्टैंडिंग के चलते ग्यारह महीने आपकी सरकार रही, आपने कुछ नहीं किया ...*(व्यवधान)* आप हमको शेम कहते हैं।...*(व्यवधान)* आपने अंडरस्टैंडिंग देने के बाद भी कुछ नहीं किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी॰आर॰ बालू : सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, क्या आप उन्हें बोलने देने की कृपया करेंगे?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले हम श्री खुराना की बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं बालू जी से कहना चाहता हूं कि केवल शेम कहने से काम नहीं चलेगा। यह मामला काफी सैन्सिटिव है।...*(व्यवधान)* कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट का मामला सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर संबंधित राज्यों की कोई आम राय नहीं बन पा रही है। मामला काफी सैन्सिटिव है : इस समय कुछ कहना सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस समय कुछ भी डैफिनेट ऐश्योरैंस नहीं दी जा सकती। सदन की भावनाओं को मैं प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी॰आर॰ बालू : महोदय, हम मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। उसके विरोध में हम सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 1.04 बजे

इस समय श्री टी॰ आर॰ बालू और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

श्री वैको : महोदय, हम इस मांग को सदैव करते रहे हैं। हम इस विषय में समझौता नहीं करेंगे...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : वह मुद्दा अब समाप्त हो गया। हमने इस पर 45 मिनट लिए हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : सभापति जी, उत्तर प्रदेश में प्राईमरी व माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों ने 15 दिनों से हड़ताल कर रखी है।...*(व्यवधान)* वहां के प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षण संस्थान इस समय बंद हैं।...*(व्यवधान)* उत्तर प्रेदश के प्राईमरी व माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक 15 दिनों से हड़ताल पर हैं। प्रदेश की प्राईमरी और माध्यमिक शिक्षण संस्थाएं इस वक्त बन्द हैं। अभिभावक बच्चों के दाखिले के लिए इस समय पूरे प्रदेश में परेशान हैं। शासन ने नये वेतनमानों के शिक्षकों की मूलभूत सुविधाओं को खत्म कर दिया है, जबकि अन्य कर्मचारियों को सुविधाएं दी गई है। मैं प्रदेश के समस्त अध्यापकों के साथ जो असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, उसकी निन्दा करता हूं और केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राईमरी और माध्यमिक शिक्षक स्ट्राइक पर गये हैं, उनकी पहले की मूलभूत सुविधाओं को बहाल करते हुए तत्काल हड़ताल समाप्त की जाये और अध्ययन का कार्य शुरू कराया जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको : द्रमुक के सदस्य सभा के भवन से बाहर इसलिए नहीं गए क्योंकि प्रेस उन्हें देख रही है। उन्होंने कभी भी सभा से बहिर्गमन नहीं किया। वे यहां बैठे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपके पास पूरे 45 मिनट थे। आपने लगभग 50 मिनट ले लिए। अन्य सदस्यों के भी महत्वपूर्ण मामले हैं। श्री मुथैया कृपया सहयोग करें। आपने 50 मिनट ले लिए हैं। मेरे समक्ष अन्य मामले भी लम्बित पड़े हैं। मुझे कुछ अन्य सदस्यों के नाम भी पुकारने दो। अन्यथा, मैं उनके साथ अन्याय करूंगा। सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में इस समय प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षक 15 दिन से स्ट्राइक पर हैं, पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थाएं बन्द हैं, अभिभावक दर-दर बच्चों के दाखिले के लिए भटक रहे हैं, उनके बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा है। शासन ने नये वेतनमान में शिक्षकों को भी मूलभूत सुविधाएं थीं, उनको खत्म कर दिया है, इसलिए पूरे शिक्षक स्ट्राइक पर हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि अन्य कर्मचारियों की भांति जो भी सुविधाएं शिक्षकों को पहले दी जा रही थीं, उन्हें पहले जैसी सुविधा बहाल किया जाये तथा प्रदेश में तत्काल हड़ताल समाप्त कराके शिक्षण कार्य शुरू किए जाए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मि. चौबे, यहां ब्लाक करके क्या हो रहा है। आप बैठिये न।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यहां यह क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर पा रहा हूं, मुझे बोलने दिया जाये।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल स्ट्राइक खत्म करके शिक्षण संस्थाओं को खोला जाये, क्योंकि बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा॰ विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : एक अत्यन्त ही गम्भीर बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री शास्त्री, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मि. शास्त्री, आप यह क्या करते हैं? जब मैं बुलाऊंगा, तब बोलें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह आप क्या कर रहे हैं, यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि व्हीट इम्पोर्ट स्कैंडल के बारे में सी.बी.आई. से जांच कराई जायेगी। एक हजार करोड़ रुपये का घोटला हुआ, 100 करोड़ से ज्यादा की किकबैक ली गई, लेकिन उसकी सी.बी.आई. से इन्कवायरी अभी तक चालू नहीं की गई है। मैंने कल भी सी.बी.आई. के अधिकारियों से पता किया, उनका कहना है कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है, कोई आज्ञा अभी सी.बी. आई. को नहीं दी गई है कि व्हीट इम्पोर्ट स्कैंडल पर फिर से जांच की जाये।...*(व्यवधान)* अभी केन्द्र सरकार के माननीय मंत्री जी यहां पर हैं, ये बतायें, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, इसकी जांच आप सी.बी. आई. को क्यों नहीं दे रहे? इसको क्यों लटकाया गया है, किसानों के साथ इतनी ज्यादतियां करने वालो को आप क्यों बचाना चाहते हैं, सी.बी.आई. को केस क्यों नहीं दे रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, सदन के अन्दर प्रधान मंत्री जी के कहने पर आश्वासन दिया हुआ है।

श्री अजीत जोगी : यह पूरा नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय : आप बोलने दो, यह क्या है?

श्री मदन लाल खुराना : यह पिछली सरकार का स्कैंडल है, इसलिए हम उसको छिपाना नहीं चाहते और यह भी...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : हमको दाल में काला लगता है, आप छिपा रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अजीत जोगी, मंत्री जी को कहने दें। कृपया उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, मैंने आपसे कहा है कि इसी सदन में पिछले तीन सालों के अन्दर जितनी बार व्हीट आया है, जितना व्हीट इम्पोर्ट किया गया है, उस सब के बारे में सी.बी.आई. की जांच का आश्वासन इसी सदन में दिया गया है। इसलिए उससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। यह मामला किस स्टेज पर है, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं पता करके बता दूंगा।

श्री अजीत जोगी : तथ्यों को दबाया जा रहा है...*(व्यवधान)* हमारी जानकारी है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आपकी जानकारी अधूरी होती है।

सभापति महोदय : जोगी जी उन्होंने बोला है कि बताएंगे, आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : सभापति महोदय, इस मामले को उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। यह मामला अत्यन्त लोक महत्व और संवैधानिक महत्व का है।

कल सभी समाचार पत्रों में एक खबर छपी थी और प्रमुख टेलीविजन चेनलों पर भी यह खबर थी जिसमें केन्द्रीय शहरी कार्य और रोजगार मंत्री, श्री राम जेठमलानी द्वारा भारत के मुख्य-न्यायाधीश के बारे में एक बहुत ही आलोचनात्मक टिप्पणी की गई है।

मंत्री जी ने यह कहा है कि मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश एम.एम. पुंछी द्वारा नामित कुछ व्यक्ति इस कार्य के लिए सर्वोतम व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि, "मैं नाम नहीं बताना चाहता और नहीं मैं यह बताना चाहता हूं कि आरोप क्या हैं परन्तु यही कहना काफी है कि जिनका चुनाव किया जा रहा है वे सर्वोतम व्यक्ति नहीं हैं।" उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश ने चुना है और उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि...*

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

न्यायाधीशों की अकारण निन्दा करने वाले उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले जैसे आरोप लोगों के मन में न्यायालयों के प्रति विश्वसनीयता को कम कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि इस सरकार के मंत्रियों की यह समस्या है कि उनको विपक्ष में न रहने का अधिक अनुभव नहीं है। हमारा संविधान इस माननीय सभा पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह सम्माननीय सभा केवल विशेष महत्व के किसी प्रस्ताव को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के किसी आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती।...*(व्यवधान)*

जी हां, इसी को महत्वपूर्ण प्रस्ताव कहते हैं। हमारा संविधान इस सम्मानीय सभा, संसद पर प्रतिबंध लगाता है और किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने की अनुमति नहीं देता तथा केन्द्र सरकार के किसी मंत्री को जनता के बीच जाकर आलोचनात्मक और महत्वपूर्ण टिप्पणियां करने से रोकता है। वे कहते हैं कि...*

यह एक प्रतिबंध है; वे भारत के मुख्य न्यायाधीश के आचरण के बारे में ही टिप्पणियां नहीं कर रहे हैं। वे भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के आचरण और निष्ठा की प्रतिछवि भी दिखा रहे हैं। एक एक सुस्थापित नियम है- यह अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं और दो मिनट बोलूंगा। कि इस तरह की टिप्पणियां न्यायाधिशों के विरुद्ध ही नहीं होती, आम जनता के विरुद्ध भी होती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप लोगों में न्यायालयों के प्रति विश्वास में कमी आती है और ऐसा कोई भी प्रयास जिससे न्यायाधीशों या न्यायालयों के प्रति लोगों के मन में विश्वास की कमी आती हो वह न केवल प्रजातंत्र बल्कि संविधान के अस्तित्व और कानून व्यवस्था का भी तिरस्कार है।

संविधान का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि प्रधान मंत्री के कार्यालय को कल एक ऐसा वक्तव्य जारी करने का काम दिया गया था जिसमें वे उस वक्तव्य से अलग रहे जो माननीय मंत्री जी ने दिया था। परन्तु प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने बड़ी चतुराई से कहा है कि श्री राम जेठमलानी द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों के बारे जो टिप्पणियां की गई हैं वे अलग हो सकती हैं और यह कहा था कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार पर प्रश्न नहीं किया था। यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों या अधिकारों को चुनौती देने का प्रश्न नहीं है। मुझे जिस बात की आपत्ति है और मैं समझता हूं कि जिस पर इस माननीय सदन को भी आपत्ति होनी चाहिए कि न्यायाधीश की निष्ठा और उसके आचरण के संबंध में की गई टिप्पणियों द्वारा जब केन्द्र सरकार का कोई माननीय मंत्री कहता है कि...* उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और अधिकारों पर ही प्रश्न नहीं किया है। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करने की कोशिश की है। वे न्यायपालिका को कार्यपालिका के सामने झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नहीं सह पा रही है। मैं इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण समझता हूं। इस सभा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं पूरी गंभीरता के साथ ये कह रहा हूं कि संवैधानिक प्राधिकारियों के विरुद्ध अनुचित आरोपों को इस माननीय सभा द्वारा

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

नहीं लगाया जाना चाहिए और उजागर नहीं करना चाहिए क्योंकि वे प्राधिकारी परंपरागत रूप से इसका विरोध करने के लिए आजाद नहीं हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश केन्द्रीय मंत्री द्वारा कही गई बातों का विरोध नहीं कर सकता।

महोदय, मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इन बातों की यथासंभव गंभीरतापूर्वक निंदा करता हूं जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करने पर तुली हैं। दुर्भाग्यवश, केन्द्रीय मंत्री, जो एक विधिवेत्ता हैं, उस विवाद में शामिल थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश पुंछी की नियुक्ति के पूर्व संध्या पर शुरू हुआ था। अब वे एक केन्द्रीय मंत्री बन चुके हैं और वे अपने पद का पुराने घावों को भरने के लिए गलत प्रयोग कर रहे हैं। मैं यह चुका हूं कि उनके साथ समस्या यह है कि उन्हें विपक्ष में न रहने का अधिक अनुभव नहीं है।...(*व्यवधान*) मैं कह रहा हूं कि उनको सरकार में रहने का अधिक अनुभव नही है; मैं यही बताना चाहता हूं।

महोदय, कम से कम कार्यपालिका की इस शाखा को न्यायपालिका की स्वतंत्रता कम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री पी॰सी॰ चाक्को (इदुक्की) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए मुद्दे का समर्थन करता हूं। इसका एक अन्य पहलू भी है। मैंने इस मुद्दे से संबंधित एक नोटिस भी दिया है। इस मुद्दे के द्वारा यह बताया गया है कि माननीय मंत्री के लापरवाही भरे वक्तव्य से देश के उच्चतम न्यायालय की बुराई हो रही है।

देश के उच्चतम न्यायालय में पिछले कई महीनों से कई पद रिक्त पड़े हैं। वर्तमान मानदंडों के अनुसार जो इस देश का नियम है, सरकार के लिए मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशें स्वीकार करना आवश्यक है। परन्तु मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशें नहीं मानी जा रही हैं। मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि कार्यपालिका को इस मामले में अपनी बात नहीं कहनी चाहिए।

माननीय गृहमंत्री ने कहा था कि विधायी सुधार होने चाहिए। श्री राम जेठमलानी ने लापरवाही भरा वक्तव्य दिया है तो लगभग न्यायपालिका की अवमानना करता है। अगर सरकार का यही पक्ष है तो उन्हें सभा में आकर न्यायधीशों के चुनाव का अपना तरीका सुझाना चाहिए। परंतु आजकल ऐसा हो रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामों की सूची प्रस्तुत की जाती रही है।

संसद में एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार के समक्ष कोई फाइल लंबित पड़ी है। संसद में विधि मंत्री ने उत्तर दिया था कि सरकार के पास कोई भी फाइल लंबित नहीं पड़ी है। परंतु सच यह है कि सभा में यह प्रश्न पूछे जाने के 7, 8 और 9 तीन दिन बाद इस फाइल को बिना किसी टिप्पणी के वापिस भेज दिया गया जिससे देश में सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास की कुल कमी का पता लगता है। कुंठित वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ नामों का भी प्रस्ताव आया था। मैं यह नाम नहीं लेना चाहता। इस सरकार, विधि मंत्रालय और माननीय मंत्री का वक्तव्य पिछड़े वर्गों के तिरस्कार का सूचक है।

सिफारिश किए गए कुछ प्रमुख नाम बेकार से कारण बताकर वापस भेज दिए गए हैं और वे पूरी तरह अविश्वस्तरीय हैं। महोदय, उनकी समस्या है कि जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय भी ये लोग वहीं मुद्दा उठा रहे थे। अब वे सरकार में अपनी स्थिति का दुरूपयोग कर रहे हैं। भारत सरकार के मंत्रियों के रूप में वे अपने पदों का दुरूपयोग कर रहे है और वे न्यायपालिका से लड़ाई कर रहे हैं जो देश में न्यायपालिका की स्थिति को कमजोर कर रही है। उन्हें ठोस सुझाव प्रस्तुत करना चाहिए। महोदय, इस मामले पर मैं आपका निर्देश चाहता हूं। आपको इस सरकार को यह निर्देश देना चाहिए कि वह इस सभा को बताएं कि उच्चतम न्यायालय में रिक्त पदों को भरने के लिए वे क्या कार्यवाही करने वाले हैं। उन्होंने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है। इस न्यायालय में ही नहीं बल्कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय और देश के अन्य विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी पिछले कई महीनों से कई पद रिक्त पड़े हैं परन्तु इस सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है। यह उस प्रणाली की अवमानना है जो हमने स्वीकार की है। इसलिए आप सरकार को निर्देश दें कि वे इस सभा में अपना पक्ष स्पष्ट करें और देश में उच्चतम न्यायालय की जो लोक निन्दा की गई है उस छवि को सुधारा जाना चाहिए। महोदय, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को यह निर्देश दें कि इस मामले पर वे इस सभा में एक वक्तव्य दें।

सभापति महोदय : श्री रामविलास पासवान।

...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, कृपया मुझे इस मामले पर एक मिनट बोलने की अनुमति दें।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : इस संबंध में कई नाम आए हैं और यदि प्रत्येक सदस्य इस पर टिप्पणी करना चाहता है तो सूची में शामिल किए गए अन्य सभी मुद्दों पर पहले चर्चा होगी।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

सभापति महोदय : श्री आचार्य एक भी मिनट नहीं। मैं आपको बता दूं कि अनेक सदस्य हैं जो कि इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। सभी को अवसर देना बहुत कठिन है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में शहरी कार्य मंत्री द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य की निन्दा करते हैं।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : श्री आचार्य, सभा स्थगित करने से पहले हमें कुछ और सदस्यों के नाम बुलाने हैं। हम अपराह्न 1 बजकर 30 मिनट पर सभा स्थगित करने जा रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में एक मंत्री, मंत्रिमंडल का एक सदस्य ऐसा वक्तव्य कैसे दे सकता है? यह बहुत असंवैधानिक है तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को

बदनाम करना है। यहां न्यायिक आयोग के लिए एक मांग रखी गई है जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य करेगा। सरकार न्यायिक आयोग के गठन के लिए एक विधेयक प्रस्तुत क्यों नहीं करती है ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति उस आयोग द्वारा की जा सके और रिक्तियां को भरा जा सके?

श्री जार्ज ईडन (इरनाकुलन) : महोदय, मैं एक नया सदस्य हूं और केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे अब तक बोलने का अवसर नहीं दिया गया है। मैने तीन बार नोटिस दिया है लेकिन दुर्भाग्यवश इससे पहले मुझे कभी अवसर नहीं मिला। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस बार बोलने का अवसर दिया।

मैं केरल राज्य और कोचीन बन्दरगाह के संबंध एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। कोचीन बन्दरगाह सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस एक प्राकृतिक बन्दरगाह है। अन्तर्राष्ट्रीय शिपिंग चैनल से यह बहुत समीप है। कोचीन बन्दरगाह की कोचीन के समीप वलारपादम पर प्रस्तावित कंटेनर टर्मिनल स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त बन्दरगाह के रूप में सिफारिश की गई है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि कुछ निहित स्वार्थी इस वलारपादम कंटेनर टर्मिनल को तमिलनाडु में तूतीकोरिन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। श्री फ्रैड्रिक हैरिस, जो कि डच विशेषज्ञ हैं, ने इस मामले का गहन अध्ययन किया है और कोचीन बन्दरगाह की इस कंटेनर टर्मिनल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त बन्दरगाह के रूप में सिफारिश की है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय' से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में मध्यस्थता करें और इस कंटेनर टर्मिनल को वलारपादम में ही स्थापित करें।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : चेयरमैन सर, हमारे प्रदेश में बारिश के कारण भंयकर बाढ़ आई हुए है। हिमाचल और जम्मू-कश्मीर की बारिश का पानी पंजाब के पटियाला, संगरूर और मानसा जिलों में भर गया है जिससे फसलें तबाह हो गयी है, मकान ढह गये है और पशुओं की मौता हो गयी है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में कोई डेम बनाकर ऐसे बरसात के पानी को रोका जाए। तो उस पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है और बाढ़ से भी बचा जा सकता है।

दूसरा मेरा आग्रह है कि बाढ़ के पानी से जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार मुआवजा दें, केन्द्र से कुछ पैसा वहां जाना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं।

श्री मोहन सिंह : सभापति जी, खुराना साहब ने बाढ़ के ऊपर बयान देने के लिए कहा था। ...*(व्यवधान)* इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए। यह मानसून सैशन है और हर सैशन में बाढ़ के ऊपर ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मोहन सिंह जी, मैंने इनको बोलने के लिए कहा था, इनका बोलना अभी खत्म नहीं हुआ है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं।

श्री मोहन सिंह : सर, इनका भाषण खत्म हो गया है।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : माननीय सभापति जी, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विश्वास मत पर बोल रहे थे तो उन्होंने किसानों को विशेष मदद देने की बात कही थी, किसानों को ऊपर उठाने की बात कही थी। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कि जब-जब किसानों को सरकार की मदद की आवश्यकता पड़ी, सरकार मदद करने में नाकामयाब रही है। मैंने कई मुद्दे किसानों के इस हाउस में उठाए हैं। आज हिन्दुस्तान का किसान बीज के लिए तरह रहा है, उसे बीज नहीं मिलता है।

राजस्थान का किसान आज बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है। आज राजस्थान में "कातरा" नाम का कीड़ा बहुत भंयकर गति से उत्पन्न हो रहा है। आज किसान सो नहीं पा रहा है, उसे अपनी रोटी छिनती नजर आ रही है, उसकी फसल नष्ट होने के कगार पर है। राजस्थान का किसान ग्वार, मौंठ, मूंग और तिलहन विशेष रूप से पैदा करके देश के विभिन्न भागों में भेजता है। लेकिन आज "कातरा" कीड़े को नष्ट करने में किसान भारत सरकार से मदद मांग रहा है लेकिन भारत सरकार आगे नहीं आ रही है। मैं बार-बार यह स्टेंटमेंट पढ़ रहा हूं जिसमें राजस्थान की सरकार कहती है कि केन्द्र और राज्यों में अगर एक पार्टी की सरकार हो तो प्रगति होती है। राजस्थान और सेंटर में एक ही पार्टी की सरकार है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि वह तुरंत राजस्थान में एक टीम भेजकर इसकी जांच करें और "कातरा" कीड़े को मारने के लिए प्रभावी कदम उठाए। यह काम लेट होने वाला नहीं है। एक सप्ताह भी निकल गया तो राजस्थान के किसानों की पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। केन्द्र सरकार वहां के किसानों को पैसा मुहैय्या कराए और उस कीड़े को मारने के उपाय करे, जिससे किसानों की फसल नष्ट होने से बचे। सभापति जी, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है।...*(व्यवधान)* वहां का गरीब आदमी और किसान आज अपनी आवाज नहीं उठा सकता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब राम जेठमलानी जी की स्टेटमैंट पर मंत्री जी रिएक्ट करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, आरिफ साहब ने सरकारी स्पष्टीकरण अधूरा पढ़ा है। सरकारी स्टैंड में बारे में स्पष्टीकरण में कहा गया है कि वह श्री जेठमलानी जी के व्यक्तिगत विचार थे।

श्री मोहन सिंह : ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई मंत्री ऐसे वक्तव्य दे सकता है?...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आप पढ़े-लिखे हैं और मेरे पुराने मित्र हैं। मेरी पूरी बात सुनने के बाद कुछ कहें।...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री मोहन सिंह : क्या आप जुडिशियरी पर इस तरह आक्षेप कर सकते हैं?

सभापति महोदय : आप पहले मिनिस्टर का पूरा रिप्लाई सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : पहले यह तय हो जाना चाहिए कि वह मंत्री जी का वक्ततव्य है या उनके वयक्तिगत विचार हैं।...*(व्यवधान)*

मंत्री जी ने जो बयान दिया है, वह सरकारी बयान माना जाना चाहिए, पहले इसका फैसला हो जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* अगर मंत्री जी बोलेंगे तो वह सरकारी बयान होगा चाहे वह हाउस में बोले या हाउस के बार बोलें या किसी सेमिनार में बोलें।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : मुलायम सिंह जी का बयान तीन जगहो में आया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं मिलेगा। ...*(व्यवधान)* जजों पर हमारी दृष्टि शंकालू है। हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये दोननों मामले एक ही संदर्भ में आते है। मुलायम सिहं जी का जुडिशियरी के प्रति संदेह व्यक्त करना सही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : मुलायम सिंह जी मिनिस्टर नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मंत्री जी की रिएक्शन सुन ले।

श्री मदन लाल खुराना : मैं यह कह रहा था कि कल ही सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया है कि वह बयान भारत सरकार का नही है लेकिन सदन की भावना को देखते हुए मैं जैठमलानी तक आपकी भावना को पहुंचाऊंगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह सदन में आकर...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : यह हर चीज में कहते है कि अवगत कराएंगे ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि वह इस बारे में स्टेटमैंट देंगे।...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, यह तो ज्यादती है।

श्री मोहन सिंह : महोदय, जो भी विषय उठता है, उसके बारे में कहा जाता है कि उन तक पहुंचाएगें...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मेरा कहना है कि वह सदन में आकर बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा जाता है कि उन तक पहुधाएंगे। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.35 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.42 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.42 बजे पुन: समवेत हुई।

*[**श्री पी॰एम॰ सईद** पीठासीन हुए]*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति जी, जेठमलानी जी द्वारा वक्तव्य देने के बारे में जो प्रश्न ज़ीरो आवर में उठाया गया था, मैंने उस समय सदन को विश्वास दिलाया था कि जो भावनाएं हैं वह जेठमलानी जी तक पहुंचा दूंगा और वह अपना वक्तव्य देंगे। जेठमलानी जी इस समय सदन में हैं। आप अभी कहें तो अभी, नहीं तो नियम 377 के अधीन मामलों के बाद, जैसी आपकी इच्छा हो, जेठमलानी जी अपना वक्तव्य देने के लिए बैठे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के बाद मंत्री महोदय वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं एक मुद्दा शून्यकाल के दौरान उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप इसे कल शून्यकाल के दौरान उठा सकते हैं। आज, शून्यकाल समाप्त हो गया है। अब, हम नियम 377 के अधीन मामले ले रहे हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन् : महोदय, यदि मुझे अनुमति दी जाए तो मैं इसे नियम 377 के अधीन मामलों में उठाऊंगा।

सभापति महोदय : शून्यकाल के संबंध में दिए गए नोटिस को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता और नियम 377 के अधीन नहीं लिया जा सकता। आप इसे कल उठा सकते हैं। आप माननीय अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं और कह सकते हैं कि आपको आज अवसर नहीं मिला।

अपराह्न 2.44 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद (वैशाली) : सभापति जी, बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के साहिबगंज, देवरिया और लालगंज

में दूरभाष पर घंटों बैठने के बाद भी बातें नहीं हो पाती। पारू, मखन, बखड़ा, बड़ा दाऊद और समरसपुर में टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए प्रत्येक में 10-10 स्थानीय आवेदकों ने आवेदन किया है लेकिन इन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज बैठाने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है।

अतः मैं मांग करता हूं कि साहिबगंज, देवरिया और लालगंज में टावर बैठाने एवं टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए 10 आवेदकों वाले स्थान पर अतिशीघ्र टेलीफोन एक्सचेंज बैठाए जाएं जिससे कि इन दोनों जिलों के टेलीफोन कनेक्शन मांगने वाले आवेदकों को शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन दिये जा सकें और दूरभाष पर तुरंत बातचीत करने की सुविधा हो सके।

(दो) बिहार के गया जिले के बुनकरों के ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता

श्री कृष्ण कुमार चौधरी (गया) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी का ध्यान बिहार राज्य के बुनकरों के ऋण माफ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

भारत सरकार ने राहत ऋण योजना 1990 की घोषणा कर बुनकरों एवं कारीगरों की ऋण माफी प्रक्रिया शुरू कराई जिसके अंतर्गत हमारे बिहार राज्य के भी अनेक जिलों में 10 हजार तक दिये गये ऋण बुनकरों को माफ किये जा चुके हैं। सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार पटना ने भी घोषण की थी कि अगर बुनकरों एवं कारीगरों की परिसम्पत्ति का नुकसान किसी भी कारण से हुआ हो तो उन्हें भी कर्ज के बोझ से राहत दी जायेगी, परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह का मामला हमारे बिहार राज्य के गया जिले के अन्तर्गत मानपुर में है। यहां हजारों हजार बुनकर कुटीर उद्योग लगाकर स्वरोजगार कर रहे हैं एवं पिछड़े तथा गरीब लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। यहां के कुछ बुनकरों के साथ सीसलेपन का व्यवहार कर उपरोक्त योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है, यह मामला मगध सेन्ट्रल काओपरेटिव बैंक, गया से संबंधित है।

इस संबंध में बैंक प्रशासन प्रतिनिधि एवं मेरे क्षेत्र के बुनकर प्रतिनिधियों के बीच बैठक कर ऋण माफ की सूची उपलब्ध कराने का निर्णय दोनों पक्षों द्वारा लिया गया। इस निर्णयानुसार सभी बुनकर समितियों ने समय सीमा के अंदर यह सूची दाखिल कर दी है। परंतु बैंक ने ऋण माफी न कर उल्टे नोटिस जारी कर दी है जबकि बैंक को ही ऋण माफी का दायित्व दिया गया था।

मैं प्रधान मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े इन बुनकरों को ऋण माफी की इस समस्या से मुक्ति दिलाकर स्वरोजगार कर रहे इन बुनकरों को रोजगार प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही साथ सूत प्राप्त करने की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। धन्यवाद।

(तीन) देश में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में वनों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता ।

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : सभापति महोदय, ईंधन एवं इमारती लकड़ी की मांग पूरी करने के लिए अविवेकपूर्ण ढंग से पेड़ काटे जाने के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश अब उन राज्यों में सबसे आगे है, जहां वन दिनों-दिन सिकुड़ते जा रहे हैं। वनों की ताजा स्थिति संबंधी भारतीय वन सर्वेक्षण के प्रतिवेदन से यह चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है कि दो वर्षों के दौरान देश भर में 5500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से वन काटे जा चुके है। इसमें अकेले मध्य प्रदेश का 39609 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। देश के अधिकांश राज्यों में आदिवासी बाहुल्य जिले में भारी तादाद में "वन" की कटाई की गई है। राज्यों में वृक्षारोपण वनों का सुधार, बिगड़े वनों का सुधार इत्यादि कार्यक्रम चलाकर करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं परन्तु अनुमानित लाभ नगण्य है। वन की इस स्थिति का कारण खनिज संसाधनों का व्यापक पैमाने पर दोहन है। खनिजों के उत्खनन की वनों में प्रदूषण फैलाने और वनों के प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि वनों को बचाया नहीं गया तो स्थिति अत्यंत ही चिंतनीय हो जायेगी।

अतः सरकार से अनुरोध है कि प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएं।

अपराह्न 2.49 बजे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

(चार) असम की कोच राजवंशी जनजाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शीघ्र सम्मिलित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री माधव राजवंशी (मंगलदाई) : असम के कोच राजवंशी जनजातीय समुदाय के लोग सबसे गरीब हैं, आर्थिक रूप से तथा बौद्धिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जाति की दृष्टि से तथा ऐतिहासिक दृष्टि से यह सबसे पुराना समुदाय है। वर्ष 1967 से जनता द्वारा की जा रही जबरदस्त के फलस्वरूप असम के कोच राजवंशी जनजातीय समुदाय को 27 जनवरी, 1996 के अध्यादेश संख्या 9, जिसे 1996 के अध्यादेश संख्या 19, 1996 के अध्यादेश संख्या 30 और 1997 के अध्यादेश संख्या 3 के माध्यम से पुनः प्रख्यापित किया गया था, से अनु.जाति (पी) के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उक्त अध्यादेश को लगातार चौथी बार पुनः प्रख्यापित किये जाने के बावजूद, इसे समय पर विधेयक के रूप में नहीं लिया जा सका और यह व्यपगत हो गया। इसके परिणामस्वरूप कोच राजवंशी समुदाय के जो अभ्यर्थी असम सरकार के मेडिकल/इंजीनियरिंग और अनु.जाति (पी) के रूप में असम सरकार की अन्य सेवाओं के लिए ए.पी.एस.सी. की प्रवेश परीक्षा में बैठे थे उनको अनु.जाति (पी) उम्मीदवार के रूप में चयन

के बावजूद भी वंचित कर दिया गया क्योंकि सम्बन्धित प्राधिकरणों ने संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत अध्यादेश की अवधि समाप्त होने के कारण उनको प्रवेश/नियुक्ति के लिए मना कर दिया। अंतिम अध्यादेश संख्या 3, 1997 व्यपगत हो गया था। इस तरह से (असम के कोच राजवंशी समुदाय को भारत के संविधान के अंतर्गत उन्हें उनके मौलिक अधकारों से वंचित रख कर उनके साथ अन्याय किया गया है क्योंकि इस संबंध में मुद्दा अभी भी लटक रहा है।

यह पाया गया है कि विगत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में समुदायों को शामिल किए जाने के संबंध में सभी अध्यादेशों को अध्यादेश के प्रख्यापित किए जाने के बाद छः माह की अधिकतम अवधि के भीतर विधेयकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। लेकिन असम के कोच रावंशी समुदाय दो वर्ष बीत जाने के बाद भी 27 जनवरी, 1996 के प्रथम अध्यादेश संख्या 9 के प्रख्यापन को अभी भी एक विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। संसदीय प्रवर समिति ने अप्रैल, 1997 में अपने प्रतिवेदन में कोच राजवंशी समुदाय को अनु.जाति (पी) के रूप में शामिल करने की सिफारिश की थी। असम सरकार ने भी दिनांक 15 नवम्बर, 1997 के अपने पत्र संख्या टी ए डी/एसटी/ 98/92 पी.टी.वी./266 के तहत कोच राजवंशी समुदाय को अनु.जाति (पी) के रूप में शामिल किए जाने के लिए सिफारिश करते हुए संसदीय प्रवर समिति की रिपोर्ट पर अपनी राय प्रस्तुत की थी। चूंकि संसद के चालू सत्र में इस संबंध में कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है अतः संवैधानिक संकट से बचने के लिए, उक्त अध्यादेश जिसे पहले ही चार बार प्रख्यापित किया जा चुका है, को तत्काल पुनः प्रख्यापित किया जाये। कोच राजवंशी समुदाय अब अनु.जाति (पी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के बीच झूल रहा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह असम के सबसे अधिक पिछड़े हुए जनजातीय समुदाय के लोगों में विश्वास भरने के लिए तत्काल इस मामले में शुरूआत करें। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय के राजवंशी समुदाय को पहले ही सूचीबद्ध कर दिया गया है लेकिन असम के कोच राजवंशी के मामले के ऐसा नहीं किया गया है।

(पांच) महाराष्ट्र राज्य के लिए खाद्यान्न का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विट्ठल तुपे (पुणे) : सभापति महोदय, लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने से पहले महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत तकरीबन 1.50 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध होता था किन्तु नई व्यवस्था के लागू होते ही केन्द्र सरकार ने इस मासिक कोटे को घटाकर 1.25 लाख मीटिक टन कर दिया जिसमें से 60,000 मीट्रिक टन केवल गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए रखा गया। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कोटा पिछले 10 वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त किए कुल खाद्यान्न के औसत के बराबर कर दिया। जैसा कि विदित है कि पिछले कई वर्षों में सार्वजनिक प्रणाली और खुले बाजार की कीमतों में कोई खास अन्तर नहीं था जिसके कारण राज्य सरकार ने वितरण प्रणाली के लिए अधिक मात्रा में खाद्यान्न नहीं उठाया लेकिन केन्द्र सरकार ने उसी को आबंटन का माध्यम बनाया जो कि आज लोगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता।

महोदय, राज्य सरकार के बार-बार आग्रह करने पर केन्द्र सरकार ने दिसम्बर 1997 में लगभग 10,000 मी.टन चावल एवं 15,000 मी. टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन किया। इसके पश्चात फिर जनवरी, फरवरी एवं मार्च में भी लगभग 50,000 मी.टन गेहूं एवं 10,000 मी. टन चावल का अतिरिक्त आबंटन किया तब जाकर लोगों को सुचारू रूप से खाद्यान्न प्राप्त हो सका। अतः मेरा अनुरोध है कि इस अतिरिक्त आबंटन को हमेशा के लिए नियमित कर दिया जाए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त हो सके।

(छह) राजनांदगांव में नक्सलवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की प्रस्तावित कार्य योजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश का राजनांदगांव जिला नक्सलवादी गतिविधियों से बुरी तरह प्रभावित है जिसके कारण उस क्षेत्र के निवासी तथा वहां आने वाले लोग बराबर आतंकित रहते हैं। लोगों को इस सबसे मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के परामर्श से कुछ कदम उठाए है; 'स्ट्राइकिंग फोर्स' का गठन किया है तथा एक एक्शन प्लान बनाकर केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है।

मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि राजनांदगांव जिले के लिए भेजे गए एक्शन प्लान को तत्काल स्वीकृति प्रदान करें ताकि जिला प्रशासन जनहित में शीघ्र उचित कार्रवाई कर सके।

(सात) बिजली के बल्ब पर से उत्पाद शुल्क हटाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरी (कोटाई) : महोदय, हमारे देश में बिजली के बल्बों का निर्माण लघु एवं बड़े दोनों ही उद्योगों के अंतर्गत किया जाता है। बडे उद्योग में प्रति बल्ब के निर्माण की लागत लघु उद्योग में निर्मित बल्बों की अपेक्षा कम आती है। अतः निर्मित बिजली के बल्बों पर समान रूप से उत्पाद शुल्क लगाए जाने से बड़े एवं लघु उद्योग फर्मों के बीच एक अनुचित प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में लघु उद्योगों को अपना कारोबार बंद करने पर विवश होना पड़ेगा।

इन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि लघु उद्योगों को उनकी वर्तमान कठिनाइयों से उबारने हेतु निर्मित बिजली बल्बों पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को हटाया जाए।

(आठ) उत्तर प्रदेश में "गोंड" जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज) : सभापति जी, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में कहार जाति जिसे गोंड जाति के नाम से जाना जाता है, जो पानी भरने तथा जूठा पत्तल उठाने एवं खाना बनाने आदि सेवा से संबंधित कार्य करते हैं। गांव के बीच में रहकर लोगों की सेवा कर अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। शुद्ध रूप से आदिवासी हैं। इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है एवं उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता है। उनकी सामाजिक दशा और आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं सदन के माध्यम से सरकार से सिफारिश करता हूं कि गोड जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाये।

(नौ) तमिलनाडु में कुड्डालोर शहर में रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम॰सी॰ दामोदरन (कुड्डालोर) : महोदय, कुड्डालोर एक ऐतिहासिक शहर है जहां प्राचीन पत्तन और एक जिला मुख्यालय भी है। विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित चेन्नई से आरम्भ होने वाला पूर्वी तटीय राजमार्ग कुड्डालोर से होकर गुजरता है। इसलिए, यातायात की भीड़भाड़ को रोकने की आवश्यकता है। अतः तीव्रगामी यातायात के लिए एक वैकल्पिक सड़क बनाया जाना जरूरी है।

थिरूप्पाथिरिपुलियूर रेलवे स्टेशन कुड्डालोर शहर में है। थंजावुर, नागापट्टिनम, रामेश्वरम, तिरूपति और मदुरै को जोड़ने वाली चेन्नई मुख्य लाईन कुड्डालोर शहर से होकर गुजरती है। इस प्रकार कुड्डालोर-तिरूकोविल्लूर अनिकट रोड पर स्थित लेवल-क्रासिंग शहर को पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित करता है। लोगों को रेलवे स्टेशन और मार्किट जाने के लिए क्रासिंग से होकर जाना पड़ता है।

चूंकि इस लाईन पर काफी यातायात रहता है और यह क्रासिंग अक्सर बंद रहता है इसलिए यहां काफी ट्रैफिक जाम रहता है।

अतः मेरा रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि भीड़-भाड़ को कम करने के लिए इस जगह पर रेल उपरिपुल का निर्माण शीघ्र करवाया जाए। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त उपरिपुल का निर्माण करवाने के लिए निधियों का आबंटन करे।

इस समय जब इस वित्तीय वर्ष में विलुपुरम-तंजावुर मुख्य लाईन पर अमान परिवर्तन का काम चल रहा है तो कुड्डालोर में रेल उपरिपुल का निर्माण करना और भी आवश्यक हो जाता है।

(दस) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में घोरावल बरास्ता गुरूबल शिल्पी मार्ग पर सोन नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामशकल (राबट्र्सगंज) : सभापति जी, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राबट्र्सगंज जनपद सोनभद्र उ.प्र. के विकास खंड घोरावल का पश्चिमी हिस्सा आज भी आवागमन के साधन न होने से चालीस गांव के लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, साधन नाम की कोई चीज नहीं है। तीन तरफ से नदियों से घिरा है। एक तरफ रेणु नदी तो दूसरी तरफ सोन नदी, आजादी के पचास साल बाद भी लोग अभावों का जीवन जी रहे हैं।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि घोरावल वाया गुरूवल, शिल्पी मार्ग पर सोन नदी पर पुन बनवाने का कष्ट करें, जिससे जनता के आवागमन का साधन बन सके।

अपराह्न 2.59 बजे

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति किये जाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के बारे में

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री जी अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देंगे।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : सभापति महोदय, 'शून्य काल' के दौरान उठाए गए विवाद के संबंध में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। यह कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यद्यपि मैं यहां उपस्थित था फिर भी उपराह्न 1.30 बजे के लगभग अर्थात मेरे बाहर जाने के कुछ ही मिनट के बाद यह प्रश्न उठाया गया था।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय शासन के लिए राष्ट्रीय एजेन्डा, जिसके प्रति सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है के पैराग्राफ 23 में यह वचन दिया गया है कि हम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करेंगे जो उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करेगा और न्यायपालिका के लिए आचार नियम संबंधी एक रिपार्ट तैयार करेगा। इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि सर्वविदित है। इससे पहले संविधान को यह व्याख्या कि नियुक्तियों और स्थानांतरण के संबंध में निर्णय लेने वाली प्रक्रिया में कार्यपालिका सर्वोपरि है न्यायिक स्वतंत्रता के अननुरूप थी और इससे प्रक्रियागत गतिरोध उत्पन्न हो गया। न्यायिक शाखा अर्थात

[श्री राम जेठमलानी]

स्वयं न्यायिक परिवार में सर्वोपरि शक्तियां विदित करने वाली नयी व्याख्या भी इस उद्देश्य में असफल रही इस प्रक्रिया के दौरान कई विवादास्पद नियुक्तियां भी हुई हैं। देश में आम मत ने इस प्रक्रिया की दिशा बदल कर तीसरे विकल्प अर्थात न्यायिक आयोग को अन्जाम दिया जिसके गठन में विपक्ष के नेता सहित सभी संगत पक्षों को शामिल किया गया है। इस आयोग के पास नियुक्तियां स्थानांतरण तथा न्यायिक पद से हटाने की अनन्य शक्तियां होंगी। महाभियोग की अव्यवहार्य प्रक्रिया को हटा दिया जाएगा।

महोदय, न्यायालय का प्रत्येक न्यायधीश और 'बार' का हरेक प्रैक्टीशनर यह जान गया है कि न्यायिक नियुक्तियां करने में इस समय गतिरोध पैदा हो गया है। यद्यपि न्यायिक नियुक्तियां किए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। हर कोई जानता है कि कुछ नितान्त सुयोग्य नियुक्तियां भी रुकी पड़ी हैं क्योंकि वे उस पैकेज भाग झम के रूप में प्रस्तुत की गई हैं जिसमें कुछ विवादास्पद नियुक्तियां शामिल है। यह भी उतना ही सर्वविदित है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परामर्शदायी प्रक्रिया, जिसमें हमारे वर्तमान विद्वान माननीय मुख्य न्यायधीश भी शामिल हैं, का सही तरीक से अनुपालन नहीं हो रहा है।

महोदय, मैं इस माननीय सभा को विश्वास में लेकर यह बताना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यहां तक कि इस समय अपनाई जा रही प्रक्रिया में, कम से कम पांच-छह गंभीर विवाद पैदा हो गए हैं। प्रश्न यह है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा परामर्श दो न्यायधीशों के साथ होनी चाहिए या अपने न्यायालय के पांच वरीष्ठतम न्यायधीशों के साथ होना चाहिए। दूसरा यह है कि जिन मामलों में सरकार के कुछ मतभेद हैं उन पर क्या मुख्य न्यायधीश अकेले ही विचार करे या उन पर अन्य दो या पांच न्यायधीशों के साथ मिलकर विचार किया जाए। तीसरा, क्या सरकार को उन न्यायधीशों के विचार जानने चाहिए, उसकी संख्या दो हो या पांच का अधिकार है जिनसे मुख्य न्यायाधीश का उक्त मामले पर परामर्श करना है। चौथा, क्या संयुक्त मत के सिद्धांत के अनुरूप मुख्य न्यायधीशों अथवा न्यायधीशों के स्थानांतरण के संबंध में भारत के मुख्य न्यायधीशों को दो वरिष्ठतम न्यायधीशों के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

महोदय, इन प्रश्नों का फैसला किया जाना है। हुआ यह था कि पिछले हफ्ते 17 तारीख की रात को जब मैं महान्यायवादी से मिला था और उस समय उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की थी कि श्री गुप्ता के नाम से एक वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने सरकार को यह आदेश देने की मांग की है कि सभी नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायधीश की सिफारिश से की जाएं। इस प्रकार इस समय यह मामला न्यायधीश है। सुनवाई के लिए इस महीन की 28 तारीख निर्धारित की गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि महान्यायवादी और अन्य वकील उपस्थित होंगे और न्यायालय से अपनी बात कहेंगे तथा उच्चतम न्यायालय की गठित की गई दो न्यायधीशों की पीठ द्वारा संवैधानिक महत्व के इन महत्वपूर्ण गंभीर मामलों को ध्यान में रखते हुए यह पीठ बड़ी भी हो सकती है, में इस विषय पर अपना निर्णय देगा।

महोदय, सरकार की ओर से मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सरकार संविधान का आदर करती है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन बनाम इत्यादि नामक चार पांच वर्ष पहले लिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई वर्तमान संवैधानिक व्याख्या का सम्मान करती है। सरकार उस निर्णय को तब तक अस्वीकार नहीं करेगी जब तक कि वह निर्णय राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का सृजन वाले संविधान संशोधन या अन्य किसी तरीके से अस्वीकार नहीं कर दिया जाता। अन्तः जब परामर्शात्मक प्रक्रिया को वर्तमान पद्धति के अनुरूप भी अमुक विषय से पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है तो सरकार न्यायालय के सम्माननीय मत से पूरी तरह से बाध्य होगी। परन्तु, महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा और यह टीकाटिप्पणी की विषय वस्तु भी थी कि "श्री जेठमलानी जी क्यों ले?" मैं बार काउन्सिल आफ इन्डिया द्वारा आयोजित भारत के वकीलों के एक संगठन को मुख्य वक्ता की हैसियत (की-नोट एडर्स) से संबोधित कर रहा था और महोदय मैंने अपनी ही सरकार से जोर देकर यह कहने का अपना अधिकार नहीं खो दिया है कि अपने राष्ट्रीय एजेन्डा में जिसके प्रति हम सार्वजनिक रूप से सभी वचनबद्ध हैं, हमने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है।

अब उभरकर अपने वाली कुछ कमियों को देखते हुए मेरी सरकार को प्राथमिकता के आधार पर एजेन्डा, के उस भाग को लागू करना चाहिए। अन्ततः यदि सरकार अपना ही एजेन्डा लागू नहीं कर सकती तो सरकार को पुनः इस सभा में दो तिहाई बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा। अगर सरकार आपकी सम्मति और सहयोग से इसे पा लेती है तो सरकार संसद की दोनों सभाओं की इच्छानुसार अपने कार्य में आगे बढ़ेगी। सरकार मनमाने ढंग से कार्य नहीं करेगी क्योंकि वास्तव में यह ऐसा नहीं कर सकती।

इसलिए मैंने इस सम्मेलन में वही कहा है जो मैं मंत्री बनने से भी काफी पहले अपने जन जीवन में कहता आया हूं। मंत्री का काम है कि वह किसी विषय पर मंत्रिमंडल के निर्णय के विरुद्ध न बोले। मंत्रिमंडल ने इस विशेष मामले पर कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया है।

जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो मुझे मंत्रिमंडल के निर्णय के साथ चलना होगा। लेकिन तब तक अनेक वर्ष पहले का मेरा विश्वास और अन्तरात्मा वही रहेगी और मुझे संविधान के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त करने और यहां तक कि विद्यमान सरकार को अपने दृष्टिकोण से प्रभावित करने का अधिकार है। संक्षेप में मैंने विधिज्ञों के सम्मेलन में मैंने यही किया। जब तक मुझे यह सभा ऐसा करने से नहीं रोकती और मुझे *आदेश पत्र* जारी नहीं करती, जिसका मैं सम्मानपूर्वक पालन करूंगा, तब तक मैं अपनी अन्तरामा की बात मानूंगा। मैंने जनहित में अपना कर्त्तव्य पूरा किया है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने कुछ नहीं कहा है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, इस पर सफाई नहीं हुई।...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : इसमें मेरी मांग है कि हाउस में इस पर डिस्कशन होना चाहिए। इस विषय पर हाउस में पूरा डिस्कशन हो चुका है कि जजों का एपांइटमेंट कैसे हो, जजों का ट्रांसफर कैसे हो। यह बहुत गम्भीर मामला है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक साथ कई माननीय सदस्य बोलेंगे तो हम कौन सी चीज पर निर्णय देंगे?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी॰ धनंजय कुमार (मंगलौर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : सभापति जी, हमारी बात सुन लीजिए। जो प्रश्न उपस्थित किया गया था, माननीय मंत्री जी ने उसकी सफाई नहीं दी। प्रश्न यह उपस्थित किया गया था कि क्या कोई मंत्री यह वक्तव्य दे सकता है कि जो विषय कैबिनेट के विचाराधीन है यानि कुछ जजों की नियुक्ति का मामला कैबिनेट के विचाराधीन है, उसके बारे में एक मंत्री विशेष ने सार्वजनिक बयान दिया कि मुख्य न्यायधीन भारत ने जजों की नियुक्ति के बारे में जो संस्तुतियों की हैं, उनमें से कुछ 5-6 चेहरे हैं, इसलिए सरकार फैसला नहीं कर पा रही है।

सभापति महोदय : उनका पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री मोहन सिंह : और इस वक्तव्य को प्रधान मंत्री जी ..*(व्यवधान)* ने गलत सिद्ध किया और कहा कि सरकार इससे अपने को एसोसिएट नहीं करती है। प्रश्न यह उपस्थित था कि क्या मंत्री और प्रधान मंत्री एक विषय पर दो वक्तव्य दे सकते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शान्ति। कृपा कर आसन ग्रहण करें।

श्री मोहन सिंह : इस सदन के सामने या सरकार के सामने ...*(व्यवधान)* मंत्री जी ने इसका उत्तर नहीं दिया।

सभापति महोदय : उनका पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर है।

[अनुवाद]

श्री वी॰ धनंजय कुमार : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सभा में यह प्रथा रही है कि माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद उस विषय पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : जीरो ऑवर के लिए नहीं है, यह जीरो ऑवर का मामला है।

श्री वी॰ धनंजय कुमार : जीरो ऑवर हो, कोई हो।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद, इस सभा में उस विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : यह सुओ मोटो स्टेटमेंट नहीं है। सभापति महोदय, यह जीरो ऑवर का मामला है।

सभापति महोदय : सुन लीजिए न। उन्होंने जो सवाल उठाया, उसके ऊपर हम कुछ निर्णय देंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शान्ति। उनका पाइॅण्ट ऑफ ऑर्डर है। आपकी बात तो खत्म हुई। अब सुन लीजिए न।

...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ धनंजय कुमार : मेरा आपसे निवेदन है, हाउस के अन्दर यह नियम रहा है, आप इसका समाधान कीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शान्ति। उनका सुन लीजिए न। उनका पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर हुआ, उस पर कोई निर्णय होगा न?

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : यह जीरो ऑवर का रिएक्शन है, यह स्टेटमेंट नहीं है।

सभापति महोदय : कई माननीय सदस्यों द्वारा शून्य काल में सवाल उठाया गया था, उस पर उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया था कि इस पर माननीय मंत्री श्री जेठमलानी जी अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण रखेंगे, अपना व्यक्तिगत पक्ष रखेंगे। इस पर माननीय मंत्री ने।...

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह आश्वासन उस समय नहीं था।

सभापति महोदय : क्या था?

श्री बसुदेव आचार्य : हम लोगों ने सवाल उठाया, फिर उन्होंने आश्वासन दिया।

सभापति महोदय : नहीं था। माननीय मंत्री ने कहा था, उस पर माननीय मंत्री जी ने आकर रैस्पोंड किया। माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाया था, उसके सम्बन्ध में उन्होंने रैस्पोंड किया, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया और इस पर बहस बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : जो सवाल उठा था, उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। क्या स्टेच्यूट ऑफ इंडिया के निर्णय के बारे में कोई मंत्री वक्तव्य कर सकते हैं, यह प्रश्न था।...*(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : आपने जो व्यवस्था दी है, उसका ये पालन क्यों नहीं कर रहे है?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सवाल जजों के एपाइंटमेंट का था और उनका चीफ जस्टिस के खिलाफ उनका जो बयान था...*(व्यवधान)* उसके ऊपर कुछ नहीं बोला गया। जिस बात को लेकर आज विवाद खड़ा हुआ है...*(व्यवधान)* प्राइम मिनिस्टर आफिस ने भी..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री के कार्यालय ने अपने आपको शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से दूर रखा है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीन से सबंधित मुदृदे स्पष्ट नहीं किया। ...*(व्यवधान)* उसके ऊपर कोई सफाई नहीं दी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपको सुन लिया, अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हमारी मांग भी एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन करने की है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन होने दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया आसन ग्रहण करें, इसकी कोई सीमा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन : मैं आपका ध्यान नियम 352 की ओर दिलाना चाहता हूं जो न्यायिक मामलों पर चर्चा के संबंध में है। माननीय मंत्री महोदय ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि किसी व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

नियम में कहा गया है और उसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "किसी भी सदस्य को बोलते हुए किसी ऐसे मामले का हवाला नहीं देना चाहिए जिस पर कि न्यायिक निर्णय लम्बित हो।"

यह मामला सर्वोच्च न्यायालय चला गया है। मैं अपने साथियों से सहमत हूं कि यह मामला एक गंभीर मामला है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इसमें सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन : न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानान्तरण तथा महाभियोग का मामला एक गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)* ऐसे मामलों पर इस सभा को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करनी चाहिए। यह अत्यन्त गंभीर मामला है। हम न्यायिक नियुक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से न्यायधीश आचरण कर रहे हैं, यह एक गंभीर मामल बन जाता है। हमें इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। इस समय हम इस मामले पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति जी, मैं यह कहना चाहता था कि माननीय मंत्री जी ने तो अपनी सफाई दी, लेकिन जो बात सामने है, वह काफी महत्वपूर्ण है। हम माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत हैं कि जजों की बहाली, ट्रांसफर और पोस्टिंग आदि के मामले जो आए दिन सामने आते हैं, उस पर सदन में विशेषरूप से बहस होनी चाहिए और सदस्यों की भावना जानकर उसके अनुरूप कार्यवाही भी होनी चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है, आपकी बात हो गई। माननीय मंत्री जी अब बिल मूव कीजिए।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : महोदय, मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। मैं इस वक्तव्य के संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : स्टेटमेंट नहीं था, पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर रिसपांड किया था।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है लेकिन कृपया मुझे माननीय मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दीजिए। श्री राम जेठमलानी ने अब, उसकी पुष्टि कर दी है जो प्रैस में प्रकाशित हुआ है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अपने अपनी राय रख दी, कृपया अब आसन ग्रहण करें।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, आपको हमारे अधिकारों का संरक्षण करना होगा।

उन्होंने जो पहले कुछ भी प्रैस में कहा उसकी पुष्टि कर दी है। यह आज विद्यमान कानून के विपरीत है। एक मंत्री के रूप ने यदि वह अपनी सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं तो यह तरीका नहीं है। वह प्रैस, सार्वजनिक सभाओं तथा समीनारों के माध्यम से अपनी सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते। उन्हें अपने मामले पर मंत्रिमंडल में बहस करने का अधिकार है।

[अनुवाद]

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : यह आपके नहीं मेरे और प्रधानमंत्री जी के बीच का मामला है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : महोदय, माननीय राम जेठमलानी जी ने..

श्री वी॰ धनंजय कुमार : अब लालू जी खड़े हो गए हैं, ऐसे कैसे चलेगा। इस पर आपकी व्यवस्था होना चाहिए।

सभापति महोदय : लेकिन आप भी तो खड़े हो गए हैं, कृपया शांति रखें।

श्री लालू प्रसाद : माननीय राम जेठमलानी जी का पहले एक बयान आया और अब दूसरा बयान आया। इनके बयान का खंडन केन्द्र सरकार दोनों स्तर पर कर चुकी है। लेकिन कभी-कभी इनके बयान देने में या किसी इन्सान को बयान देने में क्या सेंसर किया जा सकता है या रोका जा सकता है? कल एक अवसर पर माननीय जेठमलानी जी बोल चुके हैं कि मेरी कोई पार्टी नहीं है।...*

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी : महोदय, इस मुद्दे पर मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे और भी बहुत कुछ कहना है।

अपराह्न 3.15 बजे

विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

महोदय, मैं विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक 1998 प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इससे पहला विधेयक, जो लोक सभा में 13 मार्च, 1997 को पेश किया गया था, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को 20 मार्च, 1997 को विचारार्थ भेजा गया था। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति लोक सभा सदस्य श्री जगमोहन की अध्यक्षता में गठित की गई थी। स्थायी समिति ने विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत परामर्श किया और 3 दिसम्बर, 1997 को अपनी रिपोर्ट लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत की। स्थायी समिति ने अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की और विधेयक में संशोधन करने के सुझाव दिए। उनमें मुख्य सिफारिशें निम्न थी :

(i) पारेषण प्रणाली की पूरी योजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पॉवरग्रिड और राज्य विद्युत बोर्ड के अंतर्गत होनी चाहिए।

(ii) प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक मुख्य पारेषण प्रणाली केन्द्र होना चाहिए। राज्य में पारेषण प्रणाली के लिए राज्य विद्युत बोर्ड अथवा इसका उत्तरवर्ती संगठन होना चाहिए। क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर पॉवरग्रिड होना चाहिए।

(iii) (ii) के सामने दर्शाए गए मुख्य पारेषण एजेन्सियां सरकार के स्वामित्व में ही रहेंगे।

(iv) मुख्य पारेषण एजेन्सियों को यह निर्णय लेना चाहिए कि उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर अपेक्षित पारेषण विस्तार के किस भाग को निजी क्षेत्र को सौंपा जाना चाहिए।

(v) निजी पारेषण कम्पनी को चाहिए कि वह सम्बन्धित राज्य विद्युत बोर्ड/पॉवरग्रिड को अपनी पारेषण के संबंधी परिसम्पत्ति उपलब्ध कराने के लिए उनके साथ पारेषण सेवा समझौते में शामिल हो। निजी कम्पनी को विद्युत एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और इस कार्य के लिए किसी तीसरी पार्टी को सम्मिलित किए जाने संबंधी मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए।

(vi) पारेषण कम्पनी को अपनी परिसम्पत्ति का संचालन तथा रखरखाव क्षेत्रीय विद्युत भार प्रेषण केन्द्र/राज्य विद्युत भार प्रेषण केन्द्र रेजीनल लोड डिसपेच सेन्टर/स्टेट डिसपेच सेन्टर के निर्देशों के अनुसार करना चाहिए। आर एल डी सी/एस एल डी सी पॉवरग्रिड/राज्य विद्युत बोर्ड (इसका उत्तरवर्ती संगठन) के अंतर्गत होना चाहिए।

(vii) निजी पारेषण कम्पनी को मुख्य पारेषण एजेंसी की सिफारिशों के आधार पर लाइसेंस देना चाहिए।

सरकार ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की इन सभी सिफारिशों को मान लिया है और अब इनको विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 में शामिल किया जा रहा है।

विधेयक पारेषण को एक विशेष कार्य के रूप में मान्यता देने और लाइसैंसिंग के माध्यम से पारेषण को नियमित करने तथा पारेषण शुल्क को निर्धारित करने के लिए एक कानूनी दायरा प्रदान करेगा। यह आवश्यक है क्योंकि पारेषण व्यवस्था राष्ट्रीय/राज्य स्तर (पॉवरग्रिड, ग्रिडको) पर स्थापित किया गया है और कुछ राज्य पृथक पारेषण व्यवस्था का सृजन करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। वर्तमान विद्युत कानूनों के अंतर्गत पारेषण को उत्पादन अथवा वितरण के साथ ही किया जा सकता है, इसे एक स्वतन्त्र कार्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम]

इस विधेयक की मुख्य बातों पर आने से पहले मैं संक्षेप में पारेषण क्षेत्र के विकास की पनरीक्षा करूंगा। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 बन जाने के बाद राज्य विद्युत बोर्ड पारेषण के विस्तार तथा वितरण नेटवर्क के लिए मुख्य संगठन बन गए हैं। सातवें दशक के मध्य से क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों की स्थापना की गई थी और क्षेत्र के भीतर प्रत्येक राज्य की विद्युत प्रणाली को जोड़ने की प्रक्रिया आरम्भ हुई। आठवें दशक के मध्य से भारत सरकार ने क्षेत्रों में संबंधित पारेषण प्रणाली के साथ केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों (थर्मल और हाइडल) की स्थापना करना आरम्भ कर दिया।

केन्द्रीय क्षेत्र की पारेषण प्रणाली को राज्यों को कन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से उनके हिस्से के आधार पर बिजली की आपूर्ति करने के लिए बनाया गया था। 1989 में, केन्द्रीय विद्युत उत्पादक अभिकरणों से विद्युत के ब्लाकों को प्राप्त करने और क्षेत्रों के भीतर और बाहर अतिरिक्त विद्युत को स्थानान्तरित करने के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. का गठन किया गया था।

220 कि.वा. और अधिक वोल्टेज वाली अतिरिक्त उच्च वोल्टेज, जिसमें एच.बी.डी.सी. भी सम्मिलित है, के 1,00,000 परिपथ किलोमीटर की पारेषण प्रणाली का व्यापक नेटवर्क इस समय कार्य कर रहा है। इसके अलावा 66 कि.वा. और 110 कि.वा की 1,30,000 सर्किट किलोमीटर की उप पारेषण लाइनों को भी स्थापित किया जा चुका है।

विद्युत क्षेत्र की एक गम्भीर समस्या पारेषण और वितरण नेटवर्क की अपर्याप्तता है। जिस प्रकार की बिजली का गुल होना और बिजली की खराबी आजकल देखी जा रही है वह इस क्षेत्र की कमियों के कारण हैं। इस क्षेत्र की दो प्रमुख कमजोरियां है (i) विद्युत की कमी विद्युत उत्पादन संयंत्र से पारेषण और वितरण प्रणली को जोड़ा जाना जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका और (ii) उत्पादन की तुलना में पारेषण और वितरण में अपर्याप्त निवेश।

विद्युत उत्पादन की तुलना में विद्युत पारेषण तथा वितरण पर होने वाले व्यय का अनुपात 1:0.46 है। अन्य शब्दों में कहें तो जब हम उत्पादन के लिए 1 रुपया खर्च करते हैं तो पारेषण और वितरण पर 46 पैसे खर्च करते हैं। यह सिफारिश किए गए मानक 1:1 से काफी कम है। इस मानक की विद्युत सम्बन्धी राज्याध्यक्ष समिति द्वारा सिफारिश की गयी थी। एक कानूनी संरचना, जिसके अन्तर्गत निजी निवेश पावरग्रिड कारपोरेशन और अन्य राज्य विद्युत बोर्डो के प्रयासों को पूरा करे, द्वारा इस असंतुलन को दूर किया जाना आवश्यक है।

चिन्ता का मुख्य विषय इस बात से सम्बन्धित है कि जब निर्माण-स्वामित्व प्रचालन रख-रखाव के आधार पर लाइसेंसों को दिया जाएगा तो क्षेत्रीय या राज्य ग्रिड के एकीकृत प्रचालन को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाएगा। पारेषण लाइसेंसधारक की जिम्मेदारी केवल पारेषण लाइनों और इससे सम्बद्ध उप स्टेशनों को अच्छी हालत में रखने की होगी जिससे कि लाइनें विद्युत के पारेषण के लिए उपलब्ध रहे।

इस विधेयक के अन्तर्गत ऐसी योजना बनायी गई है। पारेषण लाइसेंस धारक इस बात की चिन्ता नहीं करेगा कि लाइनों से कितनी मात्रा में ऊर्जा का पारेषण किया जाता है। पारेषण लाइसेंस धारकों के साथ एक समझौते के अन्तर्गत पावरग्रिड या राज्य विद्युत बोर्डों को पारेषण प्रणाली का विशेष प्रयोग का अधिकार होगा। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय "लोड डिस्पैच" केन्द्रों द्वारा और राज्य स्तर पर राज्य 'लोड डिस्पैच' केन्द्रों द्वारा विद्युत प्रवाह के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे। इस समय पावर ग्रिड के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्र एकीकृत ग्रिड प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी करेगा जिनका अनुपालन करना राज्य विद्युत बोर्डों, विद्युत उत्पादनकारी कम्पनियों बड़ी मात्रा में वितरण करने वाले लाइसेंसधारकों और पारेषण लाइसेंसधारकों के लिए अनिवार्य होगा।

इसी प्रकार इस समय राज्य विद्युत बोर्डों के अन्तर्गत कार्य कर रहे राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के निदेशों को राज्य ग्रिड के सुचारू प्रचालन के लिए पारेषण लाइसेंस धारकों और विद्युत उत्पादनकारी कम्पनियों को मानना अनिवार्य होगा। मैं यह कह सकता हूं कि इसे विधेयक के रूप में लाया जाना अनिवार्य रूप से इसीलिए आवश्यक था क्योंकि हम समझते हैं कि पारेषण उत्पादन का भाग या वितरण. से जुड़ी गतिविधि नहीं है। यह एक पृथक गतिविधि है जिससे अलग आय होती है और इसकी प्राथमिकता भी भिन्न है। वास्तव में हमारे समक्ष पारेषण परिदृश्य में उन सब बातों के अतिरिक्त जिनका कि मैं उल्लेख कर चुका हूं एक प्रमुख समस्या है और वह है प्रचुरता। हम पारेषण के क्षेत्र में प्रचुरता लाना चाहते है जिससे कि किसी दुर्घटना या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में किसी अन्य रास्ते के माध्यम से विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव हो सके।

आज हमारे सामने ऐसी स्थिति है कि पूर्वी क्षेत्र में हमारे पास लगभग 2,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध है और इसके लिए दक्षिण में बाजार उपलब्ध है। परन्तु दुर्भाग्यवश समुचित पारेषण सम्पर्कों के न होने के कारण हम इस विद्युत को दक्षिण तक ले जाने में सक्षम नहीं हैं। एक छोटे से कार्य 2,000 मेगावाट विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इतने अधिक निवेश की आवश्यकता है कि हम एक साथ हजारों किलोमीटर परिपथ को बिछाने की बात कर रहे हैं। हम कुछेक बड़े परिपथों को बिछाने में सफल हो पाये हैं और अधिक परिपथों को बिछाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। परन्तु जब तक हम एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं करते हैं जहां हम राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत की कमी वाले देश के भागों में देश के दूसरे भागों से बिजली नहीं पहुंचाते हैं तो तब तक हम एक आधुनिक विकासशील राष्ट्र की मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे।

इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर, जैसाकि इसे हमेशा गलत समझा जाता है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम पारेषण को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपने नहीं जा रहे है। इसके विपरीत हम पारेषण क्षेत्र में निवेश को उपलब्ध करा रहे हैं या इस क्षेत्र में निवेश

को सहायता पहुंचा रहे हैं इसी कारण इस प्रकार किया गया निवेश निर्माण और रख-रखाव के लिए होगा। परन्तु वास्तविक प्रचालन सरकार और उसके अभिकरणों के अधीन होगा और किसी निजी निकाय के अधीन नहीं होगा। यही इस विधेयक का आशय और सार है।

इसीलिए मैं सिफारिश करता हूं कि विधेयक में सम्मिलित सभी बातों के साथ सभा द्वारा विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

> "कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड) : महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

हमारे समाज के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विद्युत अत्यावश्यक निवेश है। राज्यों पर किफायती लागत पर विद्युत की आपूर्ति को सुनिश्चित करने और गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बनाये रखने की पूरी जिम्मेदारी है। दुर्भाग्यवश राज्य अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाने में सफल नहीं रहे हैं।

यदि हम भारत और चीन की तुलना पर दृष्टि डालें तो बेहतर होगा। भारत और चीन ने 1950 में एक समान क्षमता से शुरूआत की थी। भारत में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 1560 मेगावाट थी जबकि चीन की विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 1850 मेगावाट थी। यदि हम साढ़े चार दशकों के बाद की स्थिति पर नजर डालें तो मार्च, 1998 में भारत के पास विद्युत उत्पादन की लगभग 90,000 मेगावाट की क्षमता थी जबकि चीन ने इस दिशा में काफी आगे बढ़कर 2,20,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की क्षमता को प्राप्त कर लिया था। विश्व औसत 2200 यूनिट की तुलना में हमारा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विद्युत का उपभोग 350 यूनिट है। विद्युत का उपभोग सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण मानदण्ड है। यह बात दर्ज की गई है कि लगभग 11.5 प्रतिशत की ऊर्जा की कमी है और अधिकतम आवश्यकता के समय 18 प्रतिशत से भी ज्यादा की कमी है। आर्थिक सुधारों को आरम्भ करने के बाद हमारा ध्यान आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता की ओर जाने लागा है। हमने अपनी विद्युत सम्बन्धी विधियों में सुधार करना आरम्भ कर दिया है और इन प्रयासों का जरूर प्रभाव पड़ेगा। यदि आप कुल मिलाकर उत्पादन परिदृश्य को देखेंगे तो हम पायेंगे कि अधिकतम आवश्यकता के समय की कमी को जल विद्युत उत्पादन के द्वारा पूरा किया गया है। परन्तु ताप और जल विद्युत उत्पादन का अनुपात 40 प्रतिशत जल विद्युत और 60 प्रतिशत ताप उत्पादन के आदर्श अनुपात के स्थान पर आज हमारे यहां मात्र 25 प्रतिशत जल विद्युत उत्पादन होता है और 75 प्रतिशत ताप-विद्युत का उत्पादन होता है नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन अत्यधिक कम है। लगभग 1,30,000 मेगावाट की संभावित जल विद्युत उत्पादन क्षमता के विरुद्ध हम केवल 14 प्रतिशत का ही दोहन करने में सफल हो पाए हैं। हमारे यहां अभी भी पारेषण और वितरण में अत्यधिक हानि होती है जोकि विश्व औसत से काफी अधिक है। हमारे यहां 21 से 23 प्रतिशत विद्युत के प्रवाह में हानियां होती है। पिछले सात से आठ वर्षों में विद्युत के क्षेत्र में सुधार के प्रयासों के परिणामस्वरूप संयंत्र भार घटक 55 प्रतिशत बढ़कर लगभग 65 प्रतिशत हो गया है।

हमारे यहां विद्युत उत्पादन में नियमित रूप से वृद्धि हुई है। किंतु बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि विद्युत के तीन मुख्य पहलू हैं अर्थात उत्पादन, पारेषण और वितरण। 1991 से शुरू किए गए सुधारों में मुख्यतया सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्र के उत्पादन पहलू पर ध्यान दिया गया, राज्य के पास धन की अपर्याप्तता के कारण विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की बात की गई, विद्युत विधियों में संशोधन किया गया। हमने विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी आमंत्रित करने के लिए विश्वभर में शिष्टमंडल भेजे। कुछ लोगों ने इस क्षेत्र में आने का साहस किया। हमने उन्हें विशेष सुविधाएं दी। हम उन्हें फास्ट ट्रैक परियोजनाएं कहते हैं।

विगत सात वर्षों में इन फास्ट ट्रैक परियोजनाओं के अनुभव बहुत ही निराशाजनक रहे हैं। पहला, हमने केवल उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित किया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं अर्थात पारेषण और वितरण की उपेक्षा की गई। उत्पादन के क्षेत्र में भी स्थिति दयनीय है। आठवीं योजना में 30,000 मेगावाट के लक्ष्य से हम केवल 16400 मेगावाट का लक्ष्य ही प्राप्त कर सकें। 2800 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के लक्ष्य के विपरीत केवल 1400 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका। जैसाकि हमारे वामपंथी दलों आदि स्वदेशी जागरण मंच के मित्र सोच रहे है उसके विपरीत निजी क्षेत्र इस देश में निवेश के लिए भागा नहीं आ रहा है। निवेश केवल उन्हीं क्षेत्रों में होगा जहां पर उचित लाभ मिलेगा। इसलिए पारेषण और वितरण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा से गंभीर विकृतियां आ गई हैं। विद्युत उपलब्धता की वर्तमान प्रणाली में अक्सर बिजली गुल रहती है। बार-बार बिजली गुल हो जाने और कम वोल्टेज के कारण उपकरण जल जाते हैं। उद्योगपतियों और किसानों को समय से बिजली नहीं दी जाती है। एक बड़ी विकृति आ गई है, अभी मंत्री जी ने सूचित किया है कि देश के कुछ भागों में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध है और विद्युत उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है। किंतु हम पर्याप्त पारेषण सुविधाओं के अभाव के कारण उस विद्युत का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में प्रमुख पहलकदमी की आवश्यकता है।

पिछली सरकार ने भी विद्युत क्षेत्र के लिए न्यूनतम सामान्य कार्य योजना में कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की थी। इस दस्तावेज की एक प्राथमिकता यह थी कि पारेषण क्षेत्र को स्वतंत्र कार्यकलाप माना जाएगा और फिर हम पाएंगे कि पारेषण क्षेत्र में निजी निवेश होगा।

ऊर्जा क्षेत्र का अवसंरचना का महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण नौवीं योजना में भी समग्र ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है। उसमें अधूरी

[श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण]

परियोजनाओं को पूरा करने, संयत भार तथ्य में सुधार, पारेषण और वितरण हानियों को कम करने, विद्युत विधियों में सुधार, संस्थागत सुधार और जल विद्युत और ताप विद्युत के संयोजन में सुधार पर भी बल दिया गया है।

उच्च क्षमतायुक्त अन्तर-क्षेत्रीय पारेषण लाइनों के निर्माण पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। नौवीं योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय ग्रिड नियंत्रण से राष्ट्रीय समेकित ग्रिड परिचालिन पर बल देना था। निश्चित तौर पर निजी क्षेत्र-घरेलू और विदेशी दोनों के माध्यम से निवेश को सरल बनाने के लिए कानून बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया। कैप्टिव विद्युत उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया गया। ये सभी अच्छे उद्देश्य हैं। किंतु दर्भाग्यवश, नौवीं योजना का दस्तावेज खटाई में पड़ा है। मेरे विचार से भाजपा अब इस पर पुनः गौर कर रही है तथा इसकी समीक्षा तथा इसमें सुधार करना चाहता है। मुझे डर है कि कहीं यह योजना ऐसे ही न लटक जाए।

योजना आयोग का कार्य दल विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना चाहता है। अगले पांच वर्षों में 57000 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी जिसमें से 40,000 मेगावाट नियोजित है। 40,000 मेगावाट की इस अतिरिक्त क्षमता के लिए प्रति मेगावाट चार करोड़ रुपये की औसत लागत से लगभग 1,60,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।

राजाध्यक्ष समिति के अनुसार, जिसका माननीय मंत्री ने भी उल्लेख किया है निवेश की आदर्श स्थिति यह है कि यदि विद्युत उत्पादन पर एक रुपया व्यय किया जाता है तो समान अनुपात में पारेषण और वितरण पर भी एक रुपया व्यय किया जाना चाहिए। किंतु दुर्भाग्य से चौथी योजना से हम इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सके। चौथी योजना में पारेषण और वितरण में निवेश कुल निवेश का 47 प्रतिशत का जो पांचवीं योजना से निरन्तर कम हो रहा है। पांचवी योजना मं यह 39 प्रतिशत था, छठी, सातवीं और आठवीं योजना में यह 33 प्रतिशत पर स्थिर रहा। एक बड़ी विकृति शुरू हो गई है।

अब धन की उपलब्धता मुख्य समस्या है। नियत ट्रैफिक नीति तथा राज्य बिजली बोर्डो की कार्य प्रणाली को देखते हुए आंतरिक संसाधन पैदा करने के कोई आसार नहीं है। राज्य बिजली बार्डो के प्रतिफल की कुल दर लगभग नकारात्मक 18 प्रतिशत है। यदि हम चाहते है कि प्रतिफल की दर शून्य प्रतिशत हो तो हमें औसत टैरिफ में 38 पैसे की वृद्धि करनी होगी। हम जानते है कि विद्युत टैरिफ बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। यदि हम 3 प्रतिशत प्रतिफल दर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रति यूनिट औसत दर में 43 पैसे की वृद्धि करनी होगी। विनियामक आयोग के बारे में विद्युत विधि संशोधन जिन्हें हाल ही में इस सभा ने पारित किया है, इस दिशा में एक कदम है।

किंतु मैं नहीं समझता कि यह सरकार एक उचित टैरिफ नीति पर सहमत होने के लिए सभी दलों का राजनीतिक समर्थन हासिल करने में सक्षम है। मैं समझता हूं सरकार को इस दिशा में कदम उठाते रहने चाहिए ताकि टैरिफ दरों में गड़बड़ी न हो।

महोदय कुल उत्पादित ऊर्जा में से केवल 40 प्रतिशत ऊर्जा ही राजस्व अर्जित करती है। शेष 60 प्रतिशत ऊर्जा या तो अनावश्यक हानि में या वाणिज्यिक हानि में चली जाती है जो बिजली की चोरी या विभिन्न क्षेत्रों के लिए बिना मीटर के विद्युत आपूर्ति के लिए गोलमोल भाषा का प्रयोग करने के समान है। पारेषण और वितरण में उच्च हानि, तकनीकी हानि के कारण अपर्याप्त पारेषण और वितरण नेटवर्क का होना है। इसलिए इस देश के समग्र विद्युत परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इष्टतम संयंत्र भार तथ्य प्राप्त करने हेतु पारेषण और वितरण प्रणाली के उन्नयन को उच्च प्राथमिकता देनी होगी।

अपराह्न 3.38 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

वर्ष 1989 में पावरग्रिड का निर्माण इस दिशा में प्रमुख कदम था। अब, नौवीं योजना मे कुल कितने निवेश की आवश्यकता है? कुछ दस्तावेज कहते हैं कि 56,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। अब यदि वे 40,000 मेगावाट की क्षमता के उत्पादन और प्रति मेगावाट चार करोड़ रुपये के निवेश की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि उत्पादन क्षेत्र में 1,60,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है और फिर उन्हें अपने कथनानुसार पारेषण और वितरण पर भी इतनी राशि व्यय करनी पड़ेगी। इसलिए कुछ दस्तावेजों के अनुसार 56,000 करोड़ रुपये तथा पावरग्रिड के पूर्व प्रमुख के अनुसार 1,22,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। अकेला पावरग्रिड और राज्य बिजली बोर्ड आन्तरिक संसाधन जुटाकर लगभग 20,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकते हैं। शेष निवेश निजी संसाधनों से होगा।

महोदय हमारे समय-समय पर संशोधित दो विद्युत कानूनों-भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 जिसमें अनुज्ञप्ति धारियों के अधिकारों का उपबंध है और विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और राज्य बिजली बोर्डों की भूमिका पारेभाषित की गई है, में उत्पादन और वितरण निनका अनन्य अस्तित्व हो सकता है, के विपरीत पारेषण एक अनन्य और अलग अस्तित्व बनाने का कोई उपबंध नहीं है।

अधिनियम में पारेषण के लिए एक स्वतंत्र संगठन के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए जैसा वर्तमान कानून में उपबंध है पारेषण लाइनों को उत्पादन के साथ उत्पादक कंपनी ही उपलब्ध कराएगी या कम वोल्टेज की छोटी उप-पारेषण लाइनें किसी वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण के साथ उपलब्ध कराई जा सकती है।

इस विधेयक का आशय पारेषण को एक अलग कार्यकलाप के रूप में परिभाषित करने और केवल पारेषण के क्षेत्र में एक अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देना है। सरकार ने शंकरगुरूस्वामी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की है। इस दल ने पिछले वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस रिपोर्ट में पारेषण और वितरण में निजी निवेश के लिए

दिशा निर्देश हैं। कमोवेश यह विधेयक इस विशेषज्ञ दल की सिफारिशों का ही परिणाम है। विद्युत परिपेक्ष्य के विधेयक पर और पारेषण पहलु पर चर्चा करते हुए हमारे पास उच्च वोल्टता की लगभग 1,10,000 सार्किट कि.मी. क्षमता फालतू है अर्थात ए/सी पारेषण लाइन की 400 कि.वाट और 220 कि.वाट और 500 कि.वाट की डी/सी पारेषण लाइन की लगभग 1700 सार्किट कि.मी. की उच्च वोल्टता अगले उच्चतर स्तर तक जाने की योजनाएं है क्योंकि इससे हानि बहुत कम होगी। अगला उच्चतर स्तर 765 कि.वा. ए/सी है। मैं नहीं जानता कि यह परियोजना कब आरम्भ होगी जितनी जल्दी आरम्भ हो उतना ही बेहतर है। मैं जानता हूं कि इसके लिए धन की आवश्यकता है।

विधेयक के विशेष पहलु पर आते हुए यह उच्चतम सर्वमान्य तथ्य और शंकर गोस्वामी रिपोर्ट में भी प्रकाश डाला हैं कि पारेषण वास्तविक एकाधिकार है और यह राज्य एकाधिकार में ही रहना चाहिए। पारेषण कार्य को निजी क्षेत्र संगठन को नहीं सौंपा जाना चाहिए। इसलिए जो मांगा जा रहा है कि हमारे पास केन्द्रीय स्तर पारेषण सेवा और राज्य स्तर पारेषण सेवा होंनी चाहिए। यह अधिनियम इन उपयोगिताओं के सृजन का प्रावधान करता है। दोनों विद्युत अधिनियमों को संशोधित किया जाना चाहिए। यह सेवाएं स्वतंत्र विद्युत पारेषण कम्पनियों को लाइसेंस देगी जो क्षेत्रीय दबाव (लोड) प्रेषण केन्द्र और राज्य दबाव (लोड) प्रेषण केन्द्र के अन्तर्गत कार्य करेंगे वे ग्रिड के संचालन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे अतः वे ग्रिड पैरामीटर के लिए उत्तरदायी नहीं है। वे केवल बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे जिसमें वे तैयार करेंगे, डिजाइन करेंगे, बनाएंगे और रख-रखाव करेंगे। वे लोड प्रेषण कन्द्रों के अधीन कार्य करेंगे।

विधेयक के खण्ड 3 पर आते हुए जिसमें धारा 27 (ख) को संशोधित करने की बात कही है, पर मुझे कुछ चिन्ता है। राज्य पारेषण सेवा राज्य विद्युत बोर्ड अथवा राज्य सरकार हो सकती है। सर्वप्रथम, यह स्वीकार किया गया है कि पारेषण सेवा राज्य सरकार के एकाधिकार में होगी। धारा, 27 (ख) के संशोधन में कहा गया है कि राज्य पारेषण सेवा राज्य विद्युत बोर्ड हो सकती है और उसी समय में यह भी कहा गया है "अथवा एक अनुगामी संरचना।" अब सरकार राज्य विद्युत बोर्डो का निजीकरण करने की योजना बना रही है। उड़ीसा में राज्य विद्युत बोर्ड निजी क्षेत्र में है। हरियाणा ने इस सम्बन्ध में कुछ पहल की है। अतः क्या आप राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य पारेषण सेवा बनाने का विचार कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो आप राज्य एकाधिकार में चल रहे पारेषण विचारधारा के विरुद्ध जा रहे हैं।

मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं। अन्यथा आपको धारा 27 (ख), उपखण्ड 1 जो राज्य विद्युत बोर्डों का सन्दर्भ था यूं कहे कि राज्य विद्युत बोर्डों जहां यह राज्य के स्वामित्व में हो" को हटाना होगा। मुझे भय है जब आप अनुगामी संस्था करते हैं तो यह सरकारी संरचना नहीं हो सकती।

जहां पारेषण का राज तंत्र पहले से विद्यमान है क्या यह अधिनियम अनुमति देगा कि उस तंत्र (नेटवर्क) को किसी स्वतंत्र विद्युत पारेषण कम्पनी को बेचा जा सकता है? अथवा स्वतंत्र विद्युत पारेषण कम्पनी को नयी अवसंरचना को अवश्य सृजित करना पड़ेगा? क्या आई पी टी सी को विद्यमान अवसंरचना पट्टे पर देने की अनुमति होगी?

तीसरी बात जिसका मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या आई पी टी सी वाल्टता और बारम्बारता जैसी ग्रिड पैरामीटरों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी नही हैं और यदि वे उन पैरामीटर को दुरस्त कार्यशील ग्रिड की अनुपलब्धता के कारण पूरा नहीं कर सकते तो झगड़ों का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा? विवाद निपटान तंत्र क्या है? क्या केन्द्रीय पारेषण प्राधिकरण अथवा केन्द्रीय विनियम आयोग इन विवादों को निपटाएगी? हम नहीं जानते हैं। विधेयक में इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप में कुछ भी नहीं कहा गया हैं।

विधेयक का अगला पहलू यह है। निजी क्षेत्र की भागेदारिता के सम्बन्ध में किस प्रकार निर्णय लिया जाएगा? समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बातचीत के रास्ते को वरीयता नहीं दी जाएगी। समिति ने कहा कि राज्य आयोग अथवा केन्द्रीय पारेषण सेवा ग्रिड का डिजाइन, नेटवर्क और उपयोग का पूर्ण वितरण, निविदा दस्तावेज तैयार करेगा और अन्ततः प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा खोलना और वार्तालाप के लिए मार्ग नहीं है जैसाकि हमने फास्ट ट्रेक परियोजनाओं के मामले में किया था। मंत्री जी ने यह नहीं बताया है कि क्या निजी क्षेत्र को खुले प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। अन्यथा कल वे वार्तालाप के माध्यम पर लौट सकते हैं और हम जानते हैं जैसाकि अब मेरे राज्य में मशहूर इनरॉन परियोजना के साथ घटित हुआ है।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : क्या यह मशहूर है अथवा कुख्यात है?

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : यह परियोजना अपने आप में कुख्यात नहीं है क्योंकि हमें उस विद्युत की आवश्यकता है। वार्तालाप उस सरकार द्वारा, जिसने इस परियोजना को आरम्भ किया था और उस सरकार द्वारा जिसने इसे पूर्ववर्ती सरकार से हाथ में लिया था दोनों के बीच था और पूरी वार्तालाप प्रक्रिया अस्पष्ट थी। हमें आशंका है कि बिजली जो इनरॉन से मिलेगी वह अत्यन्त महंगी होगी।

हम अस्पष्ट वार्तालाप माध्यम को नहीं अपनाना चाहते हैं लेकिन हम पारदर्शी प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा मार्ग को अपनाना चाहते हैं।

मेरा अगला मुद्दा है, मंत्री जी ने बताया है कि राज्य और केन्द्रीय पारेषण सेवाएं पारदर्शिता से कार्य करेंगी। लेकिन क्या वहां सार्वजनिक मुकद्दमों की सुनवाई होगी? शुल्क निःसन्देह सार्वजनिक निविदाओं से प्राप्त होगा। मान लीजिए आप संशोधन करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति केन्द्रीय पारेषण सेवा को शिकायत करता है तो क्या खुली सार्वजनिक सुनवाई होगी? इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं पिछली लोक सभा में विद्युत सम्बन्धी स्थायी समिति का सदस्य था जिसने हम विधेयक को पूरा करके छोड़ा था।

[श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण]

मैं समझता हूं यह मामला उस समय भी उठाया गया था जब शुल्क निर्धारित किये जा रहे थे। जब कभी भी ठेके दिये गए थे जब कभी निजी पारेषण संचालन का चयन किया जाएगा इस पर सार्वजनिक सुनवाई की जाएगी। मैं समझता हूं इस विधेयक में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि ऐसा किया जाना चाहिए।

मुझे धारा 27 (ग), उपखण्ड 5 और धारा 27 (घ), उपखण्ड 5 के बारे में भी कुछ चिन्ता है। मैं समझता हूं यह खंड 3 में हैं। छूट क्यों प्रदान की जा रही है? मंत्री जी का कहना है कि कुछ अत्यन्त विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह खण्ड वहां क्यों रखा गया है? मैं नहीं जानता इसके पीछे क्या मंशा है? यह खण्ड मुझे चिन्तित करता है क्योंकि यह बचने का मार्ग है। कल उचित लाइसेंस को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपनाए बिना कोई राज्य अथवा राज्य और केन्द्रीय सरकार दोनों लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी को विद्युत देने की अनुमति दे सकती है।

मैं यह नहीं समझ सकता कि इस छूट मार्ग को वहां पर क्यों रखा गया है।

धारा 27 (6) का नया संशोधन संसद की भूमिका के सम्बन्ध में है। यह कहता है कि किसी नयी अधिसूचना अथवा किसी संविदा के सम्बन्ध में संसद के दानों सदनों और राज्य विधान मंडल को एक निश्चित अवधि के भीतर सभा को इसमें अवगत कराया जाएगा। यह अच्छा सुझाव है। क्या आपको निश्चित अवधि के भीतर संसद में पुष्टि कराने की आवश्यकता है? यदि यह प्रयोजन है तो मैं समझता हूं कि संसद आजकल जिस प्रकार से कार्य कर रही है वह 30 दिनों की दी गई अवधि ने भीतर इसकी पुष्टि कराने में समर्थ नहीं हो सकेगी। मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या मंशा है। निःसन्देह संसद में जाना अच्छी बात है आपको संसद के दोनों सदनों को सूचित करते रहना चाहिए कि क्या होने जा रहा है।

प्रस्तावित कानून में लाइसेंस कितने समय के लिए वैध होगा इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। पहले मामले में 20 अथवा 30 वर्षों के लिए इस विकल्प के साथ होना चाहिए कि इसकी समयावधि के अन्दर समीक्षा की जाएगी। मैं समझता हूं आरम्भ में, कानून में इसे सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह कार्य नियम बनाने वालों अथवा प्रत्यायोजित विधान पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि हम एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जैसाकि शंकर गुरूस्वामी की रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वतंत्र पारेषण कम्पनियों के सम्बन्ध में कहीं भी पर्याप्त अनुमान नहीं है। यहां तो हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं है लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, स्वतंत्र विद्युत पारेषण कम्पनियों को पर्याप्त अनुभव नहीं है। हमें इसलिए पूरी सावधानी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए अन्यथा हमें धोखा भी हो सकता है।

प्रारूप समझौतों के सम्बन्ध में मैं जानता हूं और मंत्री जी भी जानते हैं कि आई पी पी के मामले में विद्युत खरीद समझौतों को करने में कितना समय लगता है और अब आप कह सकते है कि आपने पारेषण समझौते कर लिए हैं। हम जानना चाहते हैं क्या प्रारूप मॉडल पारेषण समझौता पर कोई कार्य किया गया है। मैं नहीं जानता कि यहां इसके बारे में कुछ कहा गया है। रिपोर्ट के एक अध्याय में पारेषण समझौतों के बारे में कहा गया है लेकिन यह क्षेत्र ऐसा है जहां हमें बहुत सावधानी पूर्वक प्रवेश करना होगा।

आप भूमि अधिग्रहण हेतु क्या कदम उठाने वाले हैं या वन विभाग से अनुमति लेने के लिए क्या करने वाले हैं? क्योंकि जब आप अन्तःराज्यीय या अन्तरराज्यीय पारेषण लाइनों को बिछाते हैं और एक निजी कम्पनी इस कार्य के लिए आगे आती है तथा एक लाइन बिछाती है मान लीजिए बिहार से उड़ीसा या गोलाई में परिपथ बिछाने या महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ने वाली लाइन बिछाती है तो आपके सामने भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित समस्याएं उपस्थित होगी। यदि एक निश्चित दूरी पर मीनारों को स्थापित किया जाना हो तो प्रत्येक मीनार के लिए आधा एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। आप तो भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को जानते ही हैं। जब तक कि वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने सम्बन्धी और अन्य प्रक्रियाओं पर नए सिरे से विचार नहीं किया जाता है तो मैं समझता हूं, कई विदेशी कम्पनियां जो अन्यथा इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं, हतोत्साहित हो जाएगीं।

अन्ततः यह एक स्वागत योग्य विधान है परन्तु विद्युत उत्पादन के निजीकरण का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। यहां तक कि हमारी 'फास्ट ट्रैक परियोजनाएं' भी विद्युत की पहली इकाई को उत्पादित करने में सालों-साल लगा देती हैं। सम्भावना है कि शायद इस वर्ष हमें निजी विद्युत उत्पादनकारी परियोजनाओं से कुछ विद्युत प्राप्त हो सके। यदि आप ऐसा ही पारेषण परियोजनाओं के साथ करने जा रहे हैं तो इनका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। पारेषण लाइनों के लिए वह सारा निवेश चाहिए जोकि हमें मिल सकता है जिससे कि हम उस खामी को दूर कर सकें जो हमारे समक्ष काफी लम्बे समय से उपस्थित है।

इन शब्दों के साथ, मैं मेरे द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं और आपत्तियों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री अपने उत्तर में हमारे द्वारा उठायी गई आशंकाओं का उत्तर देंगे।

मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि हमारे प्रभारी मंत्री महोदय काफी ऊर्जावान व्यक्ति हैं। उन्हें उचित ढंग से राजनीतिक प्रशिक्षण मिला है। परन्तु मुझे शंका है कि क्या उन्हें वर्तमान परिस्थितियों में कार्य करने दिया जाएगा जिनमें सरकार कार्य करते हुए प्रतीत नहीं होती है। हमें कुछ विधान ही पारित कर लेने चाहिए क्योंकि सरकार डगमगा रही है और कभी भी गिर सकती है।

श्री वी॰ धनंजय कुमार (मंगलौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक का आशय केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को अन्तरराज्यीय विद्युत के प्रभावी पारेषण की शक्ति प्रदान करने अथवा राज्य सरकारों या राज्य विद्युत विनियामक आयोग को अन्तःराज्यीय पारेषण के लिए प्रभावी बनाने के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और 1948 के विद्युत आपूर्ति के अधिनियम के कतिपय उपबन्धों में संशोधन करना है।

महोदय, यह पहला मौका है कि सरकार विद्युत के पारेषण को एक पृथक गतिविधि मान रही है। वास्तव में विद्युत उत्पादन, पारेषण और आपूर्ति या वितरण तीन अलग-अलग और पृथक गतिविधियां हैं। जैसे ही हम स्विच दबाते हैं और लाइट जल जाती है या किसी अन्य जगह पर मोटर चलने लगती है, तो विद्युत जोकि किसी अन्य स्थान पर उत्पादित होती है, को हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।

हम विद्युत, जो कि ऊर्जा है, की देश में क्या स्थिति है, इस बात को जानते हैं। हमेशा इसे दयनीय बताया जाता है। यह आकलित किया गया है कि पूरे देश में 11 प्रतिशत विद्युत की कमी है और अधिकतम आवश्यकता के समय यह कमी लगभग 18 प्रतिशत है। यह चौंकाने वाली बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर पारेषण और वितरण में विद्युत की औसत हानि 16 से 22 प्रतिशत होती है। यदि पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली को सुधारने पर समुचित ध्यान दिया गया होता तो शायद विद्युत आपूर्ति में इतनी कमी नहीं आती। प्रणाली में सुधार लाना होगा।

हाल ही में हमने केन्द्रीय विद्युत विनियामक प्राधिकरण अधिनियम को पारित किया है। हमें प्राधिकरण को विद्युत आपूर्ति की स्थिति को सुधारने में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए सशक्त बनाना होगा। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं कि विद्युत का उत्पादन एक बात है और इसे वास्तव में उपयोग में लाने के पहले इसे बड़ी या छोटी मात्रा मे एक स्थान से दूसरे स्थान को पारेषित किया जाना होता है। इसमें उच्च शक्ति वाली विद्युत का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पारेषण किया जाना होता है।

यह कहा जाता है कि पारेषण में हानि उच्च दाब से कम दाब में परिवर्तन के कारण होती है। अन्ततः हमें वास्तव में प्रयोग में लाने से पहले उच्च दाब की विद्युत को कम दाब की विद्युत में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। इसका एकमात्र हल पारेषण प्रणाली को सुधारा जाना है।

हमारे पास पारेषण की अत्यधिक पुरानी प्रणाली है। कुछ समय पहले माननीय मंत्री बता रहे थे कि हमने कई हजार किलोमीटर लम्बा परिपथ तैयार किया है। हमने पारेषण टॉवर लगाए है। हमने पारेषण लाइनें बिछाई हैं।

हमारे पास ऊर्जा के भण्डारण हेतु ट्रांसफार्मर भी है। इसके बाद हमें एक विशेष स्थान से दूसरे स्थान तक आपूर्ति में सुधार लाना है। जब तक कि इस पूरी प्रणाली को सुधारा नहीं जाता है तब तक अत्यधिक लागत पर उत्पादित की गई विद्युत का समुचित ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। लगातार सभा में भी पारेषण प्रणाली की अक्षमता चर्चा का विषय रही है। जब कभी भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मंत्री महोदय यही उत्तर देते हैं कि विद्युत तो उपलब्ध है परन्तु हम इसे प्रभावी ढंग से पारेषित करने में सक्षम नहीं हैं। कुछ ही देर पहले मंत्री महोदय इस बात का उल्लेख कर रहे थे। हमारे पास पूर्वी क्षेत्र में 2000 मेगावाट अधिक विद्युत है जबकि दक्षिण में विद्युत की कमी है परन्तु हम दक्षिणी क्षेत्र को विद्युत को प्रभावी ढंग से पारेषित करने में सक्षम नहीं हैं।

हमारे यहां ग्रिड की अवधारण है। हमारे यहां राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली है। हमारे पास यहां क्षेत्रीय ग्रिड है। परन्तु इसके बावजूद भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत का समुचित ढंग से प्रभावी पारेषण नहीं कर पा रहे हैं और इससे उपभोक्ता को विद्युत की लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। जब इसका उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर अतिरिक्त लागत का भार पड़ता है। इस विधेयक में सरकार की मंशा पारेषण के अधिकारों को केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता को सौंपने की है। राज्यों में अन्तःराज्यीय पारेषण के लिए राज्य पारेषण उपयोगिताओं का गठन किया जाएगा। वे पारेषण के लिए शुल्क का निर्धारण करने में सक्षम होंगी।

मेरे मित्र श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण द्वारा सही तथ्य उठाया गया है कि पारेषण के लिए शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में इन पारेषण उपयोगिताओं को प्राधिकरण को सौंपे जाने के सम्बन्ध में शंका है। लाइसेंसे शुल्क का निर्धारण एक बात है परन्तु लेवी किए जा रहे शुल्क या विद्युत के वास्तविक पारेषण के लिए एकत्रित किए जा रहे शुल्क दूसरी बात है। शुल्क का निर्धारण करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए। जैसाकि सही कहा गया है कि यह पारदर्शी होना चाहिए। शुल्क को निर्धारित करने से पहले समुचित चर्चा या विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। अन्यथा फिर से मुझे आशंका है कि यह लागत से जुड़ जाएगा और इससे उपभोक्ता पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।

जहां तक पारेषण प्रणाली में सुधार किए जाने की बात है, मीनारों और पारेषण लाइनों के निर्माण में पहले ही इस्तेमाल में लायी जा चुकी सामग्री काफी पुरानी हो चुकी है। रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। जैसा कि यह बात उठायी जा चुकी है कि इस प्रणाली के उचित रख-रखाव के लिए हमें पर्याप्त धन की आवश्यकता है। एक ओर हमें विद्युत के उत्पादन के लिए निवेश चाहिए तो दूसरी ओर पारेषण प्रणाली को सुधारने के लिए भी काफी धनराशियों की आवश्यकता है। काफी समय तक पारेषण क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है या यूं कहें कि इसकी उपेक्षा की गई है। कुछ सुझाव दिए गए थे कि उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए समान निवेश किए जाने चाहिए। क्योंकि पारेषण और वितरण क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है इसीलिए हमें आज विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना होगा कि केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिताओं को प्राधिकार देकर किस

[श्री वी॰ धनंजय कुमार]

प्रकार वे संसाधनों को बढ़ाएंगे जो कि पारेषण प्रणली को सुधारने में पुनर्निवेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एक विहित शुल्क को प्राप्त कर लाइसेंस प्रदान करने के अतिरिक्त और कोई उपबन्ध नहीं है जो इस क्षेत्र में पुनर्निवेश के संसाधनों को समृद्ध करता है। इसके पश्चात यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि पारेषण के लिए लाइसेंसों को प्रदान करने के द्वारा इकठ्ठे किए गए संसाधनों का पारेषण के प्रचालन को छोड़कर समग्र संसाधनों को पारेषण प्रणाली के सुधार और रख रखाव के लिए पुनर्निवेश किया जाएगा।

और आज जैसाकि हम देखते हैं उदाहरण के रूप में मेरे राज्य कनाटक में हमारे पास दो विभिन्न निकाय हैं एक विद्युत उत्पादन के लिए कर्नाटक विद्युत निगम और दूसरा पारेषण और वितरण के लिए राज्य विद्युत बोर्ड है। यह देखा गया है कि उत्पादन करने वाली कम्पनी हमेशा लाभ कमाती है लेकिन वे उतना लाभ नहीं कमाती जितना उन्हें कमाना चाहिए क्योंकि इनका दूसरा निकाय अर्थात विद्युत बोर्ड को जिसमें पारेषण और वितरण सम्मिलित है, उत्पादन करने वाली कम्पनी को पर्याप्त धन देना पड़ता है। यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है? पारेषण और वितरण की उचित क्षतिपूर्ति क्यों नहीं की जाती, परेषण और वितरण प्रणाली का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करके संसाधन क्यों नहीं जुटाए जा सकते? हमें पारेषण प्रणाली में सुधार लाना होगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पैसा देकर नियमित रूप से अपेक्षित विद्युत आपूर्ति प्राप्त करना चाहेगा।

इसलिए पारेषण और वितरण व्यवस्था पर समुचित ध्यान दिया जाना होगा। हम आशा करते हैं कि विभिन्न सरकारी एजेंन्सियों को यह अधिकार देकर और प्रस्तावित भागेदारी से निःसन्देह यह सीमित रूप में स्थिति में सुधार आएगा। मेरे वामपंथी मित्रों को विद्युत के पारेषण और वितरण में निजी क्षेत्र की भागेदारिता के लिए हिचक हो सकती है लेकिन हम भली-भांति जानते हैं - श्री बसुदेव आचार्य जी को भी पता है - कि मुम्बई में हमें विद्युत की कमी नहीं है क्योंकि उत्पादन और वितरण पूर्णरूप से निजी कम्पनियों के हाथ में है। कलकत्ता में भी ऐसा ही है। इसलिए हम निजी क्षेत्र पर पूरी तरह से दोषारोपण नहीं कर सकते और निजी क्षेत्र की भागीदारी उत्पादन को बढ़ाने में और विद्युत की समुचित आपूर्ति को बनाए रखने में भी सहमत होगी।

इस बात का ध्यान देना होगा कि उपभोक्ताओं का शोषण न हो और उनकी अपेक्षाएं पूरी हों। जहां कहीं भी इसे देखते हैं निजी पार्टियां भी इस देश की नागरिक ही हैं और उन्हें भी सरकार के साथ इस राज की अवसंरचना निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी होगी कुछ मिला यह सब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ही है। उत्पादन करने वाले संसाधनों से हम अवसंरचना क्षेत्र में निवेश के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं। हमें उस स्रोत को आमंत्रित कर उसका दोहन करना होगा और हमें उन्हें इस कार्य में आगे आकर सहयोग देने में आने वाली अड़चनों को दूर करना होगा ताकि वे इस देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण में अपनी पूरी भागेदारी निभा सकें।

अतः मैं आशा करता हूं कि हम विधेयक के पारित होने के साथ ही सरकार पूरे देश में समुचित पारेषण बनाने की स्थापना करने के लिए पूरी तरह सक्षम होगी और विद्युत कारगर ढंग से पूरे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पारेषित की जा सकेगी और पारेषण और वितरण में होने वाली हानि को कम से कम किया जाएगा और उपभोक्ताओं को उच्च कोटि की विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं और बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिराचिंकिल) : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं एक साधारण कारण से मैं इसका विरोध कर रहा हूं वह यह है कि यह देश के पूरे विद्युत आपूर्ति का निजीकरण करने का प्रयास है।

पहला प्रयास तब किया गया था जब विद्युत विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। उस समय हम लोगों ने यह बात उठाई थी कि यह इस क्षेत्र का निजीकरण करने का प्रयास है। माननीय मंत्री जी ने हमारे आरोप को नहीं माना था उन्होंने कहा था कि यह राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं हैं। बाद में, वे इस विधेयक में एक अथवा दो संशोधन लाए थे जिसे उन्होंने पेश किया था और इन संशोधनों ने इसे वैकल्पिक बना दिया था। राज्य विद्युत विनियमन अधिनियम का अनुसरण करें न करें यह उन पर निर्भर है। अतः जहां तक राज्यों का सम्बंध है अधिनियम का अनुसरण एकदम वैकल्पिक बना दिया गया था और ऐसा भी इस पक्ष से काफी आलोचना किये जाने के पश्चात् ही ऐसा किया गया था। माननीय मंत्री जी का प्रचार सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य बनाने का था लेकिन मैं खेद के साथ यह बताना चाहता हूं कि इस पक्ष द्वारा हस्तक्षेप करने के पश्चात ही वे दो संशोधन लाए थे और इसे वैकल्पिक बनाया गया था।

अब इसे विद्युत विनियमन अधिनियम के अनुक्रम में लाया गया है। यह विधेयक जिसे ये लाए थे और पारित करवाया था यह 1998 का विद्युत विनियमन अधिनियम के रूप में परन्तु माननीय मंत्री जी ऐसा विधान लाने के लिए कैसे उत्साहित हुए? बहरहाल देश में अभी भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 लागू है इसमें तदन्तर संशोधन किया गया है और हमारे यहां दूसरा अधिनियम विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 लागू है। अभी देश में ये दो अधिनियम लागू हैं और वो बिना किसी कठिनाई के सही ढंग में कारगर है इसके अलावा यह स्वीकार किया गया है कि हमारे विद्युत उत्पादन पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष बढ़ा है। मैं उन मामलों के ब्यौरे पर विस्तार से चर्चा भी करना चाहता हूं। अभी हमारी नौवी योजना चल रही है लेकिन फिर भी हमारे यहां विद्युत आपूर्ति के मामले में कभी पाई जाती है। चाहे वर्षा हो या न हो। यह स्थिति है। अतः हर जगह विद्युत का अभाव है। इस तथ्य के बावजूद कि हमनें विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयास किये हैं लेकिन हमें इस दिशा में अभी भी स्वतंत्रता नहीं मिली है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण

यह है कि विद्युत क्षेत्र में हमारी बुनियादी अवसंरचना मानक से बहुत नीचे है। माननीय मंत्री जी भी इसे स्वीकार करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की अवसंरचना मानक से बहुत नीचे है। और इसके परिणामस्वरूप पारेषण में बहुत अधिक हानि होती है। प्रतिवर्ष हमें पारेषण के रूप में करोड़ों रुपये की हानि होती है जिसे हम रोक नहीं पाते हैं। इसे हम तभी रोक पाने में समर्थ होंगे जब हमारी अवसंरचना निर्माण में मजबूती हो। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। इसके अतिरिक्त अधिकतर राज्य विद्युत बोर्डों में व्यवस्था सही नहीं है। वह सभी जानते हैं। खराब व्यवस्था के कई कारण है जैसे राज्य सरकारों द्वारा कभी कभार हस्ताक्षेप यदि मैं ऐसा कहूं कि राजनीतिक दलों द्वारा कभी कभार हस्ताक्षेप आदि आदि। इन हस्ताक्षेपों के कारण राज्य विद्युत बोर्ड कोई स्वतन्त्र रूप से सही ढंग में कार्य नहीं कर पाते। इसे हम सभी स्वीकार करने है। लेकिन यह निजीकरण का कारण नहीं होगा। यह तो स्पष्ट रूप में निजीकरण का मामला है जिसे स्वीकार किया गया है। हमारी राष्ट्रीय कार्यसूची (नेशनल एजेन्डा सूची) की तरह जिसमें अघोषित कार्यक्रम अन्तर्निहित है। इसी प्रकार हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का निजीकरण करके इसमें एक अघोषित कार्यक्रम अन्तर्निहित है। यह बिल्कुल निश्चित है। यह निश्चित क्यों है क्योंकि केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता ऐसा प्राधिकरण है जो इस विधेयक के पारित होने के पश्चात प्रभावी होगा। इसमें बिल्कुल सन्देह नहीं है। इसमें राज्य उपयोगों और राज्य पारेषण उपयोगिताओं का उपबन्ध भी है। इसमें एक उपबन्ध यह भी है कि लाइसेंस धारक कोई व्यक्ति भी हो सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राज्य विद्युत बोर्ड के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह राज्य उपयोगिता आयोग भी हो। राज्य उपयोगिता हेतु आयोग हो ऐसा इसके लिये आवश्यक नहीं है। यह कोई निजी व्यक्ति हो सकता है। यह इस विधेयक के उपबन्धों से बिल्कुल स्पष्ट है जिसे मेरे विद्युत मित्र ने इस सभा में प्रस्तुत किया है।

परिभाषा खण्ड में बताया गया है कि राज्य पारेषण उपयोगिता का तात्पर्य धारा 27 (ख) की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उपयोगिता है। इसी प्रकार पारेषण लाइसेंस का तात्पर्य विद्युत पारेषित करने के लिए भाग 2 (क) के अन्तर्गत प्रदान किये लाइसेंस से है। यहां यह स्पष्ट उपबन्ध है कि लाइसेंस धारक कोई भी प्राइवेट व्यक्ति हो सकता है। इसके लिए राज्य विद्युत बोर्ड होना आवश्यक नहीं है।

इसलिए वास्तविक प्रयास संपूर्ण कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड को मेरे विद्वान मित्र इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, किसी निजी व्यक्ति को सौंपने का होगा। इसके अलावा मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसे मैंने अपने विद्वान मित्र से प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक पारेषण परियोजनाओं के निजी निवेश को सुगम बनाने की रूप-रेखा (फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन टांसमिशन प्रोजेक्टस) है। उसमें भी बताया गया है कि संयुक्त उद्यम नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा, संयुक्त उद्यम ठीक नहीं होंगे, या निजी अभिकरण को पारेषण का कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए या सरकारी अभिकरण को पारेषण का कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए। संयुक्त उद्यम की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है। यदि स्थिति वह है तो यह निश्चित है कि सरकारी अभिकरण को इस तस्वीर से हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पर निजी अभिकरण को स्थापित किया जाएगा।

वैसा करने का यह एक प्रयास है। माननीय मंत्री मेरे आरोपों का खंडन कर सकते हैं किंतु यह तथ्य निर्विवाद है कि इस अधिनियम के प्रवृत्त हो जाने और वे राज्य जो इस संविदा के प्रावधानों को समाविष्ट करेंगे उन्हें निश्चित रूप से केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। वह प्राधिकरण हर दिन निर्देश जारी करेगी। इसलिए संपूर्ण स्थिति यह है कि मंत्री महोदय द्वारा बिजली या विद्युत क्षेत्र में निजीकरण करने का स्पष्ट प्रयास है जिससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूं क्योंकि ऐसा करने से हजारों कामगारों, कर्मचारियों, इंजीनियरों और सभी तकनीकी कर्मचारियों को कुछ प्राइवेट फर्मों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त व्यक्ति बिजली बोर्डों में कार्य कर रहे हैं। राज्य बिजली बोर्डों में कार्य कर रहे इन सभी इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों को किसी निजी व्यक्ति के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य किया जाएगा जो अपनी मनमर्जी से बिना किसी कठिनाई के उनकी सेवाएं समाप्त कर सकता है, स्थिति यह है। उससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जिसमें निजी व्यक्तियों द्वारा शोषण आम बात बन जाएगी।

हमारा अनुभव है कि निजी वितरण प्रणाली या निजी पारेषण प्रणाली से कोई भला नहीं होगा। जैसा आप जानते हैं बिजली एक सेवा क्षेत्र है। निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक उद्योग है, किंतु जहां एक बिजली का संबंध है वह एक सामुदायिक सेवा होनी चाहिए। किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमें कुछ हानियां उठानी होंगी, हम उन्हें उच्च दर पर विद्युत कनेक्शन दे रहे हैं। किसान बहुत ऊंची दरों पर कनेक्शन प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें अभिकरण या अनुज्ञप्तिधारी जिसे इस विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त किया जाना है द्वारा शोषण किए जाने के लिए बाध्य किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

वे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वे हमारी बात सुने बिना इस विधेयक को पारित करवा देंगे, हम सभी कतिपय बातों का प्रस्ताव कर रहे हैं। उन्हें कम से कम हमारी बात सुनने की शालीनता तो दिखानी चाहिए।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, उनकी आवाज बिना हेडफोन के ही काफी ऊंची सुनाई दे रही है और हेडफोन को लगाकर यह निश्चित तौर पर ऊंची सुनाई देगी।

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, उनकी किसी संसदीय चर्चा में कोई रुचि नहीं है, यदि उनका दृष्टिकोण यह है तो हम क्या कर सकते हैं?

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि बिना हैडफोन के ही उनकी आवाज

[श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम]

काफी ऊंची सुनाई देगी। उनका स्पष्ट और ऊंचा स्वर है और हैडफोन के साथ मैं किसी अन्य बात को नहीं सोच सकता हूं। इसलिए मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि मैं उनकी बात सुन रहा हूं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, वे जानते हैं कि मैं इन बातों को क्यों कह रहा हूं क्योंकि उनके पिता की एक परम्परा थी हालांकि वे उनकी परम्परा का अनुयायी होने का दावा नहीं सकेंगे। उनके पिता और दादा की एक परम्परा थी। किंतु उनकी परम्परा अन्यथा हो सकती है वह अवसरवाद अथवा अन्यथा हो सकती है। मैं नहीं जानता हूं। किन्तु मैं जानता हूं मद्रास में उनके पिता और दादा...*(व्यवधान)* मुझे खेद है अब इसका नाम चेन्नई है। शब्द के प्रति विशेष रुचि है कि बम्बई के लिए हमें केवल मुम्बई शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम मुम्बई में बम्बई कहते हैं तो हमें परेशानी में पड़ जाएगे और यदि हम चेन्नई में मद्रास कहते हैं तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। श्री बाल ठाकरे उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं करेंगे जो मुम्बई को बम्बई कहता है। यह मेरा अपना अनुभव है। वे उस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे जो बम्बई शब्द का प्रयोग करता है। वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि मुम्बई शब्द का प्रयोग किया जाए।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापटनम) : केरल की क्या स्थिति है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : केरल में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं केरल के बारे में एक दृष्टान्त का उल्लेख करूंगा। हमारी राजधानी तिवेन्द्रम है। इस शब्द का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा किया था। किंतु अब आधिकारिक शब्द तिरूअनंन्तपुरम है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन विद्युत विधेयक के बारे में क्या कहना है?

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं पुनः विधेयक पर आ रहा हूं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान पारेषण परियोजनाओं में निजी निवेश के बारे में दिशा-निर्देशों का सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की मुख्य बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। समिति की सिफारिशें क्या हैं? समिति की एक सिफारिश में कहा गया है : "उक्त मुख्य पारेषण अभिकरणों को सरकार के स्वामित्वाधीन बना रहना चाहिए।"

इस विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री डी॰ शंकरगुरूस्वामी थे। उन्हें एक प्रतिवेदन तैयार करने और निजीकरण करने के तथ्यों को दर्शाते हुए उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। किंतु उन्होंने वास्तव में जो सिफारिशें की थी वह यह थी कि यदि विद्युत पारेषण में किसी अभिकरण को अनुमति दी भी जाए तो (उक्त) मुख्य पारेषण अभिकरणों को सरकार के स्वामित्वाधीन बना रहना चाहिए, क्या मंत्री महोदय उस सिफारिश से सहमत हैं? वर्तमान विधान से ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। वे संपूर्ण प्रक्रिया को किसी निजी अभिकरण को समर्पित या सौंप रहे है। यह स्वतः स्पष्ट है।

विशेषज्ञ समिति की अगली सिफारिश में कहा गया है :

> "उक्त मुख्य पारेषण अभिकरणों को निर्णय करना होगा कि उनके उत्तरदायित्व के भीतर नई पारेषण प्रणाली के किस भाग को वे निजी क्षेत्र को सौंपना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा है कि निर्णय करने की शक्ति राज्य बिजली बोर्डों के पास होनी चाहिए। अन्य सिफारिश में कहा गया है :

> "पारेषण प्रणाली को निजी कंपनी को सौंपे जाने की स्थिति में भी राज्य बिजली बोर्ड पावरग्रिड को व्यवहार्यता प्रतिवेदन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने और आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए जिसके लिए प्रक्रिया सामान्यतया वर्तमान में अपनाई गई प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।"

इसलिए उन्होंने सिफारिश की कि वर्तमान प्रणाली को बिना किसी बाधा के जारी रहना चाहिए। किंतु मैं कहना चाहता हूं कि जब मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाएगा और लागू किया जाएगा तो यह संपूर्ण प्रणाली को बदल देगा, मुझे इस बारे में पूरा यकीन है क्योंकि विधेयक को इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि संपूर्ण पारेषण प्रणाली को निजी अभिकरणों को दिया जाए।

विशेषज्ञ समिति आगे कहती है :

> "मुख्य पारेषण अभिकरण को तब एक पूर्ण विवरण जारी करना चाहिए और स्वामित्व के आधार पर नई पारेषण सुविधाओं के निर्माण कार्य को लेने के लिए निजी कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त करने चाहिए।"

विशेषज्ञ समिति ने इस ओर विशेष ध्यान दिया था कि संपूर्ण स्वामित्व, यथास्थिति राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के पास होना चाहिए। विशेषज्ञ समिति की यह सिफारिश है। मुझे यह कहते खेद है कि माननीय मंत्री ऐसा विधेयक ला रहे हैं जो हमें विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की ओर नहीं ले जाता है और अन्ततः मुझे विश्वास नहीं है - वे यह स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं हैं कि यह विधान क्यों आवश्यक है, हमारे पास पर्याप्त सुरक्षोपाय हैं, हमारी स्थिति सुरक्षित है। किंतु वे एक अन्य विधान को लाए हैं और अब उस विधान को पूरा करने के लिए इस विधेयक को लाए हैं और इससे पूर्ण निजीकरण हो जाएगा। इसलिए मैं इस प्रयास का विरोध करता हूं।

अगली बात मैं टैरिफ के बारे में कहना चाहता हूं। टैरिफ का निर्धारण कौन करेगा? सरकार या यह अभिकरण? उन्हें हमें बताना चाहिए कि टैरिफ का निर्धारण प्राधिकारी कौन होगा। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार अभिकरण या अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है, मानो यह मामला किसी न्यायालय में ले जाया जाता है तो फिर न्यायालय निर्णय करेगा। यदि इस विधेयक को वर्तमान में इसमें अन्तर्विष्ट प्रावधानों के साथ पारित किया जाता है तो मुझे यकीन है कि ये यह स्थापित करने में सफल होंगे कि टैरिफ का निर्धारण या निर्णय वह अभिकरण और अनुज्ञप्तिधारी कर सकता

है जिसे इस संविदा के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है। क्या वे उस बात का खंडन कर सकते हैं? अन्यथा विधेयक में पर्याप्त सुरक्षोपाय होने चाहिए।

महोदय, वे कहा सकते हैं कि वे विद्युत प्रदाय अधिनियम तथा 1910 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करेंगे। किंतु उन्होंने उन सभी धाराओं में संशोधन किया है। पारेषण के मामले में वे बहुत ही आमूल-चूल संशोधन कर रहे हैं।

यदि आपने आमूल-चूल संशोधन आरंभ किए हैं तो टैरिफ के निर्धारण में पर्याप्त सुरक्षोपाय होने चाहिए। किसानों को रियायत देने के बारे में तमिलनाडु में एक बहुत ही ज्वलन्त मुद्दा है। राज्य सरकार उन्हें बहुत ही रियायती दरों पर बिजली दे रही है। यदि यह विधेयक प्रवृत्त होता है तो यह जारी नहीं रहेगा। श्री मुथैया मैं आपको बताता हूं कि विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक के अधिनियमित हो जाने के पश्चात् तमिलनाडु के लिए रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति करना संभव नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए क्योंकि आपने पहले ही 20 मिनट ले लिए हैं। आपकी पार्टी को 30 मिनट आबंटित किए गए हैं और अभी आपकी पार्टी के एक अन्य वक्ता भी हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, धारा 27 (ख) में प्रावधान है :

"(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य विद्युत बोर्ड या किसी सरकारी कंपनी को राज्य पारेषण उपयोगिता के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) राज्य पारेषण उपयोगिता के निम्नलिखित कृत्य होंगे-

(क) अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा का पारेषण ग्रहण करना;

(ख) अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली के संबंध में-

(i) केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता;

(ii) राज्य सरकारों;

(iii) उत्पादक कंपनियों;

(iv) प्रादेशिक विद्युत बोर्डों;

(v) प्राधिकरण;

(vi) अनुज्ञप्तिधारियों;

(vii) पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों;.........;

के साथ योजना और समन्वय के सभी कृत्यों का निर्वहन।"

अब पारेषण अनुज्ञप्तिकारी तस्वीर में है, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी राज्य विद्युत बोर्ड नहीं होगा, यह कोई निजी अभिकरण होगा या हो सकता है क्योंकि ऐसा विकल्प है। राज्य पारेषण उपयोगिता। अंतः राज्यिक पारेषण प्रणाली पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेगी।

अतः छूट के बारे में क्या कहना है जो प्रदान की जाती है? केन्द्रीय आयोग की किसी अनुज्ञप्तिधारी को छूट प्रदान करने की शक्ति है। यह प्रावधान क्यों किया गया है? यदि आप इस प्रावधान को इस विधेयक में जारी रखते हैं तो यह क्या प्रयोजन पूरा करेगा? धारा 27 ग (1) में प्रावधान है :

"जब तक केन्द्रीय आयोग की स्थापना नहीं की जाती केन्द्रीय सरकार और उसके पश्चात केन्द्रीय आयोग, उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा।"

इसलिए यह प्रावधान विधेयक में रखा गया है। इसीलिए मेरी राय है कि यह निजीकरण का स्पष्ट मामला है।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे राज्य और सम्पूर्ण देश में ज्वलन्त मुद्दा विद्युत उत्पादन और विद्युत आपूर्ति का है। मैं इस बात को मानता हूं, इन मामलों में विशेष रूप से हमें व्यावसायिकरण की नीति का सख्ती से अनुसरण नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से व्यावसायिकरण हो इस नीति का उद्देश्य 'सेवा' के रूप में होना चाहिए। किसानों को उनके व्यवसाय के मामले में यथासंभव रियायतें दी जानी चाहिए। जैसा आप जानते हैं 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। अब तक हम उन पर उचित ध्यान, उन्हें समुचित विद्युत आपूर्ति और उचित महत्व नहीं दे रहे थे।

इसलिए जब कभी भी कोई नया विधेयक लाया जाए तो मुख्य प्रश्न जिस पर चर्चा की जानी है वह है कि हम किसानों की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। आजकल व्यावसायिकरण प्रचलन में है इसीलिए हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उदारीकरण की बात कर रहे हैं जब हम इन पहलुओं पर बोलते हैं तो हम सदैव एक पहलू को भूल जाते हैं और वह पहलू इन सभी कार्यों का उद्देश्य सेवा है। हमें किसानों की मदद करनी चाहिए और उस तंत्र को अस्थिर करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए जो किसानों को रियायतें दे रहा है तथा उसे जारी रहना चाहिए।

इसके अलावा एक अन्य तथ्य जिस पर मैं बल देना चाहता हूं वह घरेलू कनेक्शनों के बारे में है। जनसंख्या का अधिकांश भाग गरीबी की रेखा से नीचे यापन कर रहा है। बिजली का कनेक्शन आनंद की वस्तु या अमीर आदमी की सुविधा नहीं है अपितु इसका उपयोग लगभग सभी वर्गों द्वारा किया जा रहा है। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं उसी प्रकार हमारे घरों में बिजली के कनेक्शन भी होने चाहिए। इसलिए हमें घरेलू उपभोक्ताओं को अधिकतम रियायत देनी चाहिए। जब हम इस विधान को लागू करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अधिकतक रियायतें दी जानी चाहिए। यदि हम इन

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

लोगों के साथ कुछ न्याय कर सकें तो हम निश्चित रूप से गर्व कर सकते हैं कि बिजली उत्पादन कर हम सेवा कर रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोज़ाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो बिल लाए है, मैं उसका सर्मथन करता हूं।

कुछ कहने से पूर्व मैं कहना चाहूंगा कि बिजली सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक पहलू है। सारे देश में कई प्रांत ऐसे हैं जहां कृषि क्षेत्र या उद्योगों के लिए बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं हो रही है। पूर्व की सरकार भी एक बिल लाई थी मगर मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र वर्तमान बिल को वह लोक सभा में लाई है। सारे सदस्य इस पर अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं। कई सदस्यों ने इसका विरोध किया है और कांग्रेस के मित्रों ने इसका समर्थन किया है। बिजली बहुत ही महत्व का विषय है। अगर बिजली की आपूर्ति ठीक से होती तो देश में उद्योगों का जाल बिछ जाता, जिस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आज 26 लाख स्माल स्केल इंडस्ट्री इस देश में विद्युत की आपूर्ति की कमी के कारण रुग्ण हो चुकी हैं। अगर उद्योगों की व्यवस्था ठीक से चलती तो वे इस देश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दे सकती थी और लघु उद्योगों में ऐसे शिक्षित रोजगारों को रोजगार मिल सकता था। वह उद्योग भी बिजली आपूर्ति ठीक न होने कारण बंद पड़े हुए हैं। आजादी के बाद ठीक से बिजली की व्यवस्था की गई होती तो इतने उद्योग रुग्ण न होते।

कृषि के क्षेत्र में आप देखें तो तमाम ऐसे प्रांत है जहां बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। आज देश में बहुत से गांव ऐसे हैं जो अंधेरे में डूबे हैं। दोगली नीति के कारण देश की ऐसी हालत हो रही है। आप एक तरफ दिल्ली की चकाचौंध देखिये, मुम्बई और कलकत्ता की चकाचौंध देखिये और दूसरी ओर 65 प्रतिशत लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें देखिये। अगर बिजली की आपूर्ति ठीक से होती तो यह दशा न होती।

बिजली की वितरण प्रणाली ठीक से होती तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ठप्प नहीं रहती। आज भी इन गांवों में व्यवस्था ठीक नहीं है। जहां किसान खेती का काम करते हैं। वहां सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो सकती है। पानी पीने के लिए बिजली नहीं मिल रही है और यह भी कृषक के लिए बड़ी समस्या है। इसी प्रकार सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं।...(*व्यवधान*) मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिंदीभाषी क्षेत्रों में बिजली की किल्लत है। वहां बिजली की पोजीशन अत्यंत दयनीय है, वहां बिजली की बड़ी निदांजनक स्थिति है। वहां बिजली का ठीक तरीके से विरण नहीं हो पा रहा है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि किस प्रकार बिजली की व्यवस्था चल रही है मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र में जो बिजली का प्रतिशत है वह 1992-93 में 21.8 प्रतिशत था, 1994-95 में घटकर वह 20.9 प्रतिशत रह गया। यदि इन आंकड़ों को हम उन्नत देशों के मुकाबले देखें तो यह बहुत ही कम है। आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। तमाम ऐसे विधेयक, लोक सभा में पेश किये गये, उनकी मॉनीटरिंग की जरूरत है। सरकार जब बिल लाई है, लेकिन मेरा कहना यह है कि बिजली की चोरी रोकी जाए। इस देश में करोड़ों रुपये की बिजली की चोरी हो रही है। जो बिजली कंज्यूमर्स को मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रही है। सरकार इसकी मॉनीटरिंग करने के लिए कितने भी विधेयक लाए, लेकिन इम्पलीमेंट करने के बाद वह राज्यों पर छोड़ देती है। राज्यों में करोड़ों-अरबों रुपये की चोरी हो रही है। यदि चोरी रोक दी जाए तो मैं समझता हूं कि कंज्यूमर्स को बिजली मिल सकती है। चोरी रोकने से ही बिजली में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। 1994-95 में जो आंकड़े दिये गये हैं, उसमें तमाम ऐसी बातें दर्शाई गई हैं कि आठ सौ मेगावाट बिजली की खपत होती है लेकिन इस देश में प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये की बिजली की चोरी हो रही है। यदि चोरी पर कंट्रोल हो जाए तो मैं समझता हूं कि बिजली के वितरण और पारेषण में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र और उद्योगों के बारे में मैं कह चुका हूं। मैं इस बिल के समर्थन में इतना ही कहना चाहता हूं कि चोरी रोकने की व्यवस्था की जाए ताकि लाभार्थियों को बिजली मिल सके। अंत में मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक सदन के सामने विचारार्ध रखा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 1910 और इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 दोनों में संशोधन करने का इनका सुझाव और प्रस्ताव है। जो कुछ भी सरकार चलाने का अनुभव राज्यों में प्राप्त किया है, उन सभी दलों में अब यह राय निश्चित तौर पर बन गई है कि यदि बिजली की समस्या का समाधान करना है तो सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भूमिका भी उसमें महत्वपूर्ण है, उसकी भी इसमें साझीदारी होनी चाहिए। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत करते समय कुछ विचारों को सदन में रखा, जिनसे मेरे मन में भ्रम पैदा हो गया है और उस भ्रम के निवारण, स्पष्टीकरण के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। क्योंकि मैंने जो विधेयक पढ़ा है, उसमें 27 सी.(2) में लिखा है -

[अनुवाद]

> "उपधारा (1) के अधीन प्रदान की गई पारेषण अनुज्ञप्ति, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन किसी अंतर्राज्यिक पारेषण प्रणाली का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन :-

(क) ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्याधीन,

(ख) ऐसे प्ररूप में, और

(ग) ऐसी फीस के साथ,

होगा जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा या केन्द्रीय आयोग द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाएं।"

[हिन्दी]

पूरा विधेयक पढ़ने पर मुझे ऐसा लगा कि केवल सम्प्रेषण संबंधी अधिकार सरकार निजी क्षेत्र को देने जा रही है। लेकिन मंत्री जी ने सदन के समक्ष जो विचार प्रकट किये, भाषण किया, उससे ऐसा लगा कि सरकार वितरण का भी इंतजाम निजी क्षेत्र को देने जा रही है और यदि ऐसा है तो क्या ऐसा कोई प्रस्तावित विधेयक या कोई प्रस्तावित कानून... *(व्यवधान)*

यदि मंत्री महोदय, आप कुछ बोलना चाहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विधेयक का संबंध केवल पारेषण से है। वितरण के संबंध में विद्यमान कानून राज्य सरकारों को निजी वितरकों को अनुज्ञप्ति देने की अनुमति देते हैं। राज्य सरकारों को वितरण के लिए अनुज्ञप्तियां देने की शक्ति है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मेरे मन में यह द्विविधा पैदा हुई कि क्या मंत्री जी, इस विधेयक के अतिरिक्त भी कोई विधेयक ला रहे हैं जिसके माध्यम से वितरण के सारे प्रबन्ध जो निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है? यदि ये अधिकार पहले से ही मौजूद है, तो इस इलैक्ट्रीसिटी कानून में परिवर्तन के लिए इनको कुछ करना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं वितरण के अधिकार को निजी क्षेत्र को देने का विरोधी हूं और इस पक्ष के हम नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, उसी के साथ-साथ इस कानून में आप छठे अनुच्छेद में आगे कहते हैं-

[अनुवाद]

"जो कोई इस अधिनियम या विनियमों, अनुज्ञप्ति शर्तों के उपबंधों के उल्लंघन में ऊर्जा के पारेषण का कारबार करेगा वह जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा और निरंतर उल्लंघन की दशा में, दैनिक जुमाने से, जो तीन सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"

[हिन्दी]

एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी ओर माननीय सदस्य ध्यान दिला रहे हैं और वह है ट्रांसमीशन की समस्या और उस ट्रांसमीशन की परिभाषा आज तक निर्धारित नहीं हो पाई है। विद्युत बोर्ड और उसके अधिकारियों का कहना है कि यह ट्रांसमीशन लौस है और शिकायतकर्त्ताओं का कहना है कि इस ट्रांसमीशन लौस में अधिक हिस्सा बिजली की चोरी का है। यदि यह बिजली की चोरी का हिस्सा है, तो फिर आप इस कानून के तहत इसका निर्धारण कैसे करेंगे? यदि इसका निर्धारण्ण होता है और ट्रांमीशन के दौरान ही बड़े पैमान पर बिजली की चोरी डिटेक्ट होती है, तो ऐसे डिटैक्शन होने पर केवल रु. 3,000 का दंड देना, मैं समझता हूं कि बहुत ही अपर्याप्त है। इसलिए इस धारा को पूरी तरह से परिभाषित करने की आवश्यकता है और इस संबंध में सरकार को अपना विचार स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय इस विधेयक के अनुच्छेद 11 की उपधारा 10 में कहते है :

[अनुवाद]

"प्रोदशिक भार प्रेषण केन्द्रों की दशा में, केन्द्रीय आयोग के स्थापित किए जाने तक केन्द्रीय सरकार और तत्पश्चात केन्द्रीय आयोग और राज्य भार प्रेषण केन्द्र की दशा में राज्य आयोग के स्थापित किए जाने तक राज्य सरकार और तत्पश्चात राज्य आयोग, अधिसूचना द्वारा यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए भार प्रेषण कृत्यों के करने के लिए यथास्थिति प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों और राज्य भार प्रेषण केन्द्रों से संदत्त की जाने वाली फीस और प्रभारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।"

[हिन्दी]

टैरिफ का जो निर्धारण है, उसके मापदंड क्या होंगे? क्योंकि कोई निजी क्षेत्र का व्यक्ति जब ट्रांसमीशन के क्षेत्र में आएगा, तो आपके उत्पादन की दर में क्या लागत आती है और वितरण के पाइंट पर उसका खर्च कितना हुआ, यह भी देखेगा। बिना मुनाफे के क्या वह आपकी विद्युत को ट्रांसमिट करने के लिए तैयार होगा? इस गुत्थी को सुलझाने के बारे में माननीय मंत्री जी को एक सम्यक विचार करने की आवश्यकता है और इस एक्ट के तहत एक स्पष्ट नियमावली बनाने की आवश्यकता है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उसी के साथ-साथ कुछ मौलिक समस्याएं भी हैं और वे हैं विद्युत क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की समस्याएं। आज उत्तर प्रदेश में बिजली अभियंताओं की हड़ताल शुरू हो गई है। उनके सहायक अभियंताओं की हड़ताल कल से शुरू होगी और परसों से उनके जूनियर इंजीनियर्स की हड़ताल

[श्री मोहन सिंह]

शुरू होगी और उसके बाद सभी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू होगी। यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब भारत सरकार और प्रदेश सरकार बिजली के संप्रेषण, बिजली के उत्पादन और बिजली के वितरण के बारे में कुछ नए सिरे से विचार करने के लिए तैयार हो गई है, तो इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की टर्म्स और कंडीशंस क्या होंगी- उनके अपने वेतन, उनकी अपनी सुविधा, उनके अपने भत्ते, उसके लिए अलग से नियमावली बनाने हेतु नए सिरे से सोचने और विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि निजी क्षेत्र में जब ये सारी चीजें चली जाएंगी। तो निजी क्षेत्र में उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को कैसे निर्धारित करेंगे, यदि इस बात का निश्चय अभी से नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आगे चलकर कठिन परिस्थिति पैदा होगी और नित्य प्रति मास्टर और मजदूर के झगड़े और भी तीव्रतर होंगे और जब बिजली के क्षेत्र में इस तरह के झगड़े शुरू होंगे, तो बिजली की समस्या के समाधान की जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां और समस्याएं खड़ी होंगी।

चौथी बात रेवेन्यू कलैक्शन की है, जो एक गंभीर समस्या है और इस बात को हम प्रतिदिन अखबारों में पढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने इस संबंध में एक आदेश पारित किया है। इस सदन में बैठने वाले और सदन के बाहर बैठे ऐसे लोगों के नाम प्रकाशित हो रहे हैं जिनका विद्युत उपभोग के नाम पर ढाई लाख रुपये से तीन लाख रुपये तक बकाया है। यह हमारे नेताओं का हाल है, संसद सदस्यों का हाल है। इसी तरह की स्थिति भारत के बड़े औद्योगिक घराने, बड़े व्यापारिक संगठनों की है, जो आपके विद्युत विभाग से मिलकर न केवल विद्युत की चोरी करते हैं बल्कि मीटर रीडिंग में भी घपला करते हैं। उनके ऊपर विद्युत का जितना टैरिफ होना चाहिए, उसे वे नजरअंदाज करके उसमें कटौती करने की कोशिश करते हैं। यह रेवेन्यू कलैक्शन बहुत बड़ी समस्या है। यदि आप निजी क्षेत्र को ट्रांसमीशन देने जा रहे है तो उनके रेवेन्यू कलैक्शन की एजेंसी क्या होगी और किस माध्यम से उस रेवेन्यू को कलैक्ट करके आप उनको देंगे? इसे देने से आपका जो रेवेन्यू होगा, जिस विद्युत को आप उन्हें ट्रांसमिट करके देंगे, उनके ऊपर आपका जो बकाया है, उस बकाये की क्षतिपूर्ति या कनैक्शन या कलैक्शन का कौन सा तरीका होगा, इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिए क्योंकि यह समस्या बड़ी गम्भीर है। इसके चलते हमें विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में जितने राजस्व की आवश्यकता है, जितने निवेश की आवश्यकता ट्रांसमिशन के क्षेत्र में है, उसे हम नहीं कर पाये हैं। हमारे मित्र लोग दृष्टांत दे रहे हैं कि हम चीन से तुलना करें जहां बिजली का उत्पादन इतना बढ़ गया है। चीन से बिजली उत्पादन में प्रतियोगिता करने में आप बहुत ही पीछे हैं लेकिन जिस पाकिस्तान को आप जितना हल्का करके समझते हैं, एक ऐसी स्थिति बीच में आई कि यदि आपके और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होते तो आज की तारीख में पाकिस्तान भी आपको विद्युत की आपूर्ति करने के लिए तैयार था और आप लेने के लिए तैयार थे। हम पाकिस्तान से भी विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, विद्युत वितरण के क्षेत्र में विद्युत आपूर्त्ति के क्षेत्र में पीछे हैं। चीन से तो हम बहुत ही पीछे हैं।

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इन सारी चीजों पर विचार करके माननीय मंत्री जी एक समेकित विधेयक इस सदन के सामने रखें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। इस विधेयक का विरोध करने के लिए हम नहीं खड़े हैं। हमारी मानसिकता इसका समर्थन करने में है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा जो संशोधन विधेयक लाया गया है, हम उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। आज विद्युत समस्या पूरे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने खड़ी है-चाहे वह किसानों के लिए हो, उद्योग धंधों के लिए हो या बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कोई व्यवस्था हो। हम जिधर भी सिर घुमाकर देखते हैं वहीं हमें विद्युत समस्या सामने दिखाई देती है। हम ऐसा नहीं कह रहे है कि इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आज जब हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, इन 50 वर्षों में विद्युत के मामले में जितनी उपलब्धता होनी चाहिए थी, उतनी शायद नहीं हो पाई है। इसी क्रम से 3.10.96 और 3.12.96 को इस देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई गयी थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विद्युत उत्पादन पारेषण एवं वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देकर आवश्यक नियम बनाये जायें, कानून बनाये जाये।

उसी क्रम में आज माननीय मंत्री जी द्वारा यह संशोधन बिल भी सदन में आया है जिसमें सभी दलों के माननीय सदस्य अपने सुझाव व विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। बिजली के विषय में यह चर्चा है कि किसी भी राज्य का विद्युत बोर्ड बिजली उत्पादन करके मुनाफे में नहीं रहता। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आती है? 1996-97 में 19 राज्य, जैसा कि प्रतिवेदन में है, घाटे में गए। प्रति यूनिट 37 पैसे का घाटा हुआ था। एक तरफ 37 पैसे प्रति यूनिट का घाटा और दूसरी तरफ विद्युत की चोरी, यह दोनों मिलाकर राज्य विद्युत बोर्ड को बिठाने का काम करते है। जहां तक इसे निजी क्षेत्र में देने का सवाल है, इसमें व्यवसाय के दृष्टिकोण से उत्पादन, वितरण, तीनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा ग्रिड की सुरक्षा एवं दक्षता को सुनिश्चित करना, कार्य संचालन एवं नियंत्रण को देखना भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हम स्वतंत्र निवेशकों को व्यवसाय के दृष्टिकोण से लाईसैंस देने जा रहे हैं। हमें एक बात की शंका इसलिए है कि हम राजनैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को माईनस करके नहीं चल सकते। यदि किसी राज्य में बिजली का उत्पादन ज्यादा होता था और किसी राज्य में कम होता था तो केन्द्र सरकार के प्रयास से एक राज्य से दूसरे राज्य में हम विद्युत पहुंचाने का प्रयास करते थे और ऐसा होता भी आया है। लेकिन जब निजी व्यवसायियों के माध्यम से हम यह व्यवसाय करेंगे तो लगता है कि इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी और काफी कठिनाई होगी। इसलिए कानून के माध्यम से इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। हम यह मानकर चलते हैं कि पिछली सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी। यदि

इच्छा शक्ति होती तो बिहार का नबी नगर, जहां सुपर थर्मल पावर के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1988 में पस्ताव भेजा था, केन्द्र सरकार द्वारा सर्वेक्षण टीम भी भेजी गई, सर्वेक्षण टीम द्वारा अनुशंसा की गई कि इस स्थान पर जमीन उपलब्ध है, इस स्थान पर कोयला सुविधाजनक तरीके से मिल सकता है, यहां पानी की कठिनाई नहीं है, यहां पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इस प्रोजैक्ट को लगाना उचित होगा, इसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा एक बार उसका टैंडर भी निकाला गया था लेकिन टैंडर में कोई भी पार्टी शामिल नहीं हो सकी और आज तक केन्द्र सरकार चुप बैठी हुई है। माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि नबी नगर सुपर थर्मल पावर को आप चालू कीजिए। हम यह इसलिए भी कह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रीय एजेंडा की वजह से एक अलग संकट पैदा होने जा रहा है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने राष्ट्रीय एजेंडा में बिहार के टुकड़े करने की बात कही है और जिस दिन आप बिहार के टुकड़े करेंगे, वहां, जितने भी विद्युत उत्पादन के कारखाने हैं, जहां विद्युत उत्पादन होता है, वे सब दक्षिण बिहार में हैं। जब आप राज्य का बंटवारा करेंगे तो मध्य और उत्तर बिहार बिल्कुल अंधकार में हो जाएंगे।

अपराह्न 4.59 बजे

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

इसलिए जो नया संकट पैदा करने की स्थिति आज बनी हुई है, आप मध्य बिहार में नबी नगर थर्मल पावर को चालू कराइए। ...(*व्यवधान*) हम कह रहे हैं कि उसका बंटवार नहीं होना चाहिए। ...(*व्यवधान*) हम वही कह रहे हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

जहां तक विद्युत का सवाल है, यह कोयला मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। उत्तरी बिहार में एक थर्मल पावर प्लांट कांटी में है। कांटी के थर्मल पावर प्लांट में एक रैक से कोयला गया था, उस पूरे रैक में पत्थर और भूसा भरा हुआ था। बिहार सरकार के हंगामा करने के बाद बहुत दिनों के बाद कोयला तो वापस हो गया, लेकिन अभी तक उसका हिसाब नहीं हो पाया है, इसलिए मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि आप कोयला मंत्रालय से भी सम्पर्क कीजिए, मंत्रालय से भी बात कीजिए। एक तरफ पत्थर जाने से जहां विद्युत यंत्र खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, दूसरी तरफ वहां विद्युत उत्पादन ठप्प हो जाता है। यह घटना कोई मौखिक नहीं है, यह थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरपुर में हुई है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप कोयला मंत्रालय से सम्पर्क करके इन सब बातों पर गौर कीजिए और ध्यान दीजिए।

प्रो॰ रीता वर्मा (धनबाद) : यही प्राब्लम नबीनगर में भी होगी।

श्री प्रभुनाथ सिंह : यही तो मैं कहता हूं कि सरकार की इच्छाशक्ति होना चाहिए।...(*व्यवधान*) मैं चाहूंगा कि यह सरकार अपनी इच्छाशक्ति मजबूती से दिखाये।...(*व्यवधान*) मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं दो-चार मिनट में समाप्त कर दूंगा।

मैं सिर्फ यह कहा रहा हूं कि जहां-जहां कोलियरी है, कायेला विभाग के पदाधिकारी लोग मिलकर कोयले को मनमाने ढंग से अपना मुनाफा कमाने के लिए बेच रहे हैं, वहां उस कोयले से बिजली का उत्पादन हो सकता है। बिहार के धनबाद और हजारीबाग में निजी लोगों ने आवेदन किया था, वहां उनको स्वीकृति भी मिली है। वहां बिजली उत्पादन से मुझे लगता है कि उस एरिया की बिजली की समस्या हल हो जायेगी, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि कोयला मंत्रालय से गहन विचार-विमर्श आवश्यक है। इस आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए अगर इस तरह की व्यवस्था की गई कि जिस कोयले को वे लोग गलत ढंग से उपयोग करते हैं और चोरी के माध्यम से बाजार में बिकवा देते हैं और सारा पैसा कोयला विभाग के पदाधिकारी के यहां आ जाता है, अगर उस कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाये तो बिहार के एक भाग की समस्या का समाधान हो सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और करूंगा। मैंने मंत्री जी को एक पत्र लिखा था। मैंने पत्र में यह लिखा था कि मंत्री जी, एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, जिसमें कोई जिला मुख्यालय ही नहीं है। सिवान जिले और छपरा जिले के बीच से हम आते हैं। बीच से आने का मतलब यह हुआ कि छपरा में मौर ग्रिड स्टेशन है और सिवान में पावर ग्रिड स्टेशन है, उससे उन दोनों जिलों के दूसरे भाग का काम तो चल जाता है, लेकिन हमारा क्षेत्र बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इसलिए आप महाराजगंज निर्वाचन क्षेत्र में बनियापुर, मसरत या बसतपुर, जिस जगह आप उचित समझें, वहां, एक पावर सब ग्रिड स्टेशन आप बनवा दीजिए, इसके लिए जमीन उपलब्ध कराना हमारा काम होगा। एक बड़े पत्थर पर हम आपका नाम लिखवा कर उस पर लगवा देंगे, आप चलकर शिलान्यास कर दीजिए। आपने इस पत्र में लिखा है कि यह काम राज्य सरकार से प्रस्ताव आने पर होगा। आप केन्द्र सरकार के मंत्री है, आप यहां से टाइट व्यवस्था करके राज्य सरकार से प्रस्ताव मंगवा लीजिए और उसे स्वीकृत करके धन दीजिए। मैं बहुत बड़ा संगमरमर का पत्थर लगवाऊंगा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। असमें आपका पैसा उपयोग नहीं होगा, उस पर निजी पैसा खर्च होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, विद्युत विधेयक में संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी लाये है। उसमें हम देख रहे हैं कि ट्रांमीशन की स्थिति खराब है, उससे दो-दो कानूनों में ये संशोधन करेंगे, उसके बाद ट्रांसमीशन में सुधार की संभावना है, यह एक बिल का आशय बुझाता है।

बिजली एक ऐसा विषय है कि बिना बिजली के विकास की कोई संभावना आज के युग में नहीं है। देश में बिजली का संकट है। इसमें भी बहस की गुंजाइश नहीं है कि विभिन्न राज्यों में बिजली का हाहाकार है, दिल्ली में तो खासकर ज्यादा हाहाकार बिजली के संकट के चलते है।

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

बिजली में चार हिस्से होते हैं, एक है जेनरेशन, दूसरा है ट्रांसमीशन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा है विद्युतीकरण। इन चार हिस्सों के मामले में दुनिया और देश में निर्धारित सिद्धांत है कि उत्पादन, पारेषण, वितरण और विद्युतीकरण में निवेश 4:2:1:1 के अनुपात में किया जाना है।

मतलब यह है कि चार हिस्सा जेनरेशन में खर्च करिए, दो हिस्सा ट्रांसमीशन में खर्च करिए, एक हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च करिए और एक हिस्सा इलेक्ट्रिफिकेशन में खर्च करिए। ट्रांसमीशन में सुधार करने के लिए आप यह बिल लाए हैं, लेकिन जेनरेशन की व्यवस्था चौपट है। इसलिए पहले जेनरेशन में सुधार होना चाहिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। अभी 84 हजार मेगावाट बिजली की हमारी क्षमता है। देश भर में हर राज्य बिजली संकट से ग्रस्त है। अभी आगामी सात से दस वर्ष का अनुमान लगाया गया है कि बिजली की अनुमानित मांग एक लाख मेगावाट एडीशनल होनी चाहिए, तब बिजली की समुचित आपूर्त्ति हो सकती है। इसलिए पहले जेनरेशन में सुधार करना होगा। आज एक मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए चार करोड़ रुपये की पूंजी लगती है, तो एक लाख मेगावाट बिजली की अतिरिक्त क्षमता की अगर स्थापना की जाएगी तो उसमें चार लाख करोड़ रुपये चाहिए। इस फार्मूले के हिसाब से ट्रांसमीशन में दो लाख करोड़ रुपये चाहिए, कुल मिलाकर आठ लाख रुपये चाहिए, तब हम हिन्दुस्तान में बिजली के संकट से निजात पा सकते हैं और हिन्दुस्तान का समुचित विकास हो सकता है।

अभी जो युग है उसमें बिना ऊर्जा से किसी देश या राज्य का विकास हो जाए, यह असम्भव है। अभी के युग में ही नही, हिन्दुस्तान में पहले से शक्ति की पूजा होती रही है। शक्ति को देवी माना गया है। बंगाल में तो शक्ति के रूप में दुर्गा माता की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा होती है। शक्ति की पूजा हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी है कि शक्ति के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अभी के समय में बिजली, एनर्जी, पावर और ऊर्जा यह सब शक्ति है और इसके बिना कोई विकास नहीं हो सकता।

जेनरेशन की उपेक्षा हुई है। नौंवी पंचवर्षीय योजना का आकार देखने से पता लगता है कि जेनरेशन में सुधार नहीं हो सकता मैं चाहता हूं कि कोई भी सरकार यदि वास्तव में विद्युत संकट का समाधान और विकास चाहती है तो सर्वोच्च प्राथमिकता बिजली को देनी होगी, नहीं तो विकास की बात नहीं सोची जा सकती।

आप ट्रांसमिशन का कानून लाए हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन एक्ट, 1910 और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948, इन दोनों में थोड़ा-थोड़ा संशोधन करेंगे और ट्रांसमिशन को प्राइवेटाइज कर देंगे तो बिजली का संकट दूर हो सकता है- ऐसा आपका मानना है। यह बात सही है कि जब बिजली की बात हुई तो जब तक ट्रासंमिशन की व्यवस्था सही नहीं होगी तो हजार, दो हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी, उसका कोई लाभ नहीं हो सकता। बिजली को स्टोर करने का अनुसंधान अभी तक नहीं हुआ है। बिजली पैदा होगी तो उसका संचरण उसी समय होना चाहिए। अगर ज्यादा बिजली होगी तो उसका संचरण करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हम मंत्री जी से सहमत हैं और ट्रांसमिशन की चिंता पहले क्यों कर रहे हैं। इसलिए जेनरेशन के ऊपर जैसा अभी मोहन सिंह जी ने कहा कि इंटिग्रेटेड बिल लाना चाहिए, अतः आपको जेनरेशन के कानून में पहले संशोधन करना चाहिए। ये कहते हैं कि प्राइवेट इंवेस्टमेंट अनिवार्य है, लेकिन क्या इंवेस्टमेंट हुआ है।

प्राइवेट सैक्टर का जेनरेशन के मामले में क्या इनवेस्टमेंट हुआ है, हम जानना चाहते हैं? अब कहते हैं कि ट्रांसमिशन में प्राइवेट इनवेस्टमेंट होगा। ट्रांसमिशन का मालिक प्राइवेट हो जाएगा, इस बात की सफाई होनी चाहिए। हमें शक था कि इनवेस्टमेंट करते-करते कहीं उसको सौ प्रतिशत मालिक न बना दें। ट्रांसमिशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से तो बड़ा खतरा होगा। अभी हाल ही में चिन्ता हुई है कि ईस्टर्न रीज़न में बिजली सरप्लस है, इसलिए ईस्टर्न रीज़न से जब जगह बिजली पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन बनाने की इनकी क्षमता नहीं है। यह सोचा गया था कि नेशनल पावर ग्रिड बनेगा और देश भर में कनेक्शन रहेगा। कहीं भी बिजली ज्यादा होगी तो देश के हिस्से से दूसरे हिस्से में बिजली जाएगी। अब देखा गया है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में या जहां कहीं भी कायेला नहीं है वहां थर्मल पावर बनवा रहे हैं और जहां कोयला है वहां नहीं बनवा रहे हैं। कोयले को राख सहित ट्रेन से ढो कर लाइए और जहां और कोयला दूरी पर नही है वहां कोयला ले जाकर बिजली पैदा करिए। इसलिए कोल पिट स्टेशन और कोल पिट हैड पर थर्मल पावर स्टेशन को नहीं लगा कर राजनीतिक कारणों से देश के उस हिस्से में, जहां दूर से राख और कोयला ढो कर लाना पड़ता है वहां थर्मल पावर स्टेशन लगाइए।

महोदय, हम अर्थशास्त्र का एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कोयला ढोना सस्ता है या बिजली ढोना सस्ता है। बिजली नहीं ढोएंगे, कोयला ढोएंगे, राख ढोएंगे और सब को संतुष्ट करेंगे। जहां कोयला है वहां थर्मल पावर नहीं है। यहां थर्मल पावर स्टेशन बनाने में पेच लगाया जा रहा है, हेर-फेर किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि यह भी दुनिया की परम्परा है और बिजली के महकमें में कानून है कि बिजली की आपूर्ति ठीक कराने के लिए 60 और 40 का जो रेश्यो है- 60 प्रतिशत थर्मल बिजली, ताप बिजली और कम से कम 40 प्रतिशत पन बिजली होनी चाहिए, अन्यथा बिजली की आपूर्ति कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि 24 घंटे बिजली की खपत नहीं होती। रात में ड्योढ़ी बिजली चाहिए और दिन में उससे कम बिजली चाहिए। यदि आप थर्मल पावर सौ प्रतिशत करेंगे तो जिस समय ज्यादा बिजली की जरूरत होगी, बिजली उस समय नहीं होगी उसी समय के लिए हाइडल बिजली कम से कम 40 प्रतिशत अनिवार्य है। अभी बता रहे थे कि 25 प्रतिशत है और बिहार 6-7 प्रतिशत है, यह रेश्यो पन बिजली का है। लेकिन कोयलकारो परियोजना में 725 मेगावाट है। यह देश भर में सबसे बड़ी परियोजना है उसको सन् 1980 में केन्द्र सरकार को दिया

गया, उसको 1998 में सब कमेटी, कैबिनेट कमेटी में पास कर दिया। उसको सेंट्रल इलैक्ट्रीसिटी आथोरिटी ने पास कर दिया। जितनी औपचारिकताएं हैं वह सब पूरी हो गई, लेकिन केन्द्र सरकार की ...*(व्यवधान)** के चलते उसको अभी तक लागू नहीं किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : यह केन्द्र सरकार की...की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह अनपार्लियामेंटरी शब्द है।

[अनुवाद]

श्री पी•आर• कुमारमंगलम : छोटा सा मुद्दा केवल यह है कि वे इसका प्रयोग बंगाली या बिहारी की तरह सामान्य अर्थों में कर रहे हैं। शब्द के कारण...प्रयोग के अनुसार बदलता है।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मैंने मंत्री जी को नहीं कहा है, सरकार को कहा है।

सभापति महोदय : फिर भी यह शब्द ठीक नहीं है, यह शब्द एक्सपंज होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, श्री साल्वे बिजली के मंत्री रह चुके है। इन्होंने तब तीन शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि जो बिजली पैदा होगी वह राज्य सरकार को लेना पड़ेगी और निर्धारित दर पर लेनी पड़ेगी।

शर्त नम्बर दो में यह है कि पुनर्वास जिनका करना है जो विस्थापित होंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 75 प्रतिशत नौकरी एन.एच.पी.सी. देगा और 25 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। लेकिन एन.एच.पी.सी ने कहा कि हम एक प्रतिशत नौकरी नहीं देंगे, तो शर्त हुई थी कि सौ प्रतिशत नौकरी विस्थापितों को राज्य सरकार देगी।

शर्त नम्बर तीन में यह है कि विधि-व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लेकिन उसी समय कहा गया है कि तीनों शर्तों को कबूल करने से राज्य सरकारों को 10 करोड़ रुपया देंगे। तीनों शर्तों को राज्य सरकार ने कबूल कर लिया तो कहा गया कि पैसा नहीं है। देश की दूसरी परियोजनाओं में हजारों-हजार करोड़ रुपया दे रहे हैं, विधि-व्यवस्था की चर्चा उठा देते हैं लेकिन उसके लिए पैसा नहीं देते हैं।...*(व्यवधान)*

हमें जानकारी है कि जहां हैलीकोप्टर पर गोली चलाई वहां एक हजार करोड़ रुपया देते हैं और जहां पर कुछ नारे लगाये जाते है वहां कह देते है कि विधि-व्यवस्था खराब है। हम यह चाहते हैं कि इस बात की जांच की जाए कि क्यों वह कारो परियोजना रुकी हुई है और स्वयं कारो परियोजना को रोकना क्या देश और राज्य के हित में है। जब वहां बिजली होगी तभी तो वहां ट्रांसमिशन करके उसे लाएंगे। बिजली नहीं होगी तो ट्रांसमिशन क्या होगा? इसलिए बिजली जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और इलैक्ट्रीफिकेशन चारों को यह लोग ठीक करें।

सभापति महोदय : आपके सारे पाइंट हो गये, अब आप बैठ जाइये।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अब ये ट्रांसमिशन कानून लाए हैं। देश भर में एक जगह से दूसरी जगह बिजली ले जाने के लिए इन्वैस्टमेंट होगा। एक प्रांत में जो इनका पावरग्रिड है उसके होते हुए बिहार में ये क्यों लाइन नहीं ले जा रहे हैं। जब कल्पनाथ राय मंत्री थे तो मऊ में उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन बनायी। मऊ से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से बिहार शरीफ में। हम कहते हैं कि इसकी जांच करवा लें, टैक्नीकली छानबीन करवा लें कि देश के और प्रदेश के सभी हिस्सों को ट्रांसमिशन के मामले में आच्छादित करने के लिए क्यों पावरग्रिड कारपोरेशन दक्षिण बिहार को जोड़ना चाहता है, उत्तर बिहार को छोड़ना चाहता है। इसलिए मऊ से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से मोकामाघाट होते हुए बिहार शरीफ में पावर-ग्रिड की बड़ी लाइन, ट्रांसमिशन की बड़ी लाइन बननी चाहिए। दक्षिण बिहार में बिजली रहती है, उत्तर बिहार में अंधेरा हो जाता है। इसलिए नेशनल पावर-ग्रिड बने जिससे देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बिजली जाए। जहां सरप्लस बिजली हो वहां से दूसरे राज्य को बिजली चली जाए। उसी तरह से राज्य के अंदर भी पावर-ग्रिड कारपोरेशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ट्रांसमिशन की लाइन ठीक से बने जिससे बिजली एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाए।

अंत में मैं जोर डालना चाहता हूं कि जहां पर कोयला है वहां पर कोल-फील्ड हैड में थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना हो और वहां से देश भर में बिजली ट्रांसमिट करने के लिए यह काम करे, तभी यह जो बिल लाए हैं उसका कोई मतलब होगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि और किसी तरीके से नहीं बल्कि इच्छाशक्ति से हम बिजली संकट पर काबू पा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रभात कुमार सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा) : सभापति महोदय, इस समय हम भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने के लिए विद्युत कानून (संशोधन) विधेयक 1998 पर चर्चा कर रहे हैं।

प्रस्तावित विधेयक का लक्ष्य इस देश में विद्युत उत्पादन इकाइयों के पारेषण में आने वाली कठिनाइयों को हटाना है। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने ठीक ही कहा है कि अगर आप समुचित विद्युत उत्पादन कर सकते हैं परन्तु इसका पारेषण नहीं कर सकते तो समस्याएं तो होंगी

*अध्यक्षपीठ के अदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्री प्रभात कुमार सामन्तराय]

ही। देश के विभिन्न भागों में बिना किसी रूकावट के हम गेहूं और चावल का उत्पादन कर रहे हैं। मांग के अनुसार ये वस्तुएं देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाई जाती हैं। इसी प्रकार मैं इस विधेयक को प्रस्तुत किए जाने का स्वागत करता हूं जिसमें विद्युत मंत्री ने विद्युत आपूर्ति प्रणाली को सुधारने के लिए कठिनाइयों को दूर करने पर ध्यान दिया है जो इस समय ग्रामीण क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। इससे विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है जिससे अत्यधिक पारेषण और वितरण से होने वाली हानियों से राजकोष पर पड़ने वाला भार कम किया जा सके।

जहां तक मुझे ज्ञात है आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार विद्युत उत्पादन के लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी पूरा नहीं कर सकी। इस कमी के साथ-साथ नौवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विद्युत की आवश्यकता तथा सकल घरेलु उत्पाद को भी देखते हुए 60,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की आवश्यकता होगी। इस उत्पादन को हासिल करने के लिए लगभग 2.40 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की आवश्यकता है जो प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन पर 4 करोड़ रुपये बैठता है। यह लक्ष्य जल विद्युत उत्पादन या कोयला या आणविक क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन करके पूरा किया जा सकता है। अगर पारेषण प्रणाली में कठिनाइयां आती हैं और यह उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचती तो यह पूरी उपलब्धि बेकार हो जाएगी तथा यह हमारे देश में उद्योग के विकास तथा अन्य क्षेत्रों में भी कोई मददगार साबित नहीं होगी।

प्रस्तावित परिव्यय के एक भाग को पूरा करने के लिए विदेशी निवेश स्वदेशी स्रोतों और निजी क्षेत्र से सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता है। परन्तु इस समय, नियुक्त पारेषण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र के प्रवेश करने की गुंजाइश तब तक नहीं है जब तक यह प्रस्तावित विधेयक संसद द्वारा पारित नहीं हो जाता।

कच्चे अनुमानों के अनुसार उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति हेतु प्रस्तावित 60,000 मे.वा. विद्युत उत्पादन के लिए लगभग 1,20,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसलिए यह निजी और संयुक्त क्षेत्रों को पारेषण क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देना उचित होगा जिससे कम से कम पारेषण व्यवस्था में तो सुधार लाया जा सके।

अपने राज्य में मैंने यह देखा है कि पारेषण और वितरण प्रणाली इतनी खराब है कि थोड़े समय के लिए ही विद्युत आपूर्ति बनी रहती है तब भी वोल्टेज इतनी कम रहती है कि पढ़ना तक मुश्किल हो जाता है। 11 कि.वा. और 33 कि.वा. की रेंज में बड़ी लाईनें भी हैं। 132 कि.वा. की अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाईनों से इस समस्या का समाधान हो सकता है। इससे न केवल इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनी रहे बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पारेषण प्रणाली में सुधार हो। शहरी क्षेत्रों में भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जहां वितरण प्रणाली काफी बिगड़ी हुई है। मेरे राज्य में, कुछ निजी क्षेत्र के उद्यमों ने लगभग 10,000 मे.वा. विद्युत का उत्पादन करने में अपनी रुचि दिखाई परन्तु अपर्याप्त पारेषण लाइनों के कारण ये स्टेशन शुरू नहीं हो रहे हैं। प्रस्तावित विधेयक में निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र को पारेषण प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव लेकर आगे आने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय वर्षा के बाद भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में विद्युत की कटौती जारी है। अगर उपभोक्ताओं तक उच्च गुणवत्ता वाली पारेषण प्रणाली पहुंचती तो इस समस्या का पूरी तरह समाधान हो सकता है। मैं समझता हूं कि बिहार और उड़ीसा से दक्षिणी क्षेत्रों में कोयला भेजा जा रहा है। कोयले की इतनी दूरी तक ढुलाई में प्रति इकाई लागत लगभग 1 रुपये है। अगर प्रस्तावित विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है तो एक स्थान से दूसर स्थान पर भेजे जाने वाले प्रति इकाई कोयले की लागत 50 प्रतिशत तक कम हो जाएगी।

जैसे ही उच्च वोल्टेज पारेषण प्रणाली स्थापित हो जाती है तो ऊर्जा प्रेषण पर आने वाली प्रति इकाई लागत 50 प्रतिशत से भी अधिक कम हो जाएगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरी तथा पूर्वोत्तर में लगभग 50,000 मे.वा. और दक्षिणी क्षेत्र में 40,000 मे.वा. जल विद्युत क्षमता उपलब्ध है। पारेषण प्रणाली के मजबूत होने पर ही ये परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। उपर्युक्त समस्याओं का समाधान करने में यह विधेयक काफी सहायक होगा। घरेलू उपभोक्ता और उद्योग दोनों ही इन पारेषण सुविधाओं द्वारा लाभान्वित होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी यूजफुल भावनाओं से इस सदन को अवगत कराया है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस बिल की क्या भावना है और किस सैक्शन का अमेंडमेंड होना चाहिये था। इस सदन में बराबर माननीय सदस्य बोलते हैं कि हिन्दुस्तान में गरीबी और अमीरी में बहुत ज्यादा अंतर है। नेहरू जी के जमाने में माननीय सदस्य इस सदन में कहा करते थे और बताया करते थे तथा विशेषकर डा॰ राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि हिन्दुस्तान में गरीबी और अमीरी का 1:10 से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिये। आज बिजली हिन्दुस्तान की 25 प्रतिशत जनता की पहुंच से दूर होती जा रही है। बिल में अमेंडमेंड के माध्यम से प्राईवेटाईजेशन की बात की जा सकती है। इस बात को हर आदमी जानता है कि प्राईवेटाईजेशन होने से निश्चित तौर पर बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी होगी। आज भी लाखों-करोड़ों लोगों के घरों में अंधेरा है और बिजली उनकी पहुंच से बाहर है। हम उन लोगों को बिजली के पोल नहीं दे सकते।

सभापति महोदय, अभी मंत्री जी सदन में नही हैं। मैं उन्हें बताना चाहता था कि आज राजस्थान में 13-13 साल से किसानों को एग्रीकल्चरल कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं जबकि एक इंडस्ट्री को

दरख्वास्त देने के तुरंत बाद बिजली मिल जाती है। मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि राजस्थान में जिन किसानों ने 1986-87 में कनेक्शन के लिए आवेदन किया था उन्हें आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है। आप प्राईवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है। मैं इस सरकार के हिडन एजेंडा की बात नहीं करता लेकिन गरीबों के प्रति इनकी भावना क्या है, वह दिखाई दे रही है।

सभापति महोदय, जब-जब कहीं प्राईवेटाईजेशन हुआ है, मजदूरों को अलग किया गया है, कर्मचारियों को अलग किया गया है। मैं इस प्राईवेटाईजेशन के नाम पर अपना अनुभव बताता हूं। एक बार मैंने राजस्थान में बारां रैस्ट हाउस में विश्राम किया। प्रातः क्लास के एक कर्मचारी ने बताया कि हमें 600 रुपये महीना प्रतिदिन 8 घंटे काम के हिसाब से मिलते हैं लेकिन हमसे 24 घंटे काम लिया जाता है और तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। हमने जिला कलेक्टर से जब कहा तब उसे तनख्वाह मिल पाई। यह बात सरकार को देखनी पड़ेगी। मैं बी.जे.पी. सरकार पर यह आरोप नहीं लगा रहा कि वह पूंजीपतियों की पार्टी है और गरीबों के खिलाफ है लेकिन यह मामला इनफास्ट्रक्चर से संबधित है और उद्योग-धंधे चलने हैं।

इस बात को भी देखना पड़ेगा कि इस बिल में जो अमेंडमेंट है, क्या इनसे अच्छे अमेंडमेंट भी लाये जा सकते थे। इसमें कोई न कोई ऐसी क्लॉज़ जोड़ी जानी चाहिए थी कि प्राईवेटाइजेशन के बाद टैरिफ में जो बढ़ोतरी होगी, उस पर काबू रखा जा सके। मंत्री जी ने भी देखा होगा कि इसमें जो पेनल्टी इंपोज़ करने की बात कही गई है, एक काश्तकार जो 500 रुपया महीना नलकूपों की बिजली का रेण्ट पे नहीं कर सकता उसे भी 3000 रुपये पेनल्टी की बात करते हैं, एक अरबपति आदमी जो फैक्ट्री चलाता है, उस पर भी वही पैनल्टी की बात करते हैं। दूसरी बात देखिये कि दिनांक 7 जुलाई, 1998 के प्रश्न 238 के जवाब में आपने घाटे की बात की है। अपने 1995-96 के आंकड़े दिये हैं और सबसे ज्यादा घाटा दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग में है। पोश कलोनीज में 60 प्रतिशत बिजली की चोरी होती है और काश्ताकार के यहां दो प्रतिशत भी बिजली की चोरी नही होती। दिल्ली में बिजली की चोरी 60 प्रतिशत पोश कलोनीज़ में होती है जिसको आपने 48 प्रतिशत बताया है। दूसरा नंबर जम्मू और कश्मीर का दिया है उत्तरी क्षेत्र में। आप दिल्ली में बिजली बोर्ड का घाटा नहीं रोक सकते? कौन सा ऐसा बिजली बोर्ड है जिसमें घाटा नही होता, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा घाटा है और प्राइवेटाइजेशन के बाद इसमें बढ़ोतरी होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैने कभी सदन का समय बरबाद नही किया। आपने मुझे पहली बार मौका दिया है और घंटी की आवाज ऐसी है जो मुझे ठीक नहीं लग रही है। आप जैसा आदेश दें।

महोदय, मैं कोटा डैम गया था। वहां मैंने देखा कि बिजली की लाइनें बिछाकर या ग्रिड स्टेशन्स को ठीक करके या जो भी संप्रेषण का माध्यम है, उसके अनुसार पैसा लगाकर आप उसे सुधारना चाहते हैं। कोटा डैम में पानी से बिजली पैदा होती है जिसका खर्च सबसे कम आता है। आज भी उसके चैनल्स को ठीक कर लिया जाए तो रियेक्टर के घूमने की गति बढ़ेगी और बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत में जितनी पन बिजली पैदा हो रही है, उतराखंड में उसकी आधी से अधिक बिजली हम पैदा कर सकते हैं, मगर इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आपने देखा होगा कि बिजली का पोल गांव में गिर जाता है तो उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है। एक गांव में पांच काश्तकार हैं और उनमें से एक भी काश्तकार बिजली का बिल नहीं चुका पाता है पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है, जबकि शहरों में, किसी मोहल्ले में कोई बिजली का बिल नहीं चुकाता है तो पूरे मोहल्ले की बिजली नहीं काटी जाती है। आप इस बात को राज्य के बिजली मंत्री से भी कहियेगा। बिजली उत्पादन और वितरण में जो अंतर है, प्राइवेटाइजेशन के बाद भी हम उसको उतनी गति से ठीक नहीं कर सकते जिस गति से हमें ठीक करना चाहिए। इसके लिए सरकार को भी कुछ सोचना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यह नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई काम नहीं होगा। आज बिजली के उत्पादन और बिजली के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, इस पर मंत्री जी को सदन को आश्वासन देना चाहिए। दिल्ली में और देश के दूसरे प्रांतों में बिजली का घाटा ही रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोइर्ज़ की हालत बदतर होती जा रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए और लॉस को कैसे रोका जाए इस पर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ ही मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बिजली की कटौती भी बहुत की जाती है। अखबारों में आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 12 में से छः महीने बिजली की कटौती चलती है और बिजली बंद रहती है। कोई ट्रांसफार्मर जल जाए तो छः महीने तक गांव में ट्रांसफार्मर नहीं जाता। मंत्री जी गांव का दौरा करें, अपनी एजेन्सी गांव में भेजें। बिजली का केवल नाम है गांवों में।

मैं राजस्थान की बात नहीं करता, उत्तर प्रदेश की भी हालत खराब है। मैं मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की भी बात करता हूं। वहां गांवों में कोई देखने वाला नहीं है। आपको बिजली की लाइनें बिछी मिलेंगी, लेकिन उनमें बिजली का प्रवाह नहीं मिलेगा। महीना-महीना भर तक कोई शिकायत सुनने वाला और देखने वाला नहीं है। वहां की हालत बदतर होती जा रही है। कहीं न कहीं हमारी एजेंसी में खोट है। इसको हमें ठीक करना चाहिए।

मैं राजस्थान के बारे में बात करना चाहता हूं, वहां मीटर रीडर्स नहीं हैं। जितने कर्मचारी होने चाहिए, उसके 50 प्रतिशत कर्मचारी भी आपको बिजली बोर्ड में मिलेंगे। उनकी दशा सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ताकि वे थैफ्ट रोक सकें और दूसरी चीजें भी की जा सकें।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। परम्परागत बिजली के उत्पादन की बात की जाती है। सौर ऊर्जा के दूसरे माध्यमों पर जितनी राशि हम खर्च कर रहे हैं,

[श्री रामनारायण मीणा]

उसी राशि में जिसके माध्यम से आप इक्युपमेंट्स लेते हैं, जिससे आप केवल बिजली का उत्पादन करते हैं, उसी राशि को आप इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को बिजली उत्पादन के लिए दें। निश्चित तौर कोई ऐसी योजना बन सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप इस बिल में कुछ अमेंडमेंट्स लाइये, ताकि प्राइवेटाइजेशन के बाद किसान और गरीब के पक्ष में कुछ किया जा सके। आप इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, जिससे एग्रीकल्चरिस्ट्स को उसी तरह के राइट्स मिल सकते हैं जिस तरह के राइट्स आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को देते हैं। उसी तरह के राइट्स गरीब आदमी को भी मिले, ताकि वे बिजली का अपना कलेक्शन ले सकें। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करूंगा कि गरीब के पक्ष में और आज के माहौल को देखते हुए गरीब की झोपड़ी तक बिजली पहुंचे, किसान को समय से बिजली मिले, बिजली बोर्ड द्वारा छः-छः महीने तक ट्रांसफार्मर्स नहीं बदले जाते हैं, वे बदले जाएं, आप इसी में अमेडमेंट लायेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री जुआल उराम (सुन्दरगढ़) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री महोदय, यह बिल पहले लाना जरूरी था, क्योंकि आप यह बिल जनरेशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों को सैपरेट करने के लिए लाये हैं। आप जानते हैं कि उड़ीसा विधान सभा में 1992 में इलैक्ट्रिसिटी रिफॉर्म बिल पास हुआ है, उसमें उड़ीसा इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन भी है, जो एक क्वासी जूडिशिरी बॉडी है। अक्सर देखा गया है कि ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूश्न एवं जनरेशन जब एक थे और इलैक्ट्रिसिटी के बारे में जब कभी कोई बात होती थी तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले ट्रांसमिशन वालों को दोष देते थे और ट्रांसमिशन वाले जनरेशन वालों को दोष देते थे। अब ये तीनों अलग हो जायेंगे।

इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे आंकड़े दिये गये हैं, मैं उनके डीटेल में नहीं जाना चाहता हूं। हमारे देश में ट्रांसमिशन लॉस उतना नहीं है, जितने आंकड़े दिये जा रहे हैं। ज्यादा लॉस चोरी की वजह से है। डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनके द्वारा बहुत सारी मालप्रेक्टिसिज हो रही है, कनाइवेन्स हो रही है। ट्रांसमिशन लॉस दिखाने के लिए यह एक बहाना है। माननीय मंत्री जी ट्रांसमिशन की व्यवस्था बनाने के लिए जो बिल लाये हैं, यह बहुत अच्छा बिल है। बिल की आलोचना करने के लिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें तीन सैक्शन हैं दि इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 1910, एंड इंडियन इलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 के सैक्शंस 41 और 55 में आप मेजर चेंज करने जा रहे हैं। मैं ओरिजनल एक्ट के क्लाज 41 की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"अनुज्ञप्ति द्वारा ऊर्जा की अप्राधिकृत आपूर्ति के कारण दंड" इसमें आप लिखते हैं :-

"जो कोई इस उपबंध की धारा 28 के उल्लंघन में ऊर्जा की आपूर्ति का कारबार करेगा वह जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा और निरंतर उल्लंघन की दशा में, दैनिक जुर्माने से जो तीन सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"

[हिन्दी]

आप अमेंडमेंट में भी सेम चीज को लाए हैं और उसमें आप 41 (ए) एड कर रहे हैं। उसमें भी सेम चीज लिख रहे हैं। यह बात मेरी में नहीं आई। मेरा आग्रह है कि जब आप अपना उत्तर दें, तो उस समय अपने उत्तर में इस बात को स्पष्ट अवश्य करें कि ट्रांसमिशन में अगर आप इस क्लाज को लगाकर रैगुलेट करने के लिए कहेंगे, तो यह काफी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में जो थैफ्ट है या इल्लीगल यूज है उस पर रु॰ 3000/- पैनल्टी और डेली रु॰ 300/- की पैनल्टी रखी है, यह तो समझ में आ रही है, लेकिन यह बहुत कम है यह एक वितरण प्रणाली है। परन्तु पारेषण के संबंध में जो लौस होगा या ट्रांसमिशन में थैफ्ट होगा, जो इधर-उधर होगा, यह काफी बड़े पैमाने में है। इस प्रकार से आप इस छोटे से क्लाज को लगाकर आप इसको रैगुलेट नहीं कर सकते हैं। दूसरे आपने इसमें लिखा है कि आप स्टेट लोड सेंटर और रीजनल लोड सेंटर. एस.एल.डी.सी.एंड आर.एल.डी. सी. बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओरिजनली तो ये वर्क कर रहे हैं। आलमोस्ट इसमें काम कर रहे थे। इनके माध्यम से ही तो ट्रांसमिशन होगा, लेकिन आपने इसमें जो प्राविजो दिया है, उनको तो पावर दे रहे हैं और उसमें जो व्यवस्था की है, उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि जो मैनेज करेंगे, अगर इसमें कोई प्राईवेट पार्टी आएगी और अगर वे नहीं मानेगी, तो आपके पास उन्हें नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। इस बारे में उसमें सफीशिएंट प्रावीजन नहीं दिया है। इसलिए मेरा कहना है कि जो आप यह बिल लाए हैं, वह तो ठीक है क्योंकि यह तो आप स्टेडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से लाए हैं, यह बहुत बढ़िया हैं, लेकिन इसमें फर्दर स्टडी करके अगर कुछ अमेंडमेंट लाने यदि जरूरी हैं, तो आप इसमें लाइए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से कैप्टिव जनरेशन की तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज बहुत सारे बड़े-बड़े आर्गेनाइजेशन जैसे सेल हुआ, नाल्को हुआ या बाकी जो और आर्गेनाइजेशन हैं, उनको हम पावर नहीं दे पाए। इसलिए उन्होंने कैप्टिव पावर प्लांट लगाना शुरू कर दिया है और कुछ आर्गेनाइजेशन ने प्लांट लगाकर बिजली भी पैदा कर भी ली है। बहुत सारे प्राइवेट आर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट सैक्टर में हैं वे भी कैप्टिव पावर प्लांट लगाने के पक्ष में हैं। मध्यम क्षेत्र की कम्पनियां भी अपने रक्षित संयंत्र लगाने में रुचि रखते हैं। मेरा कहना है कि सरकार उनको बहुत ही डिफीकल्ट रूल्स रेगुलेशन लगाकर अनेक तरह की परेशानी खड़ी करती है, यह ठीक नहीं है। इसमें लिबरलाइजेशन होना चाहिए। उनके लिए सरकार को ईजी शर्तों पर कैप्टिव पावर लगाने की व्यवस्था

करनी चाहिए। हमको बिजली के जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, वे एक्चुअल नहीं हैं। एक्चुअली जो आपकी पावर की फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी वह बहुत ज्यादा होगी। अभी हम लोगों को जितनी बिजली की जरूरत है, उसका 75 परसेंट मीट कर पाते यही कही गई है। मैं समझता हूं कि एक्चुअल में यह भी नहीं है। हम केवल 60 प्रतिशत मांग ही पूरी कर सकते हैं। बाकी हम लोग खाली आंकड़े दिखाते हैं। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को देख लीजिए उसमें छः-छः और आठ-आठ घंटे का बिजली का कट है या एक घंटे का कट हैं, लेकिन एक्चुअली उससे बहुत ज्यादा कट हो रहा है। इसलिए कैप्टिव जनरेशन में ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हाइडल जनरेशन में हमारा कम ध्यान है और थर्मल पावर जनरेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सरकार को हाइडल जनरेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरे बात यह है कि अभी भी जो पावर प्लांट है वह चाहे हाइडल हो या थर्मल हो, उनमें जो न्यू टैक्नौलोजी है, उसकी तरफ कम ध्यान दिया जाता है। यदि हम पुराने प्लांटों में पुरानी टैक्नौलोजी का प्रयोग करें प्लांटो को माडर्नाइज करें तो

[अनुवाद]

इससे विद्युत की अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता और विद्युत की अतिरिक्त मेगावाट विद्युत उत्पादन प्राप्त हो सकता है। इसके बारे में ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

तीसरा, इलैक्ट्रिसिटी का जो रेगुलेशन है, वह ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। इसमें बहुत सारे डिज़ास्टर्स हुए हैं। मैं बारीपाड़ा फॉयर एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा। बारीपाड़ा में एक बड़ा निगमानंद भक्त का कैम्प बना था जिसमें उनको एक स्पेशल ट्रांसफार्मर ओवरहैड लाइन का सप्लाई किया गया था। लेकिन ओवरहैड लाइन का जब प्रोविजन हुआ तो उस टाइम उनके रहने के लिए रेजिडेंशियल एकमोडेशन बनाये गये। उस इलैक्ट्रिसिटी इंसपेक्टर या रेगुलेटरी अथॉरिटी उस पर सफीशियेंट ध्यान देती तो वह डिज़ास्टर्स नहीं होते। अभी इलैक्ट्रिसिटी लाइसेंस में काफी प्रोविजन है लेकिन इसका बहुत ही कैजुअल यूज हो रहा है। बहुत सारे आर्गनाइजेशन एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टालेशन नहीं कर रहे हैं। इसके चलते आपका ग्रिड भी डिस्टर्ब हो रहा है और फ्रिक्वेंसी मैनटेन करने में भी आपको तकलीफ हो रही है। इसको स्ट्रीक्टली करने के लिए मिनिस्टर साहब को सांत्वना देनी चाहिए।

अब मैं अपने स्टेट के बारे में कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि अमेरिकन इलैक्ट्रिक सप्लाई को ईब घाटी में तीन फेज में पावर बनाने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं। जो तीन फेज का प्रपोजल है पहले 500 मे.वा. के लिए 500 मे.वा. उत्पादन क्षमता की दो इकाइयों तथा अगले चरण के लिए 500 मे.वा. क्षमता वाली दो इकाइयां एक तीसरा चरण भी है लेकिन वहां जो पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया है, उसमें बहुत हाई रेट है। हम लोग उड़ीसा में जब विधायक थे तो हमने इसको बार-बार उठाया था। यहां तक कि श्री श्रीकान्त जेना भी जो उस समय केन्द्रपाडा के संसद सदस्य थे, बोल रहे थे कि इसमें बहुत घपला हुआ है लेकिन जब मंत्री बने पावर परचेज और टोटल मैमोरेंडम जैसा था उसे एज़ ईट इज ले लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसका एक बार फिर रिव्यू करने की जरूरत है यह राज्य के हित में है। क्योंकि वहां जो पावर टैरिफ होगा। यह 2.50 रु॰ से 2.80 रुपये प्रति इकाई से अधिक होगा। उसके अनुसार मैं मंत्री जी से इसकी समीक्षा करने का अनुरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री आर॰एल॰ जालप्पा (चिकबलपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं एक विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। माननीय मंत्री को यह जानकर आश्चर्य होगा...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं कर्नाटक से हूं जहां विद्युत आपूर्ति में कमी रहती है। हमारा पूरा कृषक वर्ग काफी संकट का सामना कर रहा है और विद्युत की नियमित रूप से आपूर्ति न होने की वजह से वे पम्पसेटों के लिए उधार ली गई राशि को चुकाने में भी असमर्थ हैं। हमें दिन में तीन-चार घंटे भी बिजली नहीं मिलती जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी आई है। न केवल कृषक बल्कि शिक्षित युवा भी शहरों में काम की खोज में आ रहे हैं।

जहां कहीं ये एन आर डब्ल्यू एस हैं वहां ग्रामीणों को विद्युत की आपूर्ति न होने की वजह से पेय जल भी नहीं मिल रहा है। यद्यपि वे दो-तीन घंटे के लिए विद्युत की आपूर्ति भी करते हैं तब भी कोई वोल्टेज नहीं होती। विद्युत आपूर्ति की यह स्थिति है। कृषि में अब कोई आकर्षण नहीं रहा और कृषक काम की तलाश में शहरों और नगरों में जाकर बसने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरे, हम 'नेशनल ग्रिड' से विद्युत लेने, की कोशिश कर रहे हैं। वहां भी वोल्टेज काफी अस्थिर और काफी कम रहती है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि न केवल इस पारेषण बल्कि उत्पादन और वितरण का भी निजीकरण किया जाना चाहिए। मैं बिजली चाहता हूं और आप मुझे विद्युत की आपूर्ति करें चाहे आप उक्त आपूर्ति कैसे भी करें। एक किसान के रूप में मैं जीना चाहता हूं। मेरे अपने खेत में 25 कि.वा. के दो जनरेटर हैं। परन्तु मैं कितनी देर तक काम चला सकता हूं? यह संभव नहीं है।

विद्युत बोर्डों का प्रबंधन काफी खराब है। उन्होंने यह कहकर प्रतिवर्ष के लिए प्रति अश्वशक्ति पर 300 या 500 रुपये निर्धारित किए हैं कि हमारे पम्प सेटों के लिए हमारे मीटर नहीं हैं। उद्योग में विद्युत की जो भी चोरी होती है उनका कहना है वह पारेषण में हो रही हानि के कारण है। यह 25 से 28 प्रतिशत के लगभग है। वे इस तरह से लोगों को धोखा दे रहे हैं और जब हम उनसे पूछते हैं तो वह कहते हैं कि किसान बहुत अधिक बिजली इस्तेमाल करते हैं।

[श्री आर॰एल॰ जालप्पा]

जब विद्युत उपलब्ध ही नहीं है और हम दिन में तीन घंटे तक मोटर नहीं चला सकते हैं फिर हम इतनी अधिक विद्युत की खपत कैसे कर सकते हैं तथा बर्बादी का प्रश्न कहां से आता है?

जब मैं कैबिनेट मंत्री था तो इन सब बातों पर गौर करते हुए मैंने उनसे कहा करता था कि वे इन बातों के प्रबंधन में सक्षम नहीं हैं इसलिए इसे निजी अभिकरणों को दिया जाना चाहिए। मैं आरंभ से ही इस बात की वकालत कर रहा हूं, इसीलिए मैंने आरंभ में कहा था कि मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

हां, मैं इसका समर्थन करता हूं किंतु मेरी एकमात्र आशंका यह है कि यह राजनीति से परे होगा या नहीं। इस विधेयक को स्वीकृत करने में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और लालफीताशाही नहीं होनी चाहिए।

महोदय, मुझे माननीय मंत्री के ध्यान में कुछ महत्वपूर्ण बातें लानी हैं। जब लगभग सात या आठ वर्ष पूर्व श्री बंगारप्पा मुख्यमंत्री थे तो 1000 मेगावाट वाली कोजेन्ट्रिक्स विद्युत परियोजना के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। विगत सात वर्षों में उन सौदों के बारे में किसी ने अंगुली नहीं उठाई किंतु अब किसी ने एक रिट याचिका दाखिल की है कि इस मामले में रिश्वत दी गई है, याचिका में यह नहीं बताया गया कि रिश्वत किसे दी गई है और कितनी दी गई आदि। उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस मामले की सी.बी.आई. से जांच कराई जाए, तब राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की और उस पर स्थगनादेश दिया गया।

मैं मंत्री महोदय से इस मुकद्दमे का श्रेय न लेने तथा हमें यह बताने का अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को स्वीकृति इस मुकद्दमे का निपटारा होने पर ही दी जाएगी। इसका मुकद्दमे से क्या सरोकार है? यदि किसी ने रिश्वत ली है तो सी.बी.आई. जांच करे और उसे जेल की हवा खाने दो, किंतु जब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में कोई निर्णय लिया जाता है तो मैं नहीं समझता कि विद्युत मंत्री के रूप में आप अपने कार्यकाल के दौरान इस कोजेन्ट्रिक्स परियोजना को स्वीकृति दे पाएंगें।

आप जानते हैं कि आपका अस्तित्व तमिलनाडु से अन्नाद्रमुक ग्रिड द्वारा आपूर्ति की गई पॉवर से है कभी यह कम होती है। कभी बहुत ऊंची रहती है...*(व्यवधान)* इसके कारण आपको परेशानी हो रही है। कभी कभी आपको इसमें कमी के कारण परेशानी हो रही है ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : श्री कुमारमंगलम किसी को भी संभाल सकते हैं।

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : जब ऐसी स्थिति है तो मैं आप से निवेदन करता हूं कि इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति दें। कृपया इसमें राजनीति न लाएं। उसके अलावा अनेक परियोजनाएं आपके पास लम्बित पड़ी हैं। वे इस प्रकार हैं : (1) क्रूड लिक्विड फ्यूल प्रोजेक्ट के संबंध में समझौता ज्ञापन अर्थात 200 मेगावाट की हसन पावर कंपनी परियोजना। (2) 100 मेगावाट पीन्या पावर कंपनी परियोजना (3) 115 मेगावाट की इंडिया पावर पार्टनर्स परियोजना और (4) नान–जागुंड में 100 मेगावाट की आई पी एस पावर कारपोरेशन परियोजना, मैं नहीं जानता कि उन पर रोक क्यों लगाई गई है। कृपया उन्हें शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति दें। जब आप इस देश में विद्युत की स्थिति के सुधार में रुचि रखते हैं तो फिर इन परियोजनाओं को रोकने का कोई कारण नहीं है। यह भी देश का एक हिस्सा है। कृपया उन्हें स्वीकृति दें।

दूसरा, मैं नहीं जानता कि 'बार्ज–माउंटेड' परियोजनाओं को क्यों रोका जाना चाहिए। मंगलौर के निकट दो 'बार्ज–माउंटेड' परियोजनाएं हैं। वे पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास लम्बित पड़ी हैं। उनसे प्रदूषण पैदा होने की संभावना नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस विद्युत का जनरेटरों को रखकर समुद्र में उत्पादन किया जाता है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कृपया देखें कि इन परियोजनाओं को स्वीकृति मिले।

फिर बीजापुर में कोयला आधारित 350 मेगावाट की परियोजना है, यह सी.ई.ए. के पास लम्बित पड़ी है। क्या आप अपने प्रभाव का प्रयोग कर इसे स्वीकृत करा सकते हैं? मेरे पास ऐसी अन्य अनेक परियोजनाओं की सूची है जो आपके पास लम्बित पड़ी है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इस बारे में आपसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करूंगा। मैं इन सब बातों को आपके ध्यान में लाऊंगा।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : यदि माननीय सदस्य के पास समय हो तो उनका सदैव स्वागत है।

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : कुद्रेमुख में वे स्वयं 60 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना चाहते हैं इसे भी अभी स्वीकृति दी जानी है। फिर जल विद्युत परियोजनाएं हैं। वे हैं—शिवसमुद्रम और महादायी परियोजनाएं। हम शिवसमुद्रम में पहले ही विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। किंतु यदि हम यहां पर विद्युत उत्पादन क्षमता में 40 मेगावाट की वृद्धि करना चाहते है तो दुर्भाग्यवश तमिलनाडु सरकार इस पर आपत्ति कर रही है...*(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰ बालू (मद्रास दक्षिण) : मंत्री महोदय, कृपया उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया बैठ जाइए।

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : विद्युत उत्पादन के बाद पानी कहां जाता है? मैं नहीं जानता कि वे इस बारे में इतने निष्ठुर क्यों हैं। वह मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री टी॰आर॰ बालू : यह तटीय क्षेत्रों के लिए हानिकारक है। पहले कावेरी मुद्दे का समाधान कीजिए। आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : आप इसके समाधान के लिए तैयार नहीं हैं। विद्युत उत्पादन के बाद पानी कहां जाता है? यह आपके राज्य में ही आएगा। दूसरी ओर यह आपके लिए जलाशय का कार्य करता है। कुद्रेमुख परियोजना और वह सभी जलाशय का कार्य करेंगे।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : वास्तविक समस्या यह है कि आप जल समस्या को विद्युत उत्पादन से अलग कर सकते हैं। दो परियोजनाएं हैं। वे हैं: शिवसमुद्रम और होगे नकाल। इस बारे में दोनों मुख्यमंत्री बातचीत कर इसका समाधान कर सकते हैं। किंतु बातचीत कर इसका समाधान कर सकते हैं। किंतु दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। लूट-खसोट वाला दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए।

श्री टी॰आर॰ बालू : पहले आप कावेरी मुद्दे का समाधान कीजिए। उसके बिना वे स्वीकृति कैसे दे सकते हैं? शिवसमुद्रम परियोजना का क्या हुआ?

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : हम दोनों का अस्तित्व बना रहना चाहिए। आगामी वर्षों में हम अपनी संपति और मानव जीवन को नष्ट करते हुए एक दूसरे से लड़ते नहीं रह सकते हैं। यह संभव नहीं है। इसका समाधान करना होगा।

सभापति महोदय : श्री जालप्पा कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : मैंने मंत्री महोदय से पहले ही निवेदन किया है कि वे इन बातों पर उनसे चर्चा करने की हमें अनुमति दें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय को देखना चाहिए कि ऐसी परियोजनाएं यथासंभव शीघ्र पूरा करवाएं।

अपराह्न 6.00 बजे

डा॰ सरोजा वी॰ (रासीपुरम) : माननीय सभापति महोदय सर्वप्रथम मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं और साथ ही आग्रह करती हूं कि तमिलनाडु की जनता, कृषक समुदाय को निःशुल्क बिजली दी जाए।

दूसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को उनकी एकल लाइन प्रणाली के लिए निःशुल्क बिजली दी जानी चाहिए।

तीसरा, दीर्घकाल से लम्बित जयागुंडम परियोजना का कार्य आरंभ किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब हमें सभा की राय लेनी होगी क्योंकि अभी 18 सदस्य और बोलने वाले हैं।

कुछ माननीय सदस्य : हम इस पर कल चर्चा जारी रख सकते हैं। कृपया सभा स्थगित कीजिए।

सभापति महोदय : हम कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति दे सकेंगे।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : लगता है सदस्यों का विचार है कि वे इस मामले में गहराई तक जाएं। हम इस पर कल चर्चा जारी रखेंगे।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 21 जुलाई, 1998/30 आषाढ़, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.—48/4/25/98 (एन.)
220

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।